ISSN-0971-8400

योजना

अक्टूबर 2015 विकास को समर्पित मासिक ₹ 20

विशेषांक

कौशल विकासः नयी ऊंचाइयां

भारत में कौशल विकास परिदृश्य की नयी परिभाषा
दिलीप चिनॉय

रोजगार, उद्यम, प्रौद्योगिकी व कौशल
अरुण मायरा, मदन पडकी

वंचितों की रोजगार क्षमता में सुधार
सुनीता सांघी

विशेष आलेख
विरासत का संरक्षणः
हथकरघा उद्योग को सुरक्षा और प्रोत्साहन
मोनिका एस गर्ग

फोकस
कौशल विकास का गांधी मार्ग
कुमार प्रशांत

शैक्षिक ऋण के लिए एकल खिड़की

शैक्षिक ऋण लेने की चाहत रखने वाले छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वेब आधारित पोर्टल विद्या लक्ष्मी (www.vidyalakshmi.co.in) का शुभारंभ किया गया।

2015-16 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम (पीएमवीएलके) के जरिए छात्रवृत्ति के साथ-साथ शैक्षिक ऋण कार्यक्रमों के संचालन और निगरानी के लिए पूर्ण रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर आधारित छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी छात्र धन की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। इस उद्देश्य को पाने की दिशा में इस पोर्टल का शुभारंभ पहला कदम है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो सरकारी छात्रवृत्ति के साथ ही विभिन्न बैंकों द्वारा दिए जाने वाले शैक्षिक ऋण के बारे में संपूर्ण जानकारी देने तथा ऋण के लिए आवेदन करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करता है। पोर्टल की निम्न विशेषताएं हैं:-

- बैंकों के शैक्षिक ऋण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी
- छात्रों के लिए समान शैक्षिक ऋण आवेदन पत्र
- शैक्षिक ऋणों के लिए विभिन्न बैंकों में आवेदन करने की सुविधा
- बैंकों को छात्रों के ऋण आवेदनों को डाउनलोड करने की सुविधा
- बैंकों को ऋण की प्रक्रिया को अपलोड करने की सुविधा
- छात्रों को शैक्षिक ऋण के बारे में किसी संशय या प्रश्न को ई-मेल करने की सुविधा
- बैंकों को ऋण
- छात्रों को अपने ऋण आवेदन की स्थिति देखने के लिए डैशबोर्ड की सुविधा और
- सरकारी छात्रवृत्ति के लिए सूचना पाने व आवेदन करने हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का लिंक उपलब्ध है।

अब तक 13 बैंकों ने 22 शैक्षिक ऋण योजनाओं को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकृत किया है और पांच बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और यूनियन बैंक) ने छात्रों को ऋण प्रक्रिया की स्थिति से अवगत कराने के लिए अपने सिस्टम को पोर्टल के साथ जोड़ा है। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक ऋण देने वाले सभी बैंकों को साथ लाना है। आशा की जाती है कि देश भर के छात्र सरकार की इस पहल, जिसमें सभी बैंकों के शैक्षिक ऋण योजनाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की प्रदान की गई है, से लाभान्वित होंगे।

हथकरघा उत्पादों का ई-विपणन

भारत सरकार ने हथकरघा उत्पादों के ई-विपणन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया है। इसका उद्देश्य सामान्य रूप से हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना तथा विशेष रूप से युवा ग्राहकों तक पहुंच बनाना है। इस नीतिगत ढांचे के तहत विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय हथकरघा उत्पादों के पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रभावी तरीके से ई-विपणन को बढ़ावा देने में स्वीकृत ई-वाणिज्य संस्थाओं के साथ सहयोग करेगा। कोई भी ई-वाणिज्य संस्था जो इस कार्यालय के साथ मिलकर हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने की इच्छा रखती हो, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय में आवेदन कर सकती है। कार्यालय आवेदक के पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और पूर्ण बिक्री रिकॉर्ड की जांच से संतुष्ट होने के बाद इसके लिए नियुक्त समिति ई-विपणन के जरिए हथकरघा निर्मित कपड़े का उत्पादन करने वाले प्रस्तावित क्षेत्र और प्रस्तावित रॉलआउट योजना को ध्यान में रखकर अपनी संस्तुति देगी। आवेदन प्रक्रिया को तीन सप्ताह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। एक बार स्वीकृति मिल जाने के बाद ई-वाणिज्य संस्था को 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड या हथकरघा चिन्ह वाले हथकरघा उत्पादों को प्रमुखता से अपने होम पेज पर प्रदर्शित करना होगा। विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय निम्नलिखित प्रकार से हथकरघा के विपणन को बढ़ावा देगा।

- स्वीकृत ई-वाणिज्य संस्थाओं के नाम एवं अन्य जानकारी विकास आयुक्त (हथकरघा) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे तथा इसे बुनकर सेवा केंद्रों व राज्य सरकारों के माध्यम से भी फैलाया जाएगा।
- हथकरघा बुनकरों/उत्पादकों के लिए उपलब्ध ई-वाणिज्य सुविधाओं के प्रसार के लिए बुनकर सेवा केंद्रों और महत्वपूर्ण हथकरघा संघों के जरिए जरूरी जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- प्रमुख हथकरघा उत्पादों का संक्षिप्त विवरण विकास आयुक्त (हथकरघा) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस सूचना को ग्राहकों के बीच फैलाने के लिए स्वीकृत ई-वाणिज्य संस्थाएं अपने उत्पाद कैटलॉग में इसको शामिल कर सकती हैं।
- उपलब्धता और कार्यालय के लिए स्थान, आईटी अवसंरचना आदि स्वीकृत ई-वाणिज्य संस्थाओं को बुनकर सेवा केंद्रों, साझा सुविधा केंद्रों और हथकरघा संघों में मुहैया कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ई-वाणिज्य सुविधा को मुहैया कराने में बुनकरों और बुनकर उद्यमियों को मजबूत करना तथा सहायता देना है।

ई-वाणिज्य संस्थाओं के प्रदर्शन का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा; उनके प्रदर्शन के आधार पर ही विस्तार के लिए स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। हथकरघा उत्पाद के प्राथमिक उत्पादकों और ग्राहकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्र की जरूरत और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर समय-समय पर नीतिगत ढांचे का अवलोकन किया जाएगा। भारत के हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड के लोकार्पण जैसे हाल में किए गए सरकार की पहल से हथकरघा क्षेत्र को एक प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। ❑

योजना

वर्ष : 59 • अंक 8 • अक्टूबर 2015 • आश्विन-कार्तिक, शक संवत 1937 • कुल पृष्ठ : 80

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

उपसंपादक: भुवनेश

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

ईमेल: yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट: www.yojana.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी.के. मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह

(प्रसार एवं विज्ञापन)

ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी. पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस अंक में

- **संपादकीय** 7
- भारत में कौशल विकास परिदृश्य की नयी परिभाषा — दिलीप चिनॉय 9
- रोजगार, उद्यम, प्रौद्योगिकी एवं कौशल — अरुण मायरा, मदन पडकी 13
- आर्थिक समेकन का नया रास्ता — रमेश सिंह 19
- वंचितों की रोजगार क्षमता में सुधार — सुनिता सांघी 23
- कौशल: भारत की प्रगति का अनिवार्य घटक — एस एस मंथा 31
- स्किल इंडिया फ्रेमवर्क: आधी आबादी के लिए पूरा मौका — पवन रेखा कुमारी 35
- बुनियादी तालीम और कौशल विकास — रमेश भारद्वाज 38

फोकस

- कौशल विकास का गांधी मार्ग — कुमार प्रशांत 40
- विरासत का संरक्षण: हथकरघा उद्योग को सुरक्षा और प्रोत्साहन — मोनिका एस गर्ग 43
- पारंपरिक उद्यमों में नई रोशनी — प्रमोद जोशी 47
- कृषि क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता — अरविंद कुमार सिंह 51
- क्षमताओं और संसाधनों को पूंजी में बदलना — मनोज जोशी, अरूण भदौरिया, शैलजा दीक्षित 55
- कौशल विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका — विष्णु राजगढ़िया 59
- कौशल विकास में चुनौतियां एवं उद्यमिता — तरुण कुमार शर्मा 63
- मानव संसाधन संवर्द्धन का माध्यम — सचिन अधिकारी 69
- विकलांगजनों के कौशल से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था — पीयूष कुमार दुबे 73

क्या आप जानते हैं? 78

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610)
हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205)
701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686)
8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030)
'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673)
प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650)
ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383)
फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244)
बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407)
हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455)
अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669)
के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 100 द्विवार्षिक: ₹ 180, त्रिवार्षिक: ₹ 250, विदेशों में वार्षिक दरें: पड़ोसी देश: ₹ 530, यूरोपीय एवं अन्य देश: ₹ 730

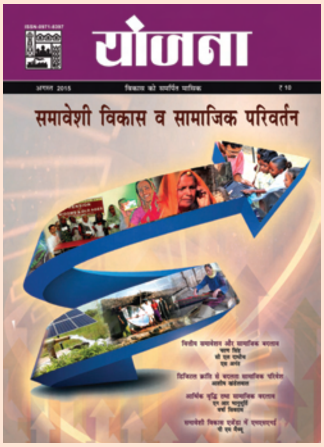

आपकी राय

संपूर्णता में ही निहित है 'विकास'

'विकास' कोई अलग-थलग प्रक्रिया न होकर संपूर्णता को परिभाषित करता है। अब जब विकास की वृहत्तर व्याख्याएं होने लगी हैं, तो निश्चित ही 'समावेशी विकास' एक भिन्न व्याख्या को भूमि (क्षेत्र) उपलब्ध कराता है।

विकास स्वयं में एक गंभीर शब्द है जो कि अपनी परिभाषा भी व्यक्त करता है। योजना पत्रिका का पूर्ण अवलोकन करने के बाद यह कह सकता हूं कि निश्चित ही पत्रिका में आवरण से लेकर आलेख सबका अपना-अपना स्थान है और विशिष्टता है। डिम्पल कुमारी के आलेख "समावेशी विकास से ही बनेगा समतामूलक समाज" और संपादकीय "समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम" पढ़ने से समावेशन को समझने और मूल्यांकन करने में काफी मदद मिल सकती है। पीएम मैथ्यू जी ने समेकन और समावेशन की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल से जुड़ा होने के संकेत दिए है *जबकि प्राचीन सभ्यताओं के अवलोकन एवं अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि टिकाऊ विकास* (जैसे– नालंदा या तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना) *हमेशा से ही प्रासंगिक रहा है।* बस आज के समय में विकास को तात्कालिक पैमानों पर परीक्षण और संवर्धन किया जाता है।

दीपेन्द्र बहादुर सिंह
कमोली, किशनदासपुर, रायबरेली

मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सूत्रपात

भारत सदियों से एक शांतिप्रिय देश रहा है और आज भी विश्वभर में भारत की पहचान एक मित्रवत् राष्ट्र के रूप में की जाती है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और सुदृढ़ हुई है। भारत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को अपनी विदेशी नीति पर सदैव बल देते हुए अंतर्राष्ट्रीय हितों के पक्ष में विविध बहुमूल्य सकारात्मक निर्णयों की आधारशिला रखने में सफल रहा। पिछले दिनों नेपाल में आए भीषण भूकंप के समय भारत ने 'ऑपरेशन मैत्री' के माध्यम से राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की भारी मदद की।

इससे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर दक्षिण एशिया में शांतिपूर्वक विकास करने के अपने दृढ़ मंसूबों से वैश्विक समुदाय को परिचित कराकर एक मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री की विकसित देशों की यात्राएं विदेशी मुल्कों के साथ राजनयिक सहयोग को बढ़ावा देने और परस्पर मैत्रीपूर्ण मधुर संबंधों को मजबूती प्रदान कर देश की गरिमामयी छवि को पुनर्प्रतिष्ठित करने की दिशा में सद्भावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सूत्रपात की द्योतक है।

राकेश रंजन
मगध कॉलोनी, गया, बिहार

विकास की सार्थक पहल

समावेशी विकास व सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित "योजना" का अगस्त 2015 का अंक हम सभी भारतीयों के लिए आईना है। वास्तव में हमारा देश प्रगति के उस रास्ते पर है जिसका लाभ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से मिलना शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी पर्याप्त पहल करने की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही है। पात्र व्यक्ति एवं परिवारों को लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात होगी।

सुरेश दिवान
अकोली, धरसींवा, रायपुर (छ.ग.)

बदलेगी कृषि की रूपरेखा

'योजना' के अगस्त 2015 अंक में भुवन भास्कर के आलेख 'समावेशी विकास में कृषि के मायने' ने मुझे विशेष प्रभावित किया। भारत देश में कृषि को केंद्र में रखे बिना हमारे जैसे कृषक समाज में कोई भी विकास योजना सफल नहीं हो सकती। वर्तमान समय में पिछले कुछ वर्षों से खेतीबाड़ी की तरफ युवा वर्गों का रुझान कम होता गया। वर्तमान समय में कृषि का स्वरूप बदलता जा रहा है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण विकास मानकों और योजनाओं को शुरू किया है। इनसे आने वाले दिनों में भारतीय कृषि की रूप रेखा बदलने की संभावना है।

अशोक कुमार ठाकुर
मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा (बिहार)

सोच बदलनी होगी

जुलाई 2015 अंक पढ़ने को मिला। इस अंक में भारत से पड़ोसी देशों के सुधरते रिश्तों पर आलेख ने कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। वर्तमान में भारत का रिश्ता सभी देशों से कुशल बनने लगा है। भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है। गुटनिरपेक्षता पर विश्वास करते रहा है। ऐसी स्थिति में इसके सुधरते

रिश्तों ने विकास के दरवाजे खोल दिए हैं।

पत्रिका में ''महिला एवं बाल विकास: प्रगति की आस'' आलेख पढ़ने को मिला। बहुत अच्छा लगा। आज सरकार ने महिलाओं के सम्मान को पुरुषों के समतुल्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसी क्रम में जो भी बेटियों के लिए लाभप्रद योजनाएं बनाई जा रही हैं उसका शतप्रतिशत अनुपालन भी होना चाहिए। इसके लिए सोच को बदलना होगा जब जाकर योजनाएं धरातल पर आ सकेंगी।

डॉ. सत्य प्रकाश
बरवां, मीरगंज, गोपालगंज (बिहार)

उपयोगी बनी रहे 'योजना'

मैं इस ज्ञानवर्द्धक और सामसमयिक पत्रिका का कई वर्षो से नियमित पाठक रहा हूं। मुझे इन पत्रिका से सरकारी परियोजना की बहुत ही स्पष्ट रूप से नियमित जानकारी हो जाती है जिससे प्रतियोगी परीक्षा में काफी अधिक सहूलियत मिलती है। इस पत्रिका के आंकड़े, संदर्भ, आलेख, दृष्टिकोण बहुत ही सटीक होते हैं। मैं इसका भरपूर लाभ उठा रहा हूं। पत्रिका के ऐसे ही सुंदर अंक नियमित आते रहें। ऐसी आशा करता हूं।

अगस्त, 2015 का अंक 'समावेशी विकास व सामाजिक परिवर्तन' के 'समावेशी विकास में कृषि के मायने' शीर्षक पढ़कर बहुत ही खुशी हुई क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि के विकास पर बहुत ही सटीक रूप से ध्यान दिया गया था। क्योंकि कृषि के बिना समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जाती है। कृषि आज भी देश की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगा सकती है।

खगेन्द्र कुमार
इलाहाबाद शहर, उत्तर प्रदेश

दुर्गम क्षेत्रों पर हो विशेष ध्यान

मैंने जुलाई 2015 की 'योजना' पत्रिका पढ़ी। इस अंक में आलेख 'महिला एवं बाल विकास: प्रगति की आस' बहुत पसन्द आया। जिसमें हमारे देश में महिलाओं, बच्चों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया था, साथ ही महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराधों और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी इस आलेख में बताया गया था। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य काफी सराहनीय हैं लेकिन जरूरतमंदों तक सही समय पर पूरी मदद पहुंचे इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है।

सरकार ने जो आज पूरे भारत में मिशन इन्द्रधनुष चला रखा है, वो काफी सराहनीय है। सरकार और स्वास्थ्य-विभाग, एनजीओ व स्वयंसेवियों के अथक प्रयासों का नतीजा है कि हमारा देश आज पोलियो जैसी बीमारी से मुक्ति पा चुका है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज भी दुर्गम पर्वतीय इलाकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।

'भारत और पड़ोस: नई आशाएं, नई दिशाएं' 'रक्षा समझौते: अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वाहक', 'बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग: कुछ प्रश्न', 'सुशासन, सिद्धांत व व्यवहार' काफी अच्छे लगे।

महेन्द्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अल्मोड़ा (उत्तराखंड)

फतेहपुर के धरोहर बदहाल

योजना हिंदी मासिक के अंक में *भारत के पर्यटन विकास: चुनौतियां व संभावनाएं* श्री कंचन शर्मा जी का लेख हमें बहुत ही पसंद आया। जहां फतेहपुर सीकरी जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित सुलह कुल की नगरी फतेहपुर सीकरी में हजरत मौहम्मद सेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा, पंचमहल आदि मुगलकालीन इमारतों को देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटक प्रत्येक दिन उभरे हैं, वहीं वर्ष 1970-71-72 में आई बाढ़ के कारण बादशाही वाल बाउंड्री गिर जाने के कारण कस्बे का गंदे पानी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है जिससे प्रदूषण की बीमारी, महामारी फैलने का भी खतरा व्याप्त है।

खुशाल सिंह कोली
फतेहपुर सीकरी (उ.प्र.)

प्रगति पथ पर बढ़ती रहे योजना

59 वर्षों से सर्वाग्रगण्य एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका 'योजना' पाठकों के लिए निरंतर सेवारत है। लगभग 10 वर्षों से इसको पढ़ने का आदि हो गया हूं। पत्रिका नये कलेवर में हरेक बार हम पाठकगण के समक्ष प्रस्तुत होती है, जिसे पढ़कर हर्ष एवं संतोष की अनुभूति होती है।

पत्रिका के लेखक देश-विदेश, खास ख़बर, राजनीतिक, धर्म, पर्यावरण, आपकी राय, साहित्यिक, मनोरंजन, पर्यटन व पर्यटन आदि के साथ आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विधाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। सुस्पष्ट सत्य दर्पण की भांति चरित्र-चित्रण का आईना समाज के प्रति दिखलाते हैं। वास्तव में हर बार नयी योजना के साथ योजना निकालते हैं।

कठिन परिश्रम एवं उचित और सम सामयिक मार्गदर्शन ही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। जिस पर आप सभी लोग कसौटी पर खरे उतरते हैं। अचल मल्होत्रा का *उदयीमान भारत* पवन रेखा कुमारी की *भारत की उड़ान*, रहीस सिंह का आलेख तथा दिलीप सिन्हा का *मृदुल राजनय* का आलेख ज्यादा अच्छे लगे तथा अन्य सभी सराहनीय रहे। पत्रिका दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के पथ पर रहे यही सदैव ईश्वर से कामना है।

जगन्नाथ श्रीवास्तव ''बाबू''
भटवलिया, देवरिया (उ.प्र.)

सुधार-सुझाव

योजना पत्रिका का नियमित पाठक हूं। इसके अक्टूबर 2015 अंक में डिजिटल इंडिया पर केंद्रित आलेख में कहा गया है कि भारत इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। किंतु, मुझे इंटरनेट से ऐसी जानकारी मिली है कि फिलहाल इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या चीन में है। अत: आप इसकी समीक्षा करें क्योंकि आपकी पत्रिका ज्ञान साझाकरण के संदर्भ में अग्रणी है।

आशीष कुमार भट्ट
ईमेल: ab.ashish007@gmail.com

स्पष्टीकरण

अमूल्य सुझाव के लिए सुधी पाठक का धन्यवाद।

आलेख में वर्णित यह तथ्य ठीक है कि मोबाईल फोन के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल के मामले में भारत के विश्व में दूसरे स्थान पर होने की बात बताता है। पाठक द्वारा बताया गया यह बिंदु कि इस संबंध में विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका नहीं, चीन का है, यह भी बिल्कुल ठीक है। पाठकों को हुई असुविधा के लिए खेद है।

आशीष खंडेलवाल (लेखक)
ईमेल: com.ashish@gmail.com

विभिन्न राज्यों से जुड़े

हिंदी माध्यम के IAS टॉपर

क्या कहते हैं इस पत्रिका के बारे में...

निशांत जैन (उत्तर प्रदेश)

"'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' स्वयं में एक अनूठी और बहुआयामी पत्रिका है। मैंने खुद इस पत्रिका का लाभ उठाया है।

सिविल सेवा परीक्षा पर ही पूरी तरह केन्द्रित यह पत्रिका कई मायनों में विशिष्ट है। इंटरव्यू खंड, निबंध खंड, एथिक्स आदि पर विशेष ध्यान देना इस पत्रिका को बाकी पत्रिकाओं से अलग बनाता है। समसामयिक घटनाओं का सिविल सेवा परीक्षा के नज़रिए से विश्लेषण और फिर उनकी बिन्दुवार प्रस्तुति बेहद उपयोगी और प्रासंगिक है।

'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' आपकी सफलता में सार्थक भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।"

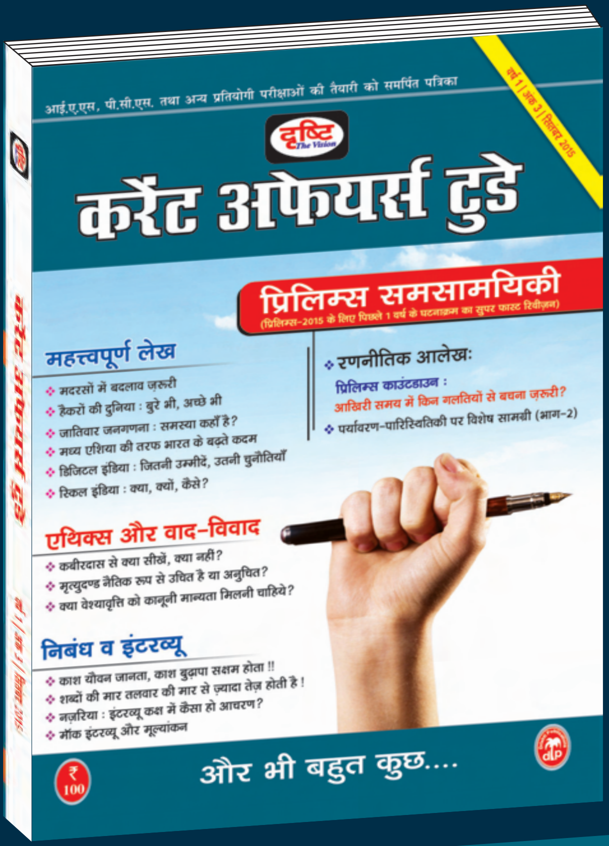

राजेन्द्र पेंसिया (राजस्थान)

"हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्रिका कौन सी पढ़ी जाए? इसके लिए सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, प्रामाणिक और सारगर्भित स्रोत दृष्टि 'करेंट अफेयर्स टुडे' के माध्यम से मिलता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी के लिए हिंदी माध्यम में ऐसी किसी पत्रिका का अभाव था जो प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। विकास दिव्यकीर्ति सर के मार्गदर्शन में यह पत्रिका निश्चित ही इन सभी मानकों पर खरी उतरती है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी गूगल ट्रांसलेटेड मैटीरियल पढ़ने की बजाय यह पत्रिका पढ़ें जो पूर्णतः मौलिक व अनुभवी टीम की मेहनत का परिणाम है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए यह पत्रिका निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। शुभकामनाएँ।"

प्रदीप कुमार (हरियाणा)

"'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' एक मानक पत्रिका है। पिछले दो अंकों में तो इसने 'गागर में सागर' भर दिया है। वस्तुतः बाज़ार में उपलब्ध स्तरहीन सामग्री ने अभ्यर्थियों को दिशाभ्रमित ही किया है। ऐसे में 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' ने विद्यार्थियों की राह आसान कर दी है।"

दृष्टि The Vision

आई.ए.एस., पी.सी.एस. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित पत्रिका

"यह पत्रिका (दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे) हिन्दी माध्यम में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करने की एक गंभीर कोशिश है। इसके सभी खंडों का गंभीर अध्ययन तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। पत्रिका के 'समसामयिक मुद्दों पर संभावित प्रश्नोत्तर' खंड से मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी में विशेष मदद मिली थी।"

मनीष कुमार (बिहार)

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47532596, (+91)8130392354,56,57,58,59
E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

YH-169/2015

कुशल भारत, सफल भारत

सफलता जादू से नहीं मिलती है। सफल होने के लिए जरूरी कौशल की आवश्यकता होती है। यह सार्वभौमिक सत्य नई पीढ़ी पर भी उतना ही लागू होता है। युवा ऊर्जा किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने वाली ताकत सकती है बशर्ते उसे प्रभावी रूप से दिशा दी जाए। कौशल विकास और रोजगार इस ताकत को आगे बढ़ाने के सबसे अच्छे साधन हैं।

युवा जनसंख्या के मामले में भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है फिर भी भारतीय नियोक्ता कुशल मानव बल की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं। कारण: रोजगार लिए आवश्यक विशेषज्ञता की कमी। श्रम ब्यूरो की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल का वर्तमान आकार केवल 2 प्रतिशत है। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के बड़े वर्ग की रोजगार संबंधी योग्यता की चुनौती भी है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था शानदार मस्तिष्कों को जन्म देती रही है, लेकिन रोजगार विशेष के लिए जरूरी कौशल की उसमें कमी है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से निकल रही प्रतिभा और रोजगार योग्य कौशल की संभावना एवं मानक के मामले में उसकी अनुकूलता के बीच बड़ा अंतर है। अंग्रेजी बोलने वाली जनसंख्या के इस वर्ग में राष्ट्र तथा पूरी दुनिया की कौशल संबंधी जरूरत पूरी करने की क्षमता है। जरूरत है तो सटीक एवं पर्याप्त कौशल विकास तथा प्रशिक्षण की, जो इस ताकत को तकनीकी रूप से कुशल मानव बल के सबसे बड़े स्रोत में बदल सकते हैं।

सरकार द्वारा आरंभ किए गए स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य रोजगार के योग्य कौशल प्रदान करते हुए रोजगार के लिए तैयार एवं कुशल कार्य बल तैयार कर इस समस्या का समाधान उपलब्ध कराना है। मिशन का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रदान करना तथा उनकी पसंद के कौशलों का प्रशिक्षण देते हुए उनकी रोजगार संबंधी योग्यता को बढ़ाना है। समावेशी वृद्धि के लिए सभी स्तरों पर कुशल मानव संसाधन अनिवार्य है। कौशल विकास को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। इसे कौशल प्रशिक्षण को एक ही समय में शिक्षा तथा रोजगार से जोड़ने की अटूट प्रक्रिया होना पड़ेगा। सरकारी एजेंसियां और व्यवस्था अकेले यह काम पूरा नहीं कर सकते। कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, कौशल प्रशिक्षण के अनुभव वाले शिक्षण संस्थानों को जुटना पड़ेगा। सभी वर्गों को समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही समाज के अन्य वर्गों जैसे महिलाओं, हाशिए पर पड़े लोगों, आदिवासियों आदि को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो उनकी विविध एवं विशिष्ट जरूरतों के अनुसार हों। हाशिए पर पड़े अधिकतर वर्गों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में निरक्षरता एक समस्या हो सकती है, लेकिन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में पारिवारिक मसलों और सामाजिक बंधनों से भी जूझना पड़ सकता है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

भारत पहले ही उच्च आर्थिक वृद्धि की राह पर चलना आरंभ कर चुका है। इस गति को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कौशल के उन्नयन पर ध्यान देने की जरूरत है, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुसार प्रासंगिक हैं। कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार ही एकमात्र चुनौती नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पर्धा करने योग्य बनने के लिए कौशल की गुणवत्ता बढ़ाना भी एक चुनौती ही है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति 2015 गति के साथ, मानक के अनुरूप एवं सतत रूप से व्यापक स्तर पर कौशल प्रदान करने की चुनौती से निपटने का प्रस्ताव करती है। उसका लक्ष्य कौशल प्रदान करने के लिए देश में चल रही सभी गतिविधियों को एक सर्वोच्च रूपरेखा प्रदान करना है। वह कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया का मानकीकरण करने और उसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मांग के केंद्रों से जोड़ने का प्रयास भी करती है।

प्रयास के साथ कौशल में वृद्धि करने से सफलता मिलती है। सरकार के हाल के प्रयासों के कारण कौशल विकास के कार्यक्रम ने 'आंदोलन' का रूप धर लिया है। सरकार के इन प्रयासों के फल मिलने में कुछ समय लग सकता है किंतु भविष्य में 'कुशल भारत' देश को प्रसन्न, स्वस्थ एवं संपन्न अर्थात् 'कौशल भारत' होने की दिशा में ले जाएगा और इस तरह कुशल भारत, कौशल भारत का नारा चरितार्थ हो जाएगा। ❑

IAS
GS World
GSI
PCS
सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय संस्थान...
Ashok Singh
Manikant Singh
Prof. Pushpesh Pant
Prof. Majid Hussain
Deepak Kumar
R. Kumar
Abhay Kumar
Rajesh Mishra
V. K. Trivedi
Pankaj Mishra
Subodh Mishra
Niraj Singh
Managing Director
Divyasen Singh
Co-ordinator
सामान्य अध्ययन
Delhi Centre
General Studies
नया फाउंडेशन बैच
हिन्दी माध्यम
12 Oct.
11:30 am
New Foundation Batch
(English Medium)
17 Oct.
6:30 pm
WhatsApp No. 9654349902
Allahabad Centre
हिन्दी/Eng. Med.
GS Gateway Batch
Complete prepration for IAS Pre/ PCS
12 Oct.
5:00 pm
Lucknow Centre
सामान्य अध्ययन नया फाउंडेशन बैच
19 Oct.
हिन्दी/Eng. Med.
8:30 am & 5:30 pm
जीवंत पत्राचार पाठ्यक्रम
शुल्कः 12000/-
For Enquiry call:
9310794779
IAS प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्नपत्र-I
के व्याख्यात्मक हल के लिए हमारी वेबसाइट
पर विजिट करें। http://www.gsworldias.com
http://www.facebook.com/gsworld1
705, 2nd Floor, Main Road,
Mukherjee Nagar, Delhi - 9
PH. 011-27658013, 7042772062/63
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
PH. 0532-2266079, 8726027579
A-7, Sector-J, Near Puraniya
Chauraha, Aliganj, Lucknow
PH. 0522-4003197, 8756450894

YH-171/2015

भारत में कौशल विकास परिदृश्य की नयी परिभाषा

दिलीप चिनॉय

कौशल पारितंत्र को इस समय प्रगतिशील भारत के लिए स्पष्ट दिशा मिलती दिख रही है और स्वयं को 'कुशल भारत, कौशल भारत' के एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित करने का यह सबसे अच्छा समय है। अर्थव्यवस्था के अंशों में वृद्धि हो रही है। स्किल इंडिया अभियान आरंभ होने के साथ ही इस दृष्टिकोण के व्यापक तथा अधिक प्रभावी होने की संभावना है। उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण क्षमता का सृजन करना एवं सशक्त तथा कुशल कार्यबल के कार्य को पूरा सम्मान देते हुए उसके लिए पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना अगली चुनौती है

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2014-15 के लिए हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि भारत की संवृद्धि का परिदृश्य लगातार सुधर रहा है और वास्तविक गतिविधियों के सूचकांक इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.6 प्रतिशत वृद्धि के अनुमानों के अनुरूप हैं। रिपोर्ट आगे कहती है कि कारोबारी विश्वास मजबूत बना हुआ है और चूंकि केंद्रीय बजट में घोषित पहलों से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है, इसलिए उनमें निजी निवेश आना चाहिए और मुद्रास्फीति में कमी के कारण उपभोक्ताओं की मनोदशा में सुधार आना चाहिए। कुछ सूचकांक हैं, जो बताते हैं कि दुनिया भर के देशों में मंदी आने के बावजूद भारत की कहानी उज्ज्वल और सही जगह पर दिख रही है। तेजी से उभर रहे राष्ट्रों में केवल भारत के जीडीपी आंकड़ों में सुधार के संकेत मिले हैं।

सरकार ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है। देसी और विदेशी कंपनियों को अपने उत्पाद भारत में बनाने और विदेश में बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में ढील दे दी है। मेक इन इंडिया से विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण की गतिविधियां बढ़ने और जीडीपी में उनका योगदान बढने की अपेक्षा है। यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि से उस कुशल कार्यबल के लिए भारी संख्या में रोजगार सृजन होगा, जिस कार्यबल को देश तैयार कर रहा है। सरकार ने हाल ही में इसी दिशा में स्किल इंडिया मिशन आरंभ किया है, जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज तथा अन्य राष्ट्रीय अभियानों के लिए धुरी का काम करेगा। काम के लिए तैयार और कुशल कार्यबल ही इन सभी राष्ट्रीय अभियानों को सफल बनाएगा और इस तरह भारत की आर्थिक वृद्धि, जीडीपी आंकड़ों में सुधार तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि देश के युवाओं को देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के उपयोग के लिए सही दिशा मिले और उनकी निजी तथा व्यावसायिक वृद्धि भी होती रहे।

विकसित राष्ट्र अभी शिक्षा उपलब्ध कराने की अधिक आधुनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुए तूफान का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था अभी तक सामग्री में सुधार के दौर से ही गुजर रही है। वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों से हमारा ध्यान अपने देश के युवाओं की सही आवश्यकताओं की ओर जाएगा। हमारा ध्यान सदैव शिक्षा की ओर ही रहा है और दुर्भाग्य से समग्र कौशल विकास की ओर नहीं रहा है। महाशक्ति बनने के लिए और हमारी सबसे बड़ी ताकत अर्थात हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश का इस्तेमाल करने के लिए यह आज की जरूरत है। भारत को दुनिया की मानव संसाधन राजधानी बनाने में आने वाली भावी चुनौतियों से निपटने के लिए अगले 5 से 10 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

लेखक राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् (एनएसडीसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। ईमेल: dilip.chenoy@nsdcindia.org

भारत के सामने अभी जो महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है, वह यह है कि भारत के सबसे ज्यादा उत्पादक समूह (15 से 60 वर्ष के बीच उम्र वाली जनसंख्या) का विस्तार होगा, जबकि अधिकतर विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों में यह समूह घटेगा। इस अवसर को पहचानकर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सार्थक रोजगार सृजन वाली वृद्धि के चक्र में पहुंचा सकते हैं। वर्ष 2022 में दुनिया की कामकाजी जनसंख्या में लगभग 15 से 17 प्रतिशत भारतीय होंगे।

भारत जिस जनसांख्यिकीय लाभांश के भरोसे बैठा है, उसका लाभ मिलने का सबसे उपयुक्त समय यही है। सितंबर 2013 में जारी जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक युवा 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। भारत की जनसंख्या जैसे-जैसे युवा होगी, स्थायी रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण होता जाएगा। भारत अभी उतार चढ़ाव भरी जिस आर्थिक वृद्धि से गुजर रहा है, उसके साथ यह मुद्दा उद्योग के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है।

भारत के सामने अभी जो महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है, वह यह है कि भारत के सबसे उत्पादक समूह (15 से 60 वर्ष के बीच उम्र वाली जनसंख्या) का विस्तार होगा, जबकि अधिकतर विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों में यह समूह घटेगा। इस अवसर को पहचानकर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सार्थक रोजगार सृजन वाली वृद्धि के चक्र में पहुंचा सकते हैं। वर्ष 2022 में दुनिया की कामकाजी जनसंख्या में लगभग 15 से 17 प्रतिशत भारतीय होंगे।

आज के आंकड़े बताते हैं कि भारत की कामकाजी जनसंख्या 2040 तक चीन की कामकाजी जनसंख्या को पछाड़ देगी। स्पष्ट है कि हमारे देश को 'कुल कार्य योग्य जनसंख्या' अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों की संख्या के मामले में बढ़त प्राप्त है। किंतु उज्ज्वल भविष्य के लिए केवल कार्य योग्य जनसंख्या में वृद्धि पर ही विश्वास नहीं कर सकते। देश के लगभग 50 करोड़ के कार्यबल में सिर्फ 14 प्रतिशत को औपचारिक अर्थव्यवस्था में रोजगार प्राप्त है और 86 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में नियुक्त हैं। चुनौती यह है कि इस 86 प्रतिशत को समुचित प्रशिक्षण नहीं मिला है अथवा रोजगार बाज़ार में मान्यता नहीं मिली है।

आज शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के बीच बेमेल बहुत अधिक है। मैकिंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 54 प्रतिशत युवा मानते हैं कि माध्यमिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दसवीं कक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच 56 प्रतिशत छात्र पढ़ना छोड़ देते हैं। इन सभी तथ्यों और धारणाओं के बीच कुछ ही लोगों को रोजगार तथा प्रशिक्षण मिलता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 53 प्रतिशत भारतीय नियोक्ताओं को लगता है कि आरंभिक स्तर के पदों पर रिक्तियों का प्रमुख कारण कौशल में कमी है। इसलिए हमें स्पष्ट दिखता है कि भारतीय युवाओं की आकांक्षाएं तथा नियोक्ता की अपेक्षाएं बेमेल हैं और इस प्रकार रोजगार एवं रोजगार की योग्यता के बीच बड़ी खाई है। देश के सामने मुख्य चुनौती है 25 वर्ष से कम उम्र वाले उन लाखों युवाओं के लिए

आज शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के बीच बेमेल बहुत अधिक है। मैकिंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 54 प्रतिशत युवा मानते हैं कि माध्यमिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दसवीं कक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच 56 प्रतिशत छात्र पढ़ना छोड़ देते हैं। इन सभी तथ्यों और धारणाओं के बीच कुछ ही लोगों को रोजगार तथा प्रशिक्षण मिलता है।

रोजगार ढूंढना, जो भारत की जनसंख्या के 50 प्रतिशत हैं।

यह अपरिहार्य था क्योंकि देश को कौशल की आवश्यकता और महत्व महसूस होने ही थे और सभी उद्योगों, मंत्रियों, राज्यों, कंपनियों तथा व्यक्तियों को हाथ मिलाकर भारत को 'दुनिया की कौशल राजधानी' बनाने के साझा उद्देश्य की दिशा में काम करना ही था।

कौशल विकास की पूरी लहर इस समय बेहद सकारात्मक दिख रही है, जो दुनिया में उभरते बाज़ार वाली अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की शक्ति को बढ़ा सकती है और निवेश के ठिकाने के रूप में इसके आकर्षण को बढ़ाने में योगदान भी कर सकती है।

कौशल परिदृश्य को आकार देने के लिए सरकार ने जो पहला कदम उठाया, वह था अलग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन। भारत के पास एनएसडीसी द्वारा निर्मित कौशल पारितंत्र पहले से मौजूद था, जिसमें विशेष उद्योगों के लिए 37 कौशल परिषद एवं 235 प्रशिक्षण साझेदार तथा देश भर के 450 से अधिक जिलों में फैले 3611 प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। अगला बड़ा कदम है सक्षम बनाने वाली नीतियों द्वारा सरकारी सहायता एवं निर्देशन सुनिश्चित कर वर्तमान व्यवस्था को और मजबूत बनाना। एनएसडीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए एमएसडीई के साथ मिलकर अलग-अलग रोजगार भूमिकाओं के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक तैयार किए, जो संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मानकों एवं पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हैं। एनएसडीसी ने अभी तक 55 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 61 प्रतिशत को रोजगार मिल चुका है। इसकी रफ्तार बढ़ाई जा रही है ताकि हम विभिन्न उद्योगों में बड़े अंतर को भर सकें।

दूसरी ओर स्किल इंडिया मिशन और कौशल नीति 2015 का लक्ष्य 2022 तक देश में 40 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना था। नीति के अंतर्गत सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा पारितंत्र तैयार करने का विचार है, जो उद्योग द्वारा तय मानकों के आधार पर तेजी से और गुणवत्ता के साथ विशाल स्तर पर कौशल प्रदान कर रोजगार योग्य कुशल कार्य बल तैयार कर सके और नवाचार पर आधारित उद्यमिता की ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने का विचार है, जो देश में सभी नागरिकों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने योग्य संपदा एवं रोजगार उत्पन्न कर सके।

70 से अधिक कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक के योग्यता मानदंड संबंधी नियम, प्रशिक्षण अवधि,

70 से अधिक कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक के योग्यता मानदंड संबंधी नियम, प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षण का खर्च, परिणाम, निगरानी एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया आदि अलग-अलग हैं। नीति की समीक्षा भारत सरकार की उत्तम पहल है।

प्रशिक्षण का खर्च, परिणाम, निगरानी एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया आदि अलग-अलग हैं। नीति की समीक्षा भारत सरकार की उत्तम पहल है, जिससे निवेश, परिणाम, वित्त पोषण अथवा व्यय के नियमों, तीसरे पक्ष से प्रमाणन एवं आकलन मूल्यांकन, निगरानी प्रक्रियाओं एवं प्रशिक्षण प्रदाता का पैनल तैयार करने समेत कौशल विकास प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के पूरे दायरे को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी और साझा लक्ष्य प्राप्त करना आसान रहेगा।

उद्योग को कंपनियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से भी अधिक सहभागिता दिख रही है, जो आगे आ रहे हैं और अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत वित्तीय मदद देने, बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने, प्राथमिकता के साथ ऋण देने, राष्ट्रीय योग्यता ढांचे तथा व्यावसायिक मानकों को अपनाने जैसी पहलों के माध्यम से कौशल विकास में सहायता कर देश के युवाओं में निवेश कर रहे हैं। पावरग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट्स,

> **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं कौशल प्रमाणन के लिए मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने में तथा उसके कारण उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगी। योजना का लक्ष्य लोगों को पहले मिली शिक्षा को समझकर उनके वर्तमान कौशल को पहचानना भी है। कुल मिलाकर इसका लक्ष्य अगले एक वर्ष में देश में 24 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाना है।**

सीआईएफसीएल, एस्सार और कोका कोला कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। सार्वजनिक उपक्रम कौशल विकास की दिशा में बहुत सक्रिय रहे हैं। तीन सार्वजनिक उपक्रमों पावरग्रिड, कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान किया है।

दूसरी ओर एमएसडीई की प्रमुख योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, नई मंजिल तथा ऋण गारंटी कोष जैसी सरकारी योजनाओं से कौशल विकास के क्षेत्र में पहुंच, समता, गुणवत्ता,

चित्र 1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लक्ष्य

योजना का लक्ष्य युवाओं को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना है। योजना मुख्यत: निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित है:

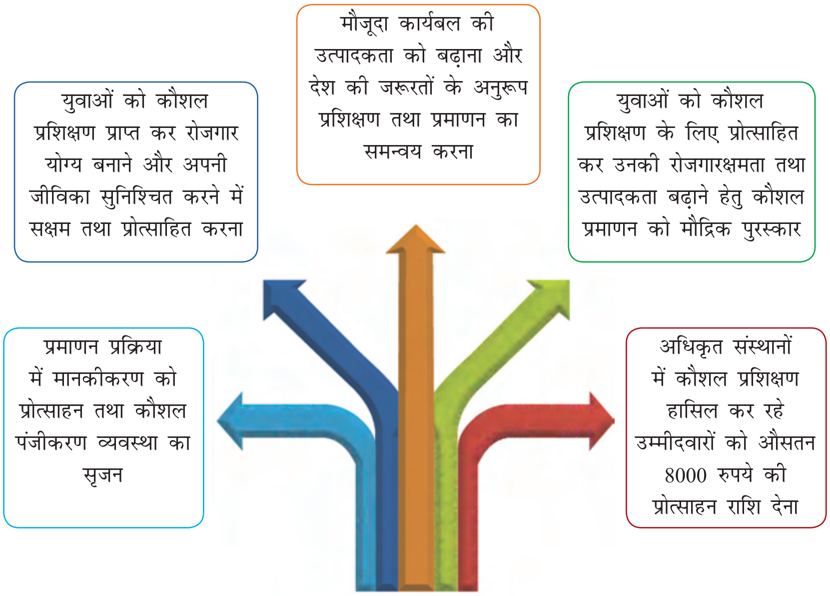

नवाचार एवं संस्थागत ऋण में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं कौशल प्रमाणन के लिए मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने में तथा उसके कारण उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगी। योजना का लक्ष्य लोगों को पहले मिली शिक्षा को समझकर उनके वर्तमान कौशल को पहचानना भी है। कुल मिलाकर इसका लक्ष्य अगले एक वर्ष में देश में 24 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाना है।

कुल मिलाकर अच्छी अनुभूति हो रही है। कौशल पारितंत्र को इस समय प्रगतिशील भारत के लिए स्पष्ट दिशा मिलती दिख रही है और स्वयं को 'कुशल भारत, कौशल भारत' के एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित करने का यह सबसे अच्छा समय है। अर्थव्यवस्था के अंशों में वृद्धि हो रही है। स्किल इंडिया अभियान आरंभ होने के साथ ही इस दृष्टिकोण के व्यापक तथा अधिक प्रभावी होने की संभावना है। उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण क्षमता का सृजन करना एवं सशक्त एवं कुशल कार्यबल के कार्य को पूरा सम्मान देते हुए उनके लिए पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना अगली चुनौती है। ❑

तीन मदरसों में कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन

हाल में पटना, मोतिहारी तथा केसरिया (बिहार) में तीन मदरसों में कौशल विकास केंद्रों का आरंभ किया गया। अल्प संख्यकों में कौशल विकास के लिए इन तीन मदरसों को 3.60 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। अभी यह पहल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है जो बाद में अन्य मदरसों में भी लागू की जाएगी। उन्हें कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मार्केट की मांग को ध्यान में रखते हुए मदरसों के पास उत्तम क्वालिटी का कौशल विकास उन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना जो फिलहाल मदरसों, मकताबों में हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं।

McGraw Hill Education

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2015

अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें:

Visit- http://bit.ly/1EglMpl
Get up-to **25%** discount
Use code ***UPSC_15***

9789339222710
मूल्य: ₹ 550/-

9789339217754
मूल्य: ₹ 450/-

9789339204204
मूल्य: ₹ 525/-

9789339220341
मूल्य: ₹ 400/-

9789339219079
मूल्य: ₹ 225/-

9789339217730
मूल्य: ₹ 310/-

9789339214128
मूल्य: ₹ 425/-

9789339219093
मूल्य: ₹ 165/-

9780070144842
मूल्य: ₹ 215/-

9780070221758
मूल्य: ₹ 340/-

9780070660328
मूल्य: ₹ 240/-

9789339222727
मूल्य: ₹ 225/-

आई एस बी एन	लेखक	शीर्षक	मूल्य
9780070264205	एस एस पांडे	समाज शास्त्र: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए	450
9780070144866	एन अरोडा	राजनीति विज्ञान: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए	695
9780070144859	डी आर खुल्लर	भुगोल सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए	715
9789383286973	पुष्पेश पंत	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	215
9780070659988	अशोक दुबे	प्रशासनिक विचारधाराएं	245

Prices are subject to change without prior notice.

McGraw Hill Education
मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
बी-४, सैक्टर ६३, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-२०१ ३०१

SHIPPING FREE ₹ 500/-

संपर्क करें @ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN
टोल फ्री नम्बर: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.

YH-176/2015

रोजगार, उद्यम, प्रौद्योगिकी एवं कौशल

अरुण मायरा
मदन पडकी

अब तक हम रोजगार-उद्योग-प्रौद्योगिकी-कौशल की व्यवस्था की बदलती पद्धति के बारे में उच्च स्तरीय ढंग से विचार कर चुके हैं, वैसे ही जैसे धरती पर मौजूद मौसम प्रणालियों का जायजा चांद से लिया जाता है। अब हमें धरातल पर आना होगा और देखना होगा कि ये संरचनात्मक सिद्धांत किस प्रकार नवीन उद्यमों को आकार दे रहे हैं और साथ ही साथ युवाओं को नए कौशल सीखने और नए उद्यमों का सृजन करने में सक्षम भी बना रहे हैं

दुनिया के किसी भी अन्य देश से आगे बढ़कर, भारत को युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने होंगे। अर्थशास्त्री इस ओर संकेत करते आए हैं कि दुनिया भर में जनसांख्यिकीय रुझानों ने ऐसी परिस्थिति तैयार की है, जिसमें दुनिया के धनी देशों (चीन सहित) की अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए काम करने की उम्र वाले लोगों का अभाव होगा जबकि भारत काम करने की उम्र तक पहुंचने वाले लोगों की 'प्रचुरता' से भरपूर है। भारत में 47 करोड़ से ज्यादा लोगों की आयु 18 साल से कम है। सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण-2014 में कहा गया है कि भारत में काम करने की उम्र वाली आबादी में हर साल 6 करोड़ 30 लाख नए लोग शामिल हो रहे हैं।

युवाओं की बढ़ती आबादी से जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के भारत के सामर्थ्य का उल्लेख अकसर किया जाता है लेकिन यह उल्लेख सामान्यत: उस परिस्थिति के बिना होता है, जो उसके साथ होनी चाहिए। वह परिस्थिति यह है कि भारत अपना जनसांख्यिकीय लाभांश तब तक प्राप्त नहीं करेगा, जब तक उसके युवा आय अर्जित करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसे वे खर्च करेंगे और जिसमें से वे बचत करेंगे और इस प्रकार देश की आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन देंगे। सचमुच, यदि युवाओं को कमाने और उपभोग करने तथा अपनी अभिलाषाओं के मुताबिक जीवन बिताने के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए गए, तो उनमें में बड़े पैमाने पर असंतोष फैल सकता है। बढ़ते असंतोष के लक्षण तेजी से जाहिर होने लगे हैं, जो नौकरियों के 'आरक्षण' की मांगों, भारत के बढ़ते और चरमराती शहरी संरचनाओं में युवाओं के प्रवासन और शहरों में युवाओं द्वारा हिंसा में परिलक्षित होने लगे हैं।

भारत सरकार ने 50 करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने संबंधी कौशल विकास मिशन और 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने की अनिवार्यता को समझ लिया है। चीन द्वारा विश्व के लिए धीरे-धीरे अपनी फैक्टरियां खाली करने, चीन में बढ़ती मजदूरी और युआन का मूल्य बढ़ने तथा वहां युवाओं की बहुत कम तादाद होने की आंतरिक जनसांख्यिकीय चुनौती के बीच, भारत के पास विश्व की व्यवहार्य फैक्टरी बनने का अवसर है, जिसे उसको हर हाल में प्रयोग करना चाहिए। आशंका इस बात की है कि जब तक भारत अपनी आर्थिक प्रगति की पद्धति में बदलाव नहीं लाता और अपने नेकनीयत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रति बेहतर दृष्टिकोण नहीं अपनाता, तब तक वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। भारत द्वारा अपना दृष्टिकोण नहीं बदलने की सूरत में उसे समस्या होने की आशंका इस प्रमाण पर आधारित है कि 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद से उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि औसतन शानदार रही है लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने जीडीपी में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि के साथ रोजगार के अवसरों का सृजन अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम करता है। उदाहरण के तौर पर यह निष्कर्ष बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सतत आर्थिक

अरूण मायरा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वह योजना आयोग के सदस्य भी रहे जहां उन्होंने औद्योगीकरण एवं शहरीकरण जैसे विषयों पर नीति निर्धारण में अहम योगदान किया। नीतिगत विषयों पर वह अनेक पुस्तकें लिख चुके हैं। ईमेल: arun.maira@gmail.com
मदन पडक्की हेड हेल्ड हाई सर्विसेस के संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वह टीआईई (बेंगलूर) एवं इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स, कर्नाटक के संचालक मंडल में भी हैं और सोशल वेंचर्स पार्टनर्स, बेंगलूर के संस्थापक हैं। ईमेल: madan@head-held-high.com

विकास आकलन के अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण का है और अन्य विश्लेषणों ने भी इसका समर्थन किया है।

इस आलेख में, हम मानसिकता और संस्थागत संचरनाओं में बदलावों की व्याख्या करेंगे, जो भारत में तेजी से नौकरियों के सृजन के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले हम उन ताकतों का वर्णन करेंगे जो नौकरियों और कौशलों के सृजन के लिए वैश्विक (और भारतीय) वातावरण को आकार दे रही हैं तथा बताएंगे कि प्रौद्योगिकी किस तरह इन वातावरणों को बदल रही है और पुराने तौर-तरीकों में रुकावट डाल रही हैं। उसके बाद हम उस मानसिकता और संस्थागत संचरनाओं में बदलावों की व्याख्या करेंगे, जो भारत द्वारा इस अवसर को हासिल करने के लिए जरूरी है। आखिर में, हम मानसिकता और कौशल विकास की प्रक्रियाओं की संरचना के लिए आवश्यक बदलावों की व्याख्या करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

यह तक अनुमान लगाना कठिन हो गया है कि अगले 10 वर्ष में फैक्टरियों और सेवा उद्योग का क्या स्वरूप होगा और उनमें कैसी नौकरियां होंगी और खासतौर पर उनमें किस प्रकार के कौशल की जरूरत होगी। क्या यह अनिश्चितता 'अतिरिक्त' भारतीय कर्मचारियों को विकसित देशों की जरूरतों के लिए तैयार करने में दिशा में एक समस्या नहीं है– जहां विनिर्माण और सेवा उद्यमों को दोबारा आकार देने में प्रौद्योगिकी के प्रभाव सुस्पष्ट होंगे।

भारत की रोजगार-उद्यम-प्रौद्योगिकी कौशल (जेट्स) व्यवस्था को आकार देने वाली ताकतें

रोजगार-कौशलों की व्यवस्था पर व्यापक जोर देने वाली इस व्यवस्था पर तेजी से बहुत कुछ करने का दबाव है, ताकि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कहीं जनसांख्यकीय विनाश में तब्दील न हो जाए, जिसकी बहुतों को आशंका है। जब भी किसी चीज को अधिक करने, तथा बहुत तेजी से करने का बेतहाशा दबाव होता है, तो सामान्यत: उसे करने के लिए ज्यादा संसाधन लगाए जाते हैं और ज्यादा अधिकार इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इस दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आया है। केवल ज्यादा संसाधन और ताकत इस अपेक्षा से लगाए गए, ताकि समस्या का समाधान हो जाए। परंतु जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, कोई भी दु:साध्य समस्याओं का समाधान कदाचित उसी दृष्टिकोण से नहीं कर सकता, जिस दृष्टिकोण की वजह से वे उत्पन्न हुई हैं।

दुनिया भर में जेट्स व्यवस्था को प्रभावित करने वाली दूसरी बड़ी परिस्थिति है –अनिश्चितता। नई प्रौद्योगिकियों के साथ उद्यमों और नौकरियों के रूप बदल रहे हैं। उद्यम मौलिक रूप से परिवर्तित हो रहे हैं: खुदरा, प्रकाशन, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार और बहुत से अन्य। और तो और, विनिर्माण में भी डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्वचालन लागू होने के साथ तब्दीली आ रही है: उदाहरण के तौर पर, अब 3-डी प्रिंटर्स का इस्तेमाल करने वाली छोटी इकाइयों में बहुत-सी विशेष मशीनों वाली विशाल फैक्टरी जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। प्रौद्योगिकियों का तेजी से विकास किया जा रहा है और उन्हें नवीन तरीकों से लागू किया जा रहा है। यह तक अनुमान लगाना कठिन हो गया है कि अगले 10 वर्ष में फैक्टरियों और सेवा उद्योग का क्या स्वरूप होगा और उनमें कैसी नौकरियां होंगी और खासतौर पर उनमें किस प्रकार के कौशल की जरूरत होगी। क्या यह अनिश्चितता 'अतिरिक्त' भारतीय कर्मचारियों को विकसित देशों की जरूरतों के लिए तैयार करने में दिशा में एक समस्या नहीं है– जहां विनिर्माण और सेवा उद्यमों को दोबारा आकार देने में प्रौद्योगिकी के प्रभाव सुस्पष्ट होंगे। प्रौद्योगिकी भारतीय उद्यमों में भी बदलाव लाएगी, क्योंकि यह निश्चित है और यह अनुमान लगाना खतरनाक होगा कि भारत में भी किस तरह की नौकरियों के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होगी और इन नौकरियों की संख्या कितनी होगी।

तीसरी ताकत, 'ग्रामीण' भारत में नौकरियों के सृजन की जरूरत है, जो भारत में पहले ही से काफी सशक्त है। उत्पादकता में सुधार होने से, 'खेतीबाड़ी' के कामकाज में कम तादाद में लोगों की आवश्यकता होगी, जो आमदनी बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। कृषि उत्पादन में अवश्य वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन कृषि अपने आप में नौकरियों की सर्जक नहीं है। इसलिए आजीविका की तलाश में युवा भारत के तेजी बढ़ते शहरी समूहों का रुख करेंगे जो पहले से दबाव में हैं। भारत के कस्बे और शहर जितने लोगों को वर्तमान में उचित आवास, पानी, स्वच्छता, परिवहन और सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, उनसे काफी बड़ी तादाद में लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए। शहरी सुविधाओं में पहले ही काफी काम अधूरे हैं। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी और एएमआरयूटी कार्यक्रम जरूरतें पूरी करने की दिशा में सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि यह कहना सुरक्षित होगा कि अगले दशक और उससे ज्यादा अवधि में, भारतीय शहर नौकरी पाने के इच्छुक बहुसंख्य भारतीय युवाओं को अच्छी सुविधाएं और आजीविका उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए ग्रामीण भारत में सतत और सम्मानपूर्ण आजीविका मुहैया कराने की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से मजबूती प्रदान की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण युवकों की 'आधुनिक' नौकरियां पाने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सके।

भारतीय शहर नौकरी पाने के इच्छुक बहुसंख्य भारतीय युवाओं को अच्छी सुविधाएं और आजीविका उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए ग्रामीण भारत में सतत और सम्मानपूर्ण आजीविका मुहैया कराने की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से मजबूती प्रदान की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण युवकों की 'आधुनिक' नौकरियां पाने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सके।

भारत को गांव बनाम शहर और ग्रामीण बनाम शहरी वैचारिक बहस से आगे बढ़ना होगा। शहरी और ग्रामीण भारत, दोनों ही स्थानों पर आजीविका की अच्छी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। शहरी व्यवस्था में आधुनिक नौकरियां और करियर उपलब्ध कराने के समाधान दुनिया भर में पर्याप्त रूप से विख्यात हैं, हालांकि वे भी प्रौद्योगिकियों की बदौलत बदलते जा रहे हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, ऐसे में भारत को ग्रामीण भारत में आजीविका के आधुनिक अवसरों के लिए नवीन समाधान विकसित करने की जरूरत है।

जेट्स (रोजगार-उद्यम-प्रौद्योगिकी कौशल) व्यवस्था की नई संरचना

बड़े पैमाने पर कुछ भी करने के लिए व्यापक रूप से 'प्रचलित सिद्धांत' यह है कि

शीर्ष से कड़े नियंत्रण वाली कोई विशाल एकीकृत व्यवस्था बनाई जाए। यह असेम्बली लाइन का मॉडल है। यह पद्धति उस समय कारगर हो सकती है, जब असेम्बली लाइन के आखिर में मिलने वाली आउटपुट का पूर्व निर्धारण किया जा सकता हो। हैनरी फोर्ड ने कहा था, ''जब तक ब्लैक है, आप किसी भी रंग की कार पा सकते हैं।'' फोर्ड के दौर के बाद से फैक्टरियों में काफी लचीलापना आ चुका है। हालांकि मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्टरी भले ही कई किस्मों के मोबाइल फोन बना सकती हो लेकिन वह कपड़े अथवा कार का निर्माण नहीं कर सकती। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 21वीं सदी में कौशल निर्माण के लिए नीति-निर्धारकों और संस्थानों के निर्माताओं की चुनौती यह है कि इस बारे में अब सटीकता से अनुमान नहीं व्यक्त किया जा सकता कि कौन सा कार्य करने की जरूरत होगी और किन कौशलों की जरूरत होगी। कौशल विकास के लिए असेम्बली लाइन अथवा लीनियर सप्लाई चेन मॉडल अब कारगर नहीं रह गए हैं।

21वीं सदी में कौशल निर्माण के लिए नीति-निर्धारकों और संस्थानों के निर्माताओं की चुनौती यह है कि इस बारे में अब सटीकता से अनुमान नहीं व्यक्त किया जा सकता कि कौन सा कार्य करने की जरूरत होगी और किन कौशलों की जरूरत होगी। कौशल विकास के लिए असेम्बली लाइन अथवा लीनियर सप्लाई चेन मॉडल अब कारगर नहीं रह गए हैं।

बड़े पैमाने पर कौशल विकास का दृष्टिकोण, जो अगले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक लोगों की संख्या के अनुमान से आरंभ होता है, वह उद्यमों द्वारा अपेक्षित कौशलों और सृजित होने वाली वास्तविक नौकरियों के लिए कामगार तैयार नहीं कर सकेगा। लीनियर या अनुरूप कौशल विकास की सप्लाई चेन का दायरा समय के लिहाज से बढ़कर, कई वर्षों तक फैल सकता है। उल्टे क्रम में, कौशल की विशिष्टताओं और संख्या से प्रारंभ करते हुए, फैक्टरियों का कहना है कि उन्हें ऐसे तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की जरूरत होगी, जो लोगों को अपेक्षित तादाद में तैयार करें और उन्हें अपेक्षित कौशलों से सम्पन्न बनाएं। तकनीकी संस्थानों को इनपुट प्रदान करने के लिए, हमारे स्कूल और कॉलेज आरंभिक व्यवसायिक कौशलों से संपन्न छात्र उपलब्ध कराएं। इस प्रकार हम एक ऐसी सप्लाई चेन को परिभाषित करते हैं, जिसका दायरा किसी युवा व्यक्ति के जीवन के कई वर्षों तक फैला होगा। इस चेन या श्रृंखला के आखिर में वह युवक (अथवा युवती) कोई विशेषता प्राप्त करते हुए छोटी उम्र से ही किसी महत्वाकांक्षी नौकरी की दिशा में अग्रसर हो सकता है और कई साल बाद, जब उसे पता चलता है कि जिन नौकरियों के लिए योग्यता उसे प्राप्त है, वे अब उपलब्ध नहीं हैं, तो वह दूसरे अनेक भ्रमित, शिक्षित, लेकिन अंडर/अनएंप्लायड युवकों की कतार में शामिल हो जाएगा, जो सामाजिक असंतोष भड़काते हैं।

स्पष्ट तौर पर हमें अलग संरचना वाली व्यवस्था की आवश्यकता है। यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से सात मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए :

1. इसे स्पष्ट कारणों से सप्लाई चेन अथवा असेम्बली लाइन की तरह तैयार नहीं किया जा सकता। यह उल्टे क्रम में काम करते हुए अंतिम जरूरतों के मुताबिक तैयार की गई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसकी बजाए, इसे युवाओं को अवसरों और नौकरियों की तलाश करने में सक्षम बनाने और अपेक्षित कौशलों को जल्द सीखने के लिए तैयार करना चाहिए।

2. छात्रों को बेहतर शिष्य बनाने पर अनिवार्य रूप से बल दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और स्कूलों में शिक्षण के दौरान महज अच्छे कामगार नहीं, बल्कि बेहतर शिष्य तैयार करने पर बल दिया जाना चाहिए। (निश्चित रूप से, आजीविका के साधन सृजित करने वाले उद्योगों को भी मुख्य रूप से उद्योग लगाने वालों और रोजगार चाहने वालों में सीखने की क्षमता को प्रोत्साहन देने पर बल देना चाहिए, जैसा कि हम बाद के उदाहरण में देखेंगे)

3. नियोक्ता अनिवार्य रूप से कौशल विकास की प्रक्रिया के ग्राहक नहीं, बल्कि उसका अभिन्न अंग होने चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस गतिशील प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बचाने के लिए, नियोक्ताओं को उद्यमों के बदलते परिदृश्य के साथ-साथ अपने उद्योगों को नया स्वरूप प्रदान करते रहना चाहिए, ऐसा मौजूदा गति से कहीं ज्यादा तेजी से किया जाना चाहिए। इसलिए उद्योगों को निरंतर अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव लाते रहना चाहिए और उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए अपेक्षित कौशलों में भी बदलाव लाते रहना चाहिए। इन परिवर्तनों की गति तीव्र होगी, लिहाजा ऐसे में कर्मचारी सिर्फ अपने कार्यस्थल पर ही इन कौशलों को सीख सकेंगे और उन्हें खुद में विकसित कर सकेंगे, जहां इन नई प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को शुरू किया जा रहा होगा।

4. प्रतिस्पर्धा तेजी से 'वैश्विक' रूप लेती जाएगी यानी सिर्फ अन्य देशों से ही नहीं होगी, बल्कि उद्यमों की वर्तमान सीमाओं से बाहर के उद्यमों से भी होगी। सिर्फ वहीं उद्यम (और नियोक्ता) सफल होंगे, जो सीखने में सक्षम होंगे और अन्य उद्यमों की तुलना में ज्यादा तेज गति से खुद को बदल पाएंगे। इसलिए उद्यमों को अनिवार्य तौर पर तेज और बेहतर 'सीखने वाले उद्यम' बनना होगा।

श्रृंखला के आखिर में वह युवक (अथवा युवती) कोई विशेषता प्राप्त करते हुए छोटी उम्र से ही किसी महत्वाकांक्षी नौकरी की दिशा में अग्रसर हो सकता है और कई साल बाद, जब उसे पता चलता है कि जिन नौकरियों के लिए उसने योग्यता उसे प्राप्त है, वे अब उपलब्ध नहीं हैं, तो वह दूसरे अनेक भ्रमित, शिक्षित, लेकिन अंडर/अनएंप्लायड युवकों की कतार में शामिल हो जाएगा, जो सामाजिक असंतोष भड़काते हैं।

5. किसी भी उद्यम के पास सीखने और अपनी योग्यताओं में सुधार लाने का एकमात्र संसाधन इंसान हैं। इंसान किसी भी उद्यम का एकमात्र 'अधिमूल्यित परिसंपत्ति' हैं, जिनका मूल्य समय बीतने के साथ, उनके सीखने की योग्यता से बढ़ सकती है। उद्यम के अन्य सभी संसाधनों– मशीनरी, सामग्री और इमारतों का मूल्य समय बीतने के साथ घटता जाता है। इसलिए तेजी से बदलते इस विश्व में, नियोक्ता अपने उद्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ डिजिटीकरण ही नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें 'मानवीय' बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

6. जेट्स व्यवस्था की संरचना कोई संकुचित आपूर्ति-श्रृंखला नहीं, बल्कि एक

गतिशील नेटवर्क होगी। उद्यमों द्वारा सीखने और सीखना जारी रखने में लोगों की सहायता करने के लिए विभिन्न गतिविधियों में विशिष्टता प्राप्त करते हुए नेटवर्क तैयार किए जाएंगे, क्योंकि नौकरियां और उद्यम, नए उभरते हुए स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। विषय वस्तु तैयार करने, प्रशिक्षण में सहायता देने, शिक्षकों के विकास, उद्यमियों को परामर्श देने आदि के लिए विशेषज्ञ होंगे। वे समान सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और उनमें से बेहतर मूल्य प्रदान करने की क्षमता वाले तरक्की करेंगे। जेट्स व्यवस्था में नवाचार हर हाल में फूलना-फलना चाहिए।

7. सरकार की प्रधान भूमिका उद्यमों द्वारा अनिवार्य तौर पर अनुकरण किए जाने वाले मानकों के साथ 'ग्राहकों के हितों' रक्षा करना होगी। उसे अनिवार्य तौर पर प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना होगा और स्थापित उद्यमियों द्वारा नए उद्यमियों के लिए ह्रासकारी प्रभाव रोकना होगा। सरकार कौशल विकास की प्रक्रिया के चरणों के लिए ऐसी 'समान' सुविधाएं भी प्रदान कर सकती है, जिन्हें छोटे उद्यमी अपने लिए नहीं जुटा सकते। यहां भी, सिद्धांत यही होना चाहिए कि नियोक्ता कौशल विकास की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लें। इस प्रकार ये समान सुविधाएं जहां तक हो सके, नियोक्ताओं द्वारा सहकारी उद्यमों के रूप में, हालांकि सरकार की सहायता के साथ संचालित की जानी चाहिए।

ऐसे युवा पर्याप्त संख्या में हैं, जिन्हें यदि किसी उपयोगी कार्य में लगा दिया जाए, तो वे अपने जिलों में और उनके आसपास रहना ज्यादा पसंद करेंगे। भारत में 'रोजगार' की चुनौती का समाधान यह है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार का इच्छुक बनने की बजाए उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जो अपने जिलों में और ज्यादा युवाओं के लिए 'करियर' के अवसरों का सृजन करेंगे।

जेट्स में नवाचार

अब तक हम रोजगार-उद्योग-प्रौद्योगिकी-कौशल की व्यवस्था की बदलती पद्धति के बारे में उच्च स्तरीय ढंग से विचार कर चुके हैं, वैसे ही जैसे धरती पर मौजूद मौसम प्रणालियों का जायजा चांद से लिया जाता है। अब हमें धरातल पर आना होगा और देखना होगा कि ये संरचनात्मक सिद्धांत किस प्रकार नवीन उद्यमों को आकार दे रहे हैं और साथ ही साथ युवाओं को नए कौशल सीखने और नए उद्यमों का सृजन करने में सक्षम भी बना रहे हैं।

हम शुरुआत से ही यह अवश्य कहेंगे कि हम जो बात यहां रखने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक उदाहरण है, हालांकि यह बहुत अच्छा है और यहां कई अन्य उदाहरण भी हैं, उदाहरण के तौर पर, विख्यात बेयरफुट अकेडेमी और कई अन्य। बहुत से पुराने उदाहरण प्रौद्योगिकी को प्रमुख वाहक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। जबकि हाल ही बनने वाले प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल व्यापक रूप से कर रहे हैं, मसलन वह जिसका हम यहां उल्लेख करने जा रहे हैं।

कौशल विकास का नया दृष्टिकोण : रोजगार प्रापकों से बढ़कर हैं रोजगार सर्जक

आजीविका को 'भरण-पोषण अथवा निर्वहन के साधन' के रूप में परिभाषित किया गया है। आज, हमारे युवा की महत्वाकांक्षा महज निर्वहन नहीं, बल्कि 'करियर' बनाना है, जो आमदनी में वृद्धि के साथ-साथ समाज में इज्जत भी दिलाता है। ग्रामीण भारत में शायद ही किसी तरह का 'करियर' अथवा 'आधुनिक' नौकरियां हैं, बल्कि अधिकांशत: आजीविका कमाने के परंपरागत साधन हैं, ऐसे में युवा शहरी मलिन बस्तियों का रुख करने को विवश होते हैं, जहां वह विशाल शहर उन्हें जैसी भी नौकरी या करियर का अवसर दे सकता है, वे उसी में जैसे तैसे निवर्हन करते हैं। मैककिंसे की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अगले 10 वर्षों में एक करोड़ 15 लाख युवाओं को कामगारों में समाहित करना होगा। विशाल, संगठित संगठन, जो उन्हें करियर उपलब्ध करवा सकते हैं, उन सभी को हरगिज समाहित नहीं कर सकेंगे।

तो ऐसे में हम 'करियर' की अपेक्षाओं की पूर्ति किस प्रकार करेंगे? व्यवहार्य करियर के विकल्प के रूप उद्यमिता का सृजन इसका उत्तर है। हैड हैल्ड हाई (एचएचएच) इस परिप्रेक्ष्य में सफल उदाहरण है और वह भी ग्रामीण भारत में, जहां आजीविका के आधुनिक साधनों के लिए तेजी से और भी विकल्प तैयार किए जाने चाहिए। एचएचएच के सर्वेक्षणों से पता चला है कि ऐसे युवा पर्याप्त संख्या में हैं, जिन्हें यदि किसी उपयोगी कार्य में लगा दिया जाए, तो वे अपने जिलों में और उनके आसपास रहना ज्यादा पसंद करेंगे। भारत में 'रोजगार' की चुनौती का समाधान यह है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार का इच्छुक बनने की बजाए उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जो अपने जिलों में और ज्यादा युवाओं के लिए 'करियर' के अवसरों का सृजन करेंगे।

ग्रामीण उद्यम, प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल

ग्रामीण भारत के बारे में एक सामान्य भ्रांति है। बहुत से लोग कंप्यूटर साक्षरता, संचार के कौशल, तार्किक विवेक, निर्णय की क्षमता आदि के अभाव के कल्पित अनुमान के आधार पर मान लेते हैं कि आधुनिक रोजगार/करियर के लिए ग्रामीण भारत में क्षमताएं सीमित हैं।

अगर कोई बारीकी से गौर करे, तो उसे अहसास होगा कि ग्रामीण भारत का डीएनए बदल रहा है। ग्रामीण युवाओं की उभरती पीढ़ी के पास सूचना तक पहुंच बनाने का 'शहरी' स्तर, सीखने की समान अथवा उससे भी बढ़कर ललक, उद्यमिता की भावना और तो और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तक मौजूद हैं।

लेकिन अगर कोई बारीकी से गौर करे, तो उसे अहसास होगा कि ग्रामीण भारत का डीएनए बदल रहा है। ग्रामीण युवाओं की उभरती पीढ़ी के पास सूचना तक पहुंच बनाने का 'शहरी' स्तर, सीखने की समान अथवा उससे भी बढ़कर ललक, उद्यमिता की भावना और तो और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तक मौजूद हैं।

एक सामान्य धारणा यह है कि ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी का अभाव है लेकिन एचएचएच द्वारा उत्तरी कर्नाटक के चार जिलों में 1000 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 53 प्रतिशत लोगों ने स्मार्टफोन इस्तेमाल किया था और उनमें से 73 प्रतिशत के पास मोबाइल फोन पर इंटरनेट की सुविधा थी। हमारे द्वारा 100 लोगों पर किए गए एक अन्य ई-कॉमर्स सर्वेक्षण में हमने पाया कि उनमें से 90 प्रतिशत ने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सुन रखा था और उनमें से 47 प्रतिशत ने

वास्तव में ऑनलाइन ऑर्डर देने का प्रयास भी किया था। यह ग्रामीण युवाओं में, यहां तक ग्रामों के भीतरी इलाकों तक में, प्रौद्योगिकी की पेंठ और उसे इस्तेमाल करने में सुविधा को दर्शाता है।

प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ग्रामीण/जिला स्तर पर रोजगार/करियर के अवसरों, कौशल प्राप्त करने के स्तरों और उद्यमशील करियर के मार्गों का आकलन करने में किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ग्रामीण युवाओं को करियर के बारे में परामर्श देने के लिए भी किया जा रहा है, ताकि वे अपने विकल्पों का चयन विवेकपूर्ण ढंग से कर सकें तथा स्थानीय शिक्षित युवाओं को 'करियर' प्रशिक्षक बनने में सक्षम बना सके-जिससे वे स्थानीय स्तर पर मदद के लिए सदैव उपलब्ध रहे। प्रौद्योगिकी मंच भी मुहैया करवा रही है, जहां उम्मीदवारों को सही लक्ष्य-कौशल-भूमिका का मिलान करने में सहायता दी जाती है, ताकि महज नौकरी करने की बजाए दीर्घकालिक 'करियर' बनाने में उनकी सहायता की सकें।

हैड हैल्ड हाई ने चार महीनों में कम साक्षरता स्तर वाले युवाओं को अंग्रेजी बोलने वाले, कंप्यूटर के जानकार, प्रोफेशनल कामगार के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी-सहायक शिक्षण की भी व्यवस्था की है!

आय अर्जित करने के क्रम में कौशलों से लाभ उठाना

करियर और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए, हमें नए बाज़ार तैयार करने की जरूरत है। ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी आधारित प्रवेशद्वार और मंच तैयार करने के अवसर मौजूद हैं, जो ग्रामीण युवाओं को सक्षम बनाएंगे, ताकि वे निगमों की बाज़ार तक पहुंच कायम करने में सहायता कर सकें और कारोबार में सहायक सेवाएं प्रदान कर सकें। ये निगम कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, खुदरा और जनोपयोगी सेवाओं (पानी, बिजली, दूरसंचार) जैसे विविध क्षेत्रों में हो सकते हैं।

हैड हैल्ड हाई ने रूबनब्रिज नामक मंच तैयार किया है, जो ग्रामीण भारत में उपभोक्ताओं तक संपर्क उपलब्ध कराता है, ताकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं साथ ही साथ मनोरंजन एवं ई-कॉमर्स उत्पादों और सेवाओं जैसी महत्वाकांक्षी सेवाओं को ग्रामीण उपभोक्ताओं के घर की चौखट तक पहुंचाया जा सके। कुछ ही महीनों में, एचएचएच ने देखा कि नए बाज़ारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई नौकरियों और उद्यमिता के अवसर पनपने लगे हैं और पहले रोजगार के लिए अयोग्य समझे जाते रहे सौ से ज्यादा ग्रामीण युवा काम करने लगे हैं।

कौशल सम्पन्न लोगों वाला ऐसा राष्ट्र, जहां उस कौशल को प्राप्त करने पर अपनी जिंदगी का समय लगाने वाले लोग आखिर में बेरोजगार रह जाएं, संभवतः रोजगारविहिन अकुशल व्यक्तियों वाले राष्ट्र से भी बदतर होगा। इसलिए, जेईटीएस को अपना रुख बदलना चाहिए।

एचएचएच की एक अन्य कामयाबी सरकार के डिजिटल इंडिया के विजन के लिए सहायक बाज़ार तैयार करना है। इंटरनेट सांथे (कन्नड़ में सांथे का आशय मेला है) तालुकों में ग्रामीण यूजर ग्रुप्स को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने संबंधी एक पहल है। इंटरनेट सांथे का आयोजन कर्नाटक के सिरा, नारगुंड और तावरागेरे सहित छह जिलों के 10 तालुकों में किया गया है। इंटरनेट सांथे के माध्यम से 8000 से ज्यादा लोगों को साथ जोड़ा गया है, उनमें से अधिकांश ने ज्ञान-बांटने और आय सृजन करने के नए क्षेत्रों की तलाश करने के लिए उपयुक्त इंटरनेट-सक्षम एप्प और टूल्स का इस्तेमाल किया है।

निष्कर्ष

वैश्विक रोजगार-उद्योग-प्रौद्योगिकी-कौशल (जेट्स) व्यवस्था बहुत गतिशील है और कम से कम फिलहाल तो इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी अनुमान लगाना असंभव होगा कि उद्योग, फैक्टरियां, विनिर्माण प्रक्रिया और उद्यम क्या आकार लेने वाले हैं।

कौशल सम्पन्न लोगों वाला ऐसा राष्ट्र, जहां उस कौशल को प्राप्त करने पर अपनी जिंदगी का समय लगाने वाले लोग आखिर में बेरोजगार रह जाएं, संभवतः रोजगारविहिन अकुशल व्यक्तियों वाले राष्ट्र से भी बदतर होगा। इसलिए, जेट्स को अपना रुख बदलना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यम के लक्ष्य के रूप में ज्यादा कौशल लगाने की बजाए, ज्यादा उद्यमों और उनके साथ नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उद्यमों के विकास के साथ साथ आवश्यक कौशल विकसित करने होंगे। इतना ही नहीं, उद्यमों के भीतर ही कौशल विकास के महत्वपूर्ण भाग होने चाहिए

प्रौद्योगिकी अकेले कभी भी अच्छा समाधान नहीं हो सकती। जेट्स व्यवस्था के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी उद्यमों और नौकरियों के लिए अवरोधक भी है और साथ ही साथ उद्यमों और कौशलों को समर्थ भी बनाती है। जेट्स व्यवस्था की संरचना में अनिवार्य तौर पर बदलाव लाया जाना चाहिए, उसे लीनियर सप्लाई चेन मॉडल की जगह उद्यमों के नेटवर्क वाले मॉडल के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए और उसके बाद उसमें प्रौद्योगिकी को लागू किया जाना चाहिए, ताकि भारत ज्यादा उद्यमों और अपने युवाओं के लिए गरिमापूर्ण रोजगार के साधनों का सृजन कर सके तथा समावेशी और राजनीतिक तौर पर सतत विकास के अपने लक्ष्य को साकार कर सके। नए मॉडल्स के हैड हैल्ड हाई जैसे प्रवर्तक प्रौद्योगिकी को एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए नए रास्ते खोल रहे हैं। ❑

निवेदन

योजना हमेशा द्विपक्षीय संचार में विश्वास रखती है। पाठकों से निवेदन है कि वह अपने राय व विचारों से हमें अवगत कराते रहें। साथ ही, पत्रिका में प्रकाशनार्थ आलेख भी हमें भेजे जा सकते हैं। पाठक हमें डाक द्वारा पत्र भेज सकते हैं। साथ ही आप अपनी सामग्री yojanahindi@gmail.com पर ईमेल के द्वारा हमें प्रेषित कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज ***योजना हिंदी*** पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी राय, सुझाव व सहयोग का इंतजार रहेगा।

–संपादक

ICS

empowering nation

Institute for Civil Services

सामान्य अध्ययन

भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक

एक साथ एक मंच पर

श्री अशोक सिंह

श्री के. सिद्धार्थ

डॉ. अभिषेक

डॉ.एस.एस.पाण्डेय

श्री रजनीश राज

श्री अतुल लोहिया

श्री रामेश्वर

श्री कुमार गौरव

श्री धर्मेन्द्र

.......With Mr. Prashant Sharma (Programme Director)

फाउंडेशन बैच 2016

मुख्य सह प्रारंभिक परीक्षा कार्यक्रम

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से

H. Office; 870, 1st Floor, (Infront of Batra Cinema) Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Ph.: 011-45094922, 8750908866-55-77-22-00

Visit us: www.icsias.com | E-mail : icsias2014@gmail.com

YH-172/2015

आर्थिक समेकन का नया रास्ता

रमेश सिंह

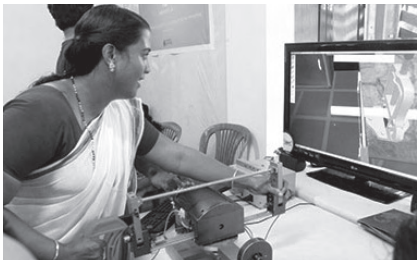

सरकार द्वारा अब तक कौशल विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों से जुड़े 200 से अधिक कौशलों को शामिल किया जा चुका है जिसमें परंपरागत हस्तकला एवं अन्य व्यवसायिक कुशलताएं शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा न सिर्फ भारत के परंपरागत कौशल को बचाया जा सकता है बल्कि उन्हें संशोधित एवं नवीन बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक जगत के विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी नवीन कौशल का विकास करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नये अवसरों का सृजन किया जा सकता है। अर्थात् कौशल विकास कार्यक्रम की पहुंच काफी विस्तृत है और इसके द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को वास्तव में एक जन क्रांति का रूप दिया जा सकता है

आर्थिक विकास की अवधारणा में समेकन की बात स्वतः ही शामिल है लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं कई बार समस्त जनसंख्या को शामिल नहीं कर पातीं। ऐसी स्थिति में संबद्ध देश की सरकार को समेकन के लिए सचेत लोक नीतियां बनानी पड़ती हैं। अगर भारत की स्थिति पर गौर किया जाए तो ज्ञात होता है कि यहां की एक बहुत बड़ी जनसंख्या आर्थिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाओं में उचित तौर पर शामिल की जा सकी हैं। वैसे, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत द्वारा बनाई गई सभी आर्थिक नीतियां समेकन की कामना करती हैं। वर्ष 2000-01 में भारत सरकार द्वारा समेकित विकास की दिशा में सचेत कदम बढ़ाया गया और इस प्रकार यह प्रक्रिया लोक नीतियों में अपना मजबूत स्थान बनाती गई।

समेकित विकास की भारतीय सोच

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके अनुषंगिक संगठनों द्वारा समेकित विकास को साधारणतया उस विकास प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जिसमें समस्त जनसंख्या शामिल हो लेकिन अलग-अलग देशों द्वारा अपनी जनसंख्या की सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं के अनुसार इसकी विविधिकृत अवधारणा विकसित की गई है।

भारत सरकार समेकित विकास के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट धारणा वर्ष 2000-01 के पश्चात् घोषित करती है। इस वर्ष सरकार द्वारा यह माना गया कि भारत की आर्थिक विकास की प्रक्रिया समेकित नहीं रही है। जिस कारण देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या वृद्धि एवं विकास के लाभों से वंचित है। जहां तक समेकित विकास की स्पष्ट अवधारणा का प्रश्न है तो इसकी घोषणा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में की गई। इसके अनुसार, समाज के वंचित एवं सीमावर्ती वर्गों को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, समेकित विकास है। इन वर्गों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को शामिल किया गया है। समेकित विकास की अवधारणा को इस योजना द्वारा पुनः स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इसमें आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक समेकन भी शामिल है। अर्थात् भारत की समेकित विकास की आधिकारिक अवधारणा भारत की जनसंख्या में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के समेकन की बात करती है।

नीतिगत पहल

भारत की आर्थिक नीतियों में समेकन का पुनः प्रारंभ हो रहा है तथा इसकी प्राप्ति के लिए संस्कारों द्वारा समय-समय पर अन्यान्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों को हम साधारण तौर पर दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं जिन्हें सरकार की दो प्रकार की नीतियों का अंग माना जा सकता है–

- अल्पकालिक नीति, एवं
- दीर्घकालिक नीति

अल्पकालिक नीति के अंतर्गत हम उन योजनाओं/कार्यक्रमों को मान सकते हैं जिनके अंतर्गत सरकार द्वारा आवश्यक आवश्यकताओं

लेखक आर्थिक विश्लेषक एवं निबंधकार हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह दो दशकों से अधिक से अध्यापन कार्य में संलग्न हैं। इन्होंने 'मैक्ग्रा हिल' के लिए कई पुस्तकों का लेखन किया है जिनमें 'इंडियन इकोनॉमी' (हिंदी में भी उपलब्ध) तथा 'कन्टेम्पोररी एसेज्' काफी लोकप्रिय हैं। ईमेल: dr.rameshsingh@yahoo.co.in

की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है ताकि उनकी न्यूनतम मात्रा लक्षित जनसंख्या तक पहुंचाई जा सके। इनमें अन्यान्य वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया गया, यथा– आहार के लिए खाद्यान्न, पेय जल, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा, आवास इत्यादि।

अल्पकालिक नीति मूलतः सरकारी समर्थन पर टिकी है जिन पर किए गए व्यय को सामाजिक क्षेत्र के व्यय के रूप में माना जाता है तथा यह राजस्व घाटे का एक बड़ा कारण बनता है। चूंकि राजस्व घाटा आने वाले वर्षों में शून्य करना है (यह राजकोषीय समेकन का अंग है) इस कारण यह नीति संपोषित विकास पर खरी नहीं उतरती है अर्थात् अल्पकालिक नीति समेकित विकास को बढ़ावा अवश्य देती है। इनमें वित्तीय सततता की कमी है। यही कारण है कि सरकार द्वारा साथ-साथ दीर्घकालिक नीति पर भी अमल किया गया है।

कौशल विकास की अवधारणा का उद्भव वास्तव में व्यवसायिक शिक्षा से हुआ है। प्रारंभ में इसके अंतर्गत सिर्फ औद्योगिक जगत से जुड़े कौशल को शामिल किया गया (आईटीआई के माध्यम से)। वर्ष 2008-09 में इस अवधारणा का विस्तार किया गया और इसके अंतर्गत कृषि एवं संलग्न क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र से संबद्ध अन्यान्य कौशल को भी शामिल किया गया।

दीर्घकालिक नीति के अंतर्गत हम कई सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को शामिल कर सकते हैं, जिन्हें साधारण तौर पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है–

- शिक्षा के विकास को लक्षित कार्यक्रम/योजनाएं।
- व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कदम जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख हैं।
- अंत में कौशल विकास कार्यक्रम जिसमें अर्थव्यवस्था के तीनों ही क्षेत्रकों में कुशलता प्रदान करने की कोशिश है।

कौशल विकास की वृहत् अवधारणा

कौशल विकास की अवधारणा का उद्भव वास्तव में व्यवसायिक शिक्षा से हुआ है। प्रारंभ में इसके अंतर्गत सिर्फ औद्योगिक जगत से जुड़े कौशल को शामिल किया गया (आईटीआई के माध्यम से)। वर्ष 2008-09 में इस अवधारणा का विस्तार किया गया और इसके अंतर्गत कृषि एवं संलग्न क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र से संबद्ध अन्यान्य कौशल को भी शामिल किया गया। इस वर्ष सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) नामक गैर-लाभकारी कंपनी की स्थापना की गई जिसमें नीति क्षेत्र की भागीदारी 51 प्रतिशत है। इस निगम को कौशल विकास कार्यक्रम को संचालित करने की आधिकारिक जिम्मेदारी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में घोषित की गई 'स्किल इंडिया' इसका नया स्वरूप है।

आर्थिक समेकन व कौशल विकास

वर्ष 2000 के पश्चात् सरकार की लोक नीति में दो पहलुओं पर बढ़ा हुआ जोर दिखता है– एक तरफ समेकित विकास और दूसरी तरफ कौशल विकास। जहां कौशल विकास आय को प्रोत्साहित करने, जनसांख्यिक लाभ उठाने आदि को लक्षित एक सशक्त प्रयास दिखता है, वहीं इसका आर्थिक समेकन से भी गहरा संबंध है। कौशल विकास की एक सचेत एवं सुनिश्चित संरचना भारत में आर्थिक समेकन को बहुत ही गहरे तौर पर प्रोत्साहित कर सकती है जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं–

1. आर्थिक समेकन का आधिकारिक जनसंख्या समूह (जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है) आर्थिक रूप से काफी तंग हाल है। उन वर्गों में आम शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा दोनों की ही भारी कमी है। ऐसी स्थिति में इन्हें किसी के मजदूरी-आधारित रोजगार या फिर स्व-रोजगार से पूरी तरह वंचित रहना पड़ता है। फलस्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय बनी रहती है जिसका इनके और इन पर निर्भर जनसंख्या के जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष कुप्रभाव पड़ता है।

इस जनसंख्या को आर्थिक जगत से जोड़ने के लिए उचित कौशल का चयन करके इन्हें कुशलता प्रदान करना भारत का लक्ष्य है।

कौशल की विकास की आवश्यकता गांवों में ज्यादा है जहां कृषि क्षेत्र पर जरूरत से अधिक निर्भरता है तथा रोजगार का भारी अभाव है। गांवों में गुजर-बसर करनी वाली एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष निर्भर नहीं है, जैसे लकड़ी का कार्य करने वाले (काष्ठ कार); लोहे का काम करने वाले (लुहार); मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाले (कुम्हार); राज मिस्त्री; साईकिल एवं रिक्शा मरम्मत करने वाले; बांस का उपयोग करके अन्यान्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले; इत्यादि। जहां तक इन लोगों की आय एवं इनके उत्पादों का प्रश्न है तो इनमें निम्न लक्षण हैं–

- इनके उत्पादों में सफाई की कमी है।
- इनके उत्पादों में डिजाइन एवं आकार व्यवस्था में कमी है।
- इनके द्वारा उपयोग लाए जाने वाले उपकरण परंपरागत और निम्न दक्षता वाले हैं।
- इनके उत्पादों की मांग शहरों (जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक है) में न के बराबर है।
- स्थायी बाज़ारों में शहरों से मशीन निर्मित उत्पादों के आने से इनके उत्पादों की बिक्री घटी है।
- इनकी आय में निरंतरता एवं स्थायित्व नहीं है जिस कारण अंततः 'कारीगर' होने के बावजूद भी इन्हें कृषि पर निर्भर होना पड़ता है।

वर्ष 2000 के पश्चात् सरकार की लोक नीति में दो पहलुओं पर बढ़ा हुआ जोर दिखता है– एक तरफ समेकित विकास और दूसरी तरफ कौशल विकास। जहां कौशल विकास आय को प्रोत्साहित करने, जनसांख्यिक लाभ उठाने आदि को लक्षित एक सशक्त प्रयास दिखता है, वहीं इसका आर्थिक समेकन से भी गहरा संबंध है।

कौशल विकास के क्रम में सर्वप्रथम इस जनसंख्या समूह को शामिल किया जा सकता है तथा इन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर इनके उत्पादों को बाहर के बाज़ारों (गांवों से बाहर) में भेजा जा सकता है। इससे न सिर्फ इनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि इनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। इस प्रकार इस जनसंख्या में स्वरोजगार को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

दूसरी तरफ, इस वर्ग की वैसी जनसंख्या जो स्वरोजगार के लिए इच्छुक नहीं हैं, को इस माध्यम से बेहतर कुशल श्रमिक बनाया जा सकता है ताकि उसे बेहतर आय वाली नौकरियां प्राप्त हो सके। इस प्रकार कौशल विकास देश में, व्यष्टि स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बन सकता है।

2. कौशल विकास की अवधारणा में अर्थव्यवस्था के तीनों ही क्षेत्रकों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें औपचारिक रूप से शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही जनसंख्या वर्गों को शामिल किया गया है जिसका आधार तीन स्तरों का है—

- **प्राथमिक शिक्षा स्तर:** इसके अंतर्गत दो वर्गों की लक्षित जनसंख्या शामिल है— प्राथमिक शिक्षा प्राप्त एवं वंचित समूह।
- **माध्यमिक शिक्षा स्तर:** इसके अंतर्गत भी दो जनसंख्या विद्यमान हैं—एक वह जो इस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुकी है और दूसरी वह जो नहीं प्राप्त कर सकी है।
- **उच्च शिक्षा स्तर:** इस स्तर पर भी दो जनसंख्या समूह है— इस शिक्षा से वंचित और उच्च शिक्षा प्राप्त।

इस वर्गीकरण के अंतर्गत देश की वह तमाम जनसंख्या शामिल हो जाती है जिसे औपचारिक शिक्षा प्राप्त है या वह इससे वंचित है। आवश्यकता यह है कि संबद्ध जनसंख्या का अध्ययन किया जाए तथा उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके रुझान के अनुसार, प्रादेशिक एवं स्थानीय रूप से बेहतर कौशल का विकास किया जाए। इसके अंतर्गत जनसंख्या की दो श्रेणियां बनती हैं—

कौशल विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों से जुड़े 200 से अधिक कौशलों को शामिल किया जा चुका है जिसमें परंपरागत हस्तकला एवं अन्य व्यवसायिक कुशलताएं शामिल हैं। इस प्रकार न सिर्फ परंपरागत कौशल को बचाया जा सकता है बल्कि उन्हें संशोधित एवं नवीन बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा।

- **अर्द्ध-कुशल जनसंख्या:** यह जनसंख्या परंपरागत रूप से पारिवारिक कुशलता आधारित व्यवसाय में संलग्न है (यथा, काष्ठकार, लुहार, कुम्हार इत्यादि) लेकिन इसकी कुशलता परिपक्व नहीं है। इस जनसंख्या की कुशलता को परिवर्धित एवं नवीन बनाने की जरूरत है। इससे इसकी दक्षता, उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि होगी।
- **अकुशल जनसंख्या:** इसकी तादाद सर्वाधिक है। इसमें युवा से लेकर व्यस्क लोग तक शामिल हैं। इस वर्ग में महिलाओं को बड़े स्तर पर शामिल किया जा सकता है। आवश्यकता होगी उचित कौशल के चयन एवं उसके विकास की। यह पहला अवसर होगा जब महिलाओं को इतने बड़े स्तर पर आर्थिक जगत से जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा।

3. भारत की वह जनसंख्या जिसे आधिकारिक तौर पर समेकित विकास का लक्ष्य समूह बनाया गया है उसमें अधिकांश संख्या उनकी है जो प्रथम और द्वितीय स्तरों से जुड़े हैं। कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रकों से जुड़े यथोचित प्रकार के कौशल के माध्यम से इस जनसंख्या वर्ग को न सिर्फ नौकरियों में शामिल किया जा सकता है बल्कि इन्हें स्व-रोजगार की दिशा में भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार 'स्किल इंडिया' भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' में काफी सहयोगी भूमिका निभा सकती है।

सरकार द्वारा अब तक कौशल विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों से जुड़े 200 से अधिक कौशलों को शामिल किया जा चुका है जिसमें परंपरागत हस्तकला एवं अन्य व्यवसायिक कुशलताएं शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा न सिर्फ भारत के परंपरागत कौशल को बचाया जा सकता है बल्कि उन्हें संशोधित एवं नवीन बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक जगत के विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी नवीन कौशल का विकास करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नये अवसरों का सृजन किया जा सकता है। अर्थात् कौशल विकास कार्यक्रम की पहुंच काफी विस्तृत है और इसके द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को वास्तव में एक जन क्रांति का रूप दिया जा सकता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 द्वारा इसका लक्ष्य भी रखा गया है। इस अवधारणा से हाल में गठित नीति आयोग भी सहमत है।

4. आर्थिक समेकन की आधिकारिक अवधारणा को अगर विस्तारित करें तो इसके अंतर्गत भारत का वह हर नागरिक शामिल हो जाता है जो बेरोजगार है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसका जीवन स्तर निम्न है या जिसे शुद्ध पेय जल, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस दृष्टिकोण से भी कौशल विकास काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साधारणतया, वह हर व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जो सरकारी छूट आधारित योजनाओं पर आश्रित है, को कौशल विकास से लाभान्वित करना संभव है ताकि इस जनसंख्या में आर्थिक आत्मनिर्भरता लाई जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक समेकन की प्रक्रिया में कौशल विकास एक मील का पत्थर बनकर उभर सकता है।

आर्थिक समेकन के लिए जिस जनसंख्या समूह को आज सरकारों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की नि:शुल्क या मुफ्त आपूर्ति की जा रही है उससे इस जनसंख्या में आत्मनिर्भरता नहीं आ रही है। अर्थशास्त्र एवं नियोजन का आजमाया हुआ तरीका है कि सरकारी अल्पकालिक आपूर्ति व्यवस्था से स्वावलंबन तो नहीं ही आता इसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं एवं जटिलताएं जरूर आ जाती हैं—

- लक्षित जनसंख्या सरकारी आपूर्ति पर निर्भर हो जाती है तथा उसमें अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने संबंधी स्पर्धा घटने लगती है।
- इस प्रकार की आपूर्ति व्यवस्था में कई प्रकार की अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न होती है।

आर्थिक समेकन के लिए जिस जनसंख्या समूह को आज सरकारों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की नि:शुल्क या मुफ्त आपूर्ति की जा रही है उससे इस जनसंख्या में आत्मनिर्भरता नहीं आ रही है। सरकारी अल्पकालिक आपूर्ति व्यवस्था से स्वावलंबन तो नहीं ही आता इसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं एवं जटिलताएं भी जरूर आ जाती हैं।

- इनमें संसाधनों की बर्बादी होती है।
- इस व्यवस्था का राजनीतिकरण हो जाता है।
- सरकारी व्यय में इससे गुणवत्ता की कमी आती है तथा निवेश योग्य पूंजी की कमी आती है।

कुल मिलाकर लोक कल्याण को लक्षित अल्पकालिक योजनाएं वास्तव में टिकाऊ कल्याण नहीं कर पातीं। इस प्रकार विशेषज्ञों की सलाह होती है कि अल्पकालिक योजनाओं से साथ-साथ दीर्घकालिक योजनाओं द्वारा समय रहते आत्मनिर्भर बना लिया जाना चाहिए। भारत सरकार का 'स्किल इंडिया' इस दिशा में बढ़ाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।

5. कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक समेकन की प्रक्रिया में स्थानीय

निकायों, सिविल समाज एवं गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। अत: कौशल विकास संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों में इनकी भूमिका को सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।

6. कौशल विकास संबंधी कोशिशों का आर्थिक समेकन से कई अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संबंध भी हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर दूरगामी धनात्मक प्रभाव पड़ेगा–

- यह अब तक की सबसे विस्तृत कोशिश होगी जिसमें महिलाओं की उच्च स्तरीय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- महिलाओं के आर्थिक समेकन का बाल-कल्याण से प्रत्यक्ष संबंध है तथा लड़कियों की शिक्षा में भी इससे प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वास्तव में आर्थिक रूप से सशक्त महिला न सिर्फ महिला के कल्याण को मजबूत करती है बल्कि पूरे परिवार के कल्याण का कार्य करती है।
- अल्पसंख्यक वर्ग आर्थिक रूप से असमेकित है। इसमें एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है जिनका आर्थिक विकास काफी निम्न स्तरीय है। कौशल विकास इस मामले में एक देशव्यापी अभियान बन सकता है जिसके माध्यम से इन्हें आर्थिक जगत से जोड़ा जा सकता है तथा इनके विकास को समर्थित किया जा सकता है।
- आज कृषि कार्य लाभकारी नहीं रह गया है तथा यह देश का अकेला ऐसा पेशा है जिसके पेशेवर (किसान) आत्महत्या तक कर रहे हैं। इसका एक कारण कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या की भारी निर्भरता भी है। कौशल विकास कृषि पर निर्भर जनसंख्या को कृषि क्षेत्र से संलग्न क्षेत्रों एवं इसके बाहर रोजगार उपलब्ध कराएगा जिससे कृषि क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी।
- आर्थिक समेकन को बढ़ावा देने वाली कौशल विकास योजनाओं से शहरी जनसंख्या का भी गहरा संबंध है। गांव की बेरोजगार जनसंख्या जो शहरों की तरफ प्रवसन करती है उसमें भारी कमी आएगी जिससे नगर नियोजन में सहूलियत होगी।
- कौशल विकास का लक्षित जनसंख्या समूह की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य व्यवस्था, साफ-सफाई इत्यादि पहलुओं पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा तथा जीवन स्तर में सुधार होगा।

निष्कर्ष

संक्षेप में ऐसा कहा जा सकता है कि वैसे जनसंख्या समूह जिन्हें आर्थिक धारा में शामिल करना कई कारणों से संभव नहीं हो पा रहा था, उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के माध्यम से इसमें शामिल किया जा सकता है। कार्य करने की कुशलता जीवन-निर्वाह के लिए जीविकोपार्जन का माध्यम बनता है और इस प्रकार इस कुशलता का आर्थिक समेकन में गहरा योगदान हो सकता है। ❑

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

मैथिली by शेखर झा

OUR SUCCESS STUDENTS IN IAS-2014

For More Details Visit :- www.maithilibyshekharjha.com

WORKSHOPS
17 Sep. & 4 Oct.
1 PM - Old Rajendra Nagar
4:30 PM - Dr. Mukherjee Nagar

CLASS TIMES
8 AM to 10.30AM & 6.30PM to 9.00 PM
Dr. Mukherjee Nagar
12.30 PM to 3 PM- Old Rajendra Nagar

50 Days 125 Hours Class &
Get 225 to 250 Sure Shot

मंथन™ IAS ACADEMY

Head Office : 204, IIIrd Floor, A 40-41, Ansal Building
Comm. Comp. Above HDFC BANK, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Branch :- 26/18, 1st Floor, Above, Duke Bakery,
Old Rajendra Nagar Market, Delhi

Email: manthanias.shekharjha@gmail.com

8527333213 | 8527345701
9968548859

YH-174/2015

वंचितों की रोजगार क्षमता में सुधार

सुनिता सांघी

स्थान, भूगोल, लिंग, सामाजिक एवं धार्मिक समूहों, शिक्षा तथा कौशल के निम्न स्तरों के लिहाज से लक्षित समूहों की विविधता देखते हुए कौशल विकास की चुनौती बहुत जटिल है। तीव्र आर्थिक वृद्धि एवं बदलती प्रौद्योगिकी के कारण युवाओं को सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके कारण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता खड़ी होती है, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग, भौगोलिक स्थितियों, बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाओं से ही निर्धारित होंगे

भारत की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग में होने के कारण उसके पास जो जनसांख्यिकीय लाभ है, वह जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौरान एक बार ही मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जनसंख्या रिपोर्ट, 2015 संकेत करती है कि 2020 तक भारत में औसत आयु 29 वर्ष होगी, जो चीन और अमेरिका में 37 वर्ष तथा यूरोप में 45 वर्ष होगी। जनसंख्या से संबंधित यह लाभ भारत के लिए विश्व का मानव संसाधन कारखाना बनने ओर विश्व की बूढ़ी होती अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताएं पूरी करने का अवसर है। इससे वर्तमान श्रमशक्ति को देसी एवं विदेशी बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुसार समुचित कौशल प्रदान करने/पुनः कौशल प्रदान करने/कौशल विकास करने तथा श्रमबल में नए लोगों को शामिल करने की जरूरत खड़ी हो जाती है। किंतु इससे बड़ी चुनौती खड़ी होती है क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है, शिक्षा एवं कामकाजी दुनिया के बीच संबंध कमजोर है अथवा है ही नहीं, गुणवत्ता वाले प्रशिक्षुओं की कमी है और विभिन्न क्षेत्रों/समूहों में विभिन्न प्रकार के कौशल की आवश्यकता है।

2001 में विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) यूथ इंप्लॉयमेंट नेटवर्क ने युवाओं के रोजगार के लिए रोजगारपरकता, सभी के लिए समान अवसर, उद्यमशीलता एवं रोजगार सृजन को प्राथमिकता का क्षेत्र बताया था। वर्ष 2000 में आईएलसी के प्रस्ताव ने संकेत किया था कि व्यक्तियों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता उस समय सर्वाधिक होती है, जब उनके पास व्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण, टीमवर्क, समस्या समाधान, आईसीटी, साक्षरता एवं गणना समेत बुनियादी एवं संवहनीय कौशल होते हैं। ये कौशल रोजगार प्राप्त करने की योग्यता बढ़ा देते हैं। समाज के सभी वर्गों में वैतनिक रोजगार तथा उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता में सुधार करने हेतु पिछले सात वर्ष में बड़ी संख्या में नीतिगत पहल की गई हैं, कार्यक्रमों एवं व्यवस्था के स्तर पर हस्तक्षेप किए गए हैं तथा वंचित वर्ग के लिए लक्षित हस्तक्षेप किए गए हैं। यह आलेख श्रम बाज़ार की विशेषताओं, प्रमुख नीतिगत चुनौतियों एवं वंचित वर्गों में कौशल विकास हेतु नीतिगत आवश्यकताओं पर केंद्रित है।

वंचित वर्ग, श्रम बाज़ार व कौशल विकास

मुख्य प्रश्न है कि वंचित कौन हैं? कोई व्यक्ति आय जनित गरीबी जैसे आर्थिक कारकों और लैंगिक, जातीय, भौगोलिक अलगाव, अच्छी शिक्षा/रोजगार के अवसरों की कमी, अधूरी स्कूली शिक्षा जैसे सामाजिक कारकों अथवा विकलांगता के कारण वंचित हो सकता है।[1] इसलिए असुविधा अथवा कमी कई कारकों से होती है और यह किसी विशेष वर्ग में नहीं होती। चूंकि शिक्षा तथा प्रशिक्षण से युवा अपनी प्रमुख दक्षता में वृद्धि करते हुए स्वयं को बेहतर रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं, इसलिए अशिक्षित, स्कूली शिक्षा छोड़ चुके और कम शिक्षित युवाओं को सबसे अधिक असुविधा होती है क्योंकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण से वंचित रहने के कारण उन्हें कम आयु में ही श्रम बाज़ार में प्रवेश करना पड़ता है[2], कम मजदूरी वाले और घटिया काम स्वीकारने पड़ते

लेखिका नीति आयोग में परामर्शी हैं। ईमेलः sunitasanghi1960@gmail.com

हैं, जिससे वे कई पीढियों के लिए गरीबी और सामाजिक अलगाव के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।[3] इसलिए कौशल विकास के परिणाम समझने के लिए श्रम बाज़ार की तस्वीर समझना आवश्यक है। भारत में श्रम बाज़ार दोहरे चरित्र वाला है, जहां 92.5 प्रतिशत (43.57 करोड़) लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और केवल 8.1 प्रतिशत (3.86 करोड़) लोग औपचारिक क्षेत्र में।[4] इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर रोजगार असंगठित क्षेत्र में है, जहां 68 प्रतिशत आबादी रहती है। श्रम बाज़ार में महिलाओं की भागीदारी की दर भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो रही है, जहां सभी आयु वर्गों (शून्य) में यह दर करीब 22.5 प्रतिशत ही है।

शिक्षा में वंचित रहने की बात करें तो श्रम बाज़ार में प्रवेश करने वाले 30 प्रतिशत लोग निरक्षर होते हैं और अन्य 24 प्रतिशत केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होते हैं। मूलभूत शिक्षा प्राप्त श्रमशक्ति में केवल 30 प्रतिशत ने माध्यमिक अथवा उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त की होती है।

शिक्षा में वंचित रहने की बात करें तो श्रम बाज़ार में प्रवेश करने वाले 30 प्रतिशत लोग निरक्षर होते हैं और अन्य 24 प्रतिशत केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होते हैं। मूलभूत शिक्षा प्राप्त श्रमशक्ति में केवल 30 प्रतिशत ने माध्यमिक अथवा उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त की होती है।[5] आठवीं और माध्यमिक स्तर के दौरान लड़कों और लड़कियों की शिक्षा छोडने की तीव्र दर से स्थिति और जटिल हो जाती है। यूडीआईएसई के आंकड़ों (2013-14) के अनुसार 20 प्रतिशत लोग पांचवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और 47.4 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले निकल जाते हैं। शिक्षा के इस निम्न स्तर से कौशल का स्तर भी निम्न होता है। औपचारिक कौशल के साथ श्रमशक्ति में केवल 3 प्रतिशत लोग आ रहे हैं और श्रम बाज़ार में 7 प्रतिशत लोग अनौपचारिक रूप से कौशल प्राप्त करते हैं। (ईयूएस 2011-12)। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रम शक्ति के 90 प्रतिशत हिस्से के पास कौशल आधारित व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल ही नहीं है। औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में महिलाओं (27.9 लाख) का अनुपात पुरुषों (86.3 लाख) की अपेक्षा बहुत कम है। अनौपचारिक प्रशिक्षण में भी ऐसा ही है।

क्षेत्रवार बात करें तो 48 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में केवल 16 प्रतिशत योगदान है, जिससे पता चलता है कि उत्पादकता का स्तर कम है और रोजगार कम है अथवा नहीं है। कृषि क्षेत्र में भी अधिकतर अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी आबादी कम मजदूरी वाले गैर-विनिर्माण क्षेत्र अर्थात निर्माण में लगी है।

यह भी देखा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 2.68 करोड़ लोग नि:शक्त थे, जिनमें 1.57 करोड़ लोग कार्य योग्य आयु वर्ग में थे। सार्थक रोजगार की उनकी आवश्यकता नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 लागू होने के बाद भी अधूरी ही रही। स्वास्थ्य सेवा की कम सुविधाओं तथा गरीबी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शक्त लोगों का अनुपात अधिक है। ग्रामीण नि:शक्त कौशल एवं श्रम बाज़ार से बहुत कटे हुए हैं।[6]

युवा अधिक संवेदनशील देखे गए हैं। एनएसएसओ ईयूएस 2011-12 के अनुसार सभी आयु वर्गों में पुरुषों की बेरोजगारी दर 2.4 प्रतिशत और महिलाओं की 3.7 प्रतिशत थी, जबकि युवाओं (15-29 वर्ष) में यह दर विभिन्न श्रेणियों में 6.1 प्रतिशत से 15.6 प्रतिशत के बीच थी। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 15.6 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक थी। इसका कारण पारिवारिक सहारा भी हो सकता था और अच्छे अवसरों की कमी अथवा सामाजिक बंधनों के कारण भी वे बेरोजगार हो सकती थीं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में भी संभवत: उपलब्ध रोजगार एवं अपेक्षाओं में भारी अंतर के कारण 15 से 19 वर्ष की उम्र वाले समूह के लिए स्थिति बहुत खराब है।[7] ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक युवा कृषि में लगे हैं। औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने वाले लोगों में भी बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची पाई गई, जिसका कारण कौशल का बेमेल और उचित नौकरियों की अनुपब्धता हो सकती है। यह देखा जाता है कि वंचित युवा चाहे किसी भी श्रेणी के हों, उनमें हाशिए पर जाने तथा सामाजिक रूप से अलग-थलग होने का जोखिम बहुत अधिक होता है। एनएसएसओ के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 15 से 24 वर्ष के वर्ग के सामने कामकाजी दरिद्रता का खतरा अधिक होता है क्योंकि वे कम पारिश्रमिक वाले कामों के साथ श्रम बाज़ार में कदम रखते हैं और उचित रोजगार नहीं मिलने पर बाज़ार से निकल जाते हैं। बेरोजगारी की यह ऊंची दर नौकरी पाने में असफल होने अथवा योग्यता या प्रशिक्षण के अवसर नहीं होने अथवा सीखे हुए कौशल की कम मांग होने से लेकर कौशल का बेमेल होने तक किसी भी कारण से हो सकती है। युवाओं में अधिक बेरोजगारी के कारण उत्पादन में कमी, कौशल का क्षय, सक्रियता के स्तर में कमी और सामाजिक विभाजन में तेजी आ सकती है। किंतु बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए केवल कौशल विकास पर्याप्त नहीं है, उन कौशलों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की भी आवश्यकता है। वंचित समूहों के वर्गीकरण के इस विश्लेषण से उन समस्याओं और चुनौतियों का पता चलता है, कौशल विकास द्वारा रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए जिनका निराकरण आवश्यक है।

औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने वाले लोगों में भी बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची पाई गई, जिसका कारण कौशल का बेमेल और उचित नौकरियों की अनुपब्धता हो सकती है। यह देखा जाता है कि वंचित युवा चाहे किसी भी श्रेणी के हों, उनमें हाशिए पर जाने तथा सामाजिक रूप से अलग-थलग होने का जोखिम बहुत अधिक होता है।

वंचित समूह की समस्याएं एवं चुनौतियां

आईएलओ की जीवन चक्र प्रणाली संकेत देती है कि जोखिमों और खामियों को कम उम्र में ही सुलझाना आवश्यक है ताकि सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने में लोगों की मदद की जा सके।[8] चूंकि भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी तक गांवों में रहकर खेती में परिवारों की मदद करती है, उन्हें कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में उत्पाद, वित्त एवं श्रम बाज़ार के अनुरूप कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि होगी और कम पारिश्रमिक वाले काम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन पर रोक लगेगी। पढ़ाई

छोड़ चुके बच्चे और बाल श्रमिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता तथा कौशल के निम्न स्तर के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में कम पारिश्रमिक वाले काम करने के लिए विवश होते हैं। गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना और अच्छी नौकरी पाने में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लाभ के बारे में बच्चों तथा माता-पिता को समझाना एक चुनौती है।

विभिन्न भौगोलिक स्थानों में फैले अनौपचारिक क्षेत्र की कौशल संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कम कार्यक्रम हैं। श्रमिक कम पारिश्रमिक वाले काम करने लगते हैं और वहीं काम सीखते हैं। प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोडना ताकि युवा काम की दृष्टि से आवश्यक कौशल सीखने के लिए स्कूल में रुकें, वास्तव में चुनौती है। स्कूली शिक्षा छोडने वालों में लड़कियों का अनुपात लड़कों की अपेक्षा अधिक है क्योंकि महिला शिक्षक,

वंचित बच्चों को यदि कार्यात्मक रूप से साक्षर एवं गणना योग्य बनाने के लिए स्कूलों में रोका जा सके तो उनके रोजगार की संभावना बढ़ सकती हैं। इसके लिए सब्सिडी, विशेष प्रीस्कूल कार्यक्रम और स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान के रूप में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

छात्रावास एवं परिवहन सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। कौशल कार्यक्रम उन उद्योगों के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो पुरुषों के अधिक अनुकूल होते हैं। महिलाओं को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने और बेहतर प्रतिभागिता के लिए समय के मामले में लचीले पाठ्यक्रम तैयार करने की चुनौती है।

15 से 24 वर्ष के आयु वर्गों में कार्यात्मक अर्थात वास्तविक साक्षरता के संबंध में लगातार हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वंचित बच्चों को यदि कार्यात्मक रूप से साक्षर एवं गणना योग्य बनाने के लिए स्कूलों में रोका जा सके तो उनके रोजगार की संभावना बढ़ सकती हैं। इसके लिए सब्सिडी, विशेष प्रीस्कूल कार्यक्रम और स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान के रूप में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

नि:शक्त लोगों को भी श्रम बाज़ार में प्रवेश करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, कार्यस्थल अथवा काम की प्रकृति और नि:शक्तों के बारे में नियोक्ता के दृष्टिकोण जैसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रमुख पक्ष अर्थात स्वयं नि:शक्त व्यक्ति, सरकार, नियोक्ता एवं गैर सरकारी संगठनों को चुनौतियों एवं प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जो भारत में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मापनीय रोजगार की राह में बाधा बनते हैं। सभी के लिए और विशेषकर नि:शक्त वर्ग के लिए प्रशिक्षण के बाद नजर रखने, युवाओं को स्व-रोजगार के लिए तैयार करने हेतु उद्यमशीलता प्रशिक्षण को तकनीकी प्रशिक्षण से जोडने, उत्पाद, वित्त तथा रोजगार बाज़ार से संपर्क के रूप में सहायक ढांचा उपलब्ध कराने, श्रम बाज़ार की जानकारी एवं राष्ट्रीय कैरियर सेवा तैयार करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने की चुनौती है।

उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि स्थान, भूगोल, लिंग, सामाजिक एवं धार्मिक समूहों, शिक्षा तथा कौशल के निम्न स्तरों के लिहाज से लक्षित समूहों की विविधता देखते हुए कौशल विकास की चुनौती बहुत जटिल है। तीव्र आर्थिक वृद्धि एवं बदलती प्रौद्योगिकी के कारण युवाओं को सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके कारण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता खड़ी होती है, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग, भौगोलिक स्थितियों, बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाओं से ही निर्धारित होंगे।

शिक्षा तथा कौशल सुधार हेतु हस्तक्षेप

यह देखते हुए कि श्रम बाज़ार में मौजूद अथवा श्रम बाज़ार में प्रवेश करने वालों की बड़ी संख्या के पास बुनियादी शिक्षा और रोजगार योग्य कौशल नहीं है, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए समुचित कार्यक्रमों की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना और माध्यमिक तक बुनियादी शिक्षा में सुधार करना था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय कार्यक्रम का लक्ष्य लड़कियों के स्कूल में पढ़ते रहने का अनुपात सुधारना है। आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक और नि:शक्त समूहों के लिए छात्रवृत्ति के कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि स्कूलों में इन समूहों के छात्रों की सहभागिता बढ़े और वे बुनियादी शिक्षा पूरी करें। इसके अलावा विभिन्न समूहों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति/फेलोशिप भी प्रदान की जाती है।[9] शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ाने, समुदाय की सहभागिता बढ़ाने और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाने के प्रयास शिक्षा एवं प्रशिक्षण गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता सुधारने के लिए किए जा रहे हैं। किंतु ट्रेड को व्यापक बनाने और समुदायों तथा शिक्षकों को लैंगिक आधार पर व्यावसायिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षरों को समयबद्ध तरीके से कामकाजी साक्षरता सिखाता है।

प्रशिक्षुओं की संख्या के रूप में कार्यक्रम के उत्पादन पर ध्यान देने के बजाय उसके परिणाम पर ध्यान देने और बेहतर परिणाम के लिए एक दूसरे से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अधिक निवेश का श्रमिकों की रोजगार संबंधी योग्यता पर प्रभाव होगा, उद्यमों की उत्पादकता बढ़ेगी और समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक मेलमिलाप होगा।

कौशल विकास के मामले में अभी तक के कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित ही हैं और कुछ मामलों में कर्मचारियों को रोजगार के योग्य बनाने के लिए उद्योग ने उन्हें नौकरी पर बरकरार रखा है। आवश्यकता तो मांग के आधार पर कौशल विकास की है, जो उद्योग की आवश्यकता को पूरा करे।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं प्रशिक्षण नीति, 2015 में अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वालों, नि:शक्त व्यक्तियों और कठोर भौगोलिक स्थानों पर रहने वालों जैसे हाशिए के समूहों को उनकी रोजगार संबंधी योग्यता, उद्यमशीलता और सम्मानजनक रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के समान अवसर प्रदान कर बिना किसी भेदभाव के समावेश की परिकल्पना है। इन वंचित समूहों की कौशल संबंधी

आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर सरकारों ने रोजगार योग्यता, सभी के लिए समान अवसर, उद्यमशीलता एवं रोजगार सृजन की चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न लक्षित कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जो परिशिष्ट में दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों से क्षमता विस्तार, आपूर्ति के नए तरीकों तथा निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता का संकेत मिलता है। यह भी पता चलता है कि प्रशिक्षुओं की संख्या के रूप में कार्यक्रम के उत्पादन पर ध्यान देने के बजाय उसके परिणाम पर ध्यान देने और बेहतर परिणाम के लिए एक दूसरे से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अधिक निवेश का श्रमिकों की रोजगार संबंधी योग्यता पर प्रभाव होगा, उद्यमों की उत्पादकता बढ़ेगी और समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक मेलमिलाप होगा।[10]

दुर्गम स्थानों में रहने वालों तक पहुंचने के लिए सुदूर शिक्षा और ई-लर्निंग का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें कम से कम बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग आईओएस (विस्तार) इस दिशा में कदम है।

भावी कदम

स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि छात्र माध्यमिक तक की अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पूरी करें। भारत में केंद्र तथा राज्य में सरकारें छात्रवृत्ति के प्रत्यक्ष अंतरण, छात्रावास सुविधाएं, मध्याह्न भोजन जैसे विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही हैं, जिन्होंने स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाई है। माता-पिता को भी आय की सुरक्षा के लिए मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपायों के माध्यम से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन उपायों से माता-पिता अपने बच्चों को स्कूलों में रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उन्हें आजीविका कमाने के लिए नहीं भेजेंगे। किंतु उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बच्चे कक्षाओं में बैठ रहे हैं। इसके लिए उन बच्चों पर रखने और उन्हें उचित परामर्श देने की आवश्यकता होती है, जो संभवत: स्कूल छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। दुर्गम स्थानों में रहने वालों तक पहुंचने के लिए सुदूर शिक्षा और ई-लर्निंग का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें कम से कम बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग आईओएस (विस्तार) इस दिशा में कदम है। स्कूल में दूसरा अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। प्रथम ने इस दिशा में पहल की है। प्रथम ओपन स्कूल ऑफ एजुकेशन (पोज) कार्यक्रम स्कूल छोड़ चुकी कन्याओं और महिलाओं को माध्यमिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने और साथ में रोजगार के अधिक योग्य बनाने के लिए जीवनोपयोगी कौशल प्राप्त करने में सहयोग करता है तथा स्कूल छोड़ने की घटनाएं रोकने के लिए कार्यक्रमों का उपयोग करता है। ऐसे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

स्कूल का बुनियादी ढांचा सुधारना: बच्चों को स्कूल में रोकना पर्याप्त एवं समुचित स्कूली सुविधा की उपलब्धता से भी जुड़ा है। भौतिक बुनियादी ढांचे और शिक्षिकाओं के रूप में मानव संसाधन की उपलब्धता के लिहाज से स्कूली बुनियादी ढांचे को सुधारने की आवश्यकता है। कई सामाजिक एवं जातीय समूह शिक्षिकाओं की कमी के कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। शिक्षकों की बहुत कमी है और जनसांख्यिकीय लाभ वाले राज्यों में तो कमी और भी है। उन राज्यों में समस्या और भी अधिक है, जहां से जनसांख्यिकीय लाभांश उपलब्ध होता है। सीखने का अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। भारत में 11 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षक वाले स्कूल हैं और शिक्षकों के 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं। शिक्षकों की रिक्तियां बनी हुई हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है।

शिक्षा, प्रशिक्षण को कामकाजी दुनिया से जोड़ना: शिक्षा, प्रशिक्षण प्रणाली तथा कामकाजी दुनिया के बीच संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने से बच्चे स्कूल में बने रहने और काम के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे प्रशिक्षु प्रशिक्षण को औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। छोटे उद्यमों की अत्यधिक संख्या देखते हुए और यह देखते हुए कि जनसांख्यिकीय लाभांश का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है, हाल ही में आरंभ की गई अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना शिक्षा को कामकाजी दुनिया से जोड़ने में बहुत मदद करेगी। छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। चूंकि प्रशिक्षण की आवश्यकताएं प्रत्येक देश में अलग होती हैं और सीखने के स्तर भी अलग होते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जो लक्षित समूह और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों की आवश्यकताएं पूरी करे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समन्वय करने और उन पर नजर रखने की आवश्यकता है ताकि एक ओर तो ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, लिंग और आर्थिक विविधता संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर सकें और दूसरी ओर उद्योग की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें। विशेषत: दुर्गम क्षेत्रों अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जहां से लोग बाहर नहीं जाना चाहते, स्थानीय उद्योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के रूप में 2013 में लाए गए व्यवस्थागत सुधार सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा को समग्र व्यवस्था के रूप में एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। श्रम बाज़ार व्यवस्था, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय कैरियर सर्वेक्षण आरंभ होने से युवाओं की रोजगार संबंधी योग्यता में बहुत सुधार होगा।

चूंकि प्रशिक्षण की आवश्यकताएं प्रत्येक देश में अलग होती हैं और सीखने के स्तर भी अलग होते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जो लक्षित समूह और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों की आवश्यकताएं पूरी करे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समन्वय करने और उन पर नजर रखने की आवश्यकता है।

पुरानी शिक्षा को मान्यता (आरपीएल): असंगठित क्षेत्र को लक्ष्य कर बहुत कम योजनाएं बनाई गई हैं। चूंकि 84 प्रतिशत लोगों को असंगठित क्षेत्र में और शेष को संगठित अथवा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिला है, इसलिए अनौपचारिक प्रशिक्षण की रूपरेखा

तालिका 1: प्रमुख कौशल विकास योजनाएं: एक नजर में

मद	योजना का नाम	योजना का ब्योरा/उद्देश्य
स्कूली शिक्षा छोड़ने वालों के लिए	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना	• स्कूल छोड़ने वालों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान कर उद्योग को अर्द्ध-कुशल कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना • औद्योगिक रोजगार के लिए अनुकूल कौशल देकर शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी घटाना। यह योजना सरकार द्वारा संचालित आईटीआई और निजी आईटीसी के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।
	प्रशिक्षु (अप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण योजना	• उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमन करना ताकि पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि आदि केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद द्वारा तय नियमों के अनुरूप ही हो • व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग करना ताकि उद्योग के लिए कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी हो सके। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना (एपीवाई) का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा उन 1 लाख प्रशिक्षुओं के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति की 50 प्रतिशत राशि वहन करना है, जिन प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसेज अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान पंजीकृत करते हैं।
	ट्राइफेड-हस्तशिल्प/हथकरघा के लिए कौशल विकास/उन्नयन एवं क्षमता निर्माण	जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था - ट्राइफेड द्वारा आदिवासी उत्पादों के लिए बाज़ार विकसित करना एवं जनजातीय शिल्पकारों एवं आदिवासियों के कौशल विकास/उन्नयन एवं क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण तथा लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने वालों के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण तथा हथकरघा, हस्तशिल्प, आदिवासी चित्रकारी आदि बनाने वाले जनजातीय हस्तशिल्पकारों को प्रशिक्षण।
महिलाओं एवं किशोरियों के लिए	सपोर्ट टु ट्रेनिंग एंड इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम (स्टेप)	• महिलाओं को रोजगार योग्य बनाने वाले कौशल प्रदान करना • महिलाओं को स्व-रोजगार प्राप्त/उद्यमी बनाने वाली दक्षता एवं कौशल प्रदान करना
	महिलाओं को प्रभावी स्वयं सहायता समूह में संगठित करने हेतु प्रियदर्शिनी योजना	मध्य गंगा के मैदान में महिला सशक्तीकरण एवं आजीविका कार्यक्रम, (प्रियदर्शिनी कार्यक्रम भी कहलाता है)। 7200 स्वयं सहायता समूह गठित कर 1,08,000 गरीब महिलाओं एवं किशोरियों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना। आरंभ में उत्तर प्रदेश के चार जिलों समेत देश भर के छह जिलों में क्रियान्वित।
	स्वाधार गृह/शॉर्ट स्टे होम (पुनर्वास के लिए कौशल विकास)	प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले नए स्वाधार गृह निम्न उद्देश्यों के साथ स्थापित किए जाएंगे: • उन आपदाग्रस्त महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं उपचार तथा देखभाल की मूलभूत सुविधा प्रदान करना, जिनके पास कोई सामाजिक एवं आर्थिक सहारा नहीं है। • दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण खोई भावनात्मक शक्ति वापस पाने में मदद करना। • परिवार/समाज में पुनर्वास के लिए कदम उठाने हेतु उन्हें कानूनी सहायता एवं निर्देश उपलबध कराना। • उनका आर्थिक एवं भावनात्मक पुनर्वास करना।
	सबला - राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना	11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी स्तर में सुधार करना तथा उन्हें जीवनोपयोगी कौशल, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिक्षा देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से नवंबर 2010 में आरंभ। लड़कियों को परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वर्तमान जन सेवाओं आदि के बारे में जानकारी देना तथा स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में लाना।
	कौशल उन्नयन	कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती अथवा आदिवासी अथवा पिछड़े जिलों में महिलाओं के व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना तथा उन्हें स्व-रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना है। कार्यक्रम महिला प्रतिभागियों को वर्तमान व्यवसाय में उनकी आय के अतिरिक्त आय अर्जित करने, उत्पादकता बढ़ाने एवं ऐसे नए कौशल सीखने योग्य बनाता है, जिनकी बाज़ार में अच्छी मांग है।
ग्रामीण गरीबों के लिए	पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (पहले आजीविका कहलाती थी)	• 2017 तक 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार के योग्य प्रशिक्षण देने का लक्ष्य। • योजना के अंतर्गत दिए जा रहे कौशल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान में सहयोग करेंगे। • कौशल्य योजना नि:शक्त लोगों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता भी पूरी करेगी और ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों समेत निजी कंपनियों को भी साथ लेगी।
	ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान योजना (आरएसईटीआई)	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बेरोजगारी एवं निम्न स्तर के रोजगार की समस्या मिटाने का प्रयास करेंगे। आरएसईटीआई केंद्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से स्थापित गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। संस्थान का उद्देश्य क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण देकर और व्यवसाय जमाने में मदद कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार का सृजन करना है। आरएसईटीआई ग्रामीण युवाओं को व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में समग्र एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं और व्यवसाय जमाने में सहायता कर रहे हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वित्तीय संस्थानों से ऋण के साथ या उसके बगैर लाभकारी सूक्ष्म उद्यम आरंभ करने योग्य बनाकर व्यवसाय जमाने में मदद की जाती है।
शहरी गरीबों हेतु	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - कौशल प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के माध्यम से रोजगार	• उद्योग, तकनीकी विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों, निजी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं, उद्योग से मान्यता प्राप्त प्रमाणन एवं नियुक्ति के साथ समन्वय एवं संपर्क के साथ पीपीपी आधार पर क्रियान्वयन। • कौशल की शहर स्तरीय कमी के विश्लेषण पर आधारित प्रशिक्षण आवश्यकता को पहचानना। • सामान्य कौशल, व्यावसायिक शिष्टाचार आदि प्रदान करना एवं प्रशिक्षण से पूर्व परामर्श देना।

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए	मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी)	अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां सुधारना एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना तथा अल्पसंख्यकों की सघनता वाले ज्ञात क्षेत्रों में असंतुलन कम करना
	सीखो और कमाओ	• अल्पसंख्यकों में बेरोजगारी की दर कम करना। • अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशल का संरक्षण एवं विकास करना तथा बाज़ार से उन्हें जोड़ना। • वर्तमान श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों की रोजगार संबंधी योग्यता बढ़ाना तथा उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करना। • हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना। • देश के लिए संभावित मानव संसाधन विकसित करना।
	परवाज	गरीबी रेखा से नीचे के अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा, कौशल तथा रोजगार के द्वारा सशक्त बनाकर मुख्यधारा में लाना। यह योजना प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्त करने योग्य न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करने और नई दुनिया में कदम रखने के लिए आवश्यक कौशल का विकास करने में मदद के उद्देश्य से आरंभ की गई है।
ज.-क. के युवाओं हेतु	हिमायत	जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार से संबद्ध कौशल विकास योजना। पांच वर्ष में 1 लाख युवाओं को दायरे में लाने का लक्ष्य। निजी क्षेत्र एवं गैर लाभकारी संगठनों के सक्षम प्रशिक्षणदाताओं की सहायता से क्रियान्वित।
	उड़ान	विशेष उद्योग कार्यक्रम। लक्ष्य: जम्मू-कश्मीर के युवा, विशेषकर स्नातक एवं परास्नातक, जो वैश्विक एवं स्थानीय अवसर तलाश रहे हैं, भारतीय कंपनियों को राज्य में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा से परिचित कराना।
वाम उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्रों हेतु	रोशनी	अलग निर्देशों के साथ प्रारंभ विशेष योजना। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित 27 जिलों पर ध्यान। विशेष रूप से विभिन्न समयावधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। अभी 3, 6, 9 और 12 महीनों के कार्यक्रम हैं।
	वाम उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास	प्रत्येक जिले में एक आईटीआई और दो कौशल विकास केंद्र स्थापित कर इन जिलों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे को लोगों के समीप लाने एवं मांग के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए	क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहयोग (सीबीटीए) योजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास, रोजगार संबंधी योग्यता तथा क्षमता में वृद्धि और स्व-रोजगार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए वित्त मुहैया कराना है। सरकारी क्षेत्र में यह सुशासन के लिए मध्य स्तर के अधिकारियों की जानकारी तथा कौशल में विकास की बात कहती है।
	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में कौशल विकास अधोसरंचना का विकास	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में 20 आईटीआई का उन्नयन, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 28 आईटीआई की बुनियादी ढांचा संबंधी कमी पूरी करना और केंद्र तथा राज्य स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
अ.जा./अ.ज.जा. के युवाओं हेतु	अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की उप योजना	महत्वपूर्ण खामियां दूर करने और छूटी हुई अहम जानकारी प्रदान करने के लिए संसाधन मुहैया कराकर गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए परिवारोन्मुख योजनाओं पर जोर देना। इसलिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एससीए का मनचाहे तरीके से प्रयोग करने की छूट। विभिन्न निगमों, वित्तीय संस्थानों जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त संसाधनों एवं एससीपी के साथ समन्वय के बाद ही प्रयोग।
	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	पात्र अनुसूचित जनजातियों को कौशल एवं उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एजेंसियों को एक साथ लाकर अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए	विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी)	नि:शक्त व्यक्ति को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने और देश का उत्पादक नागरिक बनाने के दृष्टिकोण से सहयोगी प्रशिक्षण एवं कौशल प्रशिक्षण के द्वारा उसे उचित रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाते हुए उसके व्यावसायिक पुनर्वास का खयाल रखते हैं। देश के विभिन्न भागों में 20 वीआरसी काम कर रहे हैं। नि:शक्तों के त्वरित पुनर्वास के लिए सात कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं को भी सात वीआरसी से जोड़ दिया गया है।
	नि:शक्तता पर प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम	अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक नि:शक्त संस्थान (एनआईएमएच), राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच), नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टिपल डिसएबिलिटीज, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास केंद्र, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।
उद्यमियों के लिए	स्व-रोजगार कार्यक्रम	3 से 7 दिनों के उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमियों में क्षमता निर्माण। प्रशिक्षण कार्यक्रम आरएसईटीआई एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।
	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (आईएमसी/ ईडीपी/ईएसडीपी) योजना	मझौले उपक्रम स्थापित करने के लिए आवश्यक औद्योगिक गतिविधियों के विभिन्न पक्षों की जानकारी देकर युवाओं की प्रतिभा को विकसित करने के लिए नियमित रूप से उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित करना। कार्यक्रम आम तौर पर आईटीआई, पॉलीटेक्निक्स और अन्य तकनीकी संस्थानों में आयोजित होते हैं।
सामान्य - सामाजिक आर्थिक पिछड़े एवं शिक्षा से वंचित वर्गों हेतु	प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता की योजना के घटक के रूप में जन शिक्षण संस्थान	निरक्षर, नव साक्षर और स्कूल छोड़ चुके लोगों में उनके क्षेत्र में मौजूद बाज़ार के अनुसार ही कौशल को पहचानकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जन शिक्षण संस्थान की स्थापना। संस्थान के कार्य का दायरा निम्न प्रकार से है: • व्यावसायिक घटकों, सामान्य जागरूकता एवं जीवनोपयोगी घटकों के साथ उचित पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित अथवा प्राप्त करना। • यथासंभव जन शिक्षण संस्थानों को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों के समकक्ष प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित करना। • संसाधन युक्त व्यक्तियों और कुशल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षित करना एवं बुनियादी ढांचा तथा प्रशिक्षण हेतु उपकरण उपलब्ध कराना। • सामान्य परीक्षा लेना एवं प्रमाणपत्र देना। • प्रशिक्षुओं को समुचित रोजगार दिलाने के लिए उद्योगों एवं नियोक्ताओं के साथ संपर्क रखना।

उड़ान, हिमायत, परवाज, नई रोशनी, स्टेप अप जैसी लक्षित योजनाओं ने युवाओं की रोजगार संबंधी योग्यता पर प्रभाव डाला है। ऐसी लक्षित योजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण को रोजगार एवं आय सृजित करने वाले अवसरों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होता।

नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में श्रमिकों के कौशल स्तर का प्रमाणन किया जा सके। शिक्षा और कौशल का निम्न स्तर लोगों को सम्मानजनक रोजगार नहीं प्राप्त करने देता। उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला आवश्यक कौशल हो सकता है, लेकिन प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण वे अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते अथवा उद्यम आरंभ नहीं कर पाते।

बनारस, चिकनकारी, छत्तीसगढ़ के धातु कारोबार और पूर्वोत्तर में शिल्पकारों तथा दस्तकारों के पास कौशल हो सकता है किंतु प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण उन्हें अकुशल की श्रेणी में डाल दिया जाता है। आरपीएल योजना को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संगठनों को इसमें सहभागी बनाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों के कौशल विकास, रोजगार सुधारने तथा अधिक उत्पादकता के लिए उनकी सहभागिता में आने वाली बाधाएं दूर करने की आवश्यकता है।

लक्षित योजनाओं के द्वारा दुर्गम क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करना: उड़ान, हिमायत, परवाज, नई रोशनी, स्टेप अप जैसी लक्षित योजनाओं ने युवाओं की रोजगार संबंधी योग्यता पर प्रभाव डाला है। ऐसी लक्षित योजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण को रोजगार एवं आय सृजित करने वाले अवसरों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होता।

दुर्गम क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे कठिनाई भरे क्षेत्रों (वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित, पहाड़ी , आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों) तक पहुंच बढ़ेगी। इसके लिए प्रशिक्षण के सभी अवसरों और बुनियादी ढांचे जैसे सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज का उपयोग किया जा सकता है।

हितधारकों की सक्रिय सहभागिता: कौशल की चुनौती बहुत बड़ी है और उसके लिए सभी हितधारकों की सहभागिता की आवश्यकता है। रोजगार संबंधी योग्यता की समस्या सुलझाने के लिए सामाजिक साझेदारों विशेषकर नियोक्ताओं की सहभागिता आवश्यकता है।

पाठ्यक्रम तैयार करने, क्रियान्वित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी में उनका सहयोग होना चाहिए। यद्यपि क्षेत्र विशेष की कौशल परिषदें उद्योग के प्रतिनिधित्व वाली संस्थाएं हैं और कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं में सहायता कर रही हैं, लेकिन वे मूल रूप से संगठित क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं। शिक्षा को कामकाजी दुनिया से जोड़ने जैसे प्रशिक्षण के प्रारूपों को पहचानने, स्कूल तथा उद्योग (औपचारिक/अनौपचारिक) के संबंध मजबूत करने, प्रशिक्षण की निगरानी करने और गुणवत्ता नियंत्रित करने, प्रायोजन एवं नियुक्ति के लिए ट्रेड यूनियनें और नियोक्ता संगठन एक साथ आ सकते हैं। चूंकि कौशल की आकांक्षा नहीं की जाती, इसलिए युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने में स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय ग्रामीण एवं शहरी निकायों और नागरिक समाज के संगठनों की सहायता की आवश्यकता है। कौशल की आकांक्षा जगाने में पीआरआई और नागरिक समाज की सहायता ली जा सकती है।

शिक्षा एवं कौशल विकास एवं लक्षित कार्यक्रम संभाल रहे अन्य मंत्रालयों के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के उपयोग की आवश्यकता है और तेजी से विशाल स्तर पर कौशल विकास के उद्देश्य को पूरा करने में इससे मदद मिल सकती है।

अन्य योजनाएं: नि:शक्त समूहों में टकराव हो रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कई विभाग अपने लक्षित समूह के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे भ्रम पैदा होता है और संसाधन कम मात्रा में पहुंचते हैं, जिनसे परिणाम नहीं निकलता। शिक्षा एवं कौशल विकास एवं लक्षित कार्यक्रम संभाल रहे अन्य मंत्रालयों के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता है।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के उपयोग की आवश्यकता है और तेजी से विशाल स्तर पर कौशल विकास के उद्देश्य को पूरा करने में इससे मदद मिल सकती है। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के बाद शिक्षा के परिणामों और प्रभावशीलता में सुधार करने में पीपीपी अधिक विकल्पों के साथ मदद कर सकती है। सरकार सभी स्तरों पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए निवेश कर रही है और अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है, लेकिन उद्यमी अपने श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकते हैं।

अंत में कौशल विकास अलगाव से निकलने का प्रभावी माध्यम है किंतु शिक्षा के परिणाम पर सीखने के स्तरों और प्रशिक्षण के परिणाम पर रोजगार संबंधी योग्यता में सुधार के दृष्टिकोण से नजर रखने की आवश्यकता है, जिससे श्रम बाज़ार में प्रवेश ही नहीं बल्कि सामाजिक अलगाववाद से बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। ❑

संदर्भ

1. स्किल्स फॉर इंप्लॉयबिलिटी, पॉलिसी ब्रीफ आईएलओ
2. कुल 25.9 करोड़ बच्चों में लगभग 3.9 प्रतिशत या तो श्रम बाज़ार में काम कर रहे हैं अथवा कभी काम कर चुके हैं। इनके अलावा 0.6 प्रतिशत सीमांत श्रमिक की श्रेणी में आते हैं और काम ढूंढ रहे हैं। लगभग 1.57 प्रतिशत गैर श्रमिक हैं, लेकिन श्रम बाज़ार में काम ढूंढ रहे हैं। उनके अतिरिक्त 3 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो न तो श्रम बाज़ार में सक्रिय हैं और न ही शिक्षा संस्थानों में, लेकिन बाल श्रमिक बन सकते हैं।
3. इंप्रूविंग स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप - डेविड एच फ्रीडमैन, 2008)
4. रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011-12
5. रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011-12
6. नि:शक्तता मामलों का विभाग, भारत सरकार
7. यूथ अनइंप्लॉयमेंट इन इंडिया, सीआईआई इकनॉमी मैटर्स
8. इंप्रूविंग स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, आईएलओ वर्किंग पेपर
9. राजीव गांधी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा फेलोशिप, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक्स स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक छात्र छात्रवृत्ति आदि।
10. आईएलओ पॉलिसी ब्रीफ

IAS **IGNITED MINDS** PCS

अमित कुमार सिंह के निर्देशन में

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में सर्वाधिक चयन देने वाला संस्थान। इस वर्ष भी कुल 50+ चयन

ध्यान दें ये परीक्षा परिणाम साक्षात्कार एवं मॉक इंटरव्यू के नाम पर जुगाड़ से नहीं जुटाये गये हैं। ये सभी हमारे कक्षा कार्यक्रम में शामिल रहे हैं।

Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank
NISHANT JAIN	13	PRADIP SINGH	310	AMIT KR. SINGH	396	NIVEDITA GUPTA	591	BHOYAR HARSHAL	791	UTSAV	1075
ANIL DHAMELIA	23	RAJENDER PENSIYA	345	SHREYANSH MOHAN	465	HITESH KUMAR	634	ANIRUDHA	804	KIRNEDU	1106
MIHIR PATEL	27	DHARMVIR SINH	357	ISHANI	502	MEHULKUMAR	704	SANTOSH KUMAR	850	AMIT VASAVA	1114
RAJENDER K PATEL	70	RAJTANIL	367	ALPESH	537	DEEPAK	717	KARTIK	871	AVINSH KUMAR	1132
KAVAN NARESH K.	198	SHASHIKANT SHARMA	384	GHANSHYAM MEENA	539	NIRVKUMAR	751	PULKESH	1050		

ETHICS

(G.S. PAPER-IV)

ETHICS में हमारे संस्थान से 70 से अधिक विद्यार्थियों को 100+ अंक

ANIL DHAMELIA
RANK-23

Thank u very much to Amit Kumar Singh Sir (Ignited Minds) who has personally guided me for ethics and interview preparation. I never forget his contribution in my success.
Anil Dhamelia
Rank 23 / IAS-2014

हमारे अन्य अभ्यर्थी जिन्होने एथिक्स में 100+ अंक प्राप्त किए, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं-

नाम	अंक
अनिल धमेलिया	109
संतोष कुमार	109
मिहिर पटेल	108

दर्शनशास्त्र

एक बार फिर हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ विषय

लगातार 7वें वर्ष दर्शनशास्त्र में (गैर अंग्रेजी माध्यम) सर्वोच्च रैंक एवं सर्वोच्च अंक हमारे संस्थान से

मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अमित कुमार सिंह सर (Ignited Minds) को दूँगा। विद्यार्थी के तौर पर मेरी यात्रा दर्शनशास्त्र और एथिक्स में सर के प्रशिक्षण से प्रारम्भ हुई और इसका सुखद अन्त IAS बनने के साथ हुआ। आभार अमित सर!
मिहिर पटेल
रैंक 27
CSE-2014

MIHIR PATEL
RANK-27

सबसे युवा टॉपर
आयु- 24 वर्ष

311 अंक

HITESH KUMAR RANK-634
295 अंक

GHANSHYAM MEENA RANK-539
288 अंक

RAJENDER PENSIYA RANK-345
281 अंक

सफलता की कहानी जारी....
अब आपकी बारी.....

हमारे आगामी कक्षा कार्यक्रम

दर्शनशास्त्र

Crash Course — नवम्बर के प्रथम सप्ताह में

ETHICS

नया बैच प्रारम्भ — 5 OCT. 7 PM

Test Series उपलब्ध

निबन्ध

हमारे 37 विद्यार्थियों की निबन्ध की कक्षा में 17 को 135 अंक आये

निबन्ध की पढ़ाई 20 दिन अंक 120-140

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बैच प्रारम्भ

A-2, 1st Floor, Comm. Comp., Near Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph. 8744082373, 9643760414

H-1, First Floor, Madho Kunj, Katra, Allahabad
Ph. 9389376518, 9793022444

Ph.: 011-27654704, 0532-2642251

Website: www.ignitedmindsias.com

YH-173/2015

कौशलः भारत की प्रगति का अनिवार्य घटक

एस एस मंथा

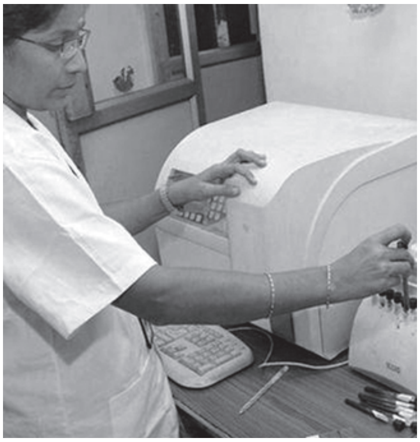

जनसंख्यात्मक लाभांश का फायदा उठाने का इंतजार न कीजिए, इसकी बजाए एक मार्ग अथवा माध्यम तैयार कीजिए, जो तेज, सुरक्षित और आधुनिक हो। सबसे बढ़कर वर्तमान प्रणालियों को मतबूती प्रदान करने की बात याद रखिए तथा नई प्रणालियों की रचना के लिए स्वदेशी स्तर पर कुछ नया कीजिए। कौशल और कुशलता निश्चित तौर पर ऐसी पहल है, जो किसी महान राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है

भारत का असंगठित क्षेत्र कुल अर्थव्यवस्था का 90 प्रतिशत है, हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसका दायरा और ज्यादा विस्तृत मानते हैं, लेकिन यह अर्थव्यवस्था के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। यह वरदान इसलिए है, क्योंकि यह उस आबादी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है, जहां सम्पन्न और वंचित वर्गों के बीच की खाई बहुत चौड़ी है और इसलिए यह लगातार नूतन दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने में लगा रहता है और यह अभिशाप इसलिए है, क्योंकि यह औपचारिक अर्थव्यवस्था की उस जगह पर प्रहार करता है, जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है।

एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां प्रत्येक स्तर पर इतनी नौकरियां हैं कि जनसाधारण की जरूरतें कुछ हद तक पूरी की जा सकें। अव्यवहारिक बात यह है कि हम बड़ी समझदारी से ऐसे विशेषज्ञों की तरह-तरह की रिपोर्टों का हवाला देते हुए 80 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन को गैर-नियोजनीय बताते आए हैं, जो अपने काम में जल्दबाज़ी करते हैं और जो वस्तुतः अत्याधुनिक विचारों वाले इस समूह का मन बहलाने का बेहतरीन तरीका है।

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों के लिए शिक्षाविदों और शिक्षा प्रशासकों की जरूरत होगी, जो इस बात पर गंभीरता से पुनर्विचार करें कि व्यवस्था में व्याप्त विविध असंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की एक अनिवार्य आवश्यकता है। क्या स्कूल और उच्च शिक्षा को धन-संपत्ति तक सीमित वर्तमान मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, जहां आगे के रास्ते संकरे और निश्चित हैं अथवा नए क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए जो इस महान लोकतंत्र के नागरिकों को अपेक्षाओं और अवसरों से भरपूर अनजान गलियारे का अत्याधिक बाहुल्य उपलब्ध करा सकते हैं?

अर्थ विज्ञान को अलग रखिए, यह समय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पर पुनर्विचार करने और इसे रोजगार और नियोजनीयता के साथ जोड़ने का है। हालांकि इन्हें दुर्भावना अथवा सुविधा दोनों के ही रूप में, जैसा हम देखना चाहें, निरूपित कर सकते हैं, हमें इनसे संतुलन और धीरज के साथ निपटने की जरूरत है, क्योंकि जनसांख्यिकी इस ओर इंगित कर रही है कि अगले करीब दस वर्षों तक 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी का झुकाव युवा पीढ़ी की तरफ रहेगा, जो अपनी दृढ़ता और इच्छा से राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है।

शिक्षा का अभाव और कौशल का अभाव एक महामारी की तरह है, जिसे हमें अपनी वर्तमान व्यवस्था से मिटाना होगा और हम यह जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ही सभी संबद्ध लोगों के लिए अच्छा होगा। शिक्षा निश्चित रूप से स्वतंत्रता से जीने के द्वार खोलती है, लेकिन कौशल सफलता प्रदान कर इस स्वतंत्रता को सार्थक बनाते हैं।

हमें भिन्न स्तरों पर विविध क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं का आकलन करने और तीनों रोजगार बाज़ारों में नौकरी की संभावनाओं की बेहतरी के लिए सतर्कता से प्रयास करने की जरूरत है। इससे अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी की वृद्धि दर में सुधार होगा और इसका रोजगार के अवसरों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मैं शिक्षा के साथ-साथ कौशल और प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए गुणवत्ता और

लेखक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें उच्च तकनीकी शिक्षा पर केंद्रित इस परिषद् में प्रशासनिक पारदर्शिता व उत्तरदायित्व लाने वाले परिवर्तनों तथा प्रथम ई-गवर्नेंस परियोजना के क्रियान्वयन जैसे क्रांतिकारी कदमों के लिए जाना जाता है। ईमेलः ssmantha@vjti.org.in

उत्पादकता की मांग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कुशल और उपयोगी कार्यबल तैयार कर भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' के रूप में देखना चाहता हूं। इसमें 'मेक इन इंडिया' परिप्रेक्ष्य को प्रेरित करने की योग्यता है, जो उद्यमिता को प्रोत्साहन देगी और नए छोटे उद्यमों और नए रोजगार बाज़ारों को सहायता प्रदान करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पर केंद्रित नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारत का डिजिटल परिवर्तन जबरदस्त प्रगति के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा।

व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वीईटी) राष्ट्र की शिक्षा संबंधी पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है, जहां प्रशिक्षण को लचीला, समसामयिक, प्रासंगिक, समावेशी और रचनात्मक बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटकों को नए सिरे से परिभाषित करने की तत्काल जरूरत है।

कौशल विकास योजना में 'मेक इन इंडिया' परिप्रेक्ष्य को प्रेरित करने की योग्यता है, जो उद्यमिता को प्रोत्साहन देगी और नए छोटे उद्यमों और नए रोजगार बाज़ारों को सहायता प्रदान करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पर केंद्रित नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारत का डिजिटल परिवर्तन जबरदस्त प्रगति के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा।

एनएसएसओ द्वारा वर्ष 2011-12 में कराए गए अंतिम सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की आबादी 1.267 अरब से अधिक है और कामगारों की संख्या 4741 लाख है, जिनमें से 3369 लाख ग्रामीण कामगार हैं और 137.2 मिलियन शहरी कामगार हैं। वर्ष 2010 में बेरोजगारी से संबंधित रजिस्टर में चार करोड़ 17 लाख लोग पंजीकृत थे। बेरोजगारी की 8.8 प्रतिशत दर और प्रतिवर्ष लगभग 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती आबादी में सभी को सार्थक रोजगार मुहैया कराना सचमुच एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जनसांख्यिकीय संदर्भ में करीब 35 प्रतिशत भारतीयों की आयु 15 साल से कम है और करीब 50 प्रतिशत आबादी 25 साल से कम उम्र की है। भारत की मध्यम आयु 24 वर्ष है, जो उसे दुनिया की सबसे कम उम्र वाली जनसंख्याओं में से एक बनाती है।

स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों की दर भी बेरोजगारी के आंकड़ों में वृद्धि करते हुए, पहले से ही बोझ तले दबी व्यवस्था पर और दबाव बनाती है। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसईआर) 2013 के अनुसार, विभिन्न शहरी और ग्रामीण स्कूलों में पहली से बारहवीं कक्षा तक 229 मिलियन छात्र थे। अनुमानों के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 430 मिलियन है। स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने का कारण शिक्षा का खर्च उठाने में अक्षमता और दिलचस्पी का अभाव है। ये बच्चे अपने माता-पिता के काम में उनकी मदद करके अपने परिवारों की सहायता करते हैं।

वर्ष 2010 तक माध्यमिक स्तर पर स्कूल में दाखिला लेने का परिमाण (प्रतिशत सकल) 63.21 और वर्ष 2014 में तृतीय शैक्षिक स्तर तक 20.0 था। इसके अलावा वर्ष 2013-2014 में जबकि 164.75 लाख छात्रों ने दसवीं की बोर्ड की परीक्षा दी, 128.33 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए और 36.42 लाख छात्र (34 प्रतिशत) फेल हो गए और संभवत: हर वर्ष स्कूल छोड़ते रहे और वर्ष 2013-2014 में, जबकि 119.234 लाख छात्रों ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दी, 95 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए और 24.23 लाख छात्र (22 प्रतिशत) छात्र फेल हो गए और संभवत: हर साल स्कूल छोड़ते रहे।

सारांश यह है कि 60 प्रतिशत भारतीय कार्य बल स्व-रोजगार करता है, जिनमें से अधिकांश बेहद गरीब रहते हैं। करीब 30 प्रतिशत आकस्मिक कामगार हैं। करीब 10 प्रतिशत ही नियमित कर्मचारी हैं, जिनमें से पांच में दो ही सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करते हैं। श्रम बल का 90 प्रतिशत से अधिक 'असंगठित क्षेत्र' में अर्थात ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत है, जो सामाजिक सुरक्षा और ''संगठित क्षेत्र'' में उपलब्ध रोजगार के अन्य लाभ नहीं प्रदान करते।

भारत प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता के निम्नतम स्तरों वाला देश है। जापान में प्रति व्यक्ति आय 30,000 डॉलर है, श्रीलंका में 879 डॉलर है, जबकि भारत में यह मात्र 433 डॉलर है। वर्तमान में भारत की प्रतिव्यक्ति आय विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय का 7.5 प्रतिशत है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसे 50 वर्ष में बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

कौशल का अभाव एवं प्रभाव

एस्पायरिंग माइंड्स द्वारा देश भर के स्नातक छात्रों पर कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में हर साल 50 लाख स्नातक तैयार होते हैं। हालांकि हम उन्हें रोजगार प्राप्त करने लायक कौशल प्रदान करने में नाकाम रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप सफेदपोश नौकरियों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इस मांग-आपूर्ति की स्थिति की परिणति नौकरियों की कमी में हुई। नौकरियां संभावित कार्यबल की रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है और जिससे असंतोष पनप रहा है। इससे पहले कि ये मसले बड़े पैमाने पर असंतोष का रूप ग्रहण करें, उन्हें तेजी से और कारगर ढंग से हल करने की जरूरत है।

मार्ग की अड़चनें

उत्पादकता में सहायक गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक कौशलों का अभाव, भारतीय अभिभावकों की मानसिकता और छात्रों का रोजगार पाने लायक कौशल प्राप्त किए बिना सिर्फ डिग्री प्राप्त करना, ये सभी गंभीर अड़चनें हैं। सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता और निरंतर वृद्धि बरकरार रखने में प्राथमिक एवं माध्यमिक रोजगार क्षेत्रों की अयोग्यता ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

जो वर्तमान में कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बेहतर रोजगार पाने के लिए कौशलों की आवश्यकता है। ये बहुत कम संख्या में, करीब 100 में से 20 हैं, बनिस्पत कि कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों की तुलना में, हालांकि नौकरी पाने के लिए कौशल की जरूरत उन्हें भी है। कार्यस्थल के कौशलों को उन्नत बनाने से वे अवसर उपलब्ध होते हैं, जिनकी बेहद जरूरत है।

अवसर

जो वर्तमान में कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बेहतर रोजगार पाने के लिए कौशलों की आवश्यकता है। ये बहुत कम संख्या में, करीब 100 में से 20 हैं, बनिस्पत कि कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों की तुलना में, हालांकि नौकरी पाने के लिए कौशल की जरूरत उन्हें भी है। कार्यस्थल के कौशलों को उन्नत बनाने से वे अवसर उपलब्ध होते हैं, जिनकी बेहद जरूरत है। ज्यादातर विकासशील देशों में, उम्रदराज लोगों

की आबादी काफी अधिक है, ऐसे में हमारे पास एक बड़ा अवसर है। हाल में समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में यह संख्या जापान में 8 मिलियन, अमेरिका में 17 मिलियन होगी और पूरी यूरोपीय जनसंख्या के आधार का करीब 4 प्रतिशत होगी। क्या भारत इसका लाभ उठाना नहीं चाहेगा? हम इस अवसर को चीन, श्रीलंका आदि जैसे देशों में जाता देख सकते हैं।

क्या करने की आवश्यकता है?

स्कूलों और कॉलेजों, दोनों में कौशलों को मुख्यधारा में लाना एक रास्ता है। औपचारिक से व्यवसायिक शिक्षा प्रणालियों तक मल्टी प्वाइंट पहुंच एवं प्रस्थान तथा सिर्फ कौशल प्रमाणन, व्यवहारिक कौशल प्राप्त करने के विकल्प वाले रोजगार बाज़ार और पूर्व शिक्षण को मान्यता प्रदान करने से कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे।

निश्चित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय (एनएसयू) की स्थापना करना, जो केंद्र सरकार की कौशल संबंधी समस्त पहलों को राज्य की आवश्यकता वाले कौशलों के साथ एकीकृत करता है। निवेश का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए यह निश्चित रूप से समान मानकों पर कार्य करेगा।

बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार के नए अवसरों और बाज़ारों का सृजन तथा 'मेक इन इंडिया' परिप्रेक्ष्य को साकार करना एक बड़ा लक्ष्य है।

आगे का रास्ता

निश्चित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय (एनएसयू) की स्थापना करना, जो केंद्र सरकार की कौशल संबंधी समस्त पहलों को राज्य की आवश्यकता वाले कौशलों के साथ एकीकृत करता है। निवेश का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए यह निश्चित रूप से समान मानकों पर कार्य करेगा।

उत्पादन के लिए *मेक इन इंडिया* केंद्र बनाना ऐसी ही एक अन्य पहल है, जो रक्षा, रेलवे, अवसंरचना और कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में नए उत्पादों को प्रबल रूप से प्रचारित करती है। यह पहल काफी संख्या में नौकरियों के सृजन और नई कौशल संबंधी जरूरतों के लिए सहायक सिद्ध होगी।

कौशल के लिए मानक और नीतियां

कौशल की सफलता-आर्थिक वृद्धि के सामान्य स्तर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा, उच्च मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात की व्यवस्था के स्तर, कौशलों में असंगतियों के स्तर और उत्पादकता की वृद्धि की दरों पर निर्भर करती है। कौशलों की असंगतियों का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। मानक निर्धारित करना अनिवार्य होगा।

एनएसक्यूएफ के अनुसार, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए एनएसयू नीतिगत निर्देश और मानक निर्धारित करेगा, देश में छात्र का नाम दर्ज कराएगा, कौशल और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, प्रमाणन के विविध स्तरों पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्रियां प्रदान करेगा, उप केंद्र बनाएगा, किसी भी मौजूदा कॉलेज/आईआईटी/बहुकला संस्थान को कौशल कार्यक्रमों का संचालन करने, सभी भाषाओं में कौशल की विषय वस्तु और अध्यापन कला तथा डिलिवरी के मॉडल्स तैयार करेगा, अन्य संबद्ध निकायों के साथ संपर्क करेगा, उद्यमिता प्रकोष्ठ बनाएगा, सीएसआर पहलों के लिए अवसरों का सृजन करेगा, कौशल संबंधी खामियों का अनुमान लगाएगा, कौशल संबंधी अनुसंधान कराएगा, स्थानीय और विदेशी सहयोग बनाएगा, सुदृढ़ एलएमआईएस तैयार करेगा, कौशल प्रशिक्षक और प्रशिक्षु प्रत्यायन प्रक्रियाएं तैयार करेगा, नई नौकरियों के सृजन के लिए एमएसएमई क्षेत्र के साथ एकीकरण करेगा, *मेक इन इंडिया* अभियान को कार्यान्वित करेगा, अगले 10 वर्षों के लिए कौशल की योजना तैयार करेगा, कम्युनिटी कॉलेज नेटवर्क्स की स्थापना करेगा, कार्य एकीकृत प्रशिक्षण मॉडल्स को प्रोत्साहन देगा, कौशल एकीकृत छात्रवृत्तियों की स्थापना करेगा और इन सभी को पेमेंट गेटवे सहित संपूर्ण ई-गवर्नेंस प्रारूप से जोड़ेगा, ये सभी विश्वसनीय व्यवस्था बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बड़ी तादाद में मोटर वाहन, आईटी, संचार, अर्द्ध चिकित्सा, विनिर्माण, निर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य की देखरेख, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों को विकसित करने की जरूरत है। ये अल्पावधि वाले, केंद्रित, मॉड्यूलर, ऋण आधारित, विविध भाषाओं वाले और लचीले हो सकते हैं।

मेक इन इंडिया और कौशल

हमारे प्रमुख संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास के लिए काफी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि वे ज्ञान में क्रमिक वृद्धि करने में सहायता करते हैं, लेकिन क्या वे नौकरियों के सृजन में भी सहायक होते हैं और क्या इस परिप्रेक्ष्य पर दोबारा चर्चा किए जाने की जरूरत है?

प्रत्येक वर्ष हजारों पीएचडी डिग्रीधारकों की आवश्यकता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान के साथ, ताकि वे उद्योग जगत को कार्य करने में सहायता दे सकें। सीएसआईआर/डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के लिए स्पष्ट आदेश के साथ, आईआईटी को नवाचार करना ही होगा, जिससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। उपरोक्त में से प्रत्येक संस्थान में अनेक आईपीआर-पेटेंट- उद्यमिता प्रकोष्ठों को विकसित किए जाने की जरूरत है। इनसे अनुसंधान की क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ यह राष्ट्रीय एजेंडा से भी संपर्क कायम होता है। तेल के उत्खनन, खनन, कृषि, बिजली, जल संसाधन और अवसंरचना जैसे आला प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें सबसे ज्यादा धनराशि मिलनी चाहिए।

प्राथमिकता का अगला स्तर ऊर्जा, जैव विज्ञानों, जैव अभियांत्रिकी और अनुवांशिकी में नवाचार के माध्यम से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। प्रत्येक प्रगणित क्षेत्र में नवाचारों को प्रक्रिया की अनेक अंतिम गतिविधियों को प्रेरित करना चाहिए। 100 मॉडल सिटीज तैयार करना ढांचागत क्षेत्र की वृद्धि में नई जान डालने और नई नौकरियों का सृजन करने दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक है।

प्राथमिकता का अगला स्तर ऊर्जा, जैव विज्ञानों, जैव अभियांत्रिकी और अनुवांशिकी में नवाचार के माध्यम से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। प्रत्येक प्रगणित क्षेत्र में नवाचारों को प्रक्रिया की अनेक अंतिम गतिविधियों को प्रेरित करना चाहिए। नई सरकार के अंतर्गत 100 मॉडल सिटीज तैयार करना ढांचागत क्षेत्र की वृद्धि में नई जान डालने और नई नौकरियों का सृजन करने दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे बदले में, कौशल बाज़ार में भी नई जान डाली जा सकेगी।

व्यवस्था का रक्षा से संबद्ध उपकरण के विनिर्माण/ कॉम्बेट रिकवरी व्हीकल (सीआरवी) जैसे उपकरण का स्वदेशीकरण और आयात का विकल्प, मानवरहित यान (यूएवी), स्नो मोबाइल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, स्वचालित हथियार प्रणालियों आदि तक ईएमई स्कूलों, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, प्रमुख संस्थानों और चुनिंदा उद्योगों के जरिए संपर्क बनाना आगे बढ़ने का रास्ता है।

एनएसयू हमारी आवश्यकता के अनुसार विकल्प/स्वदेशीकरण तैयार करने के लिए सब-सिस्टम्स को मिलाकर उन्हें जोड़ेगा। एनएसयू प्रौद्योगिकी की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए अध्ययन शुरू कर सकता है, नवाचार और स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन दे सकता है, सीएसयू, एमआईटी और स्टैंफोर्ड, इम्पिरियल कॉलेज, हम्बोल्ड्ट यूनिवर्सिटी, हेल्महोल्डट्ज एसोसिएशन आदि जैसे विश्व के बेहतरीन संस्थानों के साथ उद्देश्यपूर्ण सहयोग से संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान करवा सकता है।

सीआरवी जैसी प्रणाली को मकैनिकल, इलैक्ट्रिकल, कंट्रोल और अन्य सब-सिस्टम्स में पृथक किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में स्थित एनएसयू के उप केंद्र और चुनिंदा उद्योग हमारे विनिर्देशों के अनुरूप सब-सिस्टम्स बना सकते हैं। एनएसयू हमारी आवश्यकता के अनुसार विकल्प/स्वदेशीकरण तैयार करने के लिए सब-सिस्टम्स को मिलाकर उन्हें जोड़ेगा। एनएसयू प्रौद्योगिकी की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए अध्ययन शुरू कर सकता है, नवाचार और स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन दे सकता है, सीएसयू, एमआईटी और स्टैंफोर्ड, इम्पिरियल कॉलेज, हम्बोल्ड्ट यूनिवर्सिटी, हेल्महोल्डट्ज एसोसिएशन आदि जैसे विश्व के बेहतरीन संस्थानों के साथ उद्देश्यपूर्ण सहयोग से संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान करवा सकता है।

भारत के चुनिंदा शहरों में एनएसयू के आसपास फोन्होफर-गिसेलसॉट जैसे अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत होगी। यह आत्मनिर्भरता के लिए लक्षित केंद्रित अनुसंधान को बहुत प्रोत्साहन देगा, उत्पाद बनाने और प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगा और परिणामस्वरूप तीनों-प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय, तीनों प्रकार के रोजगार बाज़ारों में नौकरियों के अवसरों का सृजन होगा।

पूरी प्रक्रिया में नई नौकरियों के सृजन और कौशल संबंधी नई पहलों की अपार संभावनाएं हैं। इससे सिर्फ विदेशी मुद्रा की अत्याधिक बचत ही नहीं होगी, बल्कि स्थानीय क्षमताओं और आत्मनिर्भता पर नया भरोसा कायम होगा और उसके बाद हम गतिशील रह सकेंगे और विश्व की एकता और कल्याण के लिए संघर्ष कर सकेंगे तथा विश्व के समक्ष आत्मनिर्भर, पुनरूत्थित और सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में खड़े हो सकेंगे।

एक पक्षपात रहित समाज, जहां सामाजिक सुधार, निचले तबके के लोगों की आर्थिक वृद्धि और भारत के मूल निवासियों की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता हो, उससे सभी के लाभान्वित होने की संभावना है। यह सही मायनों में तभी संभव होगा, जब इस देश का प्रत्येक बच्चा शिक्षित होगा और आखिरकार सार्थक नौकरी प्राप्त कर सकेगा। राष्ट्रीय कौशल मिशन इसे सही मायनों में साकार करेगा।

हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे किशोर जिस प्रकार के वित्तीय स्थिति से आ रहे हैं, उन्हें रोजगार के लिए कौशल सीखना जारी रखने के लिए कुछ न्यूनतम वित्तीय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होगी और इसलिए हमें बढ़ते युवाओं के लिए निरंतर शिक्षा जारी रखने के वास्ते विश्वसनीय वित्तीय मॉडल्स की जरूरत होगी। अपने योजनाकारों के लिए मैं एक मॉडल सुझाना चाहता हूं। वीईटी कार्यक्रमों के संचालन के लिए यदि हम तकनीकी शिक्षा के हमारे मौजूदा 11500 से अधिक संस्थानों में से 5000 को भी एनएसक्यूएफ के उपवर्ग के रूप में कम्युनिटी कॉलेज प्रारूप में दायरे में ले आएं, तो भी सचमुच अपार अवसर उपलब्ध होंगे।

स्कूलों में नया प्रभाग जोड़ा गया है, जो इस बात की वकालत करता है कि व्यवसायिक शिक्षा जीईआर में बहुत बड़ा योगदान देगी और हमारे कॉलेजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में आगे बढ़ने का फीडर रूट होगी। मौलिक रूप का दायरा बढ़ाते हुए यदि 100 छात्रों को योग्यता पर आधारित कौशल प्रदान किए जाते हैं, 50 छात्रों के एक बैच को, एक हफ्ते में तीन बार, एक साल में 48 हफ्तों के लिए एक दिन में तीन घंटे तक, तो हर साल जीईआर में पांच अंकों की क्रमिक वृद्धि के साथ कम से कम पांच लाख छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। यदि इनमें से प्रत्येक छात्र को गरीब मानते हुए, कार्यक्रम की संचालन अवधि तक दिन के 50 रुपये सफर और भोजन के लिए दिए जाएं, तो इसके लिए सालाना 720 करोड़ रुपये के अनुदान की आवश्यकता होगी। इन छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को वार्षिक अनुदान के रूप में 150 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे परियोजना की कुल लागत सालाना 870 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इस योजना की रोजगार के अवसरों का सृजन करने की संभावनाओं पर गौर करें, तो यह रकम बहुत कम है, हालांकि इससे होने वाले राजनीतिक लाभ का अब तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

कौशल विकास से सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत ही नहीं होगी, बल्कि स्थानीय क्षमताओं और आत्मनिर्भरता पर नया भरोसा कायम होगा और उसके बाद हम गतिशील रह सकेंगे और विश्व की एकता और कल्याण के लिए संघर्ष कर सकेंगे तथा विश्व के समक्ष आत्मनिर्भर, पुनरूत्थित और सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में खड़े हो सकेंगे।

हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक ले जाने और प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभ की स्थिति तैयार करने के लिए अपने युवा वर्ग को बांटने वाली ताकतों से दूर रखते हुए उसे प्रेरित करने, साधने और शामिल करने, उन्हें एक दुर्जेय ताकत बनाने की जरूरत है और यह निस्संदेह कोई गूढ़ ब्रह्मज्ञान नहीं है।

जनसंख्यात्मक लाभांश का फायदा उठाने का इंतजार नहीं कीजिए, इसकी बजाए एक मार्ग अथवा माध्यम तैयार कीजिए, जो तेज, सुरक्षित और आधुनिक हो। सबसे बढ़कर वर्तमान प्रणालियों को मतबूती प्रदान करने की बात याद रखिए तथा नई प्रणालियों की रचना के लिए स्वदेशी स्तर पर कुछ नया कीजिए। कौशल और कुशलता निश्चित तौर पर ऐसी पहल है, जो किसी महान राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ❑

स्किल इंडिया फ्रेमवर्क: आधी आबादी के लिए पूरा मौका

पवन रेखा कुमारी

नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पर गौर करें तो हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि स्त्रियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की गई है। न केवल उनके लिए विशिष्ट अवसरों एवं पहुंच की सहजता का ख्याल रखा गया है बल्कि व्यवसायों के स्टीरियो टाइप से बाहर निकालकर उन्हें आधुनिक तथाकथित तौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाले देशों के अनुकूल कौशलों में भी प्रशिक्षित करने की सुव्यवस्थित योजना बनाई गई है। इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि निवास में परिवर्तन या कोर्स के मध्य अल्पविराम उनके आंतरिक विकास के राह में बाधक न बन सके

हुनरमंद हाथों की जरूरत देश और समाज को हमेशा रही है। देश और समाज के विकास में यह जरूरी तत्व है कि हर हाथ हुनरमंद हो और हर हाथ में कुछ न कुछ करने का कौशल हो। चूंकि समाज का वर्गीकरण पुरूष और महिला के बीच है लिहाजा दोनों की सहभागिता और समग्र विकास समान रूप से जरूरी है। खासकर महिलाओं की बात करें तो उनके हाथ में कोई-न-कोई हुनर होना जरूरी है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ आत्मनिर्भर भी बन सकें। हुनर की बात इसलिए क्योंकि आज अपने देश के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ना लिखना तो सिखा दिया जाता है, मगर उससे आगे रोजगार मिल पाते हैं कि नहीं, यह सुनिश्चित करना बेहद अहम है। रोजगार के प्रति बदल रहे सामाजिक दृष्टिकोण के इस दौर में कुछ ऐसा करने की जरूरत आ पड़ी है जिससे पढ़ने लिखने के साथ महिलाओं को कुछ ऐसा भी सिखाया जा सके जो उन्हें किसी नौकरी या खुद के ही किसी काम के लिए एकदम तैयार कर दे।

आंकड़ों पर गौर करें तो नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएसओ) के मुताबिक देश में सिर्फ 3.5 फीसदी युवा ही हुनरमंद हैं जबकि देश को 12 करोड़ स्किल्ड लेबर की जरूरत है। हुनर और स्किल के मामले में भारत दूसरे देशों से काफी पीछे है। एक नजर डालें तो चीन में 45 फीसदी, अमेरिका में 56 फीसदी, जर्मनी में 74 फीसदी, जापान में 80 फीसदी और दक्षिण कोरिया में 16 फीसदी लोग स्किल ट्रेंड हैं। आंकड़ों से जाहिर है कि इस मामले में हम इन देशों से बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए हैं। इसलिए इस पर खास ध्यान देते हुए मौजूदा सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट 'स्किल इंडिया' का मकसद 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को हुनरमंद बनाने का है।

कौशल विकास व नारी जगत

लक्ष्यों पर अगर गौर करें तो कुल 40 करोड़ के लक्ष्य में महिलाओं की भागीदारी का सवाल भी अहम है। जनसंख्या के अनुपात में आधी आबादी का स्किल्ड होना भी इस लक्ष्य की सफलता के लिए खास मायने रखता है। इसमें से 10.4 करोड़ युवाओं को स्किल प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जाएगा जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों की सहभागिता होना बेहतर होगा जबकि इतने ही समय में 29.8 करोड़ मौजूदा कार्यबल को अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण भी इसके तहत देने की योजना है।

स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है जिससे महिलाएं अपनी क्षमता को साकार कर सकें और शिक्षा, रोजगार, समान पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

लेखिका समाचार चैनल एबीपी न्यूज के साथ बतौर वेब पत्रकार कार्यरत हैं। पूर्व में जनसत्ता, द संडे इंडियन आदि में कार्य-अनुभव। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रुजएट। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं ब्लॉग के लिए लेखन। ईमेल: rekhatripathi.221@gmail.com

सरकार ने कई विभागों और संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा है। यह विभाग महिलाओं में कौशल विकास के प्रशिक्षण के साथ उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बैंकिंग कोर्स, सिलाई-कढाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण, नर्सिंग, ब्यूटीपार्लर, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत रूचि के अनुसार काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार इन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी तेजी से कर रही है ताकि लोग अपनी बहू-बेटियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होते देख सकें। अब यही सही समय है कि लोग सरकार के साथ कदम-से-कदम मिलाएं और इन योजनाओं का लाभ उठाएं।

वर्तमान भागीदार

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2011 में कुल काम करने वाली महिलाओं की भागीदारी दर 25.5 फीसदी थी, जिसमें ग्रामीण भारत में काम करने वाली महिलाओं की भागीदारी दर 30 फीसदी और शहरी भारत में 15.4 फीसदी थी। इसके उलट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले पुरूषों की भागीदारी दर क्रमश: 53 फीसदी और 53.8 फीसदी थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत कम है। इस अंतर को अगर पाटना है तो महिलाओं को हुनर सिखाना होगा, उन्हें बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी दिखानी होगी। मौजूदा सरकार की इन योजनाओं से यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में जरूर बल मिलेगा।

स्किल इंडिया फ्रेमवर्क: नयी उम्मीद

व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। सरकार की स्किल इंडिया योजना में लड़कियां और महिलाएं ज्यादा हिस्सेदारी ले सकें इसलिए उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लड़कियों की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से दोपहर के बैच में पढ़ाई कराने की योजना है। सरकार इस योजना का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर करेगी और महिलाओं के लिए इसमें सीटें आरक्षित भी रखेगी।

खास बात यह है कि महिलाओं के गैर-परंपरागत क्षेत्रों में प्रशिक्षण को सरकार बढ़ावा देगी। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार प्रशिक्षण के लिए महिला प्रशिक्षकों को नियुक्त करेगी, सरकार उन प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में प्रचार प्रसार करेगी जिसमें प्रशिक्षु और प्रशिक्षक दोनों ही महिलाएं हों।

कौशल प्रशिक्षण की इस प्रक्रिया में महिलाओं से संबंधित हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जरूरी दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें महिलाओं की सुरक्षा, महिला प्रशिक्षकों के लिए रोजगार और उचित पारिश्रमिक और शिकायतों के लिए निवारण तंत्र शामिल हैं।

ऐसे मिलेगा रोजगार

तकनीकी प्रशिक्षण लेने के बाद सवाल यह है कि रोजगार कैसे मिलेगा? तो रोजगार देने के लिए भी सरकार इंटरनेट या मोबाइल आधारित प्लेटफार्म पर हुनरमंद महिलाओं और नियोक्ताओं को एक साथ जोड़कर इसका प्रचार प्रसार करेगी। इस प्लेटफार्म से नौकरी मिलने के बाद महिलाओं को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर कभी किसी वजह से काम से ब्रेक लेना पड़ा तो क्या होगा। इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह रहेगी कि यहां महिलाएं माइग्रेशन के बाद या फिर काम से ब्रेक लेने के बाद फिर से नौकरी शुरू कर सकती हैं।

स्किल इंडिया योजना में लड़कियां और महिलाएं ज्यादा हिस्सेदारी ले सकें इसलिए उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लड़कियों की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से दोपहर के बैच में पढ़ाई कराने की योजना है। सरकार इस योजना का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर करेगी और महिलाओं के लिए इसमें सीटें आरक्षित भी रखेगी।

महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाएगी सरकार

2001 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या की 48 फीसदी महिलाएं हैं। महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और देश के विकास को बढ़ाने में एक सामरिक भूमिका निभा रहा है। ऐसी उद्यमियों को बढ़ावा देकर सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने का भी काम करेगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन केंद्रों और क्रेडिट संस्थाओं की सुविधा आसानी से मिल सके।

प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए पोर्टल

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे प्रशिक्षक हों जिन्हें कई क्षेत्रों में निपुणता हासिल हो। सरकार इसके लिए एक नेशनल पोर्टल भी लांच करने वाली है जिसमें सभी इच्छुक लोगों का डेटाबेस होगा। रिटायर होने वाले कर्मचारी और सरकारी डोमेन जो कि अपने अनुभव का उपयोग करना चाहते हैं वे यहां रजिस्टर कर सकते हैं। यहां पर सभी को रजिस्टर करने की आजादी होगी। प्रशिक्षण प्रदाता इस पोर्टल का उपयोग कर पाएंगे।

ऑनलाइन भी होगी पढ़ाई

विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करके बिजनेस एजुकेशन के लिए एक वैश्विक रूपरेखा तैयार की जाएगी जो फ्री में हर किसी के लिए उपलब्ध होगा। ये सभी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होंगे जिसे विद्यार्थी या फिर बिजनेस करने वाले को जब जरूरत पड़े अपनी जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन कर सकते हैं। इन सभी कार्सेज को देश के 3000 कॉलेजों से जोड़ा जाएगा। ये कॉलेज अलग से सुविधाएं भी देंगे। इसके अलावा ये कोर्स देश के भीतर 325 संस्थानों में भी कराए जाएंगे। सभी राज्यों में इसके लिए 50 नोडल हब स्थापित किए जाएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30 राज्य, 50 नोडल और 3000 कॉलेज को जोड़कर एक ई-हब तैयार किया जाएगा। ये ई-हब पूरे देश को एक साथ कवर करेंगे।

विशेष संभावनाओं वाले क्षेत्र

स्किल इंडिया के तहत जिन क्षेत्रों में महिलाओं की दक्षता को संवारने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो हैं हस्तशिल्प यानि हाथ से बनी हुई चीजें। हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई, रेशम उद्योग तक के क्षेत्रों के वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा महिलाएं ही हैं। इन महिलाओं का हुनर देश के बड़े बड़े बाज़ारों में देखने को मिलता है लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें उनका उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। हाथ से बुनाई, कढ़ाई और सिलाई की चीजें

ये महिलाएं बहुत ही कम दाम में बेच देती हैं लेकिन यही चीजें देश के बड़े बाज़ारों में लोग महंगे दामों में खरीदते हैं। हस्तशिल्प के घरेलू मार्केट पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। भारत पुराने समय से ही हस्तशिल्प के लिए खास देश रहा है। इसकी मांग घरेलू बाज़ारों में खूब बढ़ रही है और यहां के बने हैंडीक्राफ्ट्स की मांग विदेशों में भी खूब रही है।

घरेलू उद्योगों का दायरा गांवों व शहरों दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। महिलाओं को उनके इस हुनर के साथ अगर तकनीकी सुविधा और जानकारी मिले तो यह बाज़ार बहुत आगे जा सकता हैं। इसके दो सीधे प्रभाव दिखेंगे। इसका पहला और सीधा प्रभाव तो यही होगा कि भारत की पुरानी सभ्यता बरकरार रहेगी और दूसरा यह कि इससे महिलाएं गांवों में अपने घर में रहकर ही अच्छी कमाई कर सकती हैं और अपनी जीविका चला सकती हैं। इस तरह परिवार के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य होगी।

हस्तशिल्प उद्योग में महिलाओं की दक्षता बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यही सही वक्त है जब हस्तशिल्प उत्पादों के लिए घरेलू बाज़ार के दरवाजे खोले जाएं और इसमें महिलाओं की भूमिका को टेक्नोलॉजी की सहायता से और भी निखारा जाए। हस्तशिल्प के लिए गांवों में असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। आजकल लोग पारंपरिक और हाथ से बने उत्पादों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के सुंदर डिजाइंस ने खरीदारों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसलिए इन उत्पादों को प्रचार-प्रसार की बहुत आवश्यकता है। स्किल इंडिया के तहत अगर इन महिलाओं को दक्ष किया जाता है तो परिणाम निश्चित ही बेहतर और चौंकाने वाले होंगे।

हस्तशिल्प के साथ-साथ टेक्सटाइल (कपड़ा) उद्योग में भी महिलाओं की भूमिका बढ़-चढ़कर है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि कपड़ा क्षेत्र में समग्र रूप से विकासशील देशों में एक तिहाई से अधिक और एशियाई देशों में पचास फीसदी तक महिलाएं हैं। भारत में इस क्षेत्र के श्रम-बल की करीब 50.4 फीसदी महिलाएं हैं।

यहां आपको बता दें कि देश में 23 लाख बुनकरों में से 80 फीसदी महिलाएं हैं।

> **टेक्सटाइल (कपड़ा) उद्योग में भी महिलाओं की भूमिका बढ़-चढ़कर है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि कपड़ा क्षेत्र में समग्र रूप से विकासशील देशों में एक तिहाई से अधिक और एशियाई देशों में पचास फीसदी तक महिलाएं हैं। भारत में इस क्षेत्र के श्रम-बल की करीब 50.4 फीसदी महिलाएं हैं।**

उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बुनकर का काम महिलाओं का ही कार्यक्षेत्र है। यहां रेशम से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी 54 फीसदी तक है। इस क्षेत्र में सरकार का स्किल डेवलपमेंट अगर कारगर होता है और महिलाओं के तकनीकी ज्ञान को और बल मिलता है तो यह आंकड़ा बदलने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है।

महिला उद्यमिता का वर्तमान

अगर देखें तो पूरे देश में बिना किसी बड़ी पृष्ठभूमि वाली महिलाओं की अनगिनत कहानियां हैं जो कामयाब उद्यमी बन गईं और अपने हुनर के जरिए अपने परिवार एवं समाज में सम्मान की हकदार बनीं। इस क्रम में हम उदाहरण के रूप में लिज्जत पापड़ संस्था को देख सकते हैं। लिज्जत पापड़ आज से 32 वर्ष पहले मुंबई की रहने वाली सात अनपढ़ महिलाओं ने 80 रुपये से शुरू किया था और आज इस उद्योग का वार्षिक टर्न ओवर 650 करोड़ रुपये हैं। इससे 42 हजार महिलाओं को रोजगार मिला है। मुंबई के साथ पूरे भारत में इसकी 67 शाखाएं हैं। वर्ष 2003 में इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग संस्थान, अवार्ड भी मिल चुका है। अगर खुद के हुनर से महिलाएं इतनी आगे जा सकती हैं तो तकनीकी ज्ञान मिलने के बाद कई क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। महिलाओं के लिए स्किल इंडिया एक वरदान साबित होने वाला है।

वर्ल्ड बैंक के 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार 2110-11 में महिला उद्यमी 22.3 फीसदी थीं लेकिन 2010-11 के बीच इनकी संख्या 31.6 फीसदी तक हो गई। अगर महिलाओं तक स्किल इंडिया की पहुंच होती है तो यह आंकड़ा जल्द ही बदल जाएगा जो कि देश और महिलाओं दोनों की स्थिति बदलने में कारगर साबित होगा।

अपने इस ड्रीम मिशन को लांच करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस सदी की सबसे बड़ी जरूरत आईआईटी नहीं, बल्कि आईटीआई है। इस लिहाज से भी स्किल इंडिया मिशन देश के लिए एक बड़ा अभियान है। इसके तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण देगी। सरकार इस मिशन के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के काबिल बनाएगी जिसके लिए हर राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इस मिशन के लिए सरकार ने इस साल बजट में 5,040 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा यह सरकार के मेक इन इंडिया को भी सफल बनाने में सहयोग करेगी। ❑

योजना

आगामी अंक

नवंबर 2015

परिवहन क्षेत्र

बुनियादी तालीम और कौशल विकास

रमेश भारद्वाज

गांधीजी हमेशा स्वावलंबन पर जोर देते रहे। स्वावलंबन का यह रास्ता विभिन्न तरह के कौशलों से होकर गुजरता है। गांधीजी न केवल अपने अनुयायियों को इन कौशल में निपुण करने की कोशिश करते रहे और प्रेरणा देते रहे बल्कि सरकारी स्तर पर भी शिक्षा के मूल तत्वों में इनके समावेश के लिए बार-बार आवाज उठाते रहे। साथ ही, वह साहित्यिक ज्ञान के साथ-साथ औद्योगिक शिक्षा की लगातार वकालत करते रहे। वर्तमान कौशल विकास योजना गांधीजी के औद्योगिक शिक्षा को आत्मसात् करने की धारणा साकार करती मालूम पड़ती है। अगर गांधीजी की शिक्षा-दृष्टि कौशल विकास के इस ध्येय के साथ समन्वय बिठा सके तो शायद समतामूलक समाज का मार्ग शीघ्र प्रशस्त हो सके

गांधीजी ने 1937 में समग्र स्वराज की स्थापना के लिए सार्थक वैकल्पिक शिक्षा-पद्धति 'नई तालीम' का दर्शन दिया। जिसका आधार उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 40 वर्षों की प्रयोगधर्मिता थी। दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम (1904), टॉलस्टॉय आश्रम (1909), भारत वापसी पर शांति निकेतन में उनके आश्रम-परिवार का स्वावलंबन प्रयोग (1915), कोचरब (अहमदाबाद) आश्रम में शाला (1915), चंपारण (बिहार) में शिक्षा संबंधी प्रयोग (1917) और शिक्षा संबंधी दर्शन का महत्त्वपूर्ण आयाम था 1920 में उनके कुलपतित्व में स्थापित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 'गुजरात विद्यापीठ'। उसी दृष्टि से देश के अन्य भागों में भी काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, राष्ट्रीय तिलक विद्यालय, पुणे जैसे अनेक राष्ट्रीय शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था के केंद्र स्थापित हुए।

1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकारी शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार का आह्वान किया। उनके अनुसार "*वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि उस पर वास्तविकता की छाप नहीं है, बच्चों में देश की विभिन्न आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया नहीं होती। सच्ची शिक्षा आसपास की स्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और यदि वह वैसी नहीं है तो उससे स्वस्थ विकास नहीं होगा। इस प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, इसी उद्देश्य-पूर्ति के लिए शिक्षा में असहयोग दाखिल किया गया है।*" उसी का परिणाम था राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक कौशल से युक्त वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था 'बुनियादी तालीम' का प्रारंभ। जिसका प्रतिबिम्बन गुजरात विद्यापीठ के उद्देश्यों में इस प्रकार हुआ– 'विद्यापीठ में औद्योगिक शिक्षा को बौद्धिक शिक्षा के बराबर ही महत्त्व दिया जाएगा और जो-जो उद्योग राष्ट्र के लिए पोषक हैं उन्हीं को स्थान दिया जाएगा; भारतवर्ष का उत्कर्ष शहरों पर नहीं बल्कि गांवों पर है, इसलिए विद्यापीठ के ज्यादातर धन और शिक्षकों का उपयोग खासतौर पर गांवों में राष्ट्रपोषक शिक्षा का प्रचार करने में ही किया जाएगा; शिक्षा का क्रम निर्धारित करते समय ग्रामीणों की जरूरतों को प्रधानता दी जाएगी, इत्यादि।

गांधीजी की बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी (कला कौशल) के माध्यम से विद्यार्थियों का शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास करना था जिसमें देश की अधिकांश जनता की आवश्यकताओं और मांगों (विशेषत: ग्रामीणों) को दृष्टि में रखकर पाठ्यक्रमों का निर्धारण हो। उसमें दो मौलिक घटक तत्त्व थे– स्वावलंबनपूर्वक शिक्षा प्राप्ति और भविष्य में जीवनयापन के लिए आवश्यक किसी एक क्षेत्र में कौशल विकास। जिससे वह शिक्षा समाप्ति पर बेरोजगारों की पंक्ति में खड़ा न रह जाए।

देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति शारीरिक श्रम से दुराव पैदा करती है। उसके मूल में यह भाव पनपता है कि ज्ञान पश्चिम से ही आ सकता है। जिससे वह अपनी सांस्कृतिक परंपरा से कटकर मानसिक एवं बौद्धिक रूप से सशक्त नहीं हो पाता। गांधीजी के शब्दों में "*विद्यार्थियों को खुद कुछ ऐसा काम करते रहना चाहिए, जिससे आर्थिक प्राप्ति हो और इस तरह स्कूल तथा कॉलेज स्वावलंबी*

लेखक दिल्ली स्थित गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में भारतीय भाषा केंद्र के न्यासी व मानद निदेशक हैं। वह काका कालेलकर सर्वोदय न्यास तथा राजस्थान के बूंदी स्थित गांधी स्मृति न्यास में भी न्यासी हैं। संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष भी हैं। गांधी विचार से जुड़े विषयों पर देश-विदेश में लेखन व व्याख्यान। ईमेल: rameshbhardwaj85@yahoo.com

गांधीजी के शब्दों में "विद्यार्थियों को खुद कुछ ऐसा काम करते रहना चाहिए, जिससे आर्थिक प्राप्ति हो और इस तरह स्कूल तथा कॉलेज स्वावलंबी बनें। औद्योगिक तालीम को अनिवार्य बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। विद्यार्थियों को साहित्यिक तालीम के साथ-साथ औद्योगिक तालीम भी मिलनी चाहिए।

बनें। औद्योगिक तालीम को अनिवार्य बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। विद्यार्थियों को साहित्यिक तालीम के साथ-साथ औद्योगिक तालीम भी मिलनी चाहिए, इस आवश्यकता के सिवा और आजकल इस बात का महत्त्व अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है– हमारे देश में तो औद्योगिक तालीम की आवश्यकता शिक्षा को स्वावलंबी बनाने के लिए भी है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमारे विद्यार्थी श्रम का गौरव अनुभव करना सीखें और हाथ-उद्योग के अज्ञान को समाज में अप्रतिष्ठा का चिह्न समझने का रिवाज पड़े।"

इक्कीसवीं सदी के भारत की अधिकांश समस्याओं का मूल खोजते हुए यह स्पष्ट दृष्टि बनती है कि विगत दो सौ वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था के कारण ही हम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं नैतिक रूप से खोखले होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली सदियों में हमारे राष्ट्रीय चरित्रों ने इस दिशा में चिंतन प्रस्तुत न किया हो मगर गोरे अंग्रेजों द्वारा स्थापित तथा काले अंग्रेजों द्वारा परिपोषित इस शिक्षा व्यवस्था को कोई सार्थक चुनौती न दे सका। अपने दीर्घकाल के राष्ट्रीय अनुभवों से यद्यपि यह बार-बार प्रमाणित होता आया है कि यह हमारे देश की न केवल आर्थिक प्रगति की विरोधी है अपितु हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले 80 वर्षों में आजादी से पहले और बाद में भी गांधीजी की स्वावलंबन और उद्योग (कौशल विकास) आधारित बुनियादी शिक्षा प्रणाली की प्रयोगशालाओं ने राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट न किया हो।

1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के सचिव सार्जेन्ट ने अपनी रिपोर्ट में हाथ के काम (कौशल विकास) को शिक्षण-पद्धति के श्रेष्ठ सिद्धांत के रूप में स्वीकार तो किया मगर स्वावलंबन के सिद्धांत को असंभव माना। जबकि गांधीजी का मानना था देश की समग्र राष्ट्रीय शिक्षा प्रारंभिक स्तर से उच्च शिक्षा तक स्वावलंबन एवं औद्योगिक शिक्षण के इन दो मूल बिंदुओं पर आधारित हो। आजादी के बाद पुनर्गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने बुनियादी शिक्षा का पुरस्कार तो शुरू किया परंतु साथ ही दोहरी शिक्षा प्रणाली को मान्य किया। सरकार ने 1948 में डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। आयोग ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु उच्च ग्रामीण शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। आयोग के सदस्य अमरीकी शिक्षाशास्त्री डॉ. आर्थन मार्गन ने बुनियादी शिक्षा पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय की विस्तृत कार्ययोजना भी सरकार को प्रस्तुत की, जिसे आज तक लागू नहीं किया जा सका।

1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के सचिव सार्जेन्ट ने अपनी रिपोर्ट में हाथ के काम (कौशल विकास) को शिक्षण-पद्धति के श्रेष्ठ सिद्धांत के रूप में स्वीकार तो किया मगर स्वावलंबन के सिद्धांत को असंभव माना जबकि गांधीजी का मानना था देश की समग्र राष्ट्रीय शिक्षा प्रारंभिक स्तर से उच्च शिक्षा तक स्वावलंबन एवं औद्योगिक शिक्षण के इन दो मूल बिंदुओं पर आधारित हो।

इस दोहरी शिक्षा व्यवस्था के दुष्परिणामों से त्रस्त गांधी-विचारकों का 1953 में एक बुनियादी शिक्षा सम्मेलन टीटावर (असम) में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्षीय भाषण में गांधीजी के वरिष्ठ साथी एवं शिक्षाशास्त्री आचार्य काका कालेलकर ने सरकार को चेतावनी देते हुए, एक प्रकार से शासकों को चुनौती-सी देते हुए कहा था- "ब्रिटिशों के द्वारा आरंभ की गई शिक्षा-पद्धति भारत में अब आत्मनाश की ओर बढ़ रही है और यदि उसका स्थान कोई दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति नहीं लेती तो भारत का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए सरकारों को समझना चाहिए कि छोटे-मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। हमें कैरियरिस्टों को, पदलोलुपों और खुदगरजियों को स्थानच्युत करके करोड़ों गरीब और पिछड़ी हुई जनता के सेवकों के हाथ में ही सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षा-कार्य सौंपना होगा, तभी कुछ होगा। इन्हीं पदलोलुपों के हाथ में आज का शासन तंत्र, बड़े व्यवसाय तथा शिक्षा संचालन का काम है और इस तरह वे भारत के पुनरुज्जीवन के लिए अत्यावश्यक राष्ट्रीय क्रांति के मार्ग में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता के मानस को देखते हुए बुनियादी शिक्षा की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकार यह घोषणा करे कि सरकारी नौकरियों के लिए बुनियादी शिक्षा पाए हुए लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।"

1952-53 में माध्यमिक शिक्षा (मुदालियर) आयोग ने बुनियादी शिक्षा को सिद्धांतत: स्वीकार किया और मल्टीपर्पज हाईस्कूल की सिफारिश की। देश में उद्योग केंद्रित बहुउद्देशीय हाईस्कूल तो खुले मगर सरकारी उदासीनता के कारण शीघ्र बंद भी हो गए।

सर्वस्तरीय शिक्षा पर विचार करने के लिए गठित कोठारी आयोग ने 1966 में प्रकाशित सिफारिश में उत्तम और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के लिए चार तत्त्व आवश्यक माने—लिटरेसी (भाषा, मानवशास्त्रों और समाजविज्ञान का अध्ययन), न्यूरेसी (गणित एवं प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन), कार्य अनुभव और समाजसेवा। गांधी सम्मत हस्त-कौशल विकासमुखी बुनियादी शिक्षा को रूसी शब्दावली के वर्क एक्सपीरियन्स से प्रकट किया गया, जो कि भारतीय आवश्यकताओं को प्रकट करने में अपूर्ण धारणा थी।

उसके बाद 1977 में मोरारजी सरकार और उसके बाद 1978 में 'एजुकेशन फॉर आवर पीपुल्स' नामक लेखपत्र ने राष्ट्र का ध्यान बुनियादी शिक्षा की मूल भावना की ओर पुन: आकृष्ट किया। 1999 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति गठित की। उन्होंने 'कार्य अनुभव'

वर्तमान सरकार का कौशल विकास का मिशन गांधीजी की बुनियादी शिक्षा का पोषक विचार है। जिससे स्कूल-कॉलेज से निकला शिक्षित व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार किसी कौशल विशेष में प्रवीण बन, न केवल स्वावलंबी बनेगा बल्कि समाज-राष्ट्र के विकास में रचनात्मक भूमिका में होगा।

(शेषांश पृष्ठ 76 पर)

कौशल विकास का गांधी मार्ग

कुमार प्रशांत

गांधीजी मानते थे कि स्किल या गुणवत्ता बढ़ाने के पीछे अगर निजी कमाई बढ़ाना ही एकमात्र ध्येय होगा तो वह शोषण और शोषक ही पैदा करेगा। स्किल डेवलपमेंट से आदमनी बढ़े तो गांधी को कोई हर्ज नहीं है, निजी आमदनी बढ़ाने के लिए स्किल डेवलमेंट किया जाए तो वे उसके खतरों को पहचानते थे। गांधी का स्किल डेवलपमेंट विदेश की जरूरतों को पूरा करने या बाजार की भूख शांत करने का साधन नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की उनकी कसौटी यह है कि इससे बाज़ार की ताकत भी टूटनी चाहिए और समाज बाज़ार का मुकाबला करने में सक्षम भी बनाना चाहिए

22 अगस्त 1906: बैरिस्टर गांधी हैरान-परेशान ट्रांसवाल सरकार का वह विशेष गजट पढ़ रहे थे जो ताजा-ताजा प्रकाशित हुआ था। यह गजट कह रहा था कि उन सभी हिंदुस्तानी कुलियों को, अरबों और तुर्कों को, जो 8 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से यहां रहने के कारण, ट्रांसवाल में रहने के अधिकारी बन गए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर, उसका प्रमाण-पत्र हासिल कर लेना होगा। गजट में यह भी कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होगा कि एशियाई मूल के सभी लोग अपने शरीर की कोई निशानदेही बताएं और अपनी अंगुलियों व अंगूठे का निशान दें। एक निश्चित अवधि के भीतर इस निर्देश का पालन नहीं करने वाला हर भारतीय ट्रांसवाल में रहने का हक खो देगा और उसे 100 पौंड या तीन माह की कैद या देशनिकाले की सजा होगी। जो भारतीय अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उनके लिए यह लाजिमी होगा कि वे अपना प्रमाण-पत्र हमेशा अपने साथ रखें और जब, जहां कोई पुलिस अधिकारी उसकी मांग करे तो उसे दिखाएं। पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि वह जब, जहां, जिसके घर में चाहे घुसे और इसकी जांच करे कि घरवालों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं। गजट कहता था कि ऐसा नहीं करने वाले, मांगने पर प्रमाण-पत्र नहीं दिखाने और अपनी निशानदेही का मिलान नहीं करने देने वाले वहीं-के-वहीं आर्थिक दंड के या जेल जाने के अपराधी माने जाएंगे।

जिस अपशकुन की आशंका से आसमान भरा-भरा था, वह अब एकदम बरस पड़ा था! बैरिस्टर गांधी कभी अविश्वास से तो कभी आशंका से उसे बार-बार पढ़ रहे थे और यह समझ नहीं पा रहे थे कि कोई न्यायप्रिय, जिम्मेदार सरकार कैसे ऐसा निर्णय ले सकती है!।..

इस गजट की दो प्रतिक्रियाएं हुईं– एक तरफ अधिकांश भारतीय-अरब और तुर्क डर से सिमट-सिकुड़ गए दूसरी तरफ बैरिस्टर गांधी उबल पड़े– यह अध्यादेश हमारी जड़ें खोद देगा! लेकिन सवाल यह आ खड़ा हुआ कि यह अध्यादेश जिनकी जड़ें खोदने वाला था, वे इसे न तो पढ़ सकते थे, न समझ सकते थे। गजट अंग्रेजी में था। बैरिस्टर गांधी ने सोचा कि कौन है कि जो तुरंत ही इसका गुजराती अनुवाद कर, उन्हें दे दे? लेकिन कोई भी निपुण आदमी उनके पास नहीं था। तो गजट ले कर वे खुद ही बैठे और उन्होंने तुरंत-के-तुरंत ही इस अध्यादेश का गुजराती अनुवाद किया और अपने अखबार 'इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित कर दिया ताकि सभी उसे पढ़-समझ सकें। फिर सवाल खड़ा हुआ कि जो अखबार नहीं पढ़ सकते, निरक्षर सैकड़ों-हजारों लोग, उनका क्या? बैरिस्टर गांधी ने फिर रास्ता निकाला। उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई और उसमें अध्यादेश का शब्द-शब्द पढ़ा और उसका पूरा व सही मतलब समझाया। उन्होंने कहा: यह अंततः हमें यहां से निकाल बाहर करने की योजना है। इसलिए हमें इसका प्रभावी विरोध करना होगा। इसके खिलाफ जेल जाने की तैयारी भी रखनी होगी। हम कोरी धमकी नहीं देंगे, यह हमारा निश्चय होना चाहिए है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे हजार भाषणों व लेखों से कहीं अधिक प्रभावी होगा हमारा उठाया एक सीधा कदम!

लेखक प्रख्यात लेखक, विचार एवं गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव हैं। वह 1970 के दशक के छात्र आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ईमेल: k.prashantji@gmail.com

वे यहीं नहीं रुके: यह मौका हमारे बलिदान का है और मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि मैं अकेला भी रह जाऊंगा फिर भी इस अध्यादेश के सामने सर नहीं झुकाऊंगा! सभा पूरी हो गई और एक बिजली-सी दौड़ने लगी। लेकिन बैरिस्टर गांधी के सामने तुरंत ही एक नया सवाल आ खड़ा हुआ- कोई एक भाषा नहीं थी कि जिसे सारे लोग समझते थे। न तो परंपरा से और न शिक्षा से ही ऐसी कोई समान भाषा बन पाई थी। बैरिस्टर गांधी ने फिर रास्ता निकाला– हमारी सभा का सारा कामकाज गुजराती, हिंदी, तमिल और तेलुगू इन चार भाषाओं में चलेगा। आंतरिक समन्वय साधने में भाषा का ऐसा इस्तेमाल किसी ने पहले देखा नहीं था। यह गांधी का सामाजिक कौशल था जिसके परिणामस्वरूप सबने महसूस किया कि गांधी की इस योजना में सबकी जगह है।

यह दौर था जब बैरिस्टर गांधी अपना चोला उतारने और महात्मा गांधी का नया चोला पहनने की तैयारी में थे। अहिंसा का शास्त्र बन रहा था। तो लड़ाई से पहले उन्होंने प्रतिपक्षी को बताना जरूरी समझा, तो सरकार को पत्र लिखने बैठे। अपना पक्ष, अपनी मांग और अपना अगला कदम सरकार को बताना उन्हें जरूरी लगा। प्रतिपक्षी के साथ व्यवहार की यह नई ही रीत थी लेकिन सरकार ने गांधी को उन्हीं के हथियार से मारने की कोशिश की। उसने गांधी की अगली योजना समझ ली तो एक चाल चली ताकि गांधी के भावी आंदोलन की हवा निकल जाए। उसने अपने अध्यादेश में एक छोटा-सा परिवर्तन किया- औरतों को रजिस्ट्रेशन न करवाने की छूट दे दी। बाकी सारी बातें ज्यों-की-त्यों रहीं लेकिन औरतों को आंदोलन से अलग ले जाने की चाल चली गई। उन्हें लगा था कि गांधी इससे बौखला जाएंगे लेकिन गांधी ने इसे दूसरी तरह से ही लिया। उन्होंने कहा: इससे पता चलता है कि सरकार हमारी बात सुन रही है। तो फिर हमें अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए- मुझे ऐसा भी लगता है कि दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा होते हुए भी चूंकि ट्रांसवाल एक ऐसा उपनिवेश है कि जिसे सीधे इंग्लैंड से निर्देशित किया जाता है, तो जरूरत के मुताबिक हमें इंग्लैंड जा कर भी अपनी बात कहने की तैयारी रखनी चाहिए।

ऐसी स्थिति जल्दी ही आ गई कि इंग्लैंड जा कर अपनी बात सुनाना जरूरी हो गया। निश्चय किया गया कि भारतीयों का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड जाए और अपनी दिक्कतें ब्रिटिश शासन व समाज को बताए और सबने यह भी माना कि यह काम गांधी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। टिकट आदि की व्यवस्था की गई और 3 अक्तूबर 1906 को बैरिस्टर गांधी और एच.ओ.अली इंग्लैंड के लिए रवाना हुए।

इंग्लैंड में गांधी जहां भी जिससे मिले, सबसे एक ही बात कहते-पूछते-समझाते रहे कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में रहने वाला हर नागरिक समान है, उसके अधिकार समान हैं तो फिर आप दक्षिण अफ्रीका में ऐसा भेद-भाव व इतनी अपमानजनक स्थितियां कैसे चलने दे सकते हैं? अंग्रेजों के लिए यह सीधा सवाल बड़ी मुसीबत का कारण बन गया था– क्योंकि ऐसा सवाल, इस तरह आंखों-में-आंखें डाल कर कभी किसी ने पूछा नहीं था और अपनी कथनी और करनी के बीच की इस बेईमानी को शब्दों से कैसे ढका जाए, वे समझ नहीं पा रहे थे। भारतीय मामलों के सचिव मोर्ले ने गांधी को बताया कि वे उनकी हर बात से सहमत हैं और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों से उनकी पूरी सहानुभूति है। 'तब फिर आप कुछ करते क्यों नहीं'- गांधी का सवाल सीधा था लेकिन मुश्किल सवालों के जवाब इतने सीधे कहां होते हैं।

हम आज जिसे 'बैक ऑफिस' कहते हैं वैसी कोई संरचना गांधी को चाहिए थी। उन्होंने कई तरह के युवकों को अपने आसपास जुटा तो लिया था लेकिन उनकी कुशलता-निपुणता जरूरत से बहुत कम थी या थी ही नहीं! टाइपिंग जानने वाला, दस्तावेजों की नकल उतारने वाला, पत्रों के प्रारूप तैयार करने वाला, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने वाला, लिफाफे बनाने वला, उन पर सुंदर ढंग से पता लिखने वाला, गांधी के संदेश समझ कर, उसे सही लोगों तक सही ढंग से पहुंचाने वाला– गांधी के पास कुशलता की फेहरिस्त बहुत लंबी थी, उनके पास नए लड़के भी थे लेकिन उनकी कुशलता की डोर बहुत छोटी थी। फिर भी गांधी कहां रुकने वाले थे! उन्होंने अपने हर काम के लिए युवकों को चुना और उन्हें अपने काम के लिए तैयार करना शुरू किया।

ऐसा ही हर बार हुआ- तब भी हुआ जब गांधी भारतीयों का प्रतिनिधि मंडल ले कर प्रधानमंत्री सर हेनरी कैंपबेल से मिले तब भी हुआ जब विलियम वेडरबर्न के प्रयासों से, हाउस ऑफ कॉमन्स के हॉल में वे सारे सौ सदस्य गांधी को सुनने के लिए जमा हुए जो भारतीय मामलों की सबसे अहम समिति के सदस्य हुआ करते थे। सुना तो सबने लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था।

गांधी तब इंग्लैंड में 6 सप्ताह रहे और इन 6 सप्ताहों में हर पल वे एक लड़ाई लड़ते रहे- सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, खुद से भी क्योंकि साम्राज्य से उनका मन गहरे जुड़ा हुआ था और अंग्रेजों ने, अंग्रेजी कानून की किताबों में जिन लोकतांत्रिक अधिकारों और कानून की नजर में सबकी समानता की बात लिखी थी, गांधी उसे शब्दश: मानते थे और जीने की कोशिश में लगे थे ... और उनके लिए यह स्वीकार कर पाना मुश्किल हो रहा था कि अंग्रेज अपने ही रचे मूल्यों के बारे में असावधान ही नहीं हैं बल्कि ईमानदार भी नहीं हैं।

इन 6 सप्ताहों में एक दूसरी बात भी हुई– गुण विकास कहिए कि स्किल डेवलपमेंट। सारे दिन ब्रितानी समाज से संवाद बनाने में लगे गांधी की पहली जरूरत थी कि वे अपनी टीम बनाएं जो उनकी जरूरत का सारा मसाला तैयार रखे। हम आज जिसे 'बैक ऑफिस' कहते हैं वैसी कोई संरचना गांधी को चाहिए थी। उन्होंने कई तरह के युवकों को अपने आसपास जुटा तो लिया था लेकिन उनकी कुशलता-निपुणता जरूरत से बहुत कम थी या थी ही नहीं! टाइपिंग जानने वाला, दस्तावेजों की नकल उतारने वाला, पत्रों के प्रारूप तैयार करने वाला, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने वाला, लिफाफे बनाने वला, उन पर सुंदर ढंग से पता लिखने वाला, गांधी के संदेश समझ कर, उसे सही लोगों तक सही ढंग से पहुंचाना वाला– गांधी के पास कुशलता की फेहरिस्त बहुत लंबी थी, उनके पास नए लड़के भी थे लेकिन उनकी कुशलता की डोर बहुत छोटी थी। लेकिन गांधी कहां रुकने वाले थे! उन्होंने अपने हर काम के लिए युवकों को चुना और उन्हें अपने काम के लिए तैयार करना शुरू किया। अंग्रेज युवक सायमंड जब साथ आया

गांधी के पास गुण या कुशलता की बहुत पूछ थी क्योंकि वे जानते थे कि हिंदुस्तान की सदियों पुरानी गुलामी की जड़ें केवल आर्थिक-राजनैतिक ही नहीं हैं बल्कि यह गहरी मानसिक गुलामी से बदल चुकी है। इससे लड़ने के लिए उन्हें आजाद ख्याल के बहुविध कुशल लोगों की जरूरत थी।

तो उसने गांधी का टाइपिंग का मोर्चा संभाल लिया। टाइपराइटर पर बैठने के बाद सायमंड को यह पता ही नहीं चलता था कि कब दिन निकला और कब रात ढली। वह रात-दिन टाइपराइटर पर गांधी की लड़ाई लड़ने में लगा था। भारतीय लड़कों ने दूसरे सारे काम संभाल लिए और गांधी की पहली हिदायत के साथ उनके काम में तेजी से सुधार होने लगा। हर रात गांधी उनके साथ बैठ कर दिन भर के काम की समीक्षा करते थे और अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने की बातें होती थीं। जल्दी ही उनके आसपास का आलम बदलने लगा। उनका दफ्तर किसी कुशल पेशेवर के दफ्तर की तरह चलने लगा। अव्यवस्था, अकुशलता और उदासीनता की गांधी के पास कोई जगह नहीं थी! अब नजारा यह बना कि इन युवाओं ने जैसे उनका दफ्तर कंधें पर उठा लिया– लिफाफे बन रहे थे, उन पर पते लिखे जा रहे थे, कोई टिकट चिपका रहा था तो कोई अखबार में छपी खबरों की कतरनों को फाइलों में सजा रहा था। सब गांधी के सिपाही कब, कैसे और क्यों बन गए थे, न कोई समझ रहा था और न किसी को यह सब जानने-समझने की जरूरत ही लग रही थी। ... इंग्लैंड के अखबारों ने गांधी का जिस तरह साथ दिया था, वह तो और भी हैरान करने वाला था। 'द टाइम्स' ने दक्षिण अफ्रीका के मामले को समझाने वाला गांधी का पत्र पूरा-का-पूरा ही प्रकाशित कर दिया था तो 'डेली न्यूज' ने दक्षिण अफ्रीका में चल रही गांधी की लड़ाई का पूरा विवरण प्रकाशित करते हुए, उसे अपना जोरदार समर्थन दिया।

इसका एक बड़ा कारण यह था कि यह सारी सामग्री गांधी के दफ्तर से इस तरह तैयार हो कर आती थी कि जिसे छापना हो, उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ट्रिब्यून, मॉर्निंग लीडर और साउथ अफ्रीका ने गांधी का इंटरव्यू खासी प्रमुखता से प्रकाशित किया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी खिड़कियां जल्दी नहीं खोलीं लेकिन गांधी उनके यहां भी दस्तक देने बार-बार जाते रहे, उनके लड़के रोज नई-नई जानकारियों वाला दस्तावेज उनके दफ्तर में गिरा जाते रहे। आखिर उनकी चुप्पी भी टूटी और गांधी की खबरें वहां से भी बोलने लगीं।

गांधी के पास गुण या कुशलता की बहुत पूछ थी क्योंकि वे जानते थे कि हिंदुस्तान की सदियों पुरानी गुलामी की जड़ें केवल आर्थिक-राजनैतिक ही नहीं हैं बल्कि यह गहरी मानसिक गुलामी से बदल चुकी है। इससे लड़ने के लिए उन्हें आजाद ख्याल के बहुविध कुशल लोगों की जरूरत थी। गांधी जानते थे कि मनुष्य ईश्वरजन्य होता है लेकिन कुशलता मनुष्यजन्य होती है, ईश्वरीय नहीं। खुद को सुधारना, अपने काम को बेहतर-से-बेहतर बनाना, अपने काम को अधिकाधिक क्षमता से करना यह सब गांधी के स्किल डेवलपमेंट का अनिवार्य हिस्सा था।

गांधी जानते थे कि मनुष्य ईश्वरजन्य होता है लेकिन कुशलता मनुष्यजन्य होती है, ईश्वरीय नहीं। खुद को सुधारना, अपने काम को बेहतर-से-बेहतर बनाना, अपने काम को अधिकाधिक क्षमता से करना यह सब गांधी के स्किल डेवलपमेंट का अनिवार्य हिस्सा था।

वे मानते थे कि स्किल या गुणवत्ता बढ़ाने के पीछे अगर निजी कमाई बढ़ाना ही एकमात्र ध्येय होगा तो वह शोषण और शोषक ही पैदा करेगा। स्किल डेवलपमेंट से आदमनी बढ़े तो गांधी को कोई हर्ज नहीं है, निजी आमदनी बढ़ाने के लिए स्किल डेवलमेंट किया जाए तो वे उसके खतरों को पहचानते थे। गांधी का स्किल डेवलपमेंट विदेश की जरूरतों को पूरा करने या बाजार की भूख शांत करने का साधन नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की उनकी कसौटी यह है कि इससे बाज़ार की ताकत भी टूटनी चाहिए और समाज बाज़ार का मुकाबला करने में सक्षम भी बनाना चाहिए।

उनका नजरिया हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि वे अपने चरखे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कारीगरों को आमंत्रित ही नहीं करते हैं बल्कि सबसे अच्छे आविष्कार के लिए इनाम की तजबीज भी करते हैं लेकिन चरखे की गुणवत्ता में जितनी भी और जैसी भी वृद्धि हो, वे अपनी इस शर्त में कोई ढील देने को तैयार नहीं होते हैं कि चरखा मनुष्य के निजी उत्पादन का साधन ही बना रहना चाहिए, उसकी संरचना ऐसी ही रहनी चाहिए कि जिसे कातने वाला खुद ही ठीक कर सके या ज्यादा-से-ज्यादा गांव के कुशल कारीगर जिसे ठीक कर लें उसका उत्पादन बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिए नहीं, व्यक्ति की निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए हो और उसका उत्पादन-खर्च एक निश्चित सीमा के भीतर ही हो ताकि उनकी कीमत और उसका मुनाफा अमर्यादित न हो जाए। इसलिए खादी का कॉस्टचार्ट भी उन्होंने खुद ही तैयार किया था और व्यवस्था-खर्च की सीमा भी तय कर दी थी। वह सब भूल जाने के कारण ही आज खादी संकट में घिरी है।

जब इंग्लैंड का अपना काम पूरा कर, गांधी दक्षिण अफ्रीका लौटने को हुए तो कुशल साथियों की अपनी इस टीम को उन्होंने बाजाप्ता पार्टी दी और साथ का आनंद ले कर विदा हुए। काम मशीनी नहीं होगा और स्किल डेवलपमेंट मानवीय होगा तो उससे व्यक्ति के निजी जीवन में और उसके सामाजिक सरोकारों में आनंद, खुशी और सार्थकता बढ़ेगी और यही तो जीवन है।

गांधी के जीवन का यह छोटा-सा प्रसंग हमें बतलाता है कि गुण विकास और कुशलता का अहिंसक प्रयोग में और अहिंसक संरचना में अप्रतिम महत्व है और गांधी उसके साधक भी हैं और शिक्षक भी! और अंत में मैं यह भी बताता चलूं कि जब इंग्लैंड का अपना काम पूरा कर, गांधी दक्षिण अफ्रीका लौटने को हुए तो कुशल साथियों की अपनी इस टीम को उन्होंने बाजाप्ता पार्टी दी और साथ का आनंद ले कर विदा हुए। काम मशीनी नहीं होगा और स्किल डेवलपमेंट मानवीय होगा तो उससे व्यक्ति के निजी जीवन में और उसके सामाजिक सरोकारों में आनंद, खुशी और सार्थकता बढ़ेगी और यही तो जीवन है। ❑

जो व्यक्ति व्यवस्थित रूप से, नियमित काम करता है, वह कभी थकता नहीं। उसे अपनी सीमाएं और समुचित समय में किए जाने वाले कार्य का ज्ञान होता है। मनुष्य कभी भी कठिन परिश्रम से नहीं हारता है, बल्कि अनियमितता या अव्यवस्था से हारता है।

–महात्मा गांधी ('हरिजन' में 16.06.1947 को)

विरासत का संरक्षण
हथकरघा उद्योग को सुरक्षा और प्रोत्साहन

मोनिका एस गर्ग

हथकरघा हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। जरी का इस्तेमाल दुल्हन की पोशाक और साज-सज्जा में खूब किया जाता है। ऋग्वेद, महाभारत और रामायण में भी बुनाई की कला का जिक्र है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में बुने हुए कपड़े, हड्डियों से बनी सूईयां और तकली भी पाए गए हैं। मिस्र के मकबरों में ब्लॉक प्रिंट वाले कपड़े पाए गए। यह कला मुख्य रूप से गुजरात की है। इससे यह साफ है कि विदेश में भारतीय सूती कपड़ों की खूब मांग थी और ईसा पूर्व 19वीं शताब्दी से ही भारत इनका निर्यात कर रहा है

हुनरमंद बुनकरों ने बुनाई की बेहतरीन कला को पीढ़ी-दर-पीढ़ी संभाल कर रखा है। आज हथकरघा उद्योग से जुड़े 40 लाख से ज्यादा बुनकर और दूसरे कामगारों में ज्यादातर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं हैं। रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से कृषि के बाद इसका दूसरा नंबर है। हथकरघा उद्योग पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल, विकेंद्रित और गांवों पर आधारित है। हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि, 2010 की हथकरघा गणना में एक डरावनी तस्वीर सामने आई। इस गणना के मुताबिक बुनकरों की संख्या सालाना 7 फीसदी से घट रही है। हथकरघा की संख्या घट रही है। नई पीढ़ी इस उद्योग को लेकर संशयी है और इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। इससे संकेत मिल रहा है कि हथकरघा उद्योग डूबने के कगार पर है। बुनकरों की घटती संख्या की कई वजहें हैं। गणना से पता चलता है कि बुनकर हर महीने बमुश्किल महज 3400 रुपये ही कमा पाते हैं। इसके मुकाबले दूसरे क्षेत्र के कामगारों का अखिल भारतीय औसत 4500 रुपये है। अगर ये कारीगर अपना हुनर छोड़ देंगे तो यह कला पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बुनकरों को भी समाज में उसी तरह ऊंचा स्थान मिलना चाहिए जैसे किसी चित्रकार या कलाकार को मिलता है। हाथ से बुने उत्पाद एकदम अनोखे होते हैं। इन्हें धागों के अलावा धैर्य, जज्बा, रुचि और हुनर के भी साथ बुना जाता है। लिहाजा, बुनकरों को उनके काम के अनुसार मेहनताना भी मिलना चाहिए और यह तभी मुमकिन है जब इस उद्योग को मजबूत बनाया जाएगा।

अपने पारंपरिक हस्तकरघा उत्पादों की विविधता और बहुलता के दम पर दुनिया में भारत का एक अलग स्थान है। दुनिया भर का 85 फीसदी हथकरघा उत्पादन अकेले भारत में होता है। हथकरघा का काम करने वाले दूसरे देशों में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया है लेकिन यहां उत्पादों की रेंज काफी सीमित है। यहां मुख्य रूप से घरेलू उपभोग के लिए ही काम होता है। इससे उलट, 2009-2010 में भारत ने 26 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था। यह 2013-14 तक 40 फीसदी बढ़कर 37 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इस ग्रोथ रेट से यह साफ है कि इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता और बुनकरों की बड़ी आबादी के बूते भारत हाथ से बने उत्पादों में दुनिया भर की मांग पूरी करने की क्षमता रखता है। इसके लिए जरूरी है कि हथकरघा उद्योग तेजी से बदलते और विविधता वाले नए युग की मांग के साथ तालमेल बिठा सके। बुनाई के इस काम में हमारी पारंपरिक झलक के साथ आधुनिक डिजाइन की छटा होनी भी जरूरी है।

बनारसी और चंदेरी के बुनकर अगर साड़ी बनाते हैं तो उन्हें ज्यादा आमदनी होती है। अगर वो स्टोल्स, स्कार्फ, टाई, बैग, पाउच, हैंड बैग या कुशन कवर, टेबल रनर या परदे जैसी घर की साज-सज्जा के सामान बनाते हैं तो उनकी कमाई और बढ़ जाती है। इस तरह के उत्पाद बनाने या कोई नई तरह के उत्पाद बनाने के लिए बुनकरों और डिजाइनरों के बीच मजबूत सहयोग चाहिए। नेशनल

लेखिका भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं। उन्होंने वस्त्र क्षेत्र में लगभग सात वर्ष काम किया है। वस्त्र मंत्रालय में करीब छह वर्ष संयुक्त सचिव रही है। इस दौरान विकास आयुक्त (हथकरघा), एनआईएफटी की महानिदेशक तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) जैसों पदों का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहा है। ईमेल: monikasgarg@gmail.com

इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निट) ने अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल करके एक नई शुरुआत की है। इससे एक तरफ छात्रों को हमारी बहुमूल्य परंपरा के बारे में पता चलता है तो दूसरी तरफ बुनकर और कलाकारों को डिजाइन के लिहाज से फायदा होता है। झाबुआ के बीड डॉल्स (मोतियों की गुड़िया) बनाने वाले कारीगर अगर कार में सजाने वाली चीजें या कान की बालियां बनाते हैं तो उन्हें 20 गुना ज्यादा आमदनी होती है। अगर ये नैपकिन होल्डर्स या कोस्टर्स (गरम बर्तन के नीचे रखने वाला स्तर) बनाते हैं तो इनकी कमाई 100 गुना तक बढ़ जाती है। व्यापक अध्ययन, दस्तावेज तैयार करना और विकासशील बाज़ारों के लायक उत्पाद बनाकर इस पहल को आगे बढ़ाया जा सकता है। इनका दायरा बढ़ाने के लिए लंबी अवधि में कई चीजों की जरूरत होगी।

झाबुआ के बीड डॉल्स (मोतियों की गुड़िया) बनाने वाले कारीगर अगर कार में सजाने वाली चीजें या कान की बालियां बनाते हैं तो उन्हें 20 गुना ज्यादा आमदनी होती है। अगर ये नैपकिन होल्डर्स या कोस्टर्स (गरम बर्तन के नीचे रखने वाला स्तर) बनाते हैं तो इनकी कमाई 100 गुना तक बढ़ जाती है। व्यापक अध्ययन, दस्तावेज तैयार करना और विकासशील बाज़ारों के लायक उत्पाद बनाकर इस पहल को आगे बढ़ाया जा सकता है।

अलग-अलग तरह के उत्पाद

बुनकर के साधारण काम को डिजाइनर नए आयाम देते हैं लेकिन इसके लिए दूसरी अहम चीज मार्केटिंग है। आज यह उद्योग मार्केट के अलग-अलग सेगमेंट की जरूरतों को समझने में नाकाम है। बाज़ार के अलग-अलग सेगमेंट को समझने, सराहने और उससे फायदा लेने की जरूरत है। पाटन पटोला, कनी, बालुचेरी और जामदानी जैसे प्रीमियम उत्पादों को 'आला तबके' के उत्पाद के तौर पर पेश करना चाहिए। पौराणिक कथाओं, चिन्हों और धर्म से जुड़ी चीजों के डिजाइन के साथ ये बुनकर कपड़े को एक अलग पहचान देते हैं। अनोखे डिजाइन और बुनाई की अलग तकनीक के साथे उन्हें रईस कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए आम लोगों को नहीं। बाज़ार के 'आला तबके' या प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करके उन्हें अपनी मेहनत का सही मोल मिलेगा।

जटिल डिजाइन- प्रीमियम उत्पाद

मार्केट में आज सबसे बड़ी चुनौती पावरलूम से बने कपड़े और सस्ते आयात हैं। पावरलूम से बने कपड़े सस्ते होते हैं। इन्हें आसानी से और जल्दी बनाया जा सकता है। अभी तक एक आम आदमी पावरलूम और हाथकरघा में फर्क नहीं समझ पाता है। नतीजतन, बाज़ार में नकली हाथकरघा के उत्पादों का बाज़ार तेजी से पांव पसार रहा है। बाज़ार में पावरलूम से बने कपड़ों को हाथ से बना कपड़ा बताकर बेचा जा रहा है। लिहाजा, हाथ से बने कपड़ों की जल्द से जल्द ब्रांडिंग करने की जरूरत है। हैंडलूम मार्क इस बात की गारंटी होती है कि ग्राहक जो कपड़ा खरीद रहा है वह हाथ से बुना गया है न कि पावरलूम या मिल में बनाया गया है। इस हैंडलूम मार्क से कपड़े की प्रमाणिकता साबित होगी लेकिन दुर्भाग्य से लोगों को इस मार्क की जानकारी नहीं है। लोगों में इस बात की जागरुकता फैलाने की जरूरत है। डेली सोप के दौरान हैंडलूम मार्क से जुड़ा एक लाइन का विज्ञापन भी लोगों तक यह जानकारी पहुंचा सकता है। देश विदेश में सरकार की तरफ से प्रायोजित प्रदर्शनियों में सिर्फ हैंडलूम मार्क वाले उत्पाद ही पेश किए जाते हैं। लोगों के बीच जागरुकता फैलाने के साथ यह भी जरूरी है कि सिर्फ वाजिब बुनकर ही ऐसी योजनाओं का फायदा उठा सकें।

सामाजिक असर, विरासत और हाथ से बनी चीजों के प्रति अथाह लगाव से ही हाथकरघा बरकरार रहेगा। हालांकि, यह रणनीति उत्कृष्ट बुनाई करने वाले बुनकर के लिए ही है जो डिजाइनर के सहयोग से अलग तरह के उत्पाद बनाएंगे और उन्हें सीधे ऐसे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे, जिन्हें हाथकरघा के बने उत्पादों की समझ हो। ऐसे सिर्फ 20 फीसदी बुनकर हैं जो 80 फीसदी महंगे आइटम बनाते हैं। हालांकि, अभी इस रणनीति का दायरा बहुत सीमित है लेकिन यह उम्मीद है कि इससे हथकरघा क्षेत्र में दोबारा जान लौटेगी। बाकी के 80 फीसदी बुनकर जिनके रोजी रोटी का एकमात्र जरिया सिर्फ बुनाई है उनकी समस्याओं का निदान अलग ढंग से करने की जरूरत होगी।

रोजगार की बड़ी संभावना: चुनौतियां और समाधान

हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 43 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। ये सभी वो लोग हैं जो आला तबके के प्रीमियम उत्पाद बनाने के लिए तुरंत प्रशिक्षित नहीं हो सकते हैं। हालांकि, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अब भी यह रोजगार का मुख्य जरिया है। इसे सबसे बड़ी चुनौती पावरलूम और मिल क्षेत्र से मिल रही है। कुछ बुनकरों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अपने हुनर को तराशा है। निश्चित तौर पर पावरलूम ने इन बुनकरों की जिंदगी आसान बना दी है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर तेजी से उत्पादन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ इसने कई लोगों से रोजगार छीन लिया है। ऐसे बुनकर जिनके पास किसी दूसरे रोजगार में जाने का विकल्प नहीं है और न ही वे पावरलूम (खासतौर पर जहां बिजली की कमी है) को अपना सकते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।

हैंडलूम मार्क इस बात की गारंटी होती है कि ग्राहक जो कपड़ा खरीद रहा है वह हाथ से बुना गया है न कि पावरलूम या मिल में बनाया गया है। इस हैंडलूम मार्क से कपड़े की प्रमाणिकता साबित होगी लेकिन दुर्भाग्य से लोगों को इस मार्क की जानकारी नहीं है। लोगों में इस बात की जागरुकता फैलाने की जरूरत है। डेली सोप के दौरान हैंडलूम मार्क से जुड़ा एक लाइन का विज्ञापन भी लोगों तक यह जानकारी पहुंचा सकता है।

ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि ऐसी योजनाएं लागू की जाएं जिनका एकमात्र मकसद इस क्षेत्र की मदद करना और हथकरघा बुनकरों की रोजी रोटी बचाए रखना हो। हालांकि जो लोग यह मानते हैं कि हाथकरघा उद्योग को 'विकास' और मिलों के जरिए 'बड़े पैमाने पर उत्पादन' की राह में रोड़ा मानते हैं, उन्हें मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि दोनों क्षेत्र बराबर की अहमियत रखते हैं लेकिन दोनों अलग हैं और इनके लिए रणनीतियां भी अलग-अलग होनी चाहिए। इन दोनों सेक्टर्स को एक-दूसरे के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। असलियत में

उन्हें एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। जहां पावरलूम से दुनिया को कपड़े मिलते हैं वहीं हथकरघा से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार इन दोनों सेक्टर्स को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर काम कर रही है। हालांकि, यह आलेख सिर्फ हथकरघा क्षेत्र और उसके बचाव तक ही सीमित है।

पावरलूम एवं मिल क्षेत्र से हथकरघा के बचाव के लिए द हैंडलूम्स (उत्पादन के लिए उत्पादों का आरक्षण) कानून 1985 में बना था। इस कानून के तहत अभी भी टेक्सटाइल के 11 उत्पादों को हैंडलूम्स के लिए आरक्षित (कुछ तकनीकी निर्देशों के साथ) रखा गया है। इन उत्पादों को पावरलूम या मिलों के जरिए बनाने की इजाजत नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगता है।

सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के जरिए हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर सूत (यार्न) भी मुहैया कराती है। हथकरघा बुनकरों को वाजिब दरो पर पर्याप्त सूत मिलता रहे इसके लिए आवश्यक वस्तुघ अधिनियम, 1955 के तहत एक व्यवस्था तय की गई है, जिसे लच्छान सूत भार (हांक यार्न ऑब्लिगेशन) कहते हैं। इसके तहत कताई मिलों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे सूत के उत्पादन का एक तय हिस्सा लच्छे के तौर पर करेंगे। दरअसल कताई मिलों में जब कपास (रूई) से सूत बनाया जाता है, तो उसे कुछ तय लंबाई में अलग-अलग इकाई के तौर पर लपेट दिया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे रस्सी का गोला, इसे ही लच्छा कहते हैं। हथकरघा उद्योगों में सूत के लच्छों का ही इस्तेमाल होता है।

इस उद्योग के लिए दूसरी चुनौती कर्ज हासिल करना है। बुनकरों की तीसरी गणना के मुताबिक 61 फीसदी स्वतंत्र बुनकर, 34 फीसदी मजदूर बुनकर और सिर्फ 5 फीसदी ऐसे बुनकर है जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस गणना में आगे बताया गया है कि बुनकरों के पास नकद पैसे नहीं होते और यह उनके स्वतंत्र रूप से काम करने में बड़ी बाधक है।

कताई मिलें सरकार के इन दोनों कदमों का विरोध करती रही हैं लेकिन फिलहाल जरूरत इस छूट को बरकरार रखने की है ताकि मुश्किलों से घिरे हथकरघा उद्योगों को कुछ हद तक सुरक्षा मिलती रहे। अभी जरूरत इस व्यवस्था को मजबूत बनाने की है ताकि इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

इस उद्योग के लिए दूसरी चुनौती कर्ज हासिल करना है। बुनकरों की तीसरी गणना के मुताबिक 61 फीसदी स्वतंत्र बुनकर, 34 फीसदी मजदूर बुनकर और सिर्फ 5 फीसदी ऐसे बुनकर है जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस गणना में आगे बताया गया है कि बुनकरों के पास नकद पैसे नहीं होते और यह उनके स्वतंत्र रूप से काम करने में बड़ी बाधक है क्योंकि बुनाई के लिए वे पैसे देकर सूत और लच्छे खरीद नहीं पाते और मजबूरन उन्हें एजेंट, बिचौलिये और मजदूरी देकर बुनाई कराने वालों की शर्तों पर कम पैसे में काम करना पडता है। हथकरघा बुनकर पैसे, शिक्षा और समझ के अभाव में अपने काम के लिए कर्ज कर्ज भी नहीं जुटा पाते हैं।

बुनकरों के नकदी संकट को स्वीकारते हुए सरकार ने 2011 में बुनकरों और सहकारी समितियों की कर्ज माफी के लिए 3000 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। इसका मकसद बुनकरों की आर्थिक मदद देते हुए उन्हें इस लायक बनाना है कि जरूरत पड़ने पर दोबारा कर्ज ले सकें। बेहद उदार दिशानिर्देशों और विवेचना के साथ सिर्फ एक हजार करोड़ रुपये का लोन ही सभी राज्यों में माफ किया गया।

इससे हथकरघा समितियों के अलावा सिर्फ 50 हजार लोगों को ही फायदा हो पाया। इन्हें दोबारा कर्ज लेने लायक बनाना है। गणना के नतीजों से बुनकर की सच्चाई सबके सामने आई। इससे यह पता चला कि पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र को बहुत कर्ज नहीं मिल पाया है। इस क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक उपाय की जरूरत थी लिहाजा सरकार ने इस क्षेत्र को 6 फीसदी की दर से कर्ज देने का फैसला किया। बुनकर इस सस्ते लोन का इस्तेमाल पूंजीगत संपत्तियां बनाने और कामकाजी पूंजी के तौर पर कर सकते है। अगर इस योजना को सही ढंग से लागू किया गया तो यह हथकरघा उद्योग की सूरत बदल सकती है। इससे बुनकरों को न सिर्फ धंधा शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है बल्कि ऐसी इकाई स्थापित करने के लिए भी पैसा मिलता है जहां रंगाई, प्रोसेसिंग के बाद हथकरघा के कपड़े को बाज़ार के लिए तैयार किया जाता है।

बुनकरों की शिक्षा की बात करें तो गणना से पता चलता है कि 83 फीसदी बुनकर उच्च माध्यमिक (एचएसएलसी) शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 17 फीसदी बुनकर ही उच्च माध्यमिक या इससे ज्याादा शिक्षा हासिल कर पाए हैं। यह बेहद फिक्र की बात है कि इस व्यवसाय से जुड़े ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं। इससे इस हुनर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। अगर हम अगली पीढ़ी को इस व्यवसाय से जोड़े रखना चाहते हैं तो हमें हथकरघा बुनाई को फाइन आटर्स, फोटोग्राफी या संगीत की तरह आधुनिक व्यवसाय की तरह पेश करना होगा। बराबरी पर लाना होगा।

पहले कदम के तौर पर निट हथकरघा कलस्टर में प्रशिक्षण की शुरुआत कर सकती है। निट खासतौर पर हथकरघा बुनकरों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू कर सकता है। अपने हुनर को बेहतर बनाने के साथ ही निट के सर्टिफिकेट से बुनकरों के मन में एक सम्मान का भाव आएगा, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार मिल पाएगा और वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे। यह याद रखना जरूरी है कि यह कला तभी जीवित रहेगी जब पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपनाया जाएगा। लिहाजा नई पीढ़ी को इस व्यवसाय से जोड़कर रखना बहुत जरूरी है।

बेहद फिक्र की बात है कि इस व्यवसाय से जुड़े ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं। इससे इस हुनर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। अगर हम अगली पीढ़ी को इस व्यवसाय से जोड़े रखना चाहते हैं तो हमें हथकरघा बुनाई को फाइन आटर्स, फोटोग्राफी या संगीत की तरह आधुनिक व्यवसाय की तरह पेश करना होगा।

हथकरघा में तकनीकी उन्नयन जरूरी

हथकरघा (संरक्षण के लिए उत्पादों का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के तहत 'बिजली के इस्तेमाल के बगैर चलाए जाने वाला करघा हथकरघा कहलाता है।' भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक, 'हाथकरघा हाथ से चलाई जाने वाली मशीन है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। कुछ मामलों में यह मशीन पैरों से भी चलाई जाती है।'

चलिए हाथ से बुनाई की प्रक्रिया में तकनीकी ब्योरे को समझते हैं। इसमें तीन तरह की गति का इस्तेमाल होता है। शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग।

इन तीनों गति में बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बुनकर अपने हाथ से ही मशीन चलाकर कपड़े की बुनाई करते हैं। बिजली का इस्तेमाल किए बगैर भी इसमें तकनीक के इस्तेमाल की व्यापक संभावनाएं हैं, जिससे बुनकरों की मेहनत काफी हद तक कम हो जाएगी।

अभी तक इस आयाम की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। इस क्षेत्र में शोध से हाथ से बुनाई की खासियत को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर बुनकरों की मेहनत कम की जा सकती है। हाथकरघा में मशीन के इस्तेमाल को लेकर देश में बहस चल रही है। वर्ष 2013 में योजना आयोग ने हाथकरघा को नए तरीके से परिभाषित करने का सुझाव दिया। इसके तहत, 'कोई भी हाइब्रिड हथकरघा, जिसमें कम से कम एक प्रक्रिया हाथ से किया जाए वह हाथकरघा कहलाएगा।' मंत्रालय ने हाइब्रिड करघा के इस्तेमाल की सलाह दी थी, जिसमें किसी एक प्रक्रिया में बिजली का इस्तेमाल किया जाए। जैसी उम्मीद थी कि बुनकर समुदाय ने देश भर में इसका विरोध किया और इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। मैं कहूंगी कि यह विरोध सही है क्योंकि इससे वर्षों से चले आ रहे बुनकर का हुनर खत्म हो जाएगा। पावरलूम के उत्पाद आज धड़ल्ले से हाथकरघा के नाम पर बेचे जा रहा हैं। पावरलूम की प्रतियोगिता हाथकरघा से है और निश्चित तौर पर हाथकरघा के उत्पाद पिछड़ गए हैं।

सरकार हाथकरघा क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए जो स्कीमें लेकर आती हैं उसका फायदा पावरलूम बुनकर उठा लेते हैं। इससे निश्चित तौर पर हाथकरघा उद्योग की मुश्किलें खत्म नहीं होतीं। सौभाग्य से 2014 में कपड़ा मंत्रालय ने 'हाथकरघा' की पुरानी परिभाषा को ही बरकरार रखा जिसके तहत हाथ से बुनाई को ही हाथकरघा कहा जाएगा। इसी दौरान इसने परिभाषा की समीक्षा करने का सुझाव दिया ताकि कम मेहनत में बेहतर उत्पादन हो सके।

मैं यह दलील देना चाहती हूं कि मौजूदा परिभाषा में प्राथमिक और द्वितीय गति में मशीन के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है। मशीनीकरण के मायने बिजली के इस्तेमाल से नहीं बल्कि मैकेनिकल एनर्जी, टूल्स और तकनीक से है ताकि कम मेहनत से बेहतर काम हो सके। मशीनीकरण का मतलब सिर्फ मशीन के इस्तेमाल से है।

यहां तक कि हाथकरघा खुद एक मशीन है लेकिन यह देखा गया है कि पारंपरिक करघे को वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है। पारंपरिक तकनीक काफी जटिल था, जिसमें बुनकर को कड़ी मेहनत के साथ काम करना पड़ता है लेकिन उन्हें अपने काम की सही कीमत नहीं मिल पाती है। सर्वे के मुताबिक, हाथकरघा पर लगातार काम करने से बुनकर के हाथ, हथेली और पैरों में काफी दर्द होता था।

सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सीमित शोध के कारण हाथकरघा क्षेत्र में तकनीक को बहुत ज्यादा शामिल नहीं किया गया है। अभी भी पारंपरिक तकनीक ही लोकप्रिय है। नतीजतन, हाथ से बुनाई में काफी मेहनत लगती है और उत्पादन भी बहुत कम होता है।

हाथकरघा के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसमें नवीनीकरण लाकर सुधार किया जाए। मशीनीकरण से बुनकर की क्षमता बढ़ने के साथ कपड़े की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। तकनीकी उन्नयन की दिशा में सबसे पहले 1773 में जॉन के का फ्लाइंग शटल पेटेंट था। बुनाई में यह एक बड़ा विकास था क्योंकि इससे लंबवत धागे के बीच धागों को हाथ से पिरोने की जरूरत खत्म हो गई थी।

हाथकरघा के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसमें नवीनीकरण लाकर सुधार किया जाए। मशीनीकरण से बुनकर की क्षमता बढ़ने के साथ कपड़े की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। तकनीकी उन्नयन की दिशा में सबसे पहले 1773 में जॉन के का फ्लाइंग शटल पेटेंट था। बुनाई में यह एक बड़ा विकास था क्योंकि इससे लंबवत धागे के बीच धागों को हाथ से पिरोने की जरूरत खत्म हो गई थी।

इसके बाद और विकास हुआ और कई तरह की तकनीकें आईं। जटिल डिजाइन के लिए डॉबी और जैक्वाऔर्ड लूम आया जो आसानी से ऐसे डिजाइन बना देते थे। बॉर्डर की बुनाई के लिए कैच कॉर्ड सिस्टम आया। इससे बुनकरों की क्षमता कई गुना बढ़ गई। चटाई, स्टोल वगैरह की बुनाई के लिए दोहरी बुनाई की तकनीक आई। अगर हम चाहते हैं कि हाथकरघा क्षेत्र में छोटे इकाई बाज़ार के लिए बड़े पैमाने पर बुनाई करें तो उन्हें उसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन घरेलू उत्पादन से बिल्कुल अलग है। ज्यादा उत्पादन के लिए बुनकरों को काम करने की जगह को बेहतर बनाना होगा, ताकि आसानी से ज्यादा उत्पादन हो सके।

हाथकरघा में शोध के लिए व्यापक स्कीमों की जरूरत है। तकनीकी नवीनीकरण से डिजाइन और उत्पादन की प्रक्रिया में नई संभावनाएं पैदा होंगी। उपकरण और मशीनरी जैसे उत्पाद तकनीक के अलावा कच्चे माल या तैयार माल की प्रोसेसिंग के लिए भी मशीनीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ऐसे नवीनीकरण की जरूरत है जिससे मेहनत और वक्त बच जाए। द्वितीय गति में करघा से पहले और करघा के बाद की गति या मोशन को शामिल किया जाता है। इसका पूरी तरह मशीनीकरण किया जा सकता है। इसे मोटर से भी चलाया जा सकता है क्योंकि यह बुनाई का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा तीनों प्राथमिक गतियों को व्यक्तिगत तौर पर देखने और मशीनीकरण की जरूरत है ताकि बुनकरों की मेहनत कम हो सके। इसमें बिजली का इस्तेमाल किए बगैर मशीनीकरण किया जा सकता है। इसे अपनाने में सबसे बड़ी मुश्किल नई तकनीकों का विकास है। इसकी एक वजह यह भी है कि बुनकर भी नई तकनीक को अपनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका भरोसा पारंपरिक बुनाई पर ही रहता है। सभी सरकारी योजना का हिस्सा बनाकर इस पर फोकस करने की जरूरत है। आरएंडडी और इसके प्रभावी नतीजों से बड़े पैमाने पर रोजगार और उत्पादन होगा।

हाथकरघा से बने कपड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर होते हैं। एक बड़ी मुश्किल इसके मार्केटिंग की भी है। यहां भी कदम उठाने की जरूरत है। एक मांग है कि इसे मनरेगा से जोड़ दिया जाए। यह विचारणीय है। आज राज्य स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को मुफ्त पोशाक मुहैया कराता है। ऐसे में एक फैसला यह लिया जा सकता है कि सरकार सिर्फ हाथकरघा से बने पोशाक ही बांटे। हाथकरघा बुनकरों को मनरेगा के तहत शामिल किया जा सकता है और एक तय लंबाई में कपड़ा तैयार करने पर उन्हें मजदूरी दी जा सकती है। इसी कपड़े को सरकार स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में बांट सकती है।

हमारे शोधकर्ता और वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती हाथकरघा की खासियत को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन बेहतर बनाना है। ❑

पारंपरिक उद्यमों में नई रोशनी

प्रमोद जोशी

परंपरागत शिल्पों के सामने भारत में ही नहीं सारी दुनिया में खतरा है। इनकी रक्षा दो कारणों से होनी चाहिए। इनसे जुड़े हुनर और धरोहर को बचाना एक काम है और साथ ही यह रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। इनसे जुड़ी बड़ी आबादी को वैकल्पिक रोजगार देना आसान नहीं है। और वह इतनी जल्दी संभव भी नहीं। इसके संधिकाल में भी दो या तीन पीढ़ियां निकल जाएंगी

अभिजीत बनर्जी और एस्थर ड्यूलो की पुस्तक 'पुअर इकोनॉमिक्स' में गरीबों की दशा सुधारने के बाबत उनकी उद्यमिता के बारे में एक अध्याय है। दुनिया के ज्यादातर देशों में छोटे और ऐसे पारंपरिक उद्यमियों की संख्या सबसे बड़ी होती है, जो सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं। ज्यादातर नए हुनर किसी पारंपरिक हुनर का नया रूप हैं। भारत जैसे देश में गरीबी दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका यहां के पारंपरिक उद्यमों की हो सकती है। अक्सर उत्पादन के तौर-तरीकों में बदलाव से पारंपरिक उद्यमों को धक्का लगता है, क्योंकि वे नए तौर-तरीकों को जल्द ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसा भी नहीं कि वे उद्यम भावना में कच्चे होते हैं। किताब में उन्होंने लिखा, ''कई साल पहले एक हवाई यात्रा में हमारे बराबर बैठे एक बिजनेसमैन ने बताया कि 1970 के दशक-मध्य में अमेरिका में एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह भारत वापस आए तो उनके अंकल वास्तविक उद्यमिता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें घर से बाहर ले गए। अंकल चाहते थे कि सड़क के साइडवॉक पर बैठी चार स्त्रियों को गौर से देखूं। वे स्त्रियां कुछ कर नहीं रही थीं। अलबत्ता बीच-बीच में जब ट्रैफिक रुकता वे उठकर जातीं और सड़क से कोई चीज खुरचकर उठातीं और अपने पास रखे प्लास्टिक बैग में रखकर फिर अपनी जगह बैठ जातीं। ऐसा कई बार होने पर अंकल ने पूछा, इनका बिजनेस मॉडल समझ में आया? अंकल ने समझाया, भोर होने से पहले ये स्त्रियां समुद्र किनारे जाकर गीली समुद्री रेत उठाती हैं। सड़क पर ट्रैफिक शुरू होने के पहले वे इस रेत को समान रूप से बिछा देती हैं। जब कारें इसके ऊपर से गुजरती हैं तो रेत उनके पहियों की गर्मी से सूख जाती है। वे बीच-बीच में सूखी हुई रेत की परत खुरच कर अपने बैग में रखती जाती हैं। नौ-दस बजे तक उनके पास काफी रेत हो जाती है। इसे वे पुराने अखबारों के लिफाफों में रखकर बेचती हैं। स्थानीय गृहणियों को बर्तन मांजने के लिए इसकी जरूरत होती है।'

आपने दिल्ली में देखा होगा उन महिलाओं और बच्चों को जो एक डंडे के आगे चुंबक लगाकर कूड़े में से लोहे के टुकड़े बटोरते हैं। यह भी उद्यमिता है। बेशक यह पारंपरिक उद्यमिता नहीं है, पर इसमें पारंपरिक उद्यमिता के लिए संदेश छिपा है कि बाज़ार को ध्यान से देखो। उसकी जरूरत को समझो। विश्व प्रसिद्ध ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद युनुस अक्सर गरीबों को स्वाभाविक उद्यमी कहते हैं। मार्केट गुरु स्वर्गीय सी के प्रह्लाद कारोबारियों से कहते थे कि वे 'बॉटम ऑफ पिरैमिड' पर फोकस करें। यदि उनके पास कौशल नहीं है तो वह उन्हें उपलब्ध कराएं। पारंपरिक उद्यमी संयोग से गरीब भी हैं। इसलिए वे वैश्विक प्रवृत्तियों से वाकिफ भी नहीं हैं।

दो खास कारणों से गरीबों को मिलने वाला अवसर विलक्षण साबित होगा। एक तो यह कि उन्हें कभी अवसर दिया नहीं गया। उनके विचार नए होंगे और पहले परखे नहीं गए होंगे। दूसरे आमतौर पर बाज़ार ने अभी तक पिरैमिड की तली की उपेक्षा की है। उनकी अपनी पूंजी बहुत कम होती है। इंश्योरेंस, बैंकों और सस्ते फायनेंस तक उनकी पहुंच होती ही नहीं।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। चार दशक तक हिंदी पत्रकारिता से संबद्ध। लखनऊ के दैनिक स्वतंत्र भारत, नवभारत टाइम्स, सहारा टेलीविजन दैनिक हिंदुस्तान आदि में काम किया। *हिंदुस्तान* के विस्तार और रिडिजाइनिंग में केंद्रीय भूमिका निभाई और वरिष्ठ स्थानीय संपादक के पद से सेवा निवृत्त। ईमेल: pjoshi23@gmail.com

वे सूदखोरों से 4 फीसदी प्रति माह या इससे ज्यादा के ब्याज पर उधार लेते हैं। बिजनेस के दूसरे जोखिमों का खतरा हमेशा उनपर रहता है। बावजूद इसके वे अमीर उद्यमियों की तरह बिजनेस में उतरते हैं तो इसका मतलब यही है कि उनके भीतर उद्यम-भावना है।

चमत्कार यह कि वे बेहद ऊंची दरों पर ब्याज देकर भी कर्ज चुकाने लायक पैसा बचा लेते हैं। वे बहुत कम डिफॉल्ट करते हैं। मतलब यह कि वे निवेश किए गए प्रति रुपये पर ज्यादा कमाई करते हैं। अन्यथा वे उधार न लेते। इसका मतलब है कि उनके कारोबार में लगाए गए कैश का रिटर्न विलक्षण रूप से ऊंचा है। एक साल में पचास फीसदी वे ब्याज देते हैं, जो शेयर बाज़ार में लगाए गए आपके पैसे के रिटर्न से कहीं ज्यादा है।

खेतिहर-ग्रामीण समाज के हुनर

हमारे पारंपरिक उद्यमों को तीन या चार मोटे वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कृषि और उससे जुड़े उद्यम। दूसरे कारीगरी और दस्तकारी। और तीसरे सेवा से जुड़े काम। खेती और उससे जुड़े कामों में पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी और वन संपदा के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े काम हैं। आटा चक्की, कोल्हू और परंपरागत खाद्य प्रसंस्करण इनमें शामिल है। इनके साथ बांस, रस्सी, कॉयर और जूट का काम भी जुड़ा है। हाल के वर्षों में फूलों की खेती और ऑर्गेनिक खेती महत्वपूर्ण कारोबार के रूप में विकसित हुई है। यह परंपरागत खेती का सुधारा हुआ रूप है। जड़ी-बूटियों की खेती भी व्यावसायिक खेती का परिष्कृत रूप है।

दस्तकारी और कारीगरी के परंपरागत शिल्प के साथ हथकरघा उद्योग जुड़ा है जो रोजगार का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। इसके साथ रेशम, कालीन, दरी और ऊनी शॉल का काम है। ठप्पे की छपाई, रेशमी और सूती धागों को बांधकर तरह-तरह चीजें बनाने की पटुआ कला। जेवरात और रंगीन पत्थरों का काम, मीनाकारी, पत्थर तराशने का काम, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, तांबे और पीतल के बर्तन यानी ठठेरों का काम, चमड़े का काम, लकड़ी के खिलौने और कारपेंटरी, परिधान निर्माण वगैरह। इनके अलावा छोटे स्तर पर सब्जी, फल, मूंगफली तथा अन्य खाद्य सामग्री के ठेले लगाने से लेकर छोटे बिसाती, हलवाई और नमकीन बनाने वाले तमाम तरह के परंपरागत काम हैं, जिनके साथ आधुनिक ज्ञान और मार्केटिंग के गुर जोड़े जाएं और साथ में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की मदद मिले तो परिणाम मिलेंगे। हज्जाम, धोबी और चौकीदारी और जूतों की मरम्मत जैसे परंपरागत उद्यम अब नए रूप में सामने आ रहे हैं। नए विकसित होते शहरों को इन सेवाओं की भारी जरूरत है। हरकारों की पारंपरिक सेवा अब लॉजिस्टिक्स के रूप में काफी बड़े कारोबार के रूप में सामने आ रही है।

छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी से जुड़ा त्योहार है पोला। भाद्र पक्ष की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। पोला के कुछ ही दिनों के भीतर तीजा मनाया जाता है। विवाहित स्त्रियां पोला त्योहार के मौके पर अपने मायके में आती हैं। हर घर में पकवान बनते हैं। इन्हें मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों भरते हैं ताकि बर्तन हमेशा अन्न से भरा रहे। बच्चों को मिट्टी के बैल, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। पुरूष अपने पशुधन को सजाते हैं, पूजा करते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं। मिट्टी के बैलों को लेकर बच्चे घर-घर जाते हैं जहां उन्हें दक्षिणा मिलती है।

दीपावली के मौके पर बाज़ारों में भारतीय खिलौने कम होते जा रहे हैं। उनकी जगह चीन में बने खिलौने ले रहे हैं। बात केवल खिलौनों तक सीमित नहीं है। भारतीय बाज़ार की जरूरतों को समझ कर माल तैयार करना और उसे वाजिब कीमत पर उपलब्ध कराना व्यावसायिक सफलता है। हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि भारत की परंपरागत उद्यम-भावना कमजोर नहीं है। उसे उचित दिशा और थोड़ा सा सहारा चाहिए और जोखिमों से निपटने वाली मशीनरी भी।

उत्तर भारत में और खासतौर से ब्रज के इलाके में शारदीय नवरात्र के दौरान शाम को टेसू और झांझी गीत हवा में गूंजते हैं। लड़के टेसू लेकर घर-घर जाते हैं। बांस के स्टैण्ड पर मिट्टी की तीन पुतलियां फिट की जाती हैं। टेसू राजा, दासी और चौकीदार या टेसू राजा और दो दासियां। बीच में मोमबत्ती या दिया रखा जाता है। जनश्रुति के अनुसार टेसू प्राचीन वीर है। पूर्णिमा के दिन टेसू तथा झांझी का विवाह भी रचाया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अब तक भारत में उत्तर से दक्षिण तक मिट्टी और लकड़ी के खिलौने और बर्तन जीवन और संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनके समानांतर कारोबार चलता है, जो आमतौर पर गांव और खेती से जुड़ा है। इसके पहले कि ये कलाएं पूरी तरह खत्म हो जाएं हमें उनके ने संरक्षकों को खोजना चाहे। देश और विदेश में मिट्टी के इन खिलौनों को संरक्षण देने वाले काफी लोग हैं। जरूरत है उन तक माल पहुंचाने की।

पारंपरिक सामग्री का उपयोग

गणेश चतुर्थी के मौके पर उत्तर भारत में भी घरों में गणेश प्रतिमा स्थापित करने का चलन बढ़ रहा है। दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाकों, खासतौर से राजमार्गों के किनारे फुटपाथों पर बिकने वाली गणेश प्रतिमाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। परंपरागत कुम्भकारी को आधुनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचों और पेंट की मदद से नई परिभाषा देने का मौका मिल रहा है। परंपरागत दस्तकारी पर्यावरण-मित्र थी, पर उसके आधुनिक संस्करण के बारे में दावे के साथ यह नहीं कहा जा सकता। गणेशोत्सव और नवरात्रि के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं नदियों में विसर्जन के काफी समय बाद तक पानी में घुलती नहीं हैं। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए लगे रासायनिक रंगों के साथ भी यही बात है। इनका असर पानी के स्रोत और जीव-जंतुओं पर भी पड़ता है।

हमारी पार्थिव पूजा की परंपरा में मिट्टी की प्रतिमाएं पूजी जाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ने कारोबार को आकर्षक बनाया है, पर उसके पर्यावरणीय खतरे हैं। थोड़ी सी सावधानी और प्रशिक्षण से इन खतरों से बचा जा सकता है। पर परंपरागत कौशलों पर असली खतरा बदलते वक्त और बदलते बाज़ार का है। पिछले साल लालकिले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा था, मेड इन इंडिया के साथ-साथ दुनिया से कहें 'मेक इन इंडिया।' उधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने कुछ ही समय बाद विजयादशमी पर अपने संदेश में कहा, 'हम अपने देवी और देवताओं की मूर्तियां व अन्य उत्पाद भी चीन से खरीद रहे हैं, जो ठीक नहीं है।'

जाने-अनजाने दीपावली की रात आप अपने घर में एलईडी के जिन नन्हें बल्बों से

प्रधानमंत्री ने हुनर सिखाने का अभियान चलाया है। स्किल डेवलपमेंट। यह हुनर नए और पुराने हर तरह के हुनर का है। शहरी विकास के साथ इलेक्ट्रीशियनों, कारपेंटरों, लोहारों, रेफ्रिजरेशन और ऑटोमोबाइल मेकैनिकों, जूते बनाने वालों, रंगरेजों, ठप्पे की छपाई करने वालों, राज-मिस्त्रियों, बुनकरों और मिटी का काम करने वालों के रोजगार भी बढ़ने चाहिए।

रोशनी करने वाले हैं उनमें से ज्यादातर चीन में बने होंगे। वैश्वीकरण की बेला में हमें इन बातों के निहितार्थ और अंतर्विरोधों को समझना चाहिए। दीपावली के मौके पर बाज़ारों में भारतीय खिलौने कम होते जा रहे हैं। उनकी जगह चीन में बने खिलौने ले रहे हैं। बात केवल खिलौनों तक सीमित नहीं है। भारतीय बाज़ार की जरूरतों को समझ कर माल तैयार करना और उसे वाजिब कीमत पर उपलब्ध कराना व्यावसायिक सफलता है। हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि भारत की परंपरागत उद्यम-भावना कमजोर नहीं है। उसे उचित दिशा और थोड़ा सा सहारा चाहिए और जोखिमों से निपटने वाली मशीनरी भी। गरीब उद्यमी को इंश्योरेंस का सहारा नहीं मिलता।

नई तकनीक और मार्केटिंग

एक न्यूज चैनल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दीये बनाने वाले कुम्हारों और उनकी दिक्कतों पर आधारित खबर दिखाई जा रही थी। दीये बनाने वाले की पत्नी का कहना था कि दीयों की बिक्री घट रही है। ये कोई और काम जानते भी नहीं हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चीन का कोई उद्यमी भारतीय बाज़ार पर रिसर्च करके मिट्टी के बर्तनों और दीयों का विकल्प तैयार करके लाए? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चीन, हमारे कुम्हार, हमारे उद्यमी या भारत सरकार? दीपक बनाने वाले दिल्ली के कुम्हार के हाथ की खाल मिट्टी का काम करते-करते गल गई थी। दस्तकारों को वक्त के साथ खुद को ढालना नहीं सिखा पा रहे हैं? या ऐसे हालात तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा हो।

प्रधानमंत्री ने हुनर सिखाने का अभियान चलाया है। स्किल डेवलपमेंट। यह हुनर नए और पुराने हर तरह के हुनर का है। शहरी विकास के साथ इलेक्ट्रीशियनों, कारपेंटरों, लोहारों, रेफ्रिजरेशन और ऑटोमोबाइल मेकैनिकों, जूते बनाने वालों, रंगरेजों, ठप्पे की छपाई करने वालों, राज-मिस्त्रियों, बुनकरों और मिट्टी का काम करने वालों के रोजगार भी बढ़ने चाहिए। हाल के वर्षों में हमने किसानों की आत्महत्याओं की खबरों पर ध्यान दिया है। इनमें बुनकर, मछुआरे, नाव चलाने वाले और दूसरे घरेलू उद्योगों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। परंपरागत शिल्पों के साथ आज भी काफी बड़ी आबादी की रोजी-रोटी जुड़ी है। उन्हें अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव करके और उसकी तकनीक को सुधारकर बेहतर बाज़ार तक लाने की जरूरत है। हमें विलाप नहीं, विकल्प चाहिए। भावुक होने से कुछ नहीं होता। ग्राहक को अच्छी रोशनी की लड़ी मिलेगी तो वह भारतीय और चीनी का फर्क नहीं करेगा। थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इन उद्यमों के लिए वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण बजाय खतरा बनने के बेहतर मौके तैयार कर सकते हैं।

परंपरागत शिल्पों के साथ आज भी काफी बड़ी आबादी की रोजी-रोटी जुड़ी है। उन्हें अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव करके और उसकी तकनीक को सुधारकर बेहतर बाज़ार तक लाने की जरूरत है। हमें विलाप नहीं, विकल्प चाहिए। भावुक होने से कुछ नहीं होता।

परंपरागत शिल्पों के सामने भारत में ही नहीं सारी दुनिया में खतरा है। इनकी रक्षा दो कारणों से होनी चाहिए। इनसे जुड़े हुनर और धरोहर को बचाना एक काम है और साथ ही यह रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। इनसे जुड़ी बड़ी आबादी को वैकल्पिक रोजगार देना आसान नहीं है। और वह इतनी जल्दी संभव भी नहीं। इसके संधिकाल में भी दो या तीन पीढ़ियां निकल जाएंगी।

मशीनीकरण खतरा या उपहार?

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का हिस्सा तकरीबन 8 फीसदी है। तकरीबन 3.6 करोड़ उद्यमों में इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ के आसपास लोगों को रोजगार मिला है। यदि संगठित तरीके से प्रयास किया जाए तो इन उद्यमों और सेवाओं के मार्फत अगले दशक में दस करोड़ नए लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं। सरकारी कार्यक्रम सन 2022 तक तकरीबन पचास करोड़ लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का है। पर ये अनुमान भी अधूरे हैं क्योंकि तमाम पारंपरिक कौशल उनमें लगाई गई पूंजी के आधार पर संगठित उद्यमों की परिभाषा में नहीं आते। इनमें ऐसे उद्यम भी शामिल हैं जिनका सालाना कारोबार 10 हजार रुपये का भी नहीं है। बहरहाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का देश के निर्यात में लगभग 40 फीसदी का हिस्सा है। इनमें लगे ज्यादातर लोगों की इन कार्यों में पीढ़ी-दर पीढ़ी की महारत है। ये परिवार उस काम को बहुत कुशलता से करते हैं। कुम्भकारी को परंपरागत कौशल का इस्तेमाल आधुनिक पॉटरी में करने पर परंपरा से प्रशिक्षित कुशल कर्मी हमें मिलते हैं। उन्हें केवल नए उपकरणों की जानकारी देनी होती है।

जिन्हें हम परंपरागत कौशल कहते हैं उनमें से काफी के लिए बदलता आर्थिक परिदृश्य खतरे का संकेत लेकर आ रहा है। हमें पहली नजर में लगता है कि मशीनीकरण के कारण निर्माण उद्योगों से जुड़े राज-मिस्त्रियों की रोजी-रोटी परेशानी में पड़ेगी। बड़े निर्माण कार्यों में मशीनीकरण के कारण मानवीय कौशल की भूमिका कम हुई है। पर यह पूरा सच नहीं है। इन बड़े निर्माण कार्यों में भी पारंपरिक मिस्त्री काम कर रहे हैं। दूसरी और छोटे स्तर पर भवन निर्माण भी अभी चल ही रहा है। कारपेंटरी के काम में मशीनें आ गईं हैं, जो कारीगर के कुछ उन कामों को आसान बना रहीं हैं, जिनमें पहले काफी समय लगता था। दिक्कत उनकी कीमत को लेकर है। इस्तेमाल की समझ को लेकर नहीं। फर्नीचर के नए डिजाइन और उसमें लगने वाली सामग्री की जानकारी देने का इंतजाम होना चाहिए।

जूते बनाने के परंपरागत शिल्प से जुड़े लोग सिंथेटिक सामग्री के इस्तेमाल को न समझ

ग्राहक को अच्छी रोशनी की लड़ी मिलेगी तो वह भारतीय और चीनी का फर्क नहीं करेगा। थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इन उद्यमों के लिए वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण बजाय खतरा बनने के बेहतर मौके तैयार कर सकते हैं।

पाने और नई डिजाइनों और फैशन की समझ विकसित न कर पाने के कारण बाज़ार में पिछड़ते जा रहे हैं। जोधपुरी मोजड़ी के दोनों पैर लंबे अरसे तक एक जैसे ही होते थे। दाएं-बाएं का फर्क नहीं होता था। डिजाइन में नयापन लाने और उचित मार्केटिंग से देशी-विदेशी विदेशी बाज़ारों में मांग बढ़ी और जोधपुरी जूतियों के कारोबार में इजाफा होने लगा।

भारतीय बाज़ारों के अलावा दुबई, जर्मनी, अमेरिका व यूरोपीय देश जोधपुरी जूतियों के बड़े बाज़ार बनकर उभरे हैं। आम तौर पर यह जूतियां ऊंट की खाल से बनाई जाती हैं। लेकिन अब कुछ लोग बकरी की खाल भी जूतियां बनाने में उपयोग करने लगे हैं। शेरवानी, अचकन, कुर्ता-पायजामा व जोधपुरी सूट के लिए खास तौर पर डिजाइनर जूतियां फैशन बनकर उभरीं हैं। लखनऊ की चिकनकारी को सुरक्षित करने और उससे जुड़े लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए संगठित प्रयास के लाभ भी मिले हैं। इसके लिए मार्केटिंग रणनीति बनाने की जरूरत भी है, जिसमें आधुनिक फैशन डिजाइनरों के साथ काम किया जाना चाहिए।

युवा मानव संसाधन

परंपरागत कौशल विकास भी युवाओं के सहारे संभव है। सौभाग्य से इस समय हमारे पास अतुलनीय युवा मानव संसाधन है। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर तौर-तरीकों में परिवर्तन भी शामिल है।

नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किओल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूकएफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग और व्यावसायिक घरानों से विचार विमर्श कर भविष्य की मांग का आकलन किया जाएगा। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल में ही लागू किए गए प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाज़ार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जाएगा। कुल 1120 करोड़ रुपये के खर्च से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस दिशा में उठाए गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नई राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गई है। इस नीति के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ❑

ACCESS PUBLISHING INDIA PVT. LTD.
www.accesspublishing.in

CIVIL SERVICES MAIN EXAMINATION BONANZA!

Available at all leading bookstores &
Flipkart
amazon.in

Address: 14/6, Ground Floor (Backside), Shakti Nagar, Delhi - 110 007
Email: info@accesspublishing.in, Ph.: 011-23843715, Mob.: 9810312114

YH-175/2015

कृषि क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता

अरविंद कुमार सिंह

खाद्यान्न से लेकर नकदी फसलों तक, कृषि कार्य एक विशिष्ट कौशलयुक्त कार्य है। फसल लगाने से लेकर प्रसंस्करण तक इस विशिष्ट कौशल की आवश्यकता पड़ती है। परंतु कृषि कर्म हमारे समाज के कृषकों के जीवन में इस तरह आत्मसात् है कि हम सहज इस विशिष्टता का अनुभव नहीं कर पाते वहीं दूसरी ओर आधुनिक समय के अनुकूल कौशलों (खासकर प्रसंस्करण व भंगुर उत्पाद प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में) के अभाव में न केवल कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है बल्कि देश के समग्र विकास पर भी इस अभाव का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से यह स्वर्णिम अवसर है कि विशिष्ट कृषि कौशलों के संवर्द्धन का प्रयास कर बेहतर भविष्य की उम्मीद की जाए

हाल में दिल्ली में पूसा राष्ट्रीय किसान मेले में आयोजित मुख्य समारोह में प्रतिष्ठित कृषि उद्यमी कृष्णा यादव को सम्मानित किया गया। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मेलों में मैं उनका स्टाल देखने आ रहा था, जहां अचार, मुरब्बे, जूस और कई दूसरे उत्पादों को खरीदने वालों की भारी भीड़ लगी रहती थी। उनको पुरस्कार मिला तो उनकी वास्तविक कहानी जानने की जिज्ञासा मन में हुई। बातचीत में पता चला कि अशिक्षित कृष्णा यादव पहले दिल्ली देहात में बंटाई पर अपने पति के साथ खेती करती थीं। काफी मेहनत से साग-सब्जियां उगाती थीं लेकिन वे औने-पौने दामों पर बिकती थीं। खेती से घाटा ही हो रहा था और घर चलाना और बच्चों को पढ़ाना भी कठिन था। काफी साग-सब्जियां बर्बाद हो जाती थीं। एक दिन उन्होंने रेडियो पर सुना कि सब्जियों का आचार बनाकर लाभ कमाया जा सकता है लेकिन वे आरंभ कैसे करें, इसका ज्ञान न था। किसी ने उनको कृषि विज्ञान केंद्र का पता दिया तो वे वहां गईं और बाकायदा प्रशिक्षण लिया। फिर पूसा संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर ज्ञान का विस्तार किया। ज्ञान और कौशल हासिल करके महज 30, 40 रुपये की छोटी पूंजी से सड़क किनारे ताजे अचार बेचने की शुरुआत की। उत्पाद लोकप्रिय होने लगे तो छह वर्षों में गुड़गांव में अपना कारखाना खोल लिया। खेती से गुजारा नहीं हो पाता था लेकिन आज उन्होंने 400 लोगों को रोजी-रोटी दे रखी है। खेती के उत्पादों से ही आगे बढ़ते हुए वे तमाम संकट से घिरे किसानों के लिए एक प्रेरक कहानी बन चुकी हैं लेकिन ऐसी कहानियां केवल कृष्णा यादव की ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में बिखरी पड़ी हैं लेकिन सफलता उनको ही मिली है जो ज्ञान और कौशल से लैस हैं।

बीते कुछ वर्षों में भारत में खेती एक अजीबो-गरीब संकट से जूझ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए बीते एक वर्ष में कई नयी योजनाएं आरंभ की हैं और बीज से लेकर व्यापार तक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है लेकिन कृषि संकट बहुआयामी है इस नाते योजनाओं का असर दिखने में समय लगेगा। फिर भी एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब खेती-बाड़ी के भरोसे ही किसानों का कल्याण नहीं होने वाला। गेहूं, चावल, कपास या गन्ना जैसी परंपरागत फसलों के साथ उनको कुछ ऐसा नया करना होगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी। शहद उत्पादन से लेकर तमाम दूसरे काम-धंधों के साथ जुड़कर किसान जैविक खेती जैसे संभावनाओं भरे क्षेत्र से भी काफी कुछ हासिल कर सकते हैं।

तो, खेती-बाड़ी से जुड़े राष्ट्रीय या वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से आखिर कौन सा काम करें, जिससे उनका जीवन और बेहतर बने? इसके लिए उनको ज्ञान कौन देगा और कौशल कहां से आएगा? 125 करोड़ की विशाल आबादी वाले देश में गांवों में अभी भी परंपरागत तरीके से खेती करने वालों का बहुमत है। आधुनिक तकनीकें और कृषि उपकरणों की मौजूदगी के बावजूद खास तौर पर तंगहाल छोटे किसान उनका लाभ नहीं

लेखक राज्य सभा टीवी में वरिष्ठ सहायक संपादक हैं। वह परिवहन व संचार विषय के विशेषज्ञ हैं तथा रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के परामर्शदाता रह चुके हैं। इससे पहले चौथी दुनिया, अमर उजाला, जनसत्ता एक्सप्रेस तथा इंडियन एक्सप्रेस में काम किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन लोकसभा टीवी व कई अन्य चैनलों से भी जुड़े रहे। 'भारतीय डाक: सदियों का सफरनामा' पुस्तक हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तथा कई अन्य भाषाओं में प्रकाशित। हाल में उन्हें चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईमेल: arvindksingh.rstv@gmail.com

उठा पाते। वे घाटे की खेती करते हुए ऐसे दुष्चक्र में उलझे हैं कि ज्ञान और कौशल से वंचित रह जाते हैं। दूसरी ओर खेती की कम होती प्रतिष्ठा और चुनौतियों के नाते युवाओं की खेती में रुचि घटती जा रही है। विख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एम. स्वामीनाथन का मानना है कि युवाओं को खेती में जोड़े रखना बहुत बड़ी चुनौती है।

कृषि कौशलः सरकार का नजरिया

खेती में कौशल विकास पर सरकार संजीदा है। सरकार ने खेती-बाड़ी के क्षेत्र में कौशल विकास के तहत *स्टूडेंट रेडी* के नाम से एक क्रांतिकारी योजना आरंभ की है। यह सफल रही तो दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं और इससे तमाम संकटों से निजात पाने के साथ कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। स्वाभाविक तौर पर इससे खेती में युवाओं को जोड़े रखने में मदद भी मिलेगी। छात्रों में हुनर विकास की इस योजना के तहत कृषि स्नातकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करते हुए ज्ञान आधारित कृषि उद्यमिता का विकास करना है। इससे खेती में युवाओं को आकर्षित करने के साथ गांवों से उनका पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण उद्यमशीलता और जागरूकता विकास योजना के तहत कृषि शिक्षा में युवाओं में उद्यमशीलता के लिए कौशल विकास को परियोजना मोड़ में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है।

सरकार ने खेती-बाड़ी के क्षेत्र में कौशल विकास के तहत *स्टूडेंट रेडी* के नाम से एक क्रांतिकारी योजना आरंभ की है। यह सफल रही तो दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं और इससे तमाम संकटों से निजात पाने के साथ कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। स्वाभाविक तौर पर इससे खेती में युवाओं को जोड़े रखने में मदद भी मिलेगी।

यह सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और देश की 62 फीसदी आबादी कामकाजी आयुवर्ग की है। एक ओर दुनिया में हुनरमंद श्रम में आगामी वर्षों में चार फीसदी तक की कमी होने का संकेत मिल रहा है, जबकि भारत में इस कार्यबल में 32 फीसदी तक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। ऐसे में यह एक अहम मौका है कि हम व्यापक श्रम बल को रोजगार पर आधारित हुनर के साथ लैस करके उनको और सशक्त करते हुए विश्व में एक नयी शक्ति बन सकें। अभी हमारी दशा ही बहुत खराब है और हमारे कुल श्रम बल का महज 2.3 फीसदी ही औपचारिक रूप से विभिन्न हुनर आधारित विधाओं में प्रशिक्षित है। कौशल विकास की तरफ पहले हमारा खास ध्यान नहीं रहा। कुछ काम टुकड़ों-टुकड़ों में हुए लेकिन उनका व्यापक असर देखने को नहीं मिला।

हालांकि हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों में 60 फीसदी ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं लेकिन उनमें पढ़ाई के बाद इस बात का आत्मविश्वास नहीं पैदा हो पाता कि वे अपने प्रयासों से कृषि उद्यम आरंभ करें लेकिन *स्टूडेंट रेडी* कार्यक्रम कौशल विकास के साथ आत्मविश्वास भी पैदा करेगा। इसके तीन अहम घटक हैं। पहला है 24 सप्ताह का अनुभव आधारित प्रशिक्षण, दूसरा है 10 सप्ताह का ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव और तीसरा है 10 सप्ताह का उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण। इसके तहत कृषि स्नातकों को शैक्षिक अध्ययन के दौरान हुनरमंद बनाते हुए रोजगार के अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव में छात्रों को ग्रामीण परिवेश के साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को समझने का मौका मिलेगा। वहीं कृषकों के सामाजिक-आर्थिक हालात से परिचित कराने में मदद मिलेगी। वहीं अनुभव आधारित प्रशिक्षण में परियोजना विकास और क्रियान्वयन, एकाउंटेंसी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग सरीखे कौशल विकास के बाद उद्यम प्रबंध के विकास में मदद मिलेगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्नातक पाठ्यक्रमों की डिग्री के लिए *स्टूडेंट रेडी* के तहत इन चरणों को पूरा किया जाना अनिवार्य है।

इस योजना का दायरा व्यापक है और इसमें बायोएजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स का उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, मशरूम उत्पादन, मृदा और पौध विश्लेषण इकाइयां, मधुमक्खी पालन, ब्रॉयलर और लेयर उत्पादन, पशु देखभाल क्लीनिक, जलकृषि, हाईटेक बागवानी, फल-सब्जियों, औषधीय पौधों, दूध, मांस, मछली आदि के साथ मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के लिए कटाई उपरांत प्रसंस्करण जैसे सारे अहम पक्ष शामिल हैं। क्षेत्रवार जरूरतों के तहत वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के चयन का लचीला प्रावधान भी है। इसके तहत कृषि अनुसंधान संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से छात्रों को खेती के तमाम अनुभवों को हासिल करने का मौका मिलेगा। सरकारी योजना है कि देश में सालाना करीब 25,000 छात्रों को *स्टूडेंट रेडी* के तहत रोजगार के लिए हुनरमंद बनाया जाएगा।

कृषि शिक्षाः एक नजर

देश में इस समय 77 कृषि विवि हैं। इनमें से पांच सम विश्वविद्यालय और दो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं इनमें से सलाना करीब 50,000 छात्र निकलते हैं। इस तरह एक बड़े लक्षित समूह को केंद्र में रखकर पहली बार काम किया जा रहा है। साथ ही *मेक इन इंडिया* कार्यक्रम के तहत भी कृषि क्षेत्र से काफी संभावनाएं हैं खास तौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। हाल में केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने की दिशा में भी पहल की है और इसके लिए चार हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। देश के तमाम हिस्सों में बिखरे 642 कृषि विज्ञान केंद्रों में 435 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं, जबकि 99 एनजीओ से और 55 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं से जुड़े हैं। सरकार इनकी निगरानी बढ़ाने और सुविधाओं के विस्तार के साथ 45 नए केंद्र खोलने जा रही है।

ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव में छात्रों को ग्रामीण परिवेश के साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को समझने का मौका मिलेगा। वहीं कृषकों के सामाजिक-आर्थिक हालात से परिचित कराने में मदद मिलेगी। वहीं अनुभव आधारित प्रशिक्षण में परियोजना विकास और क्रियान्वयन, एकाउंटेंसी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग सरीखे कौशल विकास के बाद उद्यम प्रबंध के विकास में मदद मिलेगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

भारत सरकार ने इसके पहले 2002 में एक योजना एग्रीक्लीनिक और एग्रीबिजनेस सेंटर के लिए लांच की थी जिसके तहत 40,000 से अधिक कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित किया गया। इस योजना में 2010 में संशोधन किया

गया ताकि रोजगार के साथ देहात के इलाकों में सक्षम और कुशल लोगों को विस्तार सेवाओं में लगाया जा सके। वहीं ग्रामीण युवाओं और ख़ास तौर पर खेतिहर महिलाओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि उत्पादों के मूल्यवर्द्धन और कटाई उपरांत साज-संभाल, गृह वाटिका, नर्सरी उगाने, पुष्पकृषि, मधुमक्खी पालन, खुम्बी उत्पादन, केंचुओं की खाद बनाने, डेयरी, मुर्गीपालन आदि का गहन प्रशिक्षण की दिशा में भी कुछ काम आगे बढ़े थे। यह ठीक से जमीन पर उतरते तो ग्रामीणों को अधिक आय सृजित करने के लिए बाज़ारों से जोड़ने में मदद मिलती।

यूपीए-2 के शासन में मनरेगा में बदलाव कर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर कौशल विकास की दिशा में एक पहल हुई। युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित कर

आज कई क्षेत्रों में हमारे कृषि स्नातकों की मांग बढ़ रही है। निजी क्षेत्र में तो खास तौर पर उनकी सेवाएं बढ़ी हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अनुसंधान-विकास संगठन, वाणिज्यिक बैंक और बीमा क्षेत्र, एनजीओ, खाद और रसायन कंपनियां, सहकारिता क्षेत्र की कंपनियां, कृषि उपकरण बनाने वाली औद्योगिक इकाइयां, बीज उत्पादन में लगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वानिकी और फलोत्पादन क्षेत्र में उनके लिए रोजगार के काफी मौके हैं।

नौकरी दिलाना इसका लक्ष्य था। योजना के तहत 2012-13 में 2.01 लाख और 2013-14 में 3.40 लाख युवाओं को आजीविका विकास के तहत प्रशिक्षित किया गया लेकिन योजना के अपेक्षित परिणाम इससे मिल नहीं सके।

आज कई क्षेत्रों में हमारे कृषि स्नातकों की मांग बढ़ रही है। निजी क्षेत्र में तो खास तौर पर उनकी सेवाएं बढ़ी हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अनुसंधान-विकास संगठन, वाणिज्यिक बैंक और बीमा क्षेत्र, एनजीओ, खाद और रसायन कंपनियां, सहकारिता क्षेत्र की कंपनियां, कृषि उपकरण बनाने वाली औद्योगिक इकाइयां, बीज उत्पादन में लगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वानिकी और फलोत्पादन क्षेत्र में उनके लिए रोजगार के काफी मौके हैं। हमारा कृषि क्षेत्र आज एक अलग पहचान बना रहा है। भारत आज दूध उत्पादन में नंबर एक पर है जबकि फल और सब्जी में दूसरे और अनाज में तीसरे नंबर पर। दुनिया की 60 प्रकार की मिट्टियों में 46 भारत में है। दुनिया की 11 फीसदी खेती लायक जमीन की तुलना में भारत में 52 फीसदी जमीन खेती लायक है और देश में शहरी आबादी तेजी से बढ़ने के बाद भी 68.74 फीसदी लोग देहात में ही रह रहे हैं। इस नाते ग्रामीण इलाकों और खास तौर पर किसानों का कायाकल्प जरूरी है क्योंकि उनकी दशा काफी चिंताजनक बनती जा रही है।

वर्तमान चुनौतियां

हमारी खेती-बाड़ी का क्षेत्र आज तमाम चुनौतियों से घिरता जा रहा है। हमारी शहरी आबादी 1951 में 17.3 फीसदी थी जो आज 31.16 फीसदी हो गई है। गांवों से पलायन जारी है, तमाम किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। 2007 से 2012 के दौरान 3.2 करोड़ से अधिक किसान अपनी जमीन बेचकर या घर बार छोड़कर शहरों में चले गए लेकिन शहरों में भी वे कोई हुनर न होने के कारण दैनिक मजदूरी से अधिक कुछ करने की हालत में नहीं होते। फिर भी पूंजी का केंद्र महानगर बन गए हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। बढ़ई और लोहार खेती के काम के लिए हल और फाल बनाते थे, कुम्हार मिट्टी के बरतन और माली फूलों की माला। इनके हाथों में हुनर था, लेकिन तमाम कारणों से उनका काम बिखर गया। वहीं हाल के वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ती आबादी, भू-जोतों के विखंडन आदि के चलते संचालनात्मक भू-जोतों का औसत आकार 2005-06 के 1.23 हैक्टेयर से घटकर 1.16 हैक्टेयर हो गया है। ऊपर से मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। फिर भी तमाम चुनौतियों के बाद भी खेती-बाड़ी प्रगति कर रही है।

बीते एक दशक में हमारा चावल उत्पादन 830 लाख टन से बढ़कर 1040 लाख टन हो गया, जबकि गेहूं उत्पादन 680 लाख टन से 920 लाख टन हो गया। इसी दौरान कृषि निर्यात में सात गुना से अधिक बढ़ोत्तरी हुई। आज हम 1.74 लाख करोड़ रुपये का कृषि निर्यात कर रहे हैं लेकिन हरित क्रांति आज मुरझाती जा रही है और दूसरी हरित क्रांति आगे नहीं बढ़ पाई है। उदारीकरण के बाद खेती की जगह सेवा और विनिर्माण क्षेत्र को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलने से भी हालात बदले हैं। बाज़ारीकरण ने किसानों को परंपरागत खेती से महंगे मशीनों और संकर बीजों की ओर मोड़ा लेकिन फायदा किसानों की जगह बिचौलियों को मिला। खेती-बाड़ी देश के लोगों का पेट ही नहीं भरती, बल्कि हमारे उद्योगों को कच्चा माल भी मुहैया कराती हैं। फिर भी उसे तवज्जो नहीं दी गई।

हाल के वर्षों में खेती में वह सम्मान नहीं रहा जो पहले था। आज किसान समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। किसानों और अन्य संगठित क्षेत्र के बीच 1970 के दशक में जो अंतर 1-2 का था वह अब बढ़कर 1-8 को हो गया है। देश में कुल बुवाई का 60 फीसदी इलाका आज भी बारिश के भरोसे है। फिर भी यह क्षेत्र अनाज में 40 फीसदी योगदान देता है लेकिन इसी क्षेत्र में करीब 88 फीसदी मोटा अनाज, 87.5 फीसदी

अनुमान है कि 2022 तक अर्थव्यवस्था के 24 सेक्टरों में 11 करोड़ अतिरिक्त जनशक्ति की जरूरत होगी। खेती-बाड़ी भी इसमें अहम पक्ष है। खेती में कौशल विकास के क्षेत्र को लेकर हाल में काफी मंथन चला है। जून 2015 में रायपुर में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग के उपसमिति की बैठक में खेती और उद्यानिकी को भी कौशल उन्नयन से जोड़ने की रणनीति बनी।

दलहन, 48 फीसदी चावल और 67 फीसदी कपास उगाया जाता है। यही इलाका सबसे अधिक संकटमय है और यहां के लिए नयी रणनीति अपेक्षित है। आज हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। अधिकतर गांवों तब मोबाइल फोन और इंटरनेट पहुंच गए हैं। फिर भी किसान तकनीक में पीछे हैं। इसके लिए ठोस नीति ही नहीं बन सकी है।

आज भूमि-आधार का घटना, जल संसाधनों का कम होना, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों, कृषि श्रमिकों की कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में घटती-बढ़ती लागत और उससे जुड़ी अनिश्चितताएं खेती की चिंता के खास बिंदु हैं। इनमें मुकाबला करने के लिए बहुत-सी रणनीतियों पर काम करने की जरूरत है। 21वीं शताब्दी में वैश्विक बाज़ार में किसी भी देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता उसकी अर्थव्यवस्था की मजबूती, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मौजूदा तथा

उभरती शाखाओं में उसके योगदान और एक भूमंडलीकृत दुनिया की जरूरतों के अनुरूप उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। आने वाले समय में मुख्यत: ज्ञान एवं कौशल के बल पर ही आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। चाहे वह खेती का क्षेत्र हो या फिर दूसरा।

जिन देशों में कौशल का स्तर बेहतर होगा, वे भूमंडलीकृत दुनिया में उपलब्ध विकास के अवसरों तथा चुनौतियों के अनुरूप खुद को कहीं ज्यादा कारगर ढंग से ढाल सकेंगे। कौशल विकास से ही हम ज्यादा तेजी से टिकाऊ एवं समावेशी विकास हासिल कर सकेंगे और युवाओं को बेहतर रोजगार दे सकेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मुख्य प्रेरक और सूत्रधार हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 40 करोड़ भारतीय युवाओं को हुनरमंद बनाने की महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर साकार हुई तो वाकई देश की तकदीर बदल सकती है।

नीतिगत समन्वय

प्रधानमंत्री का मानना है कि यदि चीन दुनिया की फैक्ट्री बन सकता है, तो भारत विश्व में मानव संसाधन प्रदान करने वाली धुरी क्यों नहीं। वर्ष 2030 में विकसित देशों में पांच करोड़ नौकरियों के लिए युवा शक्ति की कमी होगी और भारत में पांच करोड़ युवा नौकरियां ढूंढ रहे होंगे। अनुमान है कि 2022 तक अर्थव्यवस्था के 24 सेक्टरों में 11 करोड़ अतिरिक्त जनशक्ति की जरूरत होगी। खेती-बाड़ी भी इसमें अहम पक्ष है। खेती में कौशल विकास के क्षेत्र को लेकर हाल में काफी मंथन चला है। जून 2015 में रायपुर में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग के उपसमिति की बैठक में खेती और उद्यानिकी को भी कौशल उन्नयन से जोड़ने की रणनीति बनी। तय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में कौशल उन्नयन करना जरूरी है और मनरेगा श्रमिकों को भी कौशल विकास से जोड़ना चाहिए। कौशल और ज्ञान वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भविष्य के बाज़ारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अवश्य ही हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण लाभ मिलेगा।

हमारी चिंता के खास बिंदुओं में भूमिहीन कृषि कामगारों की बढ़ रही संख्या भी है। वर्ष 2001 की गणना में हमारे देश में 10.67 करोड़ से अधिक भूमिहीन कृषि कामगार थे, जिनकी संख्या 2011 में 14.43 करोड़ हो गई। बीते एक दशक में बहुत से किसान तमाम आर्थिक दबावों और दूसरे कारण ों से भूमिहीन बन गए। गांवों में कम मजदूरी दरों, रहन-सहन का कमजोर स्तर और बच्चों के लिए शिक्षा की कमी के नाते वे शहरों को पलायन कर रहे हैं। बीते सात वर्षों में कृषि श्रमिकों की संख्या में 3.57 करोड़ की कमी हो गई और कुल कार्यबल में कृषि का अनुपात भी 56.7 फीसदी से घटकर 48.8 फीसदी पर आ गया है।

उम्मीद की किरण

2014-15 के बजट में भारत सरकार ने 50 लाख से अधिक बटाई पर खेती करने वाले या भूमिहीनों को कर्ज देने का फैसला लिया। इसका लाभ गांवों में छोटे-मोटे काम धंधों में लगे लोग और नाई, दस्तकार और मोची भी उठा सकेंगे और अपने कौशल के बूते बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। हमारी खेती की रीढ़ छोटे किसान हैं और उनके कंधों पर ही हमारी खाद्य सुरक्षा टिकी है। लेकिन उनकी दशा सबसे दयनीय है। भारत में 13.78 करोड़ किसान हैं जिसमें से 11.71 करोड़ छोटे-मझोले हैं। इन पर ही हमारी खाद्य सुरक्षा टिकी हुई है। आज छोटे किसान भारी दबाव में हैं। खेती के नाम पर मिलने वाले कर्ज का 94 फीसदी हिस्सा बड़ी जोत वाले किसानों के हिस्से में आता है। छोटे और सीमांत किसानों के हिस्से आता है महज छह फीसदी। छोटे किसान अनाज या फल-सब्जियां ही नहीं आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी मददगार हैं। छोटे किसानों की छोटी जोतों को लाभकारी बनाना और उनकी आजीविका सुरक्षा आसान काम नहीं है। किसान आपस में मिलकर खेती करें और सहकारी संस्था या कंपनी बनाएं तो आमदनी बढ़ सकती है लेकिन इसकी मानसिकता तैयार करना आसान नहीं। छोटे किसानों को खेती के साथ डेयरी और मजबूती दे सकता है लेकिन इसके लिए उनको समर्थन चाहिए।

> **इस उद्योग से सृजित होने वाले रोजगार की तुलना में इस उद्योग से संबद्ध क्षेत्रों में 2.4 गुना प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होता है। बागवानी एक बेहतर विकल्प है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बागवानी की पैदावार पांच गुणा तक बढ़ाया जा सकता है। हर गांव में बागवानी विशेषज्ञ तो नहीं पैदा हो सकते लेकिन किसान प्रशिक्षित हो सकते हैं।**

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्यान सालाना 2.5 लाख रोजगार सृजित करने की दर से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि इस उद्योग से सृजित होने वाले रोजगार की तुलना में इस उद्योग से संबद्ध क्षेत्रों में 2.4 गुना प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होता है। बागवानी एक बेहतर विकल्प है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बागवानी की पैदावार पांच गुणा तक बढ़ाया जा सकता है। हर गांव में बागवानी विशेषज्ञ तो नहीं पैदा हो सकते लेकिन किसान प्रशिक्षित हो सकते हैं।

फिर भी हकीकत यह है कि हमें अपने 35 फीसदी फलों और सब्जियों को सड़कों पर फेंकना पड़ता है क्योंकि देश में कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और ग्रेडिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण तथा परीक्षण जैसी सुविधाओं का भी अकाल है। जिस पर अक्षम आपूर्ति शृंखला संभावनाओं भरे इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। देश में अब तक अनाज गोदाम या कोल्ड स्टोरेज का जैसा प्रबंध होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। फल सब्जी और दूसरे जल्दी नष्ट होने वाले फसलों की कटाई के बाद की कुल हानियां एक लाख करोड़ रुपये की आंकी गई है। इनमें से कुछ उपाय करके हम 57 फीसदी बचा सकते हैं लेकिन यहां भी बहुत सा ज्ञान, कौशल और आधारभूत ढांचे का विकास चाहिए।

ग्रामीण इलाकों में कारीगरों की दशाएं खराब होती जा रही हैं। इनको केंद्र में रखकर जुलाई 1992 के दौरान उन्नत औजार किट योजना आरंभ की गई। गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लौहारों, बढ़ई, पत्थर तराशी करने वाले, चमड़े का काम करने वाले और कुम्हारों को इससे मदद मिली। बाद में 1995-96 में योजना का विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। हालांकि इससे उत्पादकता नहीं बढ़ी क्योंकि वे जो औजार पहले उपयोग में ला रहे थे, नए

(शेषांश पृष्ठ 76 पर)

क्षमताओं और संसाधनों को पूंजी में बदलना

मनोज जोशी
अरूण भदौरिया
शैलजा दीक्षित

कौशल विकास को प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से अभिगृहीत या विकसित प्रवीणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैश्विक नेतृत्व ने उनकी राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से कौशल विकास की भूमिका और इसके प्रभाव को स्वीकृति दी है। इससे व्यक्ति विशेष की बदलती बाज़ार की मांगों और उद्यमी गतिविधियों एवं नवीनीकरण के लाभ को अपने अनुकूल करने की योग्यता सशक्त होती है। आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बदलती अर्थव्यवस्थाओं की नई मांगें पूरी करने के लिए अवसरों का पता लगाया जाए

युवा शक्ति की अधिकता वाले भारत जैसे देश में आर्थिक विकास से प्राप्त होने वाली आर्थिक उन्नति के संदर्भ में यह अनिवार्य है कि कौशल विकास को प्रमुख वरीयता दी जाए। यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास दो पद्धतियों से प्राप्त किया जा सकता है, पहला वर्तमान व्यवस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाकर, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिले और विकास तेजी से हो। दूसरी पद्धति है कि स्वरोजगार युवाओं और उद्यमियों को उपयोगी कौशल उपलब्ध कराकर एक ऐसी एक नई रूपरेखा तैयार की जाए, जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप हो और जिससे आर्थिक विकास को अतिरिक्त ईंधन मिल सके। दोनों की अपनी क्षमताएं और सीमाएं हैं। जिसकी रूपरेखा की चर्चा आगे की गई है। हालांकि, इस प्रस्तावित नीति लेख में कौशल विकास चर्चा का केंद्रीय बिंदु बनकर उभरा है। फिर भी आर्थिक प्रगति का विचार, विकास आर्थिक समृद्धि में परिवर्तित होता है। इसे वर्तमान निर्धारित और समृद्ध कौशलों और संसाधनों के सर्वाधिक उपयोग के माध्यम से अपना रास्ता खोजना होगा।

संस्थागत प्रयास और सीखे गए सबक

हाल के वर्षों में भारत सरकार ने गरीबी में कमी लाने के लिए और समावेशी विकास के प्रोत्साहन के लिए अनुदान आधारित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में बड़े निवेश करने के लिए उत्सुक रही है। इसके अलावा संपूर्ण समृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'मेक इन इंडिया' योजना है। वास्तव में ऐसी योजनाओं के माध्यम से एक तरफ संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग किया जा सकेगा साथ ही नए संसाधनों की पहचान की जा सकेगी और कई बार आवश्यकता आधारित नवीनीकरण एवं अनुसंधान होते हैं। 'स्किल इंडिया मिशन' (कौशल भारत योजना) इस दिशा में ठोस प्रयास है। जब बात जनता की आजीविका सुरक्षा की हो, तो सबसे पहले कौशल आधारित अधिगम चर्चा में आता है। सफल उपक्रम और कल्याण पथ तक पहुंचने के लिए कौशल, उपलब्धता एवं सुलभता आजीविका सूचकांक समझे जाते हैं। कौशल का विकास शायद ही कभी अपने आप होता है। इसका पोषण अवसर प्राप्त करने के लिए संघर्ष से जीवन व्यतीत करने और लगातार कार्य में लगे रहने से होता है। समसामयिक शिक्षा जगत और नीति निर्माण में कौशल विकास के फलस्वरूप होने वाली बहस में सबसे ज्यादा जोर औद्योगिक उपक्रम के संबंध में कौशल को सुव्यवस्थित करने पर है। उपक्रम पूंजीपति और दूसरे निवेशक अभी तक उद्योग

मनोज जोशी अमेटी यूनिवर्सिटि, लखनऊ कैंपस के उद्योग उपकरण अमेटी बिजनेस स्कूल में रणनीति, नवाचार और उद्यमिता के प्रोफेसर हैं। वह द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फैलो भी हैं तथा *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन* के एशिया संपादक तथा *जर्नल ऑफ फैमिली बिजनस मैनेजमेंट* के भारत क्षेत्रीय संपादक हैं। ईमेल: manoj.m.joshi@gmail.com
अरुण भदौरिया अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर हैं तथा *एग्री बिजनस* उनकी पसंद का विषय है। ईमेल: drarunbhadauria@gmail.com
शैलजा दीक्षित मार्केटिंग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनकी रुचि *उद्यमिता* विषय में है। ईमेल: shailjadixit1@gmail.com

और कौशल प्रसरण एवं परिमार्जन के क्षेत्र में अनदेखे नवीनीकरण अवसरों की उपयोग में लाने के लिए की प्रारंभिक मार्ग ढूंढ़ रहे हैं। रोजगार योग्य संसाधनों का पर्याप्त कोष तैयार करने के बावजूद क्षमताएं शायद ही कभी सफल उद्यम में परिवर्तित होती हैं। सामाजिक अभावग्रस्तता और संबंधित समाजशास्त्रीय मुद्दे आर्थिक समृद्धि, उन्नति और विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में अवरोधक हैं।

कौशल विकास से आर्थिक विकास

कौशल विकास को प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से अभिगृहीत या विकसित प्रवीणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैश्विक नेतृत्व ने उनकी राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से कौशल विकास की भूमिका और इसके प्रभाव को स्वीकृति दी है। इससे व्यक्ति

भविष्य में राष्ट्रों की समृद्धि अंततः रोजगार में लोगों की संख्या और कार्य में उनकी उत्पादकता पर निर्भर करेगी। यह एक विचित्र स्थिति है जिसमें सबसे सफल और प्रगतिशील राष्ट्र वे होंगे जो अनिश्चितता, जटिलता, संदिग्धता और उत्तेजनशीलता का सामना करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार कौशल विकास को वृहत विकास, रोजगार और विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप की अनिवार्यता से जोड़ा जा सकता है।

विशेष की बदलती बाज़ार की मांगों और उद्यमी गतिविधियों एवं नवीनीकरण के लाभ को अपने अनुकूल करने की योग्यता सशक्त होती है। कौशल विकास के प्राथमिक निर्धारकों के अलावा यह भी आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बदलती अर्थव्यवस्थाओं की नई मांगों को पूरा करने के लिए अवसरों और चुनौतियों का पता लगाया जाए।

भविष्य में राष्ट्रों की समृद्धि अंततः रोजगार में लोगों की संख्या और कार्य में उनकी उत्पादकता पर निर्भर करेगी। यह एक विचित्र स्थिति है जिसमें सबसे सफल और प्रगतिशील राष्ट्र वे होंगे जो अनिश्चितता, जटिलता, संदिग्धता और उत्तेजनशीलता का सामना करने में सक्षम होंगे। (अबिदी एंड जोशी, 2015) इस प्रकार कौशल विकास को वृहत विकास, रोजगार और विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप की अनिवार्यता से जोड़ा जा सकता है।

वर्तमान प्रतिस्पर्धा में भारत को बढ़त

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2020 तक विश्वभर में 4 करोड़ 70 लाख कामगारों की कमी हो जाएगी। दूसरी तरफ भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसकी संभावनाओं से भरी जनसांख्यिकी पूरी दुनिया में सुर्खियां बना रही है। वर्तमान में यह 15-59 आयुवर्ग की 62 प्रतिशत कामकाजी जनसंख्या के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। साथ ही इसकी कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु का है।

2022 तक भारत के पास 5 करोड़ 60 लाख अतिरिक्त कामकाजी जनसंख्या होगी। आज भी प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 20 लाख युवा श्रमबल में प्रवेश करते हैं। इनको अगर समुचित शिक्षा और कौशल प्रदान किया जाए तो वे एक बहुत बड़ा मानव संसाधन बन सकते हैं। जो न सिर्फ भारत के उभरते बाज़ार, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की पूर्ति कर सकते हैं। (12वीं पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग का नीति दस्तावेज)

भारत दूसरे अन्य एशियाई देशों की तरह श्रम बाज़ार के 5 परिवर्तनों से होकर गुजर रहा है। कृषि से गैर कृषि, ग्रामीण से शहरी, असंगठित से संगठित, स्वरोजगार निर्वाह से पर्याप्त वेतन रोजगार और स्कूल से कार्य। भारत की जनसंख्या को लंबे समय तक श्राप समझा जाता रहा, जो अब वांछित जनसांख्यिकी में परिवर्तित हो गई है। जनसांख्यिकी के इस हिस्से से तात्पर्य केवल लोगों से नहीं है, इसका मतलब शिक्षित, कौशलयुक्त और रोजगारयुक्त लोगों से है। निम्न श्रम मूल्य और समृद्ध प्रतिभा भारत के लिए विलक्षण लाभ हैं। जो ज्ञान आधारित समाज में इसके वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को स्पष्ट रूप से सुदृढ़ करता है। (सबरवाल, 2013)

कौशल की कमी पूरा करना: भारत में कौशल प्रशिक्षण के अवसर

ऐसे समय में जब वैश्विक जनसंख्या तेजी से वृद्ध हो रही है। भारत का दुनिया की सबसे युवा आबादियों में से एक होना इसके जनसांख्यिकी लाभांश के संबंध में एक योजनात्मक रूप से लाभ की स्थिति है। हालांकि भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या कौशल विहीन हैं। वर्ल्ड इक्नामिक फॉरम ग्लोबल टेलेंट रिस्क रिपोर्ट 2011 सचेत करती है कि भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देशों को निम्न नियोजनीयता के कारण बड़ी कौशल कमी का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले और उद्योग के लिए आवश्यक कौशलों के बीच काफी ज्यादा अंतर है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के प्रयासों के बावजूद वर्ष 2022 तक 50 करोड़ कौशलयुक्त श्रम को प्राप्त करने का लक्ष्य बहुत बड़ा है।

आर्थिक विकास और अवसरों के उपयोग में अंतर-

1. अल्प विकसित देशों में ढांचागत आजीविका व्यवस्था दोषपूर्ण है। जैसे कि संसाधनों का तिरछा वितरण, भूमिधारण का विखंडन, खराब संयोजन और शिक्षा और जागरूकता का निम्न स्तर, आर्थिक रूप से

भारत की जनसंख्या को लंबे समय तक श्राप समझा जाता रहा, जो अब वांछित जनसांख्यिकी में परिवर्तित हो गई है। जनसांख्यिकी के इस हिस्से से तात्पर्य केवल लोगों से नहीं है, इसका मतलब शिक्षित, कौशलयुक्त और रोजगारयुक्त लोगों से है। निम्न श्रम मूल्य और समृद्ध प्रतिभा भारत के लिए विलक्षण लाभ हैं। जो ज्ञान आधारित समाज में इसके वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को स्पष्ट रूप से सुदृढ़ करता है। (सबरवाल, 2013)

कमजोर और गरीबों के लिए विकासात्मक क्रियाओं की तरफ पिछड़ा और दमनकारी दृष्टिकोण, जीवन योग्य परिस्थितियों का अभाव और अनियमित आवास।

2. सोच समझकर उत्पादन की बेहतर तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना और कृषि-पर्यावरणीय की समुचित फसलों में विविधीकरण के माध्यम से उपज को स्थिर करने की प्रक्रिया, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आर्थिक और राजनीतिक वितरण प्रणाली की शून्यता को भरना, व्यापार उन्मुख और किफायती कदम उठाने की आवश्यकता। (उदाहरण के तौर पर मिट्टी और जल का संरक्षण)

3. स्व-पोषणकारी व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य के लिए वैकल्पिक आय देने वाली गतिविधियों को लेकर प्रक्रियागत दृष्टिकोण। (उदाहरण के तौर लघु उद्यम विकसित करने की गतिविधियां)

4. आर्थिक, पर्यावरणीय, वैश्विक और निस्संदेह स्थानीय तौर पर संपोषणीय योजनाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। (उदाहरण के तौर पर मौसम के अनुरूप कृषि से अलग रोजगार)

5. झटकों से बचाने के लिए मध्यवर्ती भंडार की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए ऑन साइट सूची प्रबंधन और कार्यान्वयन क्षमता में सुधार।

6. सार्वजनिक संपति और संभार तंत्र प्रबंधन में सामुदायिक भागेदारी के माध्यम से सुधार।

आपूर्ति एवं मांग के समायोजन की समस्या

बेरोजगारी की गणना पूर्ण रूप से भाड़े के श्रमिकों की उपलब्धता को प्रतिबिंबित नहीं करती। इसी प्रकार रिक्तियों की गणना भी नौकरियों की उपलब्धता को प्रतिबिंबित नहीं करती। (डायमंड 2011) रोजगार और उत्पादकता की आकृति से महत्वपूर्ण बेमेल जाहिर होता है। भारत मे श्रमबल का 93 प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार में है, जो उप स्तरीय उद्यमों और संपूर्ण निम्न उत्पादकता से ग्रस्त हैं।

श्रमबल का 58 प्रतिशत कृषि रोजगार में है, जिसका जीडीपी को योगदान केवल 15 प्रतिशत है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीन) के 50 प्रतिशत की तुलना में भारत का केवल 12 प्रतिशत श्रमबल विनिर्माण रोजगार क्षेत्र में है। अल्प-कौशल से संगठित विनिर्माण एक ऐसी परत का निर्माण करेगा, जो कृषि क्षेत्र को गैर-कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करने में सक्षम होगी। भारत का आधे से ज्यादा श्रमबल स्वरोजगार में है, जो दुर्भाग्य से उद्यमी ऊर्जा का संकेत नहीं देते, क्योंकि स्वरोजगार में कार्यरत ज्यादातर गरीब हैं। (मेक किनसी, 2014)

ज्यादातर लोग प्रवाह पर केंद्रित होते हैं- अगले 20 वर्षों में प्रत्येक महीने 10 लाख युवा श्रमबल में शामिल होंगे- लेकिन भंडारण बड़ा अवसर है- पहले से श्रमबल का हिस्सा रहे और कृषि या अन्य कहीं निम्न उत्पादकता क्षेत्र में फंसे हैं, उन 20 लाख लोगों को पुन: साधन संपन्न करना। वर्ष 2011 में भारत के सरकार द्वारा संचालित 1200 रोजगार केंद्रों ने अपने रोजगार केंद्रों पर पंजीकृत 4 करोड़ लोगों में से केवल 3 लाख को रोजगार उपलब्ध करवाए। (मेक किनसी, 2014)

चित्र 1: स्किल इंडिया योजना की रूपरेखा

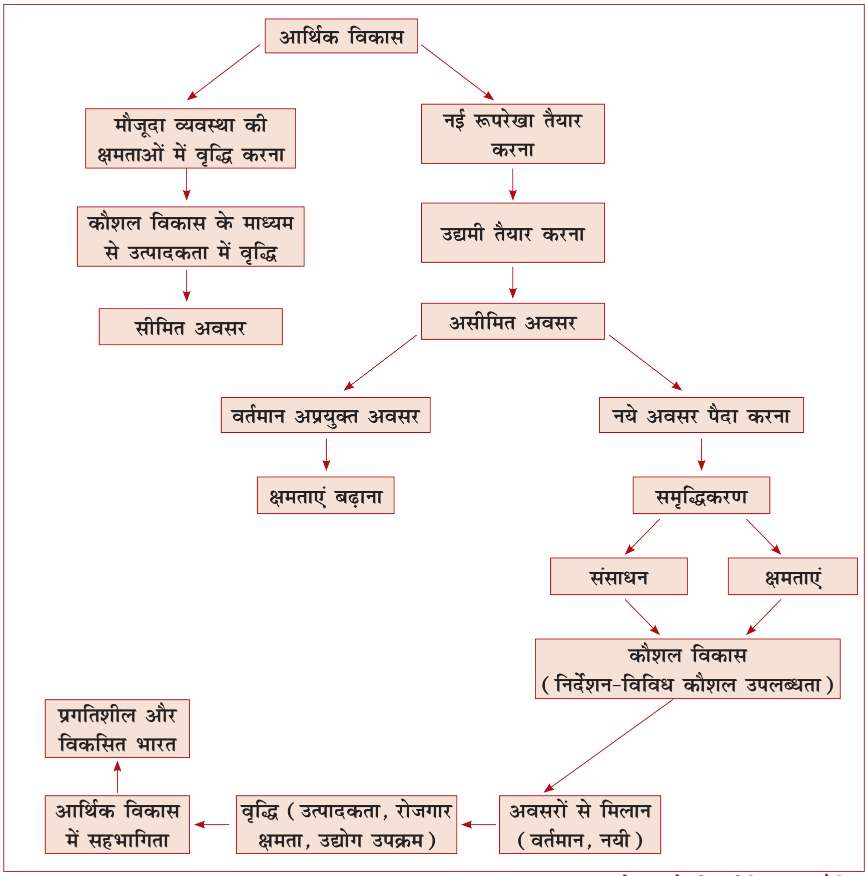

स्रोत: जोशी, दीक्षित, भदौरिया

शिक्षित और कुशल श्रमिकों के निर्माण की समस्या

बेहतर शैक्षणिक पद्धति का मुख्य सिद्धांत गुणवता का बेहतर नियमन, पंक्तिबद्ध प्रेरणाएं और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षित और कौशल श्रमिकों को तैयार करने वाले पर्यावरण की रचना करना है। शिक्षा व्यवस्था जिन मुख्य चुनौतियों का सामना कर रही है उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्कूल छोड़ने की ऊंची दर सम्मिलित हैं। शिक्षा की शुरुआत करने वाले लगभग 35 प्रतिशत विद्यार्थी 10 कक्षा तक नहीं पहुंचते। 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले 2 करोड़ 60 लाख परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, वहीं 1 करोड़ उत्तीर्ण नहीं हो पाते। इसके अलावा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले 1 करोड़ 60 लाख में से 80 लाख परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होते हैं। 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 80 लाख में से केवल 50 लाख ही कॉलेज पहुंचते हैं।

शिक्षा व्यवस्था से जल्दी दूर होने वालों में गरीब और वंचितों का अनुपात अधिक है। जिससे तृतीयक शिक्षा नामांकन और दक्षता सहज रूप से अनुचित बन जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज से संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की सुरक्षा और अस्वामिक सुरक्षा के लिए वांछित कौशलों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त परिणामी आजीविका विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। जैसे:-

1. व्यापार अवसर और व्यापार की सुरक्षा, 2. आर्थिक सुरक्षा (आय, कौशल, समय), 3. पोषणीय सुरक्षा (आश्रय, जल एवं साफ-सफाई सहित माता और बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल), 4. पर्यावरणीय जागरूकता सुरक्षा, 5. शैक्षणिक भागेदारी सुरक्षा, 6. सामुदायिक भागेदारी (लिंग, सजातीय समूह, धार्मिक सहबद्धता), 7. निवास सुरक्षा, 8. खाद्य सुरक्षा, 9. स्वास्थ्य सुरक्षा, 10. राजनीतिक और कानूनी सुरक्षा।

किस प्रकार मानव पूंजी/कौशल वृद्धि से आर्थिक विकास का मार्ग (कमी को पूरा करने के लिए वांछित कौशल) प्रदर्शित होता है-

1. सबसे निचले पायदान की जनता के लिए निर्धारित कौशलों की आवश्यकता को पुन: तय करना। अब तक पर्याप्त कौशलयुक्त कोष की रचना की असफलता का जटिल

कारण अनुकूलन और सुलभता रहा है।

2. अवसर को पहचानकर उन्हें लपकने के लिए तैयारी के लिए युवाओं में अवधारणा आधारित योग्यता की आवश्यकता है।
3. जो युवा किसी भी स्तर पर व्यवसाय में लगे हैं उन युवाओं में आधारभूत उद्यमी कौशल की आवश्यकता है।

विकास की प्रक्रिया में सुधार, कौशलों का उपयोग और उसकी देखरेख की पहचान नीति के उस मुख्य तत्व के रूप में हुई है जो दीर्घकालीन पोषणीय विकास, रोजगारों की सृष्टि, आय एवं अवसरों के बेहतर वितरण में योगदान देगा। हाल ही में प्रकाशित ओईसीडी की कौशल रणनीति (ओईसीडी, 2012) सरकारों के कार्यान्वयन के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है। प्रासंगिक कौशलों का विकास, इन कौशलों को सक्रिय करना और इन कौशलों को किसी उपयोग में लाना।

कौशल विकास की रूपरेखा

जैसा कि पहले बताया गया है कि आर्थिक विकास दो पद्धतियों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला वर्तमान व्यवस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाकर जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिले और विकास तेजी से हो, लेकिन इसकी गुंजाइश सीमित है। दूसरी पद्धति है कि स्वरोजगार युवाओं और उद्यमियों को उपयोगी कौशल उपलब्ध कराकर एक ऐसी एक नई रूपरेखा तैयार की जाए, जो एक पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप हो और जिससे आर्थिक विकास को अतिरिक्त ईंधन मिल सके। इसकी असीम संभावनाएं हैं। लेखक कौशल विकास के माध्यम से अवसरों का उपयोग करने के लिए एक संशोधनात्मक रूपरेखा का सुझाव देता है।

मार्ग 1:

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में श्रमबल को निर्धारित कौशल उपलब्ध कराकर उसकी क्षमता को बढ़ाकर विकास को काम में लगाना। इस प्रकार, इसका अर्थ है वर्तमान उद्योगों के लिए आवश्यक निर्धारित कौशल उपलब्ध कराना, लेकिन संतृप्तीकरण तक पहुंचने की सीमित संभावनाएं हैं। हालांकि इस मार्ग से भी लाभांवित हुआ जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे अवसर भी हैं जिन्हे पदस्थ नियोजनीयता के अभाव में प्राप्त नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि इसमें एक बड़ा अंतर है। जो पदस्थ नियोजनीयता के लिए पूर्व अपेक्षित कौशलों के अभाव में अस्वीकार करता है। प्राचीन और नई अर्थव्यवस्था में पारंपरिक उद्योग ऐसा संसार है जहां हम नियोजनीयता और वर्तमान अवसरों में निर्धारित कौशलों की कमी के कारण अंतर पाते हैं।

मार्ग 2:

यह उद्यमी उपक्रम के जैसी रूपरेखा है। वर्तमान नई अर्थव्यवस्था और आगामी वर्षों की संभावनाओं पर ध्यान देकर नए अवसर उत्पन्न करना। इसमें पारिस्थितिकी उद्यम उत्पन्न करने की अव्यक्त इच्छा है जिसकी असीम संभावनाएं हैं। हालांकि इसके भी दो उपमार्ग हैं।

मार्ग 1, उपमार्ग 1:

इसमें निश्चित रूप से अप्रयुक्त अवसर विद्यमान हैं। जिन्हें युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि कर, अतिरिक्त निर्धारित कौशलों से उनका सशक्तिकरण करके उपयोग में लाने की आवश्यकता है। इसमें क्षमताओं में वृद्धि शामिल होगी।

मार्ग 2, उपमार्ग 2:

आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा क्षमताओं में वृद्धि के अवसर ढूंढ़ने वाले उद्यमियों द्वारा संचालित नई अर्थव्यवस्था में यह पूर्ण रूप से नए निर्धारित अवसरों पर केंद्रित है। यह संसाधनों एवं क्षमताओं में वृद्धि और कौशल विकास उपलब्ध कराना दोनों को आवश्यक बनाती है। जो उपलब्ध नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए पदस्थ की ओर प्रवृत होगा। वहीं साथ ही उनको नई प्रस्तावित चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगा।

नियोजनीयता में सहायक, वांछित पूर्व अपेक्षित कौशलों वाले वर्तमान या नए दोनों मार्गों से अवसरों का मिलान करना आवश्यक है। इसके बदले में यह उत्पादकता, नियोजनीयता और उद्योग उपक्रम में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य पदस्त की सहभागिता होगी। फलस्वरूप विकासशील और विकसित भारत की ओर पथ प्रदर्शित होगा। ❑

संदर्भ:

- **अबिदि, एस, जोशी, एम (2015):** दि वियूसीए कंपनी, जायको पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई।
- **डायमंड, पी. (जुन, 2011):** बेराजगारी, रिक्तियां, वेतन, अमेरिकन इक्नॉमिक रिव्यू, अमेरिकन इक्नॉमिक एसोसिएशन, वोल्यूम 101 नंबर 4, पृष्ठ सं. 1045-1072
- **मैक किंसे, (2014),** भारत के तकनीकी अवसरों पर रिपोर्ट: ट्रांसफार्मिंग वर्क, एम्पॉवरिंग पीपल।
- **रि-मॉडलिंग पर योजना आयोग की उप समिति 09:** एप्रेंटिक्स रिजाइम (फरवरी, 2009) रिपोर्ट और सुझाव, नई दिल्ली।
- **सबरवाल, एम. (2013):** शिक्षा, नियोजनीयता, रोजगार और उद्योग उपक्रम: 4ई की चुनौतियों का उत्तर देना मैक्लिन (ईडीएस), विकासशील एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में सतत् एवं समाकलित विकास के लिए कौशल विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण: मुद्दे, चिंताएं और संभावनाएं 19, डीओआई 10.1007/978-94-007-5937-4; 4, एशियाई विकास बैंक।
- **योजना आयोग की वेबसाइट**
- http://planningcommission.nic.in/hackathon/Skill%20Development.pdf
- http://www.weforum.org/reports/global-talent-risks-report-2011

लेखकों से अनुरोध

(1) 'योजना' विकास संबंधी विषयों पर केंद्रित मासिक है। पत्रिका में हर माह आगामी अंक का केंद्रीय विषय प्रकाशित किया जाता है। लेखकों से अनुरोध है कि प्रकाशन हेतु केंद्रीय विषय के अनुसार ही रचनाएं भेजें।

(2) रचनाएं भेजते समय रचना की प्रति अपने पास अवश्य रखें। सामान्यत: रचनाएं वापस नहीं भेजी जातीं। रचना की वापसी के लिए यथाउचित मूल्य के टिकट और पता लिखा लिफाफा भेजें।

(3) ई-मेल से भेजी जाने वाली रचनाएं Microsoft Word में Kruti Dev Font 010 में टाइप करके yojanahindi@gmail.com पर भेजी जा सकती है। हस्तलिखित रचनाओं का भी स्वागत है।

(5) **संपादकीय पत्र व्यवहार** का पता है: संपादक (योजना), प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 648, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 011-24365920

कौशल विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका

विष्णु राजगढ़िया

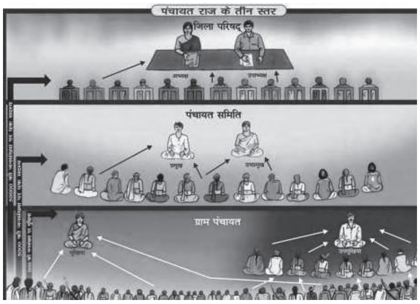

किसी भी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय निकायों से बेहतर कोई एजेंसी हो नहीं सकती। यही बात कौशल विकास योजनाओं पर भी लागू होती है। ग्राम पंचायतों व नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र वाले विषयों से संबंधित कौशल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अगर इन निकायों के हाथों में हो तो शायद एक नई कौशल क्रांति का सूत्रपात हो सके। प्रधानमंत्री कौशल योजना के विभिन्न उपबंधों का अंतर्संबंध स्थानीय निकायों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दिख भी रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह तालमेल जमीनी हकीकत बनकर भी उभरे

आज हमारे देश में कौशल विकास को एक महत्वपूर्ण कार्य के तौर पर लिया गया है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। देश की व्यापक आबादी को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदमी तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार का दायित्व है। इसके लिए आजादी के बाद से ही विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से कोशिशों एवं प्रयोगों का सिलसिला जारी है। इन योजनाओं का नाम चाहे जो हो, सबका लक्ष्य व्यापक आबादी का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना ही है। इस क्रम में अनुदान आधारित विभिन्न योजनाएं भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर विभिन्न प्रकार की पेंशन से लेकर आवास, कुंआ या शौचालय बनाने की राशि देना हो, या फिर निःशुल्क अथवा सस्ती दर पर अनाज देना, सबका मकसद एक ही है। सवा अरब से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश की अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों के बल पर आखिर किस हद तक ऐसे कल्याणकारी कार्यों को प्रभावी और निरंतर बनाए रख सकती है? लिहाजा, व्यापक आबादी का क्षमतावर्द्धन करके उन्हें रोजगार या स्वरोजगार की ओर उन्मुख करना ज्यादा कारगर है।

इस सोच के आधार पर लंबे समय से देश में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनगिनत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। आईटीआई एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन से लेकर स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना ऐसी ही गतिविधियों का हिस्सा है। सरकारी विभागों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी औद्योगिक घराने भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण देते हैं। इन सभी प्रकार के प्रयासों एवं गतिविधियों को 'कौशल विकास' कहा जाता है। इन गतिविधियों को समन्वित करने के लिए पहली बार भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।

उल्लेखनीय है कि पहले से ही केंद्र सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण (एनएसडीए) गठित है। इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) भी बनाया गया है। यह निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सरकार द्वारा गठित कंपनी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का भी गठन किया गया है। इन प्रयासों के माध्यम से देश में स्किल इंडिया मिशन की शुरूआत की गई है। साथ ही, 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 भी बनाई है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्रसंघ के आह्वान पर 15 जुलाई 2015 को पहली बार दुनिया भर में युवा कौशल दिवस का आयोजन हुआ। भारत में भी केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस अवसर पर युवाओं के कौशल संबंधी विषयों पर कार्यक्रम हुए।

भारत में कुशल मानव संसाधन की अत्यधिक कमी है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार हमारे देश में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों की संख्या मात्र 2.3 प्रतिशत है। जबकि दक्षिण कोरिया में यह संख्या 96 प्रतिशत है।

लेखक झारखंड कौशल विकास मिशन में संचार प्रमुख हैं। वह झारखंड के रांची स्थित राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान के झारखंड पंचायत महिला संसाधन केंद्र में समन्वयक रह चुके हैं। इससे पूर्व दैनिक समाचार पत्र *प्रभात खबर* के रांची स्थित स्थानीय संपादक भी रहे। ईमेल: vranchi@gmail.com

पंचायती राज लागू होने के बाद पंचायतों को फंड, फंक्शन एवं फंक्शनरीज यानी कोष, कार्य एवं कर्मी की शक्तियां देना एक आवश्यक कदम है। इस तरह स्थानीय निकाय का मतलब है तीसरी सरकार। केंद्र और राज्य के बाद यह गांव एवं नगर की सरकार है। यह एक संवैधानिक सरकार है।

ब्रिटेन में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत तथा जापान में 80 प्रतिशत श्रमिक कुशल हैं। इसके कारण भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कौशल विकास को अहम समझा जा रहा है। भारत में आबादी का 54 प्रतिशत हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है। देश में क्रियाशील आबादी 62 प्रतिशत है जो 15 से 59 साल आयुवर्ग की है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक तीस करोड़ लोगों के कौशल विकास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

स्थानीय निकायों का महत्व

जाहिर है कि आज भारत को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कौशल विकास को एक महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर मान लिया गया है। इसके क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां तथा स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं लेकिन इस कार्यक्रम में अब तक स्थानीय निकायों को कोई खास दायित्व नहीं सौंपा गया है। संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन के आलोक में गठित ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों को वैधानिक तौर पर कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाना चाहिए। यह न केवल वैधानिक तौर पर आवश्यक है बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी ऐसा किया जाना कौशल विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन में लाभप्रद होगा।

इसे स्पष्ट करने के लिए संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन के प्रावधानों एवं इसकी मूल भावना को समझना आवश्यक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा बेहद पुरानी है। प्रेमचंद की कहानियों एवं उपन्यासों में इसकी झलक देखी जा सकती है। ब्रिटिश भारत में भी पंचायती व्यवस्था के रूप में स्थानीय स्वशासन को महत्वपूर्ण मानते हुए कई कानूनी प्रावधान किए गए थे। चार्ल्स मेटकाफ ने पंचायत को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी थी। लार्ड रिपन के कार्यकाल से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953 तक पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता बताई गई थी। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने भी खुशहाल भारत के लिए ग्राम-स्वराज पर सर्वाधिक जोर देते हुए पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी इकाई बनाने की सलाह दी थी।

चूंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व कोई प्रावधान नहीं बल्कि महज किसी सदिच्छा की अभिव्यक्ति है, इसलिए देश में पंचायती राज लागू करने का सपना अधूरा रह गया। संविधान में पंचायती राज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं बनाए जाने के कारण भारत में पंचायती राज लागू करने में काफी विलंब हुआ। आजादी के बाद बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977), पीवीके राव समिति (1985), एलएम सिंघवी समिति (1986) तथा सरकारिया आयोग (1988) आदि विभिन्न समितियों द्वारा पंचायती राज को सशक्त करने की सिफारिश हुई। वर्ष 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में 64वें संशोधन के जरिए पंचायती राज लागू करने का प्रयास किया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का खाका प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। इसके बाद विधेयक में कतिपय संशोधन करके 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। यही कारण है कि इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

स्थानीय निकायः कार्यक्षेत्र व शक्तियां

संविधान में 73वें संशोधन ने केंद्र और राज्य सरकार की तरह पंचायतों को तीसरी सरकार का संवैधानिक दर्जा दिया है। यही बात 74 वें संशोधन के अनुसार नगर पंचायत के लिए लागू होती है। संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) में ग्राम पंचायतों को 29 विषयों की शक्ति देने का उल्लेख किया गया है। इन 29 विषयों की सूची को संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची के रूप में जोड़ दिया गया है। इन कार्यों एवं अधिकारों से अब पंचायतों को वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गए है-

- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
- प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति
- जिला स्तर पर जिला परिषद

पंचायतों को स्वशासन की संस्था बनाने के लिए 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और उनका निष्पादन करने का अधिकार दिया गया है। कर, ड्यूटीज, टोल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार होगा। पंचायती राज लागू होने के बाद पंचायतों को फंड, फंक्शन एवं फंक्शनरीज यानी कोष, कार्य एवं कर्मी की शक्तियां देना एक आवश्यक कदम है। इस तरह स्थानीय निकाय का मतलब है तीसरी सरकार। केंद्र और राज्य के बाद यह गांव एवं नगर की सरकार है। यह एक संवैधनिक सरकार है। जिस तरह केंद्र या राज्य की सरकारों को संविधान ने शक्तियां दी हैं, ठीक उसी तरह ग्राम एवं नगर पंचायतों को भी संविधान ने शक्तियां दी हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को कौन से काम करने हैं। ठीक उसी तरह संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में बताया गया है कि पंचायतों को कौन से 29 काम करने हैं। बारहवीं अनुसूची में नगर निकायों को 18 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। पासपोर्ट बनाने, रेल-डाकघर चलाने में राज्य सरकारें कोई टांग नहीं अड़ातीं। राज्यों के भीतर विधि-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, उद्योग इत्यादि काम राज्य के ही है। इन मामलों में केंद्र सरकार अगर कोई सहायता उपलब्ध कराती भी है तो उसकी योजना बनाने, निर्णय लेने और क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों का ही होता है। राज्यों को भी पंचायतों

क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां तथा स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं लेकिन इस कार्यक्रम में अब तक स्थानीय निकायों को कोई खास दायित्व नहीं सौंपा गया है। संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन के आलोक में गठित ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों को वैधानिक तौर पर कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाना चाहिए।

के मामले में यही रवैया अपनाना है। संविधान ने ग्राम एवं नगर पंचायतों को जो काम सौंपे हैं, उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप का कोई अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है।

कौशल विकास की दृष्टि से स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र

कौशल विकास में स्थानीय निकायों की अनिवार्य भूमिका को समझने के लिए ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची में सौंपे गए कार्यों पर एक नजर डालना उचित होगा। ग्यारहवीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्य इस प्रकार हैं: -

1. कृषि एवं कृषि-विस्तार, 2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, 3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास, 4. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट-पालन, 5. मत्स्य उद्योग, 6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, 7. लघु वन उपज, 8. लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, 10. ग्रामीण आवासन, 11. पेय जल, 12. ईंधन और चारा 13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, 14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, 15. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, 16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है, 18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, 19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, 20. पुस्तकालय, 21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप, 22. बाज़ार और मेले, 23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय, 24. परिवार कल्याण, 25. महिला और बाल विकास, 26. समाज कल्याण, विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण, 27. अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा कमजोर वर्गों का कल्याण, 28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

इसी तरह बारहवीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को सौंपे गए 18 कार्य इस प्रकार हैं: -

1. नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है, 2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, 3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, 4. सड़कें और पुल, 5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, 6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध, 7. अग्निशमन सेवाएं, 8. नगर वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि, 9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा, 10. गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, 11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन, 12. नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था, 13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, 14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह, 15. कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, 16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है, 17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं और 18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

ग्राम एवं नगर पंचायतों को सौंपे गए कार्यों में से खास तौर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजनाओं, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों, कृषि एवं कृषि-विस्तार, भूमि विकास, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट-पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि ऐसे कार्य हैं जिनका कौशल विकास कार्यक्रम से सीधा जुड़ाव है।

उक्त दोनों अनुसूचियों पर नज़र डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि ग्राम एवं नगर पंचायतों को सौंपे गए कार्यों में से खास तौर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजनाओं, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों, कृषि एवं कृषि-विस्तार, भूमि विकास, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट-पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि ऐसे कार्य हैं जिनका कौशल विकास कार्यक्रम से सीधा जुड़ाव है।

ग्राम एवं नगर पंचायतों को सौंपे गए अधिकांश कार्यों में किसी न किसी रूप में कर्मियों के प्रशिक्षण तथा हुनरमंद लोगों की तलाश की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊपर की दोनों सूचियों को ध्यान से देखने तथा विभिन्न विभागों द्वारा सौंपी गए शक्तियों का विवरण देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौशल विकास कार्यक्रमों में स्थानीय निकायों को स्पष्ट दायित्व हैं। यह अलग बात है कि अबतक इस चीज को स्पष्ट तौर पर स्वीकार करने की कोशिश नहीं की गई है। इस पहलू की उपेक्षा करने से कौशल विकास कार्यक्रम अपनी सीमाओं से निकल नहीं पाएगा।

उदाहरण के लिए, कृषि एवं कृषि-विस्तार से संबंधित सभी योजनाओं, प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे गए कार्य, कर्मी एवं कोष संबंधी अधिसूचनाओं को देखने से यह स्पष्ट हो सकता है। झारखंड सरकार ने कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे विभागों में पंचायतों को ऐसे अधिकार सौंपे हैं। कृषि विभाग में सभी प्रकार की योजनाओं के चयन, लाभुकों के चयन, अनुदान एवं सामग्रियों के वितरण इत्यादि मामलों में तीनों स्तर की पंचायतों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए हैं। इसके अंतर्गत कृषि संबंधी प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य भी शामिल हैं। जाहिर है कि ऐसे विभागों में किस प्रकार के कार्यों या कारीगरी का हुनर सिखाना है, इसे तय करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसी तरह, कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों हेतु लाभुकों के चयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता पर नजर रखने में भी पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका संभव है।

इसी तरह, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जिला, प्रखंड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर स्थानीय समितियों तथा पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे

हैं। यहां तक कि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा चापाकल की मरम्मत से लेकर शौचालयों के निर्माण तथा पानी टंकी द्वारा जलापूर्ति की योजनाओं तक का अपने स्तर से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन समितियों द्वारा गत दिनों यूनिसेफ झारखंड के सहयोग से राजमिस्त्री (मेसन) के प्रशिक्षण हेतु अभिनव प्रयोग किया गया। यह कौशल विकास का ही एक प्रयोग है। ऐसे प्रयोगों में पंचायतों की अहम भूमिका संभव है।

पंचायती राज और नगर प्रशासन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की मूल भावना यही है कि लोगों की जरूरत के अनुसार योजनाओं का निर्धारण हो तथा उनके क्रियान्वयन में आम नागरिकों की सक्रिय भूमिका तथा निगरानी हो। अगर कौशल विकास कार्यक्रम को सिर्फ महानगरों में बैठे अंग्रेजी सलाहकारों के भरोसे छोड़ दिया गया, तो संभव है कि उनके द्वारा ऐसे कार्यों का कौशल प्रशिक्षण ज्यादा करा दिया जाए, जिनकी उतनी आवश्यकता नहीं। दूसरी ओर, जिन कार्यों के हुनरमंद लोगों की ज्यादा जरूरत है, उनकी उपेक्षा हो जाए।

वर्तमान नीतियां और स्थानीय निकायों से समन्वय

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह देखना प्रासंगिक होगा कि कौशल विकास योजनाओं में केंद्र सरकार ने स्थानीय निकायों के लिए किस तरह की भूमिका निर्धारित की है। गत दिनों भारत सरकार ने *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना* नामक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। विश्व युवा कौशल दिवस पर 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 24 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधी मार्गदर्शिका के प्रारंभ में भी इसके साझेदारों की सूची में स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है।[1] इस योजना की सफलता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और युवाओं को प्रेरित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस मोबिलाइजेशन संबंधी कार्य में भी स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका बताई गई है। इसके लिए देश के सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में कौशल मेला आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। कौशल मेला की तिथियों का समुचित प्रचार-प्रसार करके संबंधित क्षेत्र के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में स्थानीय निकायों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।[2]

योजना की मार्गदर्शिका में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के कार्यों की निरंतर निगरानी पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए त्रैमासिक एवं मासिक स्तर पर क्षेत्र-भ्रमण एवं प्रशिक्षण केंद्रों के औचक निरीक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इस दौरान प्रशिक्षण केंद्र की अधिसंरचना, निरीक्षण के समय उपस्थिति तथा विभिन्न गुणात्मक पहलुओं की जांच की जाएगी। इस दौरान निगरानी टीम को प्रशिक्षुओं के अलावा स्थानीय समुदाय से भी सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ताकि इस योजना का समुचित लाभ मिल सके।[3]

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मार्गदर्शिका के उक्त अंशों को एक सामान्य नियम के बतौर देखा जाए तो कौशल विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निकायों की सहभागिता का महत्व समझा जा सकता है। कौशल विकास योजनाओं के तहत जिन लाभुकों को लक्ष्य-समूह के तौर पर रखा गया है, उनसे ग्राम एवं नगर पंचायत के प्रतिनिधियों का सीधा संबंध है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से इन योजनाओं के समुचित प्रचार-प्रसार के साथ ही इनके बेहतर क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मार्गदर्शिका के उक्त अंशों को एक सामान्य नियम के बतौर देखा जाए तो कौशल विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निकायों की सहभागिता का महत्व समझा जा सकता है। कौशल विकास योजनाओं के तहत जिन लाभुकों को लक्ष्य-समूह के तौर पर रखा गया है, उनसे ग्राम एवं नगर पंचायत के प्रतिनिधियों का सीधा संबंध है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से इन योजनाओं के समुचित प्रचार-प्रसार के साथ ही इनके बेहतर क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। कई बार इन योजनाओं के प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कतिपय अनियमितता की भी शिकायत मिलती है लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निगरानी से लाभुकों के चयन से लेकर प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं उपादेयता तक हर चीज पर नजर रखी जा सकती है।

इसी तरह, कौशल एवं उद्यमिता विकास राष्ट्रीय नीति 2015 की कंडिका 4.2.6 में लिखा गया है कि राज्य सरकारों को पंचायत स्तर पर कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जाहिर है कि पंचायत स्तर पर गठित किए गए कौशल विकास केंद्रों के संचालन में ग्राम पंचायतों की अग्रणी भूमिका रहेगी। यह सच है कि मनरेगा, इंदिरा आवास योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि कार्यक्रमों में जिस तरह स्थानीय निकायों की स्पष्ट एवं अनिवार्य भूमिका निर्धारित की गई है, उस तरह की स्पष्टता कौशल विकास संबंधी योजनाओं के दस्तावेजों में अब तक दिखाई नहीं दी है लेकिन यह भी सच है कि संवैधानिक तौर पर स्थानीय स्वशासन का दायित्व वहन कर रही नगर एवं ग्राम पंचायतों की भागीदारी इन योजनाओं में स्वत: दिखाई पड़ जाएगी।

सभी राज्यों की सरकारों ने स्थानीय निकायों के लिए अलग-अलग विभागों में कार्य, कर्मी एवं कोष संबंधी शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियम बनाए हैं। जिला योजना समिति में भी स्थानीय निकायों की प्रमुख भूमिका है। लिहाजा, योजना निर्माण से लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों में कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सीधा एवं प्रभावी संबंध है। जरूरत इस बात की है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी इस महती भूमिका को समझते हुए कौशल विकास में योगदान करें। केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों को भी कौशल विकास संबंधी नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करते समय स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देना चाहिए। ❑

संदर्भ

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1.2 - लाभबंदी।
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1.2 - स्कीम के लाभार्थी।
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रक्रिया पुस्तिका, अनुलग्नक-I साइट विजिट।

कौशल विकास में चुनौतियां एवं उद्यमिता

तरुण कुमार शर्मा

भारत एक युवा देश है जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग जनांकिकीय लाभ पहुंचा सकता है, यदि यह युवा वर्ग वांछित कौशल प्राप्त कर देश के आर्थिक विकास में सहभागी बने। सरकारों द्वारा कौशल विकास पर जोर देना इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है लेकिन इसके साथ ही कौशल विकास कार्यक्रम के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की पड़ताल भी आवश्यक हो जाती है। यह भी समझना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को केवल संगठित क्षेत्र में समाहित नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशना होगा

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है जिसमें 67.2 करोड़ व्यक्ति 15-59 वर्ष की आयु के है, जिन्हें सामान्यतया कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इनमें से लगभग 25 करोड़ व्यक्ति 15 से 24 वर्ष की आयु के है जो वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। यदि इस युवा शक्ति की ऊर्जा का सदुपयोग होगा तो यह भारत की विशिष्ट मानव संपदा के रूप में देश के आर्थिक विकास में मददगार होगी। साथ ही अन्य देशों में कुशल श्रम की कमी, बढ़ती आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति के कारण विदेश में भी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार अगले 20 वर्षों में भारत में श्रमशक्ति में 32 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है जबकि अन्य औद्योगिक देशों में इसमें 4 प्रतिशत की कमी एवं चीन में 5 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावनाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास में उच्च स्तर प्राप्त करना और आजीविका के गुणवत्तापूर्ण साधन उपलब्ध कराना जरूरी है।

प्रधानमंत्री के अनुसार यदि इस युवा शक्ति को वांछित कौशलों द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया तो यही युवा शक्ति देश के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है और बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले सकती है। इसीलिए भारत के कौशल विकास कार्यक्रम के समक्ष निम्न चुनौतियां भी है, जिनका समाधान करके ही इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है।

बड़ा लक्ष्य

भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में वर्ष 2022 तक लगभग 50 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी चुनौती तो इतनी बड़ी तादाद में युवाओं को कौशल प्रदान करने की ही है। संभवतः यह किसी भी देश द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अब तक निर्धारित लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य है। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति केवल सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकती है। संपूर्ण राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अकादमिक जगत, उद्योग, सरकार, निजी संस्थाएं समाज, नीति निर्धारक, रोजगार प्रदाताओं, प्रशिक्षकों, युवाओं, अभिभावकों सभी को मिलकर कार्य करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रशिक्षण प्राप्त करे या प्रशिक्षण की प्रक्रिया में उर्वरक के रूप में सहभागिता निभाए।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में अगले 8-10 वर्ष तक संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता में वर्ष दर वर्ष 4 से 5 करोड़ तक की वृद्धि करनी होगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी साथ में जोड़ा गया है। सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में 49 प्रतिशत हिस्सा सरकारी एवं 51 प्रतिशत निजी संस्थाओं के पास है। इन निजी संस्थाओं में सीआईआई, फिक्की, एसोचेम आदि शामिल है। निजी क्षेत्र के द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापक सहयोग किया जा रहा है। यदि विशेषज्ञ संस्थाएं क्षेत्र विशेष में युवाओं को प्रशिक्षित करने में सहभागिता करेगी, तब ही इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति संभव है।

लेखक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान में सहायक आचार्य हैं। इससे पूर्व वह सेंटर फॉर आर्गेनाइजेशन डवलपमेंट, हैदराबाद और आईएमएस लर्निंग रिसोर्सेस, मुंबई में कार्य कर चुके हैं। औद्योगिक/संगठनात्मक मनोविज्ञान व समान मनोविज्ञान उनके रुचि के विषय हैं। संगठनात्मक वातावरण, जीवन की गुणवत्ता आदि विषयों पर शोध प्रकाशित। ईमेल: tarun.udpr@gmail.com

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में 31 लाख लोगों को प्रति वर्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण सुलभ है, जिसके लिए भारत के 17 मंत्रालय व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद देश में हर साल कार्यरत जनसंख्या में नए जुड़ने वाले युवाओं के लगभग 20 प्रतिशत व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया सका है। शेष 80 प्रतिशत तक तो पहुंच ही नहीं है। पहला संख्यात्मक रूप से पहुंच कम है, जहां है वहां गुणवत्ता की कमी है। देश में 1200 से अधिक पॉलिटेक्निक संस्थान, 10-12 हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अन्य निजी एवं सरकारी केंद्र, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर से जुड़े संस्थान आदि इतना सब होने के बाद भी देश में कुशल प्रशिक्षित श्रम की कमी है। यदि जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर पैनी नजर नहीं रखी गई तो संस्थानों की संख्या बढ़ाने, आधारभूत संरचना का विकास करने से भी कुछ नहीं होगा। सरकारी अधिकारियों, संस्थान प्रबंधकों, प्रशिक्षकों, विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्ति के लक्ष्य के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को चलाना है, न कि सिर्फ डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट लेने या देने के उद्देश्य से।

संख्यात्मक रूप से पहुंच कम है, जहां है वहां गुणवत्ता की कमी है। देश में 1200 से अधिक पॉलिटेक्निक संस्थान, 10-12 हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अन्य निजी एवं सरकारी केंद्र, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर से जुड़े संस्थान आदि इतना सब होने के बाद भी देश में कुशल प्रशिक्षित श्रम की कमी है।

कुशल प्रशिक्षकों की कमी

इतने बड़े लक्ष्य को संख्यात्मक दृष्टि से प्राप्त करने के दौरान सीखे गए कौशलों की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अर्थात् इस लक्ष्य को मात्रात्मक के साथ गुणात्मक रूप से भी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए कुशल प्रशिक्षकों की बड़े स्तर पर आवश्यकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार 2022 तक देश में लगभग 7 लाख प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। यह आवश्यक है कि कुशल प्रशिक्षित व्यक्ति कार्यस्थल तक पहुंचे और उसके कौशल की उत्पादकता के रूप में परिणिति हों। वर्तमान में कौशल विकास तंत्र को बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुक्रियाशील होना पड़ेगा जिससे आवश्यकता-पूर्ति में तालमेल बना रहे।

आधारभूत संरचना

भारत में तकनीकी प्रशिक्षण के संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। भारत की तकनीकी संस्थाओं में वर्तमान में 31 लाख लोगों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित करने की क्षमता है, जबकि प्रतिवर्ष 1 करोड़ 28 लाख युवा रोजगार की तलाश में वर्कफोर्स में जुड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए आईआईटी, पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की जानी है। इसमें निजी सहभागिता के प्रावधान भी रखे गए हैं। इनके लिए वित्तीय प्रबंधन, सफल संचालन, उचित देखभाल से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। संस्थाओं को जनसंख्या, क्षेत्रीय आवश्यकता आदि के आधार पर भी भौगोलिक वितरण की असमानता को भी दूर करना होगा।

असंगठित क्षेत्रः आकार एवं समस्याएं

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग के अनुसार असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग है जिसकी कुल कार्यरत जनसंख्या में 90 प्रतिशत व्यक्ति एवं कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 50 प्रतिशत उत्पाद की भागीदारी है। आर्थिक रूप से पिछड़े, वंचित वर्ग इसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। संगठित क्षेत्र की सीमित क्षमता के कारण बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कौशल विकास नीति में विशेष प्रावधान होने चाहिए जिससे इन्हें रोजगार में सहायता मिल सके। असंगठित क्षेत्र में एक प्रकार से कम कुशल, निम्न आय वाले व्यक्तियों का समावेश होता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आंशिक या छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित होता है। उसके पास स्थाई आजीविका के साधनों के अभाव होता है। अपर्याप्त आय, बंधुआ मजदूरी करना, ऋणग्रस्तता, शोषण का शिकार होना, खराब कार्य परिस्थितियां, अनिश्चित कार्य स्थल आदि अन्य समस्याएं हैं।

असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को पारिवारिक, सामुदायिक या अन्य अनौपचारिक माध्यमों से कौशल प्रशिक्षण मिलता है। अनेक श्रमिक ऐसे होते है जो कुशल है लेकिन प्रमाणीकृत नहीं है। नई कौशल विकास नीति में इस प्रकार की कुशलता को पहचान, प्रमाणीकरण देने के प्रावधान है। सरकारी स्तर पर संगठित श्रम के लिए तो ईएसआई, पीएफ सहित अन्य सुविधाएं हैं, असंगठित श्रम के लिए भी इस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान आवश्यक हैं। मजबूरी में व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक ब्याज पर मिले ऋण के कारण लाभांश कम होता है या हानि होती है। फलस्वरूप उद्यमों में असफलता के कारण नकारात्मक माहौल से उद्यमों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। ऋण संबंधित योजनाओं की उचित जानकारी, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज एवं सही समय पर ऋण की पर्याप्त उपलब्धता, असंगठित श्रमिकों पर केंद्रित बीमा योजनाएं, उद्यम स्थापना की जोखिम से निपटने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, संसाधन, बेरोजगारी भत्ता आदि द्वारा असंगठित श्रमिकों की समस्याओं को कम किया जा सकता है।

संगठित क्षेत्र की सीमित क्षमता के कारण बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कौशल विकास नीति में विशेष प्रावधान होने चाहिए जिससे इन्हें रोजगार में सहायता मिल सके। असंगठित क्षेत्र में एक प्रकार से कम कुशल, निम्न आय वाले व्यक्तियों का समावेश होता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आंशिक या छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित होता है।

शिक्षा संबंधी चुनौतियां

भारत की जनसंख्या में युवा शक्ति के रूप में प्राप्त जनांकिकीय लाभ ही एकमात्र कारण नहीं है, जिससे कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता हुई। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कारण भी महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा में गैर तकनीकी क्षेत्रों यथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अधिकांश युवा उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने हेतु वांछित कौशल, ज्ञान आदि अर्जित नहीं कर पाते हैं। इस कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। अकादमिक जगत द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं उद्योगों की आवश्यकताओं के मध्य बढ़ती खाई के कारण भारत में

कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता हुई है। भारत के 6 शहरों में एमबीए डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों पर किए गए एक अध्ययन में केवल 23 प्रतिशत ही रोजगार योग्य पाए गए। शेष सभी अयोग्य थे। (एम.टी. 2011) इसी प्रकार इंजीनियरिंग स्नातकों पर किए गए एक अन्य अध्ययन में 3 से 41 प्रतिशत व्यक्ति ही रोजगार योग्य पाए गए। (ए. एम. 2011)

वैश्विक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान प्रारूप को आज के बदलते परिदृश्य में उचित नहीं माना गया है। एशियन विकास बैंक (2008) के अनुसार केवल बुनियादी शिक्षा बढ़ती प्रतिस्पर्धा में पर्याप्त नहीं है। युनेस्को (2005) ने भी युवाओं को कार्यक्षेत्र और बेहतर जीवन के लिए तैयार करने हेतु माध्यमिक शिक्षा में सुधार को आवश्यक बताया। इसके लिए वांछित कौशलों जैसे प्रायोगिक कौशल, सूचना एवं संचार तकनीकी का समावेश, उद्यमिता कौशल विकास आदि को महत्वपूर्ण बताया। इसीलिए भारत में एक ऐसे शिक्षा तंत्र की आवश्यकता है जिसमें कौशल विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। बिना माध्यमिक शिक्षा के यदि विद्यार्थी सीधा व्यावसायिक कौशल प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे अकादमिक विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। (होजिला 2012)

कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी विशेष कौशल को सीखकर निकले, उसके बाद बदलती परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार आदि के कारण सिखाए गए कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाए।

अभिवृत्ति कारक

समाज में कुशल श्रम से संबंधित कार्यो जैसे बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, वाहन मिस्त्री, प्लंबर आदि को कम शैक्षिक उपलब्धि वाले व्यक्तियों का कार्य माना जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को या तो कला, विज्ञान, वाणिज्य जैसे परंपरागत क्षेत्रों में अध्ययन कराते हैं या विधि, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में भेजते है। समाज में ब्लू कॉलर नौकरियों की तुलना में व्हाइट कॉलर नौकरियों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस अभिवृत्ति में बदलाव कर कौशल विकास कार्यक्रमों में समाज की भागीदारी बढ़ानी आवश्यक है। सामाजिक दबावों के कारण युवा औपचारिक अकादमिक डिग्री को चुनते हैं।

कौशल विकास कार्यक्रमों की दिशा

कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों से संबंधित समस्त जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार हो। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी स्तर पर चल रहे रोजगार केंद्रों द्वारा इस ओर कार्य किया जा सकता है। ये समय-समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति, उपलब्धता, पंजीयन प्रक्रिया, क्षमता आदि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं। रोजगार केंद्र एक निर्देशन एवं परामर्श केंद्र के रूप में भी विद्यार्थियों को अपनी अभिक्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम या कोर्स का चुनाव करने में उपयोगी हो सकते है। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं अंशकालीन स्तर पर ली जा सकती है।

निजी भागीदारी प्रबंधन, संचालन तक सीमित न होकर प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में भी अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएं। सघन प्रशिक्षण को रोजगार प्राप्ति से जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्लेसमेंट की प्रक्रिया से प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए प्लेसमेंट बढ़ने पर प्रोत्साहन के मानदण्ड निर्धारित कर सकते है। संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन रजिस्टर में आंकड़े दर्ज करने तक सीमित न रखे इसके लिए संस्था का समयबद्ध मूल्यांकन, प्रमाण ीकरण भी आवश्यक है। एक बार किसी संस्था को वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद भी निर्धारित मानकों पर सतत मूल्यांकन होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कौशल द्वारा रोजगार प्राप्ति बढ़ाने वाले प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रशिक्षुओं से कौशल विकास कार्यक्रमों, संस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया जा सकता है। प्रशिक्षण प्रदान करने से पूर्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन होना एवं प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात सीखे गए कौशल का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी विशेष कौशल को सीखकर निकले, उसके बाद बदलती परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार आदि के कारण सिखाए गए कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाए। इसीलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन पर नीति निर्धारकों का गहन चिंतन आवश्यक है।

भारत में उद्यमिता की स्थिति

भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की बहुतायत होने के कारण नए उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन आवश्यक है। नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के 66वें राउण्ड के अध्ययन में यह सामने आया कि 2004-05 की तुलना में 2009-10 में शिक्षण संस्थानों में 15-24 वर्ष के युवाओं की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 6 करोड़ हो गई। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के शिक्षारत रहने से कार्यरत जनसंख्या में युवाओं की वृद्धि पूर्व के वर्षो की तुलना में कम हुई। इस कारण उस समय तो बेरोजगारी की दर कम हो गई परंतु अब वही युवा रोजगार हेतु कार्यरत जनसंख्या का हिस्सा बन रहे है। इसीलिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजन और आजीविका के साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वरोजगार एवं उद्यमिता का विकास एक बेहतर विकल्प है।

उद्यमिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने 'स्टार्ट अप इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया' का नारा दिया। अब नए उद्यमों यानी स्टार्ट अप के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश की 1.25 लाख से भी अधिक बैंक शाखाओं में से प्रत्येक को कम से कम एक दलित/आदिवासी उद्यमी और कम से कम एक महिला उद्यमी को स्टार्ट अप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

उद्यमिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने 'स्टार्ट अप इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया'

का नारा दिया। अब नए उद्यमों यानी स्टार्ट अप के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश की 1.25 लाख से भी अधिक बैंक शाखाओं में से प्रत्येक को कम से कम एक दलित/आदिवासी उद्यमी और कम से कम एक महिला उद्यमी को स्टार्ट अप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

'ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर' रिपोर्ट

उद्यमिता के क्षेत्र में 1999 से वैश्विक स्तर पर प्रारंभ 'ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर' (जी.ई.एम.) के 2014 में हुए 16वें अध्ययन में 73 देशों की अर्थव्यवस्थाओं, विश्व की 72.4 प्रतिशत जनसंख्या एवं 90 प्रतिशत जीडीपी को शामिल किया गया। 2014 में हुए अध्ययन में पूरे विश्व से कुल 2,06,000 व्यक्तियों एवं 3,936 विशेषज्ञों की राय ली गई। यह उद्यमिता के क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे बड़ा अध्ययन है। यह उद्यमिता के प्रति व्यक्तियों की अभिवृत्ति, उद्यम की स्थापना के विभिन्न चरणों में सक्रियता, आत्मविश्वास आदि का मापन करता है। यह अध्ययन विभिन्न देशों में उद्यमिता सक्रियता में अंतर, इसका देश के आर्थिक विकास से संबंध, किसी देश की जनसंख्या को उद्यमी बनाने संबंधित गुणों का पता लगाने का प्रयास है। इसमें उद्यमिता सक्रियता व्यक्तियों की स्वयं की अभिप्रेरणा, सक्रियता, कौशल द्वारा उपलब्ध अवसरों की पहचान, उपयोग एवं संबंधित वातावरणीय कारकों का परिणाम के रूप में परिभाषित है।

भारत को कारक आधारित अर्थव्यवस्था माना गया है जहां आर्थिक विकास मूलभूत आवश्यकताओं जैसे संस्थाओं का विकास, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आर्थिक स्थायित्व आदि पर आधारित होता है।

तालिका-1 में विभिन्न चरों हेतु 18-64 वर्ष आयु की जनसंख्या में प्रतिशत दिखाए गए है। तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय जनसंख्या में उद्यमिता हेतु स्वयं में योग्यता देखने वाले लोगों के प्रतिशत (प्रत्यक्षीकृत योग्यता) में कमी हुई है। 2006 व 2007 में यह क्रमशः 62 व 73 प्रतिशत थी जो 2014 में घटकर 36.7 प्रतिशत रह गई। इसी तरह प्रत्यक्षीकृत अवसर अर्थात किसी उद्यम को शुरू करने के लिए उपलब्ध अवसरों की पहचान करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों में भी कमी आई। इसलिए कौशल विकास प्रशिक्षण में उद्यमिता संबंधी योग्यता विकास करने पर ध्यान देना आवश्यक है। 2014 में उद्यमों में असफलता की दर में पूर्व वर्षों की तुलना में अवश्य कमी हुई है। किसी नए प्रारंभिक उद्यमी को जानने वाले लोगों का प्रतिशत 2006, 2007 व 2008 में बढ़ा था। 2013 में इसमें भी कमी आई। उपरोक्त वर्णित चर तो व्यक्ति की उद्यमी मानसिकता का मापन करते है।

तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय जनसंख्या में उद्यमिता हेतु स्वयं में योग्यता देखने वाले लोगों के प्रतिशत (प्रत्यक्षीकृत योग्यता) में कमी हुई है। 2006 व 2007 में यह क्रमशः 62 व 73 प्रतिशत थी जो 2014 में घटकर 36.7 प्रतिशत रह गई। इसी तरह प्रत्यक्षीकृत अवसर अर्थात किसी उद्यम को शुरू करने के लिए उपलब्ध अवसरों की पहचान करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों में भी कमी आई।

तलिका-1 : भारत में विभिन्न उद्यमिता चरों की वर्षवार दर (प्रतिशत में)

चर	2001	2002	2006	2007	2008	2013	2014
प्रत्यक्षीकृत योग्यताएं	40	42	62	73	58	56	36.7
प्रत्यक्षीकृत अवसर	31	42	52	71	58	41	38.9
असफलता से डर	33	27	24	50	46	39	37.7
किसी स्टार्टअप उद्यमी को जानना	15	25	63	77	60	39	-
नव उद्यमिता दर	6.9	9	5.2	6	6.9	5.1	4.1
नए व्यापार स्वामित्त्व की दर	3.6	7.5	5.2	2.6	4.9	4.9	2.5
कुल प्रारंभिक उद्यमशीलता गतिविधि की दर	10.8	16	10.1	8.5	11.5	9.9	6.6
वांछनीय कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता	-	-	67	67	67	61	58

स्रोत: विभिन्न वर्षों की ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर रिपोर्ट्स

सबसे चिंताजनक स्थिति उद्यमिता सक्रियता संबंधित चरों में आई है। इनमें नवउद्यमिता दर पूर्व वर्षों की तुलना में कम हुई। नवउद्यमिता दर से तात्पर्य उन व्यक्तियों के प्रतिशत से है जो किसी उद्यम को प्रारंभ करने में सक्रिय है एवं जहां उद्यम मालिकों को तीन महीने से अधिक समय के लिए आय नहीं हुई है। पिछले 15 वर्षों में यह घटकर सबसे कम 4.1 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार नए व्यापार स्वामित्त्व की दर भी 2013 में 4.9 प्रतिशत थी जो 2014 में घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई। नए व्यापार स्वामित्व की दर से तात्पर्य उन उद्यमियों के प्रतिशत से है जो 3 महीनों से अधिक व 42 महीनों से कम अवधि के लिए उद्यम का संचालन कर आय प्राप्त कर चुके है। नवउद्यमिता व नए व्यापार स्वामित्व दर दोनों को मिलाकर कुल प्रारंभिक उद्यमशीलता (टी.ई.ए. या टोटल आंत्रप्रेन्योरशिप एक्टिविटी) की दर कहा जाता है। वर्ष 2013 में यह दर 9.9 प्रतिशत थी जो 2014 में घटकर 6.6 प्रतिशत रह गई। पिछले 15 वर्षों में यह दर सबसे कम रही। कुल टी.ई.ए. में से भी 40 प्रतिशत उद्यम आवश्यकता आधारित थे, जिसका अभिप्राय यह है कि उन उद्यमियों के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने उद्यम को प्रारंभ किया। विकसित देशों में नवाचार आधारित उद्यमिता का प्रतिशत अधिक रहता है। 18 से 64 वर्ष की आयु के 58 प्रतिशत व्यक्ति उद्यमिता को एक बेहतर करियर विकल्प के रूप में देखते हैं।

निष्कर्ष यह है कि भारत में नए उद्यमों की स्थापना बहुत कम हो रही है। जो उद्यम स्थापित हो रहे है, वे भी लंबे समय तक चल नहीं पा रहे है। उद्यमिता में सुधार के लिए रोजगार सृजक क्षेत्रों जैसे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, होटल, रेस्तरां, पर्यटन, निर्माण, सूचना तकनीकी आदि में स्वरोजगार और लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढावा देने हेतु कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है।

उद्यमिता की आवश्यकता

भारत की जनांकिकीय लाभ की इस स्थिति में युवाओं को नौकरी के अवसर तलाश करने के स्थान पर उद्यमिता द्वारा नौकरी प्रदाता

उद्यमी के रूप में स्वयं को स्थापित करने हेतु अभिप्रेरित प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में उद्यमिता चेतना जागृत करने, प्रेरणा प्रदान करने के साथ ही आवश्यक तकनीकी कौशल, वित्तीय प्रावधानों की सूचना देने, उद्यमिता के तीन महत्वपूर्ण तत्वों – नए विचार या नवाचार, जोखिम लेने की प्रवृति तथा उपर्युक्त अवसरों को पहचानने की क्षमता आदि का विकास करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। उद्यमिता विकास देश के कौशल विकास कार्यक्रम में वृहद स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए सफल उद्यमियों को कौशल प्रदाताओं, प्रशिक्षकों के रूप में जोड़ना चाहिए। भारत में ऐसे नवाचार आधारित सफल उद्यमियों के अनेक उदाहरण हैं।

भारत में उद्यमिता नवाचार के उदाहरण

भारत में उद्यमिता के क्षेत्र में नए प्रयोग हो रहे है। नए विचारों द्वारा उद्यम स्थापित हो रहे हैं। आईआईएम व आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में युवा अच्छे वेतन वाली नौकरियों को नकार कर उद्यमिता के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भारतीय उद्यमियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने नवाचार द्वारा अपने उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं, अभिकल्पों एवं तकनीक में व्यापक बदलाव किए एवं सफलता अर्जित की।

उदाहरण के लिए यात्री अक्सर रेलगाड़ियों में खराब खाने की समस्या से जूझते है। एक उद्यमी ने इस समस्या को अवसर के रूप में देखा एवं तकनीक के उपयोग द्वारा रेलगाड़ियों के स्टेशन पर पहुंचने के समय को पता लगाकर यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाला गर्म भोजन उपलब्ध करने हेतु एक उद्यम की स्थापना की। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार भोजन के ऑनलाइन आर्डर भी दे सकता है। एक उद्यमी ने बिजली की कमी की समस्या को देखते हुए सोलर पैनल के उत्पादन एवं बिक्री हेतु उद्यम स्थापित किया। छोटे शहरों के लोगों को महानगरों में उपलब्ध चिकित्सकों की सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, मोबाइल एप के उपयोग द्वारा पांच से सात मिनट में टैक्सी की उपलब्धता होना, बसों का घर बैठे रिजर्वेशन करवाने की सुविधा, प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विभिन्न उत्पादों की आपके घर तक पहुंच आदि सभी तकनीकी ज्ञान के समावेश एवं नवाचार आधारित उद्यमों के उदाहरण है जो भारत में सफल हुए है।

भारत में उद्यमिता के क्षेत्र में नए प्रयोग हो रहे है। नए विचारों द्वारा उद्यमों स्थापित हो रहे हैं। आईआईएम व आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में युवा अच्छे वेतन वाली नौकरियों को नकार कर उद्यमिता के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भारतीय उद्यमियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने नवाचार द्वारा अपने उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं, अभिकल्पों एवं तकनीक में व्यापक बदलाव किए एवं सफलता अर्जित की।

कौशल विकास कार्यक्रम में इतने बड़े स्तर पर व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने के लिए नवाचार आधारित उद्यमों को स्थापित कराना, स्वरोजगार को प्रेरित करना भारत की आवश्यकता है जिससे कि सीमित संगठित क्षेत्र की कमी को दूर किया जा सके। यदि भारत में कौशल विकास कार्यक्रम को सफल बनाना है तो उद्यमिता एवं स्वरोजगार से बेहतर अन्य कोई विकल्प सामने नहीं है। ❑

संदर्भः

1. **अमोरोस, जे.ई एवं बोस्मा, एन. (2012):** ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर ग्लोबल रिपोर्ट 2014, ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप रिसर्च एसोसिएशन
2. **ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर ग्लोबल रिपोर्ट 2013 व 2014,** ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप रिसर्च एसोसिएशन
3. **ए.एम. (2011):** नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट इन्जीनियरिंग ग्रेज्युएट्स एन्युअल रिपोर्ट 2011, गुड़गांव : एस्पायरिंग माइंड्स पब्लिकेशन
4. **एशियन डवलपमेंट बैंक (2008):** एज्युकेशन एण्ड स्किल्स : स्ट्रेट्रेजीज फॉर एक्सीलरेटेड डवलपमेंट इन एशिया एण्ड दी पेसिफिक, मनीला, एशियन डवलपमेंट बैंक
5. **जनगणना (2011) के आंकड़ें:** महापंजीयक सह जनगणना आयुक्त का कार्यालय
6. **फिक्की (2012):** स्किल्स फॉर ऑल, न्यू एप्रोचेज ऑफ स्किलिंग इण्डिया, फिक्की स्किल डवलपमेंट फोरम एवं सिटी गिल्ड्स मनिपाल ग्लोबल
7. **हाजेला, रूचि (2012):** शार्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स : अ पेरेडॉक्स ऑफ दी इण्डियन इकोनॉमी स्कोप रिसर्च पेपर नं. 111 नवंबर 2012, कोम्पस, युनिवर्सिटी ऑफ आक्सफोर्ड
8. **मेक्लीन, रूपर्ट, जगन्नाथन, शांति एवं सार्वी, जूको (2013),** स्किल डवलपमेंट फॉर इनक्लूसिव एण्ड सस्टेनेबल ग्रोथ इन डवलपिंग एशिया पेसिफिक, स्प्रिंगर
9. **चन्दा, रूपा एवं अन्य (2014):** ब्रिजिंग दी स्किल गेप्स इन इण्डियाज लेबर मार्केट, तेजस, आईआईएम बैंगलोर
10. **एम.टी. (2011):** एमबीए टेलेंट पूल रिपोर्ट की फाइण्डिंग्स, बैंगलोर, मेरिट्ट्रेक पब्लिकेशन्स
11. **यूनेस्को (2005):** सैकण्डरी एज्यूकेशन रिफार्म : टूवर्ड्स ए कन्वर्जेंस ऑफ नॉलेज एक्वीजिशन एण्ड स्किल डवलपमेंट
12. **योजना आयोग:** ट्वेल्थ फाइव इयर प्लान, एम्प्लाएबिलिटी एण्ड स्किल डवलपमेंट
13. **नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (2009-10):** सेक्टर स्किल्स रिपोर्ट, एनएसडीसी 2009

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015

कौशल विकास और आंत्रप्रेन्योरिशप पर राष्ट्रीय नीति 2015, कौशल विकास तथा आंत्रप्रेन्योरिशप के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति 2009 की नीति की जगह लाई गई है। इसका मुख्य लक्ष्य कौशल की तीव्रता, क्वालिटी और सतत विकास की चुनौती को पूरा करना है। यह उन सभी गतिविधियों को एक छत प्रदान करता है जो देश के अंदर चलाई जा रही हैं ताकि सबको एक जैसे मानक के अनुरूप लाया जा सके। लक्ष्यों तथा संभावित परिणाम के अतिरिक्त यह नीति सांगठित ढांचे का भी वर्णन करती है जो अपेक्षित परिणामों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। कौशल विकास सरकार, कॉरपोरेट सेक्टर, समूह आधारित संगठनों (जिनमें अत्यधिक कुशल कर्मिक हों तथा जो कौशल और आंत्रप्रेन्योरिशप पर काफी समय से कार्य कर रहे हों) सबका सम्मिलित कार्य है। यह नीति कौशल विकास को रोजगार सृजन तथा निर्माण संवर्धन के साथ जोड़ती है जो सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। कौशल योजना आंत्रप्रेन्योरिशप को बढ़ावा देने के साथ-साथ कुशल कामगारों के लिए अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलने का कार्य भी करती है। ❑

पूर्वोत्तर की झांकी

मेघालय में आरंभ मेघा-लैंप परियोजना

मेघा-लैंप परियोजना का उद्घाटन इसी सितंबर में मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया था। योजना का उद्देश्य पर्वतीय राज्य में पारिवारिक आय तथा जीवन की गुणवत्ता सुधारना है। मेघा-लैंप - मेघालय लाइवलिहुड्स एंड एक्सेस टु मार्केट प्रोजेक्ट प्रमुख कार्यक्रम है, जो सतत आजीविका के लिए बाजारों तथा मूल्य शृंखला के विकास पर ध्यान देता है तथा सुनिश्चित करता है कि ये आजीविकाएं मेघालय के भौगोलिक संदर्भ एवं जलावयु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप हों। परियोजना के तीन घटक हैं - प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं खाद्य सुरक्षा, उद्यम एवं आजीविका विकास तथा ज्ञान प्रबंधन। परियोजना को एकीकृत बेसिन विकास एवं आजीविका कार्यक्रम के अंग के रूप में लागू किया जा रहा है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) से सहायता मिल रही है। मेघा-लैंप से सभी 39 ब्लॉकों में ग्रामीण समुदायों द्वारा 47,000 उद्यमों का विकास किए जाने और कम से कम 18 ब्लॉकों में 54 मूल्य शृंखला एवं आजीविका क्लस्टर स्थापित होने की अपेक्षा है, जिससे कुल 1,40,000 परिवार लाभान्वित होंगे।

पूर्वोत्तर को मिलेगा अपना फिल्म संस्थान

सरकार ने पूर्वोत्तर में फिल्म संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। क्षेत्र में फिल्म संस्थान से पूर्वोत्तर के फिल्म उद्योग के विकास में मदद मिलेगी और बॉलीवुड, टॉलीवुड तथा देश के अन्य भागों के फिल्म निर्माताओं को क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता देखने का मौका मिलेगा, जो दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों को टक्कर दे सकती है।

असम में पांच नए जिलों के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

असम सरकार ने राज्य में पांच नए जिलों विश्वनाथ चरियाली, होजई, दक्षिण सालमरा-मनकाचर, चरईदेव और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के गठन के प्रस्ताव को सितंबर में मंजूरी दे दी। कैबिनेट की एक उपसमिति जन सुनवाई करेगी और स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर इन दो नए जिलों का सीमांकन करेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटक योजना आरंभ

पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो नई योजनाएं आरंभ की हैं - विशिष्ट थीम के आधार पर परिपथों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन और नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्मेंटेशन ड्राइव अर्थात् *प्रसाद*। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आरंभ में तटीय परिपथ, बौद्ध परिपथ, पूर्वोत्तर भारत परिपथ, हिमालय परिपथ एवं कृष्ण परिपथ तीर्थ चिह्नित किए गए हैं। सात अन्य परिपथ भी जोड़े गए हैं, जिनके नाम हैं मरुस्थलीय परिपथ, दैवीय परिपथ, रामायण परिपथ, जनजातीय परिपथ, पारिस्थितिक परिपथ, वन्यजीवन परिपथ और ग्रामीण परिपथ। प्रसाद योजना के अंतर्गत 12 जिले चुने गए हैं, जिनमें असम का कामाख्या भी शामिल है।

केंद्र ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। उनमें शामिल हैं: प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्रा मेलों एवं प्रदर्शनियों में भारत की पैविलियनों में पूर्वोत्तर राज्यों को सम्मानसूचक स्थान देना, पूर्वोत्तर राज्यों में मेलों एवं उत्सवों के आयोजन के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं देसी बाजारों में प्रति वर्ष प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियान चलाए जाना, जिनमें पर्यटन की संभावनाओं वाले कम चर्चित स्थानों की भी बात होती है। पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीवी चैनलों पर इस क्षेत्र के बारे में विशेष अभियान चलाए हैं। इनके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनदेखी पर्यटन संभावनाओं को प्रचारित करने के उद्देश्य से देसी और विदेशी बाजारों में प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) का आयोजन किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बच्चों का टीकाकरण

बच्चों के टीकाकरण के मामले में पूर्वोत्तर राज्यों को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले दिसंबर में मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया था।

इसके अंतर्गत अब तक पूर्वोत्तर राज्यों के 33 प्रमुख जिलों में उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण के चार दौर हो चुके हैं, जिन क्षेत्रों में या तो आंशिक टीकाकरण था या बिल्कुल भी टीकाकरण नहीं था।

इन चरणों में पूर्वोत्तर राज्यों में 5.6 लाख बच्चों और 0.53 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। निगरानी बेहतर करने एवं पीएचसी/सीएचसी में कोल्ड चेन के अंतिम बिंदु से टीकाकरण के स्थान तक टीके पहुंचाने की गति तेज करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। लाभार्थियों को टीकाकरण स्थल तक भेजने और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराने पर आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन भी दिया गया है।

मानव संसाधन संवर्द्धन का माध्यम

सचिन अधिकारी

सरकारों ने स्किल डिवेलपमेंट को हमेशा ही राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा है लेकिन इससे पहले इसका फोकस सिर्फ परंपरागत नौकरियों की ओर ही होता था, जबकि स्किल इंडिया के तहत हर तरह की नौकरियों के लिए लोगों को तैयार करने का काम किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने व्यवस्थागत बदलाव भी किए हैं। अब तक यह जिम्मेदारी कई मंत्रालयों के बीच बंटी होती थी लेकिन अब इसे एक साथ जोड़ दिया गया है। इसका मकसद पूरी व्यवस्था को अधिक सफल और पारदर्शी बनाना है

कई अध्ययन इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत 64 फीसदी युवा आबादी के साथ दुनिया के सबसे जवां देशों में से एक है। मेधावी और नौकरी योग्य कार्यबल की मदद से 2020 तक भारत की कार्य योग्य आबादी दुनिया के लिए सोने की खान की तरह होगी।

भारत में तेज ग्रोथ और बहुमुखी निवेश के माहौल को देखते हुए आने वाले समय में तकनीकी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उच्च प्रतिभा रखने वालों की मांग बढ़ेगी। अनुमान है कि 2015 में ही भारत में ऐसे 23 लाख लोगों की आवश्यकता होगी, जो आईटी और उससे जुड़े सेवा क्षेत्रों में सेवाएं दे सकें। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीते 15 सालों में भारत सिर्फ 16 लाख पेशेवर लोगों को ही तैयार कर सका है, इसका मतलब है कि आने वाले दो सालों में ही हमें आठ लाख और पेशेवरों को तैयार करने की जरूरत होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के मुताबिक देश के कुल प्रोफेशनल्स में से सिर्फ 25 फीसदी को ही संगठित क्षेत्र के नियोक्ता नौकरी के योग्य मान रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से स्किल डिवेलपमेंट और कुशलता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं रही है।

अनुमान है कि 2015 में भारत में करीब 50 लाख छात्र ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन जरूरी स्किल न होने और किसी पेशे के लिए जरूरी दक्षता के अभाव की वजह में सिर्फ 34 फीसदी ही नौकरी के योग्य होंगे। नियोक्ताओं को ऐसे कर्मियों की तलाश है, जो कोई विशेष या सॉफ्ट स्किल रखते हों। इसका अर्थ है कि युवाओं को जरूरी नौकरी के योग्य बनाने के लिए ट्रेनिंग ही एकमात्र रास्ता है। सिर्फ विश्वविद्यालय की डिग्री होना ही किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी की गारंटी नहीं है। अधिकतर युवा उम्मीदवार जब किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो उनमें से अधिकतर के पास एक ही जैसी डिग्री और दक्षता होती है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को चुना जाता है। तकनीकी जानकारी के साथ कोई उम्मीदवार अकादमिक क्षेत्र में और इंटरव्यू में तो सफलता पा सकता है, लेकिन किसी उम्मीदवार की नौकरी में जरूरी दक्षता ही अंत में उसे रोजगार दिलाने और बनाए रखने में सहायक होती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में तब्दील हो चुके हैं, जहां तकनीकी ज्ञान का महत्व तो है ही, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का भी महत्व है। जैसे कोई व्यक्ति कैसे अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करता है, टीम प्लेयर के तौर पर काम करता है और कैसे कॉरपोरेट माहौल में काम करने का आत्मविश्वास जगा पाता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को तैयार करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग युवाओं में तकनीकी दक्षता, अंतर्वैयक्तिक और प्रबंधकीय गुणों का विकास कर सकती है। इससे छात्र कॉरपोरेट जगत में तेजी से बढ़ती चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो पाएंगे।

नैस्कॉम (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज) के मुताबिक हर साल करीब 30 लाख स्नातक और परास्नातक छात्र देश की वर्कफोर्स का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इनमें से 25 फीसदी तकनीकी स्नातक

लेखक ग्लोबल सक्सेस यूनिवर्सिटी के संस्थापक और निदेशक हैं। वह महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (एमसीसीआईए) राजस्थान कौशल एवं जीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) तथा गुजरात सरकार के उद्यमिता एवं विकास केंद्र के साथ कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम कर चुके हैं।
ईमेलः mehjabeen.sajid@viztarinternational.com

और 10 से 15 फीसदी अन्य छात्र औद्योगिक जगत के मुताबिक नौकरी के योग्य होते हैं। देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में तो ऐसे प्रशिक्षण की कमी है ही, जिससे युवाओं को नौकरी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके, बल्कि देश की श्रमशक्ति के पास भी गुजरे जमाने की ही स्किल है। अनुमानित आर्थिक विकास से ऐसी चुनौती और बढ़ेगी, जहां 75 फीसदी नौकरियां ऐसी होंगी, जिनमें किसी विशेष दक्षता की आवश्यकता होगी। इसीलिए सरकार का विशेष जोर है कि लोगों को वोकेशनल एजुकेशन के जरिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके और उन्हें कार्यकुशल बनाया जा सके।

नियोक्ता जब किसी कर्मचारी को नियुक्ति देने पर विचार करते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि संबंधित व्यक्ति में अलग-अलग स्तरों पर नेतृत्व की क्षमता, निर्णयकारी भूमिका में काम करने की कुशलता भी हो। नियोक्ताओं

नियोक्ताओं को पता है कि सिर्फ पेशेवर और तकनीकी दक्षता के भरोसे ही संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। कुशल कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वह संगठन में प्रभावशाली संवाद स्थापित कर सके, ग्राहकों से तालमेल बना सके और अन्य संबंधित पक्षों के साथ भी सही ढंग से काम कर सके।

को पता है कि सिर्फ पेशेवर और तकनीकी दक्षता के भरोसे ही संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। कुशल कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वह संगठन में प्रभावशाली संवाद स्थापित कर सके, ग्राहकों से तालमेल बना सके और अन्य संबंधित पक्षों के साथ भी सही ढंग से काम कर सके। जिस व्यक्ति में ऐसी दक्षता होगी, उसे नियुक्ति दिए जाने की संभावना अधिक होती है।

इस बात को लेकर हमेशा से बहस रही है कि किसी व्यक्ति की कार्यकुशलता और सॉफ्ट स्किल्स को बाहरी प्रशिक्षण के जरिए कैसे बढ़ाया जा सकता है, जबकि यह स्पष्ट तथ्य है कि कोई व्यक्ति अपनी विशिष्टता के साथ ही जिंदगी जीता है। यह सही है कि किसी के व्यक्तित्व के आधारभूत गुणों को बदलना कठिन होता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रभावशाली प्रशिक्षण के जरिए उसमें ऐसी जरूरी दक्षता और गुण विकसित किए जा सकते हैं, जो हर कर्मचारी में होती है।

निस्संदेह भारत में पेशेवर क्षमता और सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण बेहद प्रासंगिक है, जहां शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका है। कॉरपोरेट जगत में खुले विचारों की आवश्यकता होती है, जो नए विचारों को सहजता से ग्रहण कर सके। नए आने वाले लोगों के सुझाव और सिफारिशों पर विचार करे, जो टीम का हिस्सा बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं। एक बार फिर कहें तो किसी भी छात्र की क्षमता के तहत यह जरूरी है कि वह कॉरपोरेट माहौल में सहज हो सके, प्रक्रिया को सीख सके, लोगों के व्यवहार को समझ सके और सकारात्मक योगदान देने में सक्षम हो।

किसी भी क्षमतावान उम्मीदवार में संगठन जो गुण देखता है, उनमें अंतर्वैयक्तिक गुण, संचार और व्यवहार में भी दक्षता प्रमुख हैं। इसके अलावा व्यावहारिक गुण जैसे नजरिया, सकारात्मकता, समय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक गुण भी आवश्यक हैं। नौकरी के लिए तैयार होने के उद्देश्य से छात्रों को ऐसे प्रशिक्षणों में भाग लेना चाहिए, जिससे उनमें जरूरी गुणों का विकास हो सके। इसके साथ ही वह औपचारिक शिक्षा भी लेते रहें, ताकि जब वह अपने शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होकर निकलें तो पेशेवर जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरह से तैयार हों।

'ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग' के जरिए इस अंतर को खत्म किया जा सकता है और संगठनों को कॉरपोरेट दुनिया की बढ़ती चुनौतियों के लिहाज से तैयार किया जा सकता है। ऐसे प्रशिक्षणों में किसी व्यक्ति की नौकरी के लिए योग्यता को पूरी तरह से विकसित करने यानी कायापलट करने की क्षमता है। सॉफ्ट स्किल डिवेलपमेंट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है किसी को एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करती है। जो उसकी पेशेवर, व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी में सहायक होता है और करियर में वह ग्रोथ हासिल कर पाता है।

यहां यह भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई और प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा से अलग होकर नहीं चलाया जा सकता। एएसईआर की हाल ही में जारी रिपोर्ट यह बताती है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था स्कूली शिक्षा में की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने में नाकामयाब रही है, गांवों और सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। यह स्कूली छात्र ही हमारे लिए भविष्य की श्रमशक्ति हैं लेकिन स्कूल छोड़ने वालों की संख्या यदि बहुत ज्यादा रहेगी तो हमें संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें शिक्षा व्यवस्था के साथ ही स्किल डिवेलपमेंट को भी जोड़ना होगा ताकि जब वह उत्तीर्ण होकर निकलें तो किसी नौकरी के योग्य हों। इसके साथ ही अध्यापकों अथवा ट्रेनरों की गुणवत्ता और उनके अनुपात के बारे में भी विचार करने की जरूरत है, जो छात्रों में ज्ञान और रुचि का विकास कर सकते हैं।

वैश्वीकरण और व्यावसायिक उदारीकरण भारत के श्रम बाज़ार में लगातार कई तरह के बदलाव लाया है। आर्थिक विकास और नवीनतम तकनीक के आने की वजह से पेशेवर क्षमता आधारित श्रम शक्ति की मांग बढ़ी है।

कौशल के जरिए मानवीय पूंजी में सुधार किया जा सकता है, जिससे कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भारत जैसे विकासशील देश में कम पढ़े लिखे कर्मियों को ट्रेनिंग के जरिए क्षमतावान बनाया जा सकता है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से बाज़ार को फायदा होगा।

इससे अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे और मझोले उद्यमों के लिए नए अवसरों की खिड़की खुली है। कौशल के जरिए मानवीय पूंजी में सुधार किया जा सकता है, जिससे कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भारत जैसे विकासशील देश में कम पढ़े लिखे कर्मियों को ट्रेनिंग के जरिए क्षमतावान बनाया जा सकता है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से बाज़ार को फायदा होगा।

'असंगठित अर्थव्यवस्था' के बारे में कहा जाता है कि इसके तहत वह कर्मी और आर्थिक इकाईयां आती हैं, जो कानून के अनुसार संचालित है और किसी औपचारिक व्यवस्था से बंधी हुई या जुड़ी नहीं हैं। विकासशील देशों में असंगठित श्रम शक्ति का अधिकतर हिस्सा स्वरोजगार से जुड़ा है, जो घर बैठकर, गली नुक्कड़ पर ही अपना काम करते हैं। इन लोगों के पास काम करने का न कोई आधिकारिक और न ही कोई निश्चित पता

होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकतर विकासशील देशों में असंगठित अर्थव्यवस्था ही आर्थिक विकास के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है।

वर्तमान युवा पीढ़ी तकनीकी विकास के दौर में पैदा हुई है, जिसे इंटरनेट और मोबाइल लर्निंग जैसे उपकरणों के माध्यम से आसानी प्रशिक्षित किया जा सकता है। इन तकनीकों में आसानी से पहुंच की क्षमता है, इसका तंत्र स्थापित करना भी आसान है और इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इनके जरिए एक बार में ही बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा जा सकता है। यदि मोबाइल धारकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था मोबाइल पर ही हो सके तो दुनिया में लाखों युवाओं को शिक्षित करने के लिए यह सबसे सरल और सस्ता माध्यम हो सकता है।

तकनीकों में आसानी से पहुंच की क्षमता है, इसका तंत्र स्थापित करना भी आसान है और इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इनके जरिए एक बार में ही बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा जा सकता है। यदि मोबाइल धारकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था मोबाइल पर ही हो सके तो दुनिया में लाखों युवाओं को शिक्षित करने के लिए यह सबसे सरल और सस्ता माध्यम हो सकता है।

2004 में केंद्र सरकार ने विशेषकर ग्रामीण इलाकों में असंगठित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रोजगार के टिकाऊ अवसर पैदा करने और उसके जरिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर (एनसीईयूएस) का गठन किया था। भारत में फिलहाल 5 करोड़ 90 लाख उपक्रम हैं, जिनके जरिए 12.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। यही नहीं 2005 के बाद से इनमें 1.7 करोड़ नए उपक्रम और जुड़ चुके हैं।

श्रमशक्ति के असंगठित क्षेत्र को कुछ सामान्य विशेषताओं के जरिए परिभाषित किया जा सकता है, जैसे सीमित पेशेवर कुशलता, न्यून आय, कम उत्पादकता और सीमित पूंजी निवेश। बाज़ार के योग्य नौकरियों के लिए नई कुशलताएं विकसित करके इस सेक्टर में उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कर्मियों की कमाई में भी इजाफा होगा। इसलिए श्रमशक्ति की उत्पादन क्षमता का भरपूर लाभ लेने और देश के विकास के लिए यह जरूरी है।

असंगठित अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में इजाफा करने के लिए समग्रता से विचार करते हुए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली श्रमशक्ति की शिक्षा और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए भी काम करना होगा। हालांकि श्रमशक्ति के विकास के लिए मामूली निवेश से उत्पादकता में बहुत अधिक इजाफा होने की भी संभावना नहीं है। मौजूदा वक्त में काम रहे लोगों को फिलहाल कोई शिक्षण-प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन वह जो तकनीकी कुशलता ले भी रहे हैं, उसके साथ किसी तरह की सॉफ्ट स्किल उन्हें नहीं मिल रही है। पूरे उद्योग जगत में प्रभावशाली संचार, सांगठनिक क्षमता और अप्रत्याशित समस्याओं का समाधान करने की क्षमता वाले कर्मचारी की आवश्यकता रहती है। अकसर नियोक्ता अपने कर्मियों में इन गुणों की कमी पाते हैं।

उत्पादकता में बढ़ोतरी कैसे रोजगार के बढ़ते अवसरों में तब्दील हो, इसके लिए व्यापक विविधता वाली अपनी श्रमशक्ति में यह नई कुशलताएं विकसित करनी होंगी। असंगठित अर्थव्यवस्था में मानवीय पूंजी का विकास करना ही सबसे प्रभावशाली साबित होगा, जो शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए ही होगा।

नियोक्ताओं को अपनी जरूरतों के हिसाब से श्रमशक्ति तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कंपनी के कार्य के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करानी चाहिए। पूरक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूल आधारित शिक्षा भी शामिल की जानी चाहिए। यह प्रशिक्षण गैर सरकारी और लाभकारी निजी संस्थानों के माध्यम से भी हो सकता है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की कुशलता को बढ़ाने से वह आर्थिक विकास और संपदा निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे लेकिन वर्कफोर्स प्रोग्राम्स में मामूली निवेश से अधिकतम उत्पादकता का परिणाम आना तय नहीं है। इन कार्यक्रमों को आर्थिक माहौल में लगातार आ रहे अन्य बदलावों से अलग नहीं किया जा सकता।

नेशनल स्किल डिवेलपमेंट एजेंसी तमाम संगठनों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि अलग-अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग जगत की ओर से चलने वाले तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित किया जा सके। श्रमशक्ति को कुशलता प्रदान करने और उन्हें प्लेसमेंट दिलाने के लिए एक पूर्ण और हर सेक्टर में ठोस नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है।

स्किल इंडिया का लक्ष्य मेधावी भारतीयों के लिए अवसर तैयार करना और विकास की राह प्रशस्त करना है। इसके जरिए स्किल डिवेलपमेंट के नए सेक्टरों की भी पहचान की जाएगी। इस योजना के तहत 2020 तक देश के 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देना और कार्यकुशल बनाने का लक्ष्य है।

हमें वैश्विक मानकों के मुताबिक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करने होंगे ताकि हमारे देश के युवा घरेलू मांग को तो पूरा कर ही सकें, बल्कि अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप और अन्य पश्चिम एशियाई देशों का भी मुकाबला कर सकें।

उत्पादकता में बढ़ोतरी कैसे रोजगार के बढ़ते अवसरों में तब्दील हो, इसके लिए व्यापक विविधता वाली अपनी श्रमशक्ति में यह नई कुशलताएं विकसित करनी होंगी। असंगठित अर्थव्यवस्था में मानवीय पूंजी का विकास करना ही सबसे प्रभावशाली साबित होगा, जो शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए ही होगा।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे यहां अब तक स्किल डिवेलपमेंट के कार्यक्रम नहीं चलाए गए। सरकारों ने स्किल डिवेलपमेंट को हमेशा ही राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा है लेकिन इससे पहले इसका फोकस सिर्फ परंपरागत नौकरियों की ओर ही होता था, जबकि स्किल इंडिया के तहत हर तरह की नौकरियों के लिए लोगों को तैयार करने का काम किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने व्यवस्थागत बदलाव भी किए हैं।

अब तक यह जिम्मेदारी कई मंत्रालयों के बीच बंटी होती थी लेकिन अब इसे एक साथ जोड़ दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ पूरी व्यवस्था को अधिक सफल और पारदर्शी बनाना है। ❑

प्रधानमंत्री कौशल विकास फेलोशिप

प्रधानमंत्री कौशल विकास फेलोशिप उन युवा पेशेवरों के लिए तीन वर्ष तक काम करते हुए सीखने का अवसर है, जिनकी राज्य और जिला स्तर पर कौशल के क्षेत्र में काम करने में रुचि है। फेलो को चुने गए जिलों में एसएसडीएम और जिला प्रशासन की सहायता करनी होगी तथा प्रमुख कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तथा कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवाओं की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने में कौशल विकास सहयोगी के रूप में काम करना होगा।

इसके लिए फेलो के बुद्धिमान एवं प्रेरित होने की अपेक्षा है, लेकिन जिनके पास अनुभव की कमी है, उन्हें इस प्रक्रिया और सीखने के अनुभव एवं कार्यक्रमों द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता अपने भीतर विकसित करने, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं स्वयं को प्रेरित करने तथा जीवन के लक्ष्य ढूंढने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें बेहद सक्षम कौशल विकास सहयोगी (फैसिलिटेटर) बनने में मदद मिलेगी, जिनकी *सबका साथ सबका विकास* का सरकार का ध्येय पूरा करने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार योजना के दोहरे उद्देश्य है, जिसमें आजीविका के सम्मानजनक साधन उपलब्ध कराने के लिए चुने गए जिलों में एसएसडीएम और जिला प्रशासन को अल्प अवधि के लिए उत्प्रेरक के समान सहयोग प्रदान करना है और कौशल विकास सहयोगियों का समूह तैयार करना है, जो आगे चलकर एसएसडीएम के लिए पूरी तरह संसाधन होगा।

प्रधानमंत्री जिला कौशल विकास फेलो के मुख्य दायित्व ये होंगे: जिले में कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय एवं क्रियान्वयन में जिला प्रशासन/एसएसडीएम/एनएसडीए की सहायता करना (जिला विशेष के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना, आरंभ करना एवं प्रगति की समीक्षा करना, रोजगार मेला आयोजित करना आदि), जिला स्तर पर सभी कौशल विकास योजनाओं विशेष रूप से आजीविका कौशल, एनआरएलएम, आईएसडीए, एमईएस-एसडीआईएस, एससीए टू टीएसपी, एससीए टू एससीएसपी, एनआरएलएम, एचएसआरटी, बीएडीपी, बीओसीडब्ल्यू, एमएसडीपी, आईएपी, सीबीटीए, एनएमएफपी के एचआरडी आदि के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करना, युवाओं की आवश्यकताओं एवं कौशल के बीच अंतर को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण करना, ग्रामीण युवा क्लबों एवं जिले के अन्य युवा संगठनों, सामान्य सेवा केंद्रों तथा जमीनी स्तर की इकाइयों को कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना ताकि जिला स्तर पर युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ देने के लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न की जा सके, लोगों को कौशल विकास के लिए लाने एवं पंजीकृत करने हेतु योजनाएं क्रियान्वित करना, जिले में एमएसएमई इकाइयों के प्रत्येक समूह के लिए आवश्यक कौशलों को समझना एवं पहचानना तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करना, स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार दिलाने तथा राज्य में ही बाजार से उन्हें जोड़ने के लिए प्रक्रिया तैयार करना, प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं प्रशिक्षुओं को रोजगार अथवा स्व-रोजगार दिलाने में जुटी क्रियान्वयन एजेंसियों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के अधिक उचित तरीके ढूंढने के लिए अनुसंधान करना, उभरते हुए अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जिले में अनूठे, परिणामोत्पादक जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना और क्रियान्वित करना, जिले में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में एसएसएडीएम को प्रतिक्रिया देना और ऋण की व्यवस्था के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से मिलकर काम करना। ❑

कौशल विकासः वित्तीय व्यवस्था

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) कौशल विकास के लिए ऋण अथवा इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और वित्तीय व्यावहारिकता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के चुनिंदा कार्यक्रमों को कर में छूट आदि के द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन देता है। एनएसडीसी इन तरीकों से वित्तीय सहायता प्रदार करता है:

• ऋण • इक्विटी • अनुदान

एनएसडीसी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले चुनिंदा प्रस्तावों की जांच पड़ताल के लिए चरणबद्ध एवं विस्तृत प्रक्रिया अपनाएगा। छह मानकों पर विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा:

• कौशल विशेष की मांग के बारे में नियोक्ता के विचार • एनएसडीसी के अभियान के अनुकूल होना • पूरी योजना एवं परिचालन मॉडल की शक्ति • सहभागिता बढ़ाने की क्षमता • वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता • प्रबंधन क्षमता मजबूत करने की क्षमता

एनएसडीसी ऐसे संगठनों के प्रस्तावों को पहले परीक्षण के आधार पर और बाद में पूरी तरह मदद करने पर विचार करेगा, जिनका इस क्षेत्र में पहले से कोई अनुभव नहीं है। वित्तीय पक्ष में एनएसडीसी इस मामले में लचीला रुख अपनाएगा कि पूरी परियोजना में उसकी कितनी प्रतिशत सहभागिता हो, वित्तीय सहायता का तरीका क्या हो अर्थात् अनुदान या ऋण अथवा इक्विटी हो और प्रति छात्र लागत क्या हो। इसके साथ ही वह सुनिश्चित करेगा कि समझौते इस प्रकार किए जाएं कि आगे जाकर ये मानदंड और भी कठोर हो जाएं। इसके अलावा एनएसडीसी परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के लिए वित्तीय सहायता तभी देगा, जब लक्षित परिणाम प्राप्त कर लिए जाएंगे। ❑

विकलांगजनों के कौशल से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

पीयूष कुमार दुबे

समाज में एक बड़ी जनसंख्या विकलांगजनों या यूं कहें विशेष क्षमता वाले लोगों की है। जब तक इनको समाज अवसर नहीं मिल पाते तब तक कोई भी विकास की योजना और सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी है। खुशी की बात यह है कि सरकारें इस दिशा में आजकल ध्यान भी दे रही हैं। मौजूदा कौशल विकास मिशन में भी इन विकलांगजनों के लिए समुचित अवसरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ने कुछ विशेष क्षेत्र चिह्नित भी किए हैं जिनमें खासतौर पर इन लोगों के लिए कार्य किए जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह योजना ठीक-ठीक धरातल पर उतर सके और समाज का यह तबका भी वाकियों के साथ कदमताल कर सके

एक समय तक विकलांगता को सिर्फ चिकित्सा संबंधी समस्या ही समझा जाता रहा। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ महान कवि जॉन मिल्टन, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिन्स जैसे विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा जिस तरह से सफलता के नए मुकाम हासिल किए गए, उन्होंने समाज की विकलांगता संबंधी उक्त धारणा में बदलाव लाने का काम किया। समाज ने समझा कि विकलांगता सिर्फ व्यक्ति की कुछ शक्तियों को सीमित कर सकती है, उसकी प्रगति की समस्त संभावनाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकती। जरूरत है तो बस उन्हें उचित संबल, समान अवसर और सहयोग प्रदान करने की। धीरे-धीरे अब विकलांगता के एक मात्र 'चिकित्सकीय समाधान' के दायरे से बाहर आकर इसके विकासात्मक मॉडल की दिशा में आगे बढ़ा जाने लगा है। विकलांगता के विकासात्मक मॉडल के फलस्वरूप ही विकलांग व्यक्तियों की बहुआयामी शिक्षा से लेकर सामाजिक भागेदारी आदि को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की नीतियां और कायदे-कानून बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी सन 2007 में हुए अपने विकलांगता अधिकार सम्मेलन में विकलांगता को मानवीय विभिन्नता के रूप में परिभाषित करते हुए कहा, विकलांगताओं या असमर्थताओं वाले व्यक्तियों में वे लोग शामिल होंगे जिनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व इंद्रिय संबंधी क्षमताएं लंबी अवधि के लिए प्रभावित हैं और जिनके कारण उनकी समाज के विभिन्न कार्यों में प्रभावशाली तरीके से पूरी भागीदारी में बाधा पड़ती है।

भारत की बात करें तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 2 करोड़ से अधिक विकलांग हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के उक्त विकलांगता अधिकार सम्मेलन में विकलांगों के अधिकारों की रक्षा आदि के संबंध में निर्धारित कानूनों का समर्थन करने वाले देशों में शामिल है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र विकलांगता अधिकार सम्मेलन के कानूनों के समर्थन से काफी पूर्व सन 1995 में ही भारत द्वारा विकलांगजनों के अधिकारों की रक्षा, अवसर की समानता और समाज में पूर्ण भागेदारी को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कानून (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995) बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त सन 2006 की विकलांग व्यक्तियों से संबंधित देश की राष्ट्रीय नीति में यह मत भी प्रकट किया गया कि विकलांग व्यक्ति भी देश के लिए अत्यंत मूल्यवान मानव संसाधन हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सिर्फ एक मत नहीं है वरन विकलांग व्यक्तियों को वाकई में मूल्यवान मानव संसाधन बनाने के लिए उनके उद्यम कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से देश की पूर्व सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम चलाए गए हैं और वर्तमान सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।

अभी विगत जुलाई महीने में प्रधानमंत्री द्वारा स्किल इंडिया नामक अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 2009 की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की जगह राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति। 2015 की घोषणा भी की गई जिसके द्वारा स्किल इंडिया के लक्ष्यों को पूरा करना है। अब बात यहां ठहरती है कि वर्तमान सरकार की कौशल विकास की दिशा में की गई इन सब कवायदों में विकलांगजनों के लिए भी क्या कुछ विशेष

लेखक युवा पत्रकार हैं। समसामयिक विषयों पर निरंतर लिखते रहते हैं। ईमेलः sardarpiyush24@gmail.com

एनएसडीसी के अंतर्गत आने वाले 'क्षेत्र कौशल परिषद' के जरिए यह व्यवस्था की जाएगी कि हर तरह के विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी शेष क्षमताओं के अनुरूप उचित कौशल प्रशिक्षण निर्धारित किए जाए, जिससे कि वे उसे सही ढंग से सीख और समझ सकें तथा वास्तव में रोजगार योग्य हो सकें।

है? इस संबंध में उल्लेखनीय होगा कि नई कौशल विकास नीति में विकलांगजनों को भिन्न क्षमताओं (differently abled) वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिसूचित करते हुए इस आशय का प्रावधान किया गया है कि एनएसडीसी के अंतर्गत आने वाले 'क्षेत्र कौशल परिषद' के जरिए यह व्यवस्था की जाएगी कि हर तरह के विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी शेष क्षमताओं के अनुरूप उचित कौशल प्रशिक्षण निर्धारित किए जाए, जिससे कि वे उसे सही ढंग से सीख और समझ सकें तथा वास्तव में रोजगार योग्य हो सकें। उल्लेखनीय होगा कि दुनिया में चार प्रकार की विकलांगताएं स्वीकृत हैं। शारीरिक विकलांगता, दृष्टिजन्य विकलांगता, श्रवण संबंधी विकलांगता तथा मस्तिष्क संबंधी विकलांगता। इन चारों विकलांगताओं के लिए अलग-अलग प्रकार के कौशल प्रशिक्षण भी निर्धारित हैं। अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में ऐसे ही प्रशिक्षण क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। उनमें से कुछ प्रमुख प्रशिक्षण क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

शारीरिक विकलांगता के कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र: ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, नॉन-इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, कृषि, जैसे कार्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दिए जाते हैं।

दृष्टि संबंधी विकलांगता के प्रशिक्षण: कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, फिजियोथेरेपी, ऑफिस मैनेजमेंट, लाइट इंजीनियरिंग, पोस्टर मेकिंग, टॉय मेकिंग जैसे तमाम क्षेत्र कौशल प्रशिक्षण दृष्टि संबंधी विकलांगता वाले लोगों के लिए निर्धारित हैं।

श्रवण संबंधी विकलांगता के प्रशिक्षण क्षेत्र: ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फोटोग्राफी, स्क्रीन पेंटिंग, कंप्यूटर कोर्सेज, इलेक्ट्रिकल कोर्सेज, मोमबत्ती उत्पादन, जनरल मैकेनिक्स आदि प्रशिक्षण श्रवण संबंधी विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए निर्धारित हैं।

मस्तिष्क संबंधी विकलांगता के प्रशिक्षण क्षेत्र: दीप निर्माण, लिफाफा निर्माण, कागज के थैलों के निर्माण, हस्तशिल्प, खिलौना निर्माण, आदि प्रशिक्षण क्षेत्र मस्तिष्क की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी)

ये सब प्रशिक्षण सरकारी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) तथा अन्य सरकारी विभागों आदि द्वारा आर्थिक रूप से संचालित हैं। इनकी प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम 1 महीने से लेकर 3 महीने, 6 महीने और अधिकतम साल भर तक होती है। एनएसडीसी के संबंध में उल्लेखनीय होगा कि सन 2008 में तत्कालीन संप्रग सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। हालांकि एनएसडीसी केवल विकलांग लोगों के लिए नहीं है, इसका कार्य हर तरह के लोगों के कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाना है। मगर सरकार के विकलांगजन संबंधी अन्य संस्थानों के साथ मिलकर यह विकलांगजनों के कौशल परिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरणार्थ, उल्लेखनीय होगा कि भारत सरकार के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एनएसडीसी के सहयोग से 2018 तक 5 लाख विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो 2022 तक के लिए फिर एक नए लक्ष्य के निर्धारण की भी योजना अभी से तैयार है। एनएसडीसी के अतिरिक्त तमाम और ऐसी सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम व संगठन हैं जो विकलांगजनों के कौशल विकास की दिशा में काफी पूर्व से कार्य करते रहे हैं। ऐसे ही कुछ योजनाओं, कार्यक्रमों व संगठनों का विवरण निम्नलिखित है:

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC): सन 1997 में भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम की स्थापना को भारत द्वारा विकलांगता के विकासात्मक मॉडल की दिशा में पहला गंभीर कदम माना जा सकता है। निगम के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

- विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास गतिविधियों तथा स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना;
- विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों के उचित एवं दक्ष प्रबंधन के लिए एवं उनके उद्यम कौशल उन्नत करने के लिए अनुदान देना;
- विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार योग्य बनाने वाली व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देना एवं
- स्वरोजगार में लगे विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पाद के विक्रय में सहायता देना।

इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ शुरू हुआ यह निगम आज भी सक्रिय है और प्रतिवर्ष अधिक से अधिक विकलांग लोगों को ऋण व अनुदान की सहायता दे उनके उद्यम कौशल को विकसित कर उन्हें स्वरोजगार योग्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। निगम द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्टों पर गौर करें तो सन 2002

चित्र 1: राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदत्त ऋण

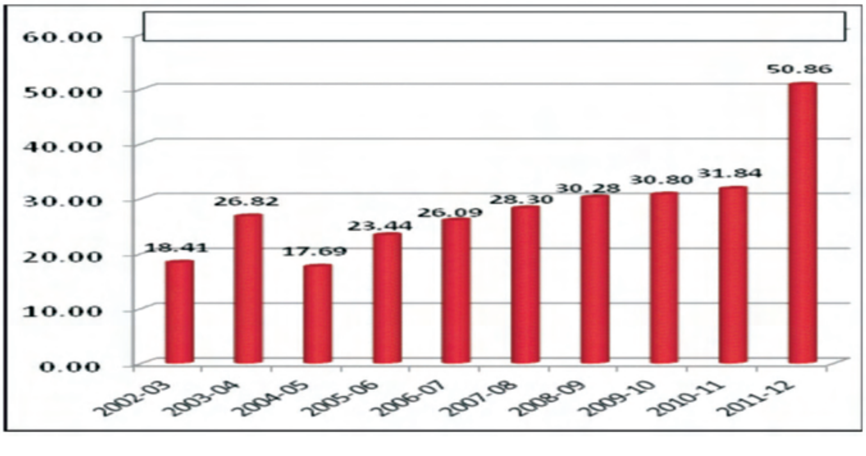

चित्र 2: लाभार्थियों की संख्या

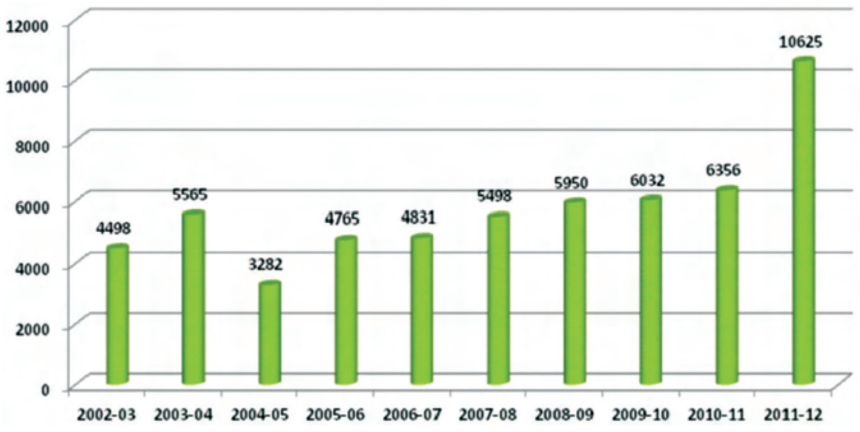

स्रोतः एनएचएफडीसी

से लेकर 2012 तक के वित्त वर्षों में निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों और उनसे होने वाले लाभार्थियों की संख्या में निरपवाद रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि ही नजर आती है (चित्र 1 और 2 देखें)।

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजनाः विकलांगजनों के कौशल विकास की दिशा में यह सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत विकलांगों के कौशल विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत तक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। हालांकि यह योजना केवल 15 से 35 वर्षीय लोगों के लिए ही है। इसके तहत विकलांग युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागेदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य है।

राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण

भारत सरकार के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत देश के सात राष्ट्रीय संस्थान भी विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक विकलांगजनों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप उचित कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार या स्वरोजगार के योग्य बनाया जाए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आंकड़ों की मानें तो 2011 से लेकर नवंबर 2014 तक के समय में इन राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से तकरीबन 14076 विकलांगजनों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में 21 व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की गई है जिनका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के जीवन को सार्थक व उपयोगी बनाने की दृष्टि से उनकी विकलांगता के बाद शेष क्षमताओं के अनुरूप अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण व सहायता प्रदान करना है। आंकड़ों की माने तो इस योजना के तहत वर्ष 2011 से 2014 तक लगभग 40 हजार से ऊपर विकलांगजनों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

विकलांगजनों के कौशल विकास के जरिए उन्हें रोजगार योग्य बनाने तथा देश की आर्थिक प्रगति में भी उनकी शेष क्षमताओं का लाभ लेने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित इन तमाम योजनाओं-कार्यक्रमों एवं नीतियों आदि के बावजूद अभी देश में विकलांगजनों की रोजगार संबंधी स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। एक आंकड़े के अनुसार देश की कुल विकलांग आबादी में से लगभग 1.34 करोड़ लोग 15 से 59 वर्ष की आयु अर्थात नियोजनीय आयु वर्ग के हैं लेकिन विडंबना यह है कि इनमे से 99 लाख लोग गैर-कार्मिक या सीमांत कार्मिक हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्या बात है कि विकलांग व्यक्तियों को कार्यकुशल व रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से संचालित सरकार की उपर्युक्त तमाम योजाओं एवं नीतियों के बावजूद देश की कार्य योग्य विकलांग आबादी का लगभग 70 फीसदी से अधिक हिस्सा गैर-कार्मिक या सीमांत कार्मिक होने को विवश है?

दरअसल, इस स्थिति के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि सरकार द्वारा संचालित उपर्युक्त समस्त योजनाओं-कार्यक्रमों की पहुंच शहरों तक है जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 68 प्रतिशत आबादी गांवों में है अतः इस हिसाब से देश की अधिकांश विकलांग आबादी भी गांवों में ही होगी, लिहाजा उस तक सरकार की इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुंच पाता। वो इनसे जुड़ ही नहीं पाती। इसके अतिरिक्त जो विकलांगजन सरकार की योजनाओं से जुड़कर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उनमें भी बेहद कम ही ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में उस प्रशिक्षण का लाभ ले पाएं। कारण यह है कि एक तो इन योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण आउटडेटिड होता है, साथ ही योग्य प्रशिक्षकों के अभाव में उसमें गुणवत्ता का अभाव भी होता है। कई दफे तो यह भी स्थिति बनती है कि यदि व्यक्ति विकलांगतावश प्रतिदिन प्रशिक्षण केंद्र पर आने में कठिनाई महसूस करता है तो उसके आवागमन के लिए कोई व्यवस्था करने की बजाए प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उसे सीधे परीक्षा के समय आकर परीक्षा देने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने को कह दिया जाता है। अब प्रशिक्षित व्यक्तियों के आंकड़ों में तो उस व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है, लेकिन वास्तव में उसने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया होता है। अब ऐसी दिक्कतों के होते हुए आंकड़ों में जितने लोग प्रशिक्षित दिखें, जरूरी नहीं कि वे सब प्रशिक्षित होंगे ही। इन्हीं समस्याओं के कारण स्थिति यह है कि देश की विकलांग आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी अकुशल व रोजगारहीन है।

गौर करें तो वर्तमान सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कौशल विकास व उद्यमिता

सरकार को एक चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है वो यह कि वो अपनी सभी कौशल विकास योजनाओं को देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी शहरों से अधिक आवश्यकता है। चूंकि शहरों में तो विकलांगजन फिर भी जागरूक हैं, लिहाजा किसी न किसी प्रकार सक्रिय होते हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगजनों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है।

नीति-2015 में उपर्युक्त समस्याओं में से कुछेक को समझा गया है और उनके निवारण के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एनएसक्यूएफ को रखा गया है जो यह तय करेगा कि अमुक संस्थान संबंधित प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अहर्ताओं की पुष्टि करता है या नहीं। इसके बाद ही उस संस्थान को संबंधित प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नीति के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कार्यों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सरकार द्वारा 'नीति क्रियान्वयन इकाई' बनाई गई है जो नीति आयोग के अंतर्गत कार्य करते हुए इस बात की प्रतिमाह निगरानी करेगी कि नई कौशल विकास नीति के तहत जो कौशल प्रशिक्षण के दायित्व जिन संस्थानों को सौंपे गए हैं, वे उनका समुचित क्रियान्वयन कर रहे हैं या नहीं।

हालांकि सरकार को एक चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है वो यह कि वो अपनी सभी कौशल विकास योजनाओं को देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी शहरों से अधिक आवश्यकता है। चूंकि शहरों में तो विकलांगजन फिर भी जागरूक हैं, लिहाजा किसी न किसी प्रकार सक्रिय होते हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगजनों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। जमीनी हकीकत यही है कि देश के अधिकांश गांवों में अब भी विकलांगता को लेकर सोच में पूरी तरह से बदलाव नहीं आया है। अतः यह सरकार की एक बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी इस कौशल विकास मुहीम से देश के गांवों, वहां के विकलांगजनों को कितना जोड़ पाती है। देश के अधिकाधिक विकलांगजनों को कुशल कामगार बनाने और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी शेष क्षमताओं का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है। ❑

(पृष्ठ 39 का शेषांश)

को 'समाजोपयोगी प्रत्यक्ष उत्पादक कार्य मानते हुए उसे समूची शिक्षण-प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानने की संस्तुति की।

पिछले दो दशकों में उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण ने शिक्षा को लाभप्रद प्राइवेट उद्योगों में परिवर्तित कर दिया है। जिससे शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल मानव के सर्वांगीण विकास के साथ उसकी समाजोपयोगिता, धुंधला गया है।

देश में व्याप्त सरकारी और मुनाफाखोर प्राइवेट शिक्षण संस्थानों (स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आई.आई.टी., एन.आई.टी., इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलीटेक्निक) में दी जाने वाली शिक्षा कितनी सर्वांगीण अथवा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है? क्या उनमें पिछले दशकों में गठित शिक्षा-आयोगों की सिफारिशों का प्रतिफलन दृष्टिगोचर होता है? यह विचारणीय है।

वर्तमान सरकार का कौशल विकास का मिशन गांधीजी की बुनियादी शिक्षा का पोषक विचार है। जिससे स्कूल-कॉलेज से निकला शिक्षित व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार किसी कौशल विशेष में प्रवीण बन, न केवल स्वावलंबी बनेगा बल्कि समाज-राष्ट्र के विकास में रचनात्मक भूमिका में होगा। आवश्यकता मात्रा इतनी है कि हम उपर्युक्त ऐतिहासिक संदर्भों से सीख लेकर गांधीजी की शिक्षा-दृष्टि को समग्रता में लागू करें और कौशल विकास के माध्यम से श्रम को प्रतिष्ठित करते हुए समतामूलक समाज की संचरना की ओर अग्रसर हों। ❑

(पृष्ठ 54 का शेषांश)

औजार उससे बहुत उन्नत नहीं थे। फिर भी इनसे उत्पादकता बढ़ी और गुणवत्ता भी लेकिन बाज़ार व्यवस्था को बेहतर नहीं बना पाने के नाते इनको फायदा नहीं पहुंचा।

तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में कायाकल्प में कौशल विकास एक अहम भूमिका निभ सकता है लेकिन इससे जुड़े तमाम पक्षों पर बहुत बारीकी से ध्यान रखते हुए व्यापक निगरानी की भी जरूरत होगी और सफलता की कहानियों को और व्यापक प्रचार देने के साथ उनके मॉडल को लोगों तक पहुंचाना होगा। तभी खेती पुरानी प्रतिष्ठा हासिल कर सकेगी। खेती के लिए एक पुरानी कहावत चली आ रही है:

''उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान''

(अर्थात् खेती करना उत्तम है, व्यापार करना मध्यम है, नौकरी करना निम्न है और भीख मांगकर जीवन यापन करना निकृष्ट काम है।) खेती उत्तम बन सकती है लेकिन उसके लिए ठोस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए राजनीति इच्छाशीलता के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को बहुत कुछ करने की जरूरत है। ❑

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेयूवाई) भारत सरकार की परिणाम आधारित फ्लैगशिप कौशल विकास स्कीम है जो राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान (कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय) द्वारा जारी की गई है।

इस कौशल प्रमाणन एवं प्रोत्साहन स्कीम का लक्ष्य अधिकाधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षणों के लिए योग्य बनाना एवं उत्साहित करना है।

इस स्कीम के अंतर्गत सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण ले रहे हैं। पीएमकेवाई 24 लाख लोगों को प्रशिक्षण देगी। यह स्कीम एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। ये सभी प्रशिक्षण और प्रमाणन विशेष क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए होंगे। पारदर्शिता और उद्देश्यधर्मिता के मद्देनजर प्रशिक्षण केंद्र एवं मूल्यांकन निकाय अलग-अलग बनाए जाएंगे ताकि दोनों के कार्यों में कोई विरोधाभास ना हो।

प्रोत्साहन राशि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा दी जाएगी और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।

Career Launcher

Civil Services Aspirants

200+*

CL छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा '14 में सफलता प्राप्त की

रैंक 13

निशांत जैन
CL पंजीकरण संख्या:
3003133

रैंक 25

मनीष मिश्रा
CL पंजीकरण संख्या:
10019970

रैंक 53

महिमा सिकंद
CL पंजीकरण संख्या:
10074278

रैंक 55

अनुराग जयंती
CL पंजीकरण संख्या:
10019081

रैंक 63

मेघा निधि दहल
CL पंजीकरण संख्या:
CL ID: 1037371

रैंक 89

शांतनु शर्मा
CL पंजीकरण संख्या:
CL ID: 10023473

रैंक 90

शिवाले अभिजीत तुकाराम
CL पंजीकरण संख्या:
CL ID: 1989179

और भी बहुत से...

*परिणाम आंतरिक परिवीक्षाधीन, पेड/ निःशुल्क मॉक टेस्ट में भाग लेने वाले सभी छात्रों को शामिल करते हुए

छात्रों की नज़र में CL

सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा के लिए CL की टेस्ट सीरीज़ अत्यंत लाभदायक रही। यह वास्तविक परीक्षा के बिल्कुल हू-ब-हू थी जिससे मैं परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सका। इसके अतिरिक्त, मॉक इंटरव्यू वाले पैनेल के सभी सदस्यगण अत्यंत सौहार्दपूर्ण थे उन्होंने इंटरव्यू के विभिन्न पहलुओं में मदद की।

रैंक- 63 मेघा निधि दहल
CL पंजीकरण संख्या: 1037371

CL का पीडीपी प्रोग्राम (मॉक इंटरव्यू) अत्यंत लाभदायक रहा। मॉक इंटरव्यू सत्र बहुत विस्तृत थे तथा पैनेल ने महत्वपूर्ण फीडबैक दिया जिससे कि मैं बेहतर तैयारी कर सकी।

रैंक- 114 श्रुति पांडेय
CL पंजीकरण संख्या: 10023474

सिविल सेवा परीक्षा में मेरी सफलता में टीम CL की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाने में मदद की। CL के मॉक साक्षात्कार हू-ब-हू वास्तविक साक्षात्कार जैसे थे। मॉक इंटरव्यू के व्यक्तित्व विश्लेषण तथा महत्वपूर्ण फीडबैक से मेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई।

रैंक- 509 गरिमा तिवारी
CL पंजीकरण संख्या: 10016671

2016 के लिए नए बैच उपलब्ध :
इंटिग्रेटेड GS फाउंडेशन (प्री + मेन) एवं CSAT (हिंदी एवं अंग्रेज़ी माध्यम)

पंजीकरण कराने के लिए 888-2-520-520 पर मिस कॉल करें

दिल्ली CL सिविल सेवा परीक्षा के अध्ययन केंद्र

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराटभवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46

ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन – 42375128/29

/CLRocks

Career Launcher

www.careerlauncher.com/civils

YH-170/2015

क्या आप जानते हैं?

डिजिटल लॉकर

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल लॉकर एक प्रमुख पहल है। यह जन्म प्रमाणपत्र, संपत्ति दस्तावेज आदि सुरक्षित रखने के लिए नि:शुल्क डिजिटल भंडार है। इसका उद्देश्य कागजी दस्तावेजों के इस्तेमाल को कम करना और ई-दस्तावेजों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस लॉकर के दो प्रमुख घटक हैं- भंडार (रिपॉजिटरी) और पहुंच द्वार (अक्सेस गेटवे)। रिपॉटिजटरी में ई-दस्तावेजों का संकलन किया जाता है, जिसे जारीकर्ता द्वारा एक मानक प्रारूप में अपलोड किया जाता है। यहां पर तय समय के भीतर सुरक्षित रूप से खोज और पहुंच के लिए मानक एपीआई के सेट का अनावरण किया जाता है। अक्सेस गेटवे निवेदकों को यूआरआई (यूनीफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर) के जरिए विभिन्न भंडारों से समयबद्ध तरीके से ई-दस्तावेज प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रणाली मुहैया कराता है। यूआरआई जारीकर्ता द्वारा भंडारों में रखे गए ई-दस्तावेज तक पहुंचने का लिंक होता है। गेटवे, यूआरई के आधार पर उस भंडार का पता लगाएगा, जहां ई-दस्तावेज सहेजे गए हैं और भंडार से ई-दस्तावेज प्राप्त करेगा। ई-दस्तावेजों को पंजीकृत भंडारों के माध्यम से साझा किया जाता है, इसके माध्यम से दस्तावेजों की सत्यता ऑनलाइन सुनिश्चित की जाती है।

डिजिटल लॉकर की सुविधा प्राप्त करना ईमेल खाता खोलने जितना ही आसान है। कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड और इससे संबंधित मोबाईल नंबर के जरिए डिजिटल लॉकर की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इस पर साइन अप करने के लिए आपको केवल अपना आधार संख्या देना होता है, उसके बाद इससे जुड़े मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाता है। पहली बार यह एक बार का पासवर्ड (वन टाइम पासवर्ड-ओटीपी) डिजिटल लॉकर में प्रवेश करने का एक मात्र मार्ग होता है, लेकिन उसके बाद आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं या अपने डिजिटल लॉकर को गूगल या फेसबुक लॉगइन के साथ जोड़ सकते हैं। इसके पीछे का विचार कागजी दस्तावेजों के इस्तेमाल को कम करना है।

उदाहरण के तौर पर, यदि आपका जन्म और शिक्षा प्रमाणपत्र ऑनलाइन है और आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, तब पासपोर्ट कार्यालय आपका विवरण जानने के लिए आपके आधार संख्या का उपयोग आपके डिजिटल लॉकर तक पहुंचने के लिए कर सकता है और आपको अपने साथ आवेदन के लिए फाइल लेकर आने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड कर सकता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित किया जा सकता है। यह लॉकर आपको सरकार द्वारा जारी की गई सभी ई-दस्तावेजों को सहेजने के लिए भंडार के रूप में भी उपयोगी होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ई-दस्तावेज सीबीएसई, पंजीकरण कार्यालय, आय कर विभाग जैसे जारीकर्ता, सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा एक मानक एक्सएमएल प्रारूप में अपलोड किया जाता है जो कि डिजिटल लॉकर तकनीकी ब्यौरे के अनुरूप होता है। जिन दस्तावेजों को आपने अपलोड किया है, उन्हें ईमेल के जरिए साझा किया जा सकता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए ई-दस्तावेजों को बैंक, विश्वविद्यालय, पासपोर्ट कार्यालय या परिवहन विभाग जैसे प्राधिकृत और सूचीबद्ध निवेदकों द्वारा देखा जा सकता है। ❑

ई-बस्ता

भारत सरकार ने हाल में डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत छात्रों के हित में व्यापक तौर पर एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। जिसे ई-बस्ता का नाम दिया गया है (स्कूल बैग को हिंदी में बस्ता कहा जाता है), यह नया प्लेटफॉर्म स्कूली किताबों और अध्ययन सामग्रियों को डिजिटल और ई-किताब के रूप में मुहैया कराता है। ई-बस्ता एक सहयोगात्मक मंच है जो किताब प्रकाशकों, स्कूल शिक्षकों और छात्रों को एक साथ लाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकाशकों (निशुल्क या वाणिज्यिक) और स्कूलों को एक मंच पर लाना है। पोर्टल के अलावा इन संसाधनों के आसान प्रबंधन के लिए संगठन की सुविधा हेतु एक सहायक तंत्र भी तैयार किया गया है। इसके तहत वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं जिसे तंत्र के संचालन के लिए टेबलेट में इंस्टॉल किया जा सकता है।

इस तंत्र का पोर्टल के रूप में विकसित किए जाने के बाद यह तीन श्रेणी के हितधारकों- प्रकाशक, स्कूल एवं छात्र को एक साथ लाता है। शिक्षक पोर्टल से स्कूल के छात्रों की आवश्यकता के मुताबिक ई-बुक और अन्य डिजिटल सामग्री को व्यवस्थित कर एक ई-बस्ता तैयार कर सकते हैं। यह कुछ उसी प्रकार से है जैसे कोई छात्र वर्ग या कोर्स के अनुसार स्कूल बैग तैयार करता है। पोर्टल से विभिन्न प्रकार के स्कूल संसाधनों जैसे:- विषय वस्तु, एनिमेशन, ऑडियो, विडियो इत्यादि में से शिक्षक अपने शिक्षण प्रणाली के मुताबिक सामग्री को चुनकर एकत्रित कर सकते हैं। छात्र संवादमूलक और प्रगतिशील सामग्री से सवंर्धित विषय वस्तु, चार्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और विडियो से स्वयं को समृद्ध कर सकते हैं। वे आसानी से अपने शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ई-बस्ता को डाउनलोड कर सकते हैं।

चूंकि सामग्री डिजिटल प्रारूप में होता है, इसे किसी भी उपकरण से संरक्षित और साक्ष किया जा सकता है या इसकी प्रतिलिपि तैयार की जा सकती है।

लाने-ले जाने और इसकी पहुंच आसान होने के कारण छात्रों के लिए इसका उपयोग करना बेहद आसान हो जाता है। छात्रों को इसे ढ़ोने में कोई परेशानी नहीं होती और इसे कभी भी, कहीं भी पढ़ा जा सकता है। किताब प्रकाशक ई-बस्ता के माध्यम से देश के हजारों स्कूलों तक प्रिंटिंग, परिवहन और वितरण की चिंता किए बगैर पहुंच सकते हैं। वे डिजिटल प्रारूप में अपनी सभी सामग्री की सूची बना सकते हैं, उन्हें बेच और वितरित कर सकते हैं। ई-बस्ता प्रकाशकों को उनके द्वारा मुहैया कराए गए डिजिटल सामग्री के बारे में शिक्षक और छात्रों से सीधे प्रतिपुष्टि (फीडबैक) मिल सकता है। यह प्लेटफॉर्म डीआरएम को सपोर्ट करता है, अत: प्रकाशकों को अपनी किताब की साहित्यिक चोरी का डर भी नहीं होता है। पोर्टल से ई-बस्ता एप्प को मुफ्त में किसी भी एंड्रायड उपकरण पर चलने वाले पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ❑

प्रस्तुति: गोपाजीत दास (संपादक, प्रकाशन विभाग)। ईमेल: gopajitdas@gmail.com

डिजिटल हुआ 'द कलेक्टैड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी'

माननीय सूचना एवं प्रसारण और वित्त कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली 'द कलेक्टैड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' के ई-संस्करण का लोकार्पण और गांधी हेरिटेज पोर्टल पर इस संस्करण के अपलिंक का शुभारंभ करते हुए। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर तथा गुजरात विद्यापीठ की कुलपति सुश्री इला रमेश भट्ट भी मौजूद थीं।

द कलेक्टैड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी) के 100 खंडों की 55000 पृष्ठों की पुस्तकों का संग्रह अब ई-संस्करण के जरिए दुनियाभर के लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होगा। इस ई-संस्करण का लोकार्पण माननीय सूचना एवं प्रसारण और वित्त कॉरपोरेट कार्यमंत्री श्री अरुण जेटली ने 8 सितंबर 2015 को सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर (से.नि.) की उपस्थिति में दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में किया।

गांधी हेरिटेज पोर्टल पर भी इस संस्करण के अपलिंक का शुभारंभ किया गया ताकि महात्मा गांधी के बारे में विश्वसनीय चित्र, जानकारी तथा लिखित सामग्री सुगमता से उपलब्ध हो। पोर्टल पर सीडब्ल्यूएमजी पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है ताकि सबको यह मुफ्त उपलब्ध हो। पोर्टल का रख-रखाव साबरमती आश्रम स्मारक एवं संरक्षण ट्रस्ट (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा किया जा रहा है।

श्री जेटली ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी के संग्रहित कार्यों का डिजिटल संस्करण अमूल्य राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण और मानवता के प्रसार में सहायक होगा। इस परियोजना की विरासत और महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि ई-संस्करण को गांधी जी द्वारा स्थापित और विकसित संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस उल्लेखनीय कार्य के हिंदी संस्करण *संपूर्ण गांधी वाङ्मय* का भी शीघ्र डिजीटीकरण होगा।

सीडब्ल्यूएमजी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के सृजन के लिए प्रकाशन विभाग ने सितंबर, 2011 में गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। वरिष्ठ गांधीवादी विद्वानों- गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रो. सुदर्शन अय्यंगार, मूर्धन्य गांधीवादी विदुषी सुश्री दीनाबेन पटेल, साबरमती आश्रम संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट (संपत) के निदेशक श्री त्रिदीप सुहृद- ने इस परियोजना का पर्यवेक्षण कर सामग्री की प्रामाणिकता सुनिश्चित की है।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित, सीडब्ल्यूएमजी, को तैयार करने में 1956 से 1994 तक लगभग 38 वर्ष लगे। (मूल श्रृंखला के सूत्रधार प्रो. के. स्वामीनाथन के नाम पर मूल संस्कारों को के.एस. संस्करण भी कहा जाता है।) यह 1884 से 30 जनवरी 1948 (उनकी मृत्यु) तक गांधी जी द्वारा बोले गए और लिखे गए शब्दों का स्मारक दस्तावेज है। विश्व में कई स्थानों पर उनके द्वारा लिखे गए कार्यों को इस श्रृंखला में अकादमिक अनुशासन तथा कर्तव्य की नैतिक भावना के साथ संग्रहित किया गया है।

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L.-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
23 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित • 29-30 सितम्बर, 2015 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

उपकार बैंक

Just Released

नवीन पाठ्यक्रमानुसार

प्रोबेशनरी ऑफिसर्स/ मैनेजमेंट ट्रेनीज

IBPS PO/MT

सम्मिलित लिखित प्रारम्भिक परीक्षा

(मॉडल प्रश्न-पत्र हल सहित)

अंग्रेजी भाषा

तर्कशक्ति

संख्यात्मक अभियोग्यता

आई.बी.पी.एस. द्वारा आयोजित

Code 2371 ₹ 195.00

Code 2372 ₹ 150.00

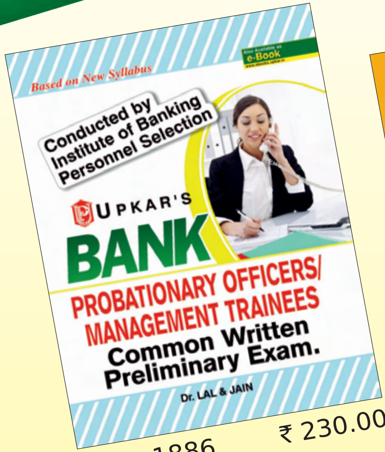

Code 1886 ₹ 230.00

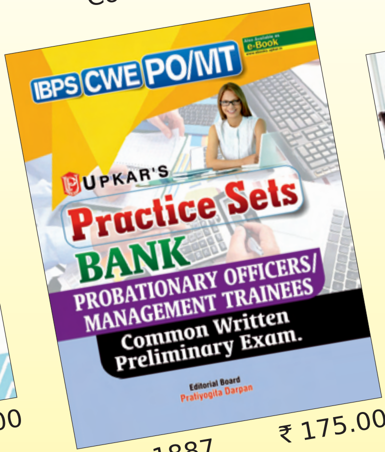

Code 1887 ₹ 175.00

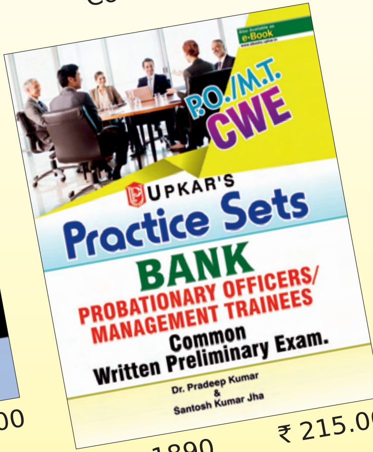

Code 1890 ₹ 215.00

उपकार प्रकाशन (An ISO 9001:2000 Company) | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 7060421008